लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(ग्यारहवां सत्र)

(खंड 36 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 22, शुक्रवार, 25 मार्च, 1983/4 चैत्र, 1905 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 392 से 395, 397 और 401	1—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	22—241
तारांकित प्रश्न संख्या : 391, 396, 399 और 402 से 410	22—31
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4430 से 4443, 4445 से 4454, 4456 से 4461, 4463 से 4472, 4474 से 4483 और 4485 से 4666	31—237
कार्य-मंत्रणा समिति	241
44वां प्रतिवेदन	
निधन सम्बन्धी उल्लेख	241—242

* किसी नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

लोक सभा

शुक्रवार, 25 मार्च, 1983/4 चैत्र, 1905 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

फार्म उपकरणों को पट्टे पर देने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सहायक बैंक स्थापित करने की मंजूरी देना

*392. श्री बी० वी० देशाई :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों फार्म उपकरणों को पट्टे पर देने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सहायक बैंक स्थापित करने की मंजूरी दी जायेगी;

(ख) यदि हां, तो इस क्या इस बारे में कोई विधान लाये जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां; तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) यह कब तक पुरःस्थापित किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) बैंककारी से संबंधित विभिन्न कानूनों में संशोधित करने के सम्बन्ध में एक विधेयक रखने की सूचना लोक सभा को भेजी जा चुकी है। प्रस्तावित विधान में, अन्य बातों के साथ-साथ किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा किराया खरीद कारबार, उपस्करपट्टेदारी, मर्चेंट बैंकिंग आदि के वास्ते एक सहायक कम्पनी स्थापित करने का सामर्थ्यकारी उपबन्ध भी शामिल है। इस सम्बन्ध में किसी बैंकिंग कंपनी के आवेदन पर निर्णय, समुचित विधान के लागु होने के बाद, जन हित को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोषों के आधार पर और उसकी आवश्यकता पर विचार करते हुए किया जाएगा।

श्री बी० वी० देशाई : महोदय, हमारे देश में इस समय बैंकिंग संस्थान धन उधार देने और ऋणों के सृजन आदि का कार्य करते हैं। यह एक सुविदित तथ्य है कि धन एक वस्तु है। अब, वर्तमान संशोधन के अनुसार अथवा सभा के समक्ष पुरःस्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, वह एक सहायक कम्पनी द्वारा किराया-खरीद कारबार करने जा रहे हैं। निस्सन्देह, किराया-खरीद कारबार पहले से ही हो रहा है। परन्तु उपस्कर के लिहाज से किराया खरीद प्रणाली मौजूद नहीं है। इसलिए मौजूदा कानूनों में काफी संशोधन किए जाने की

आवश्यकता है। उदाहरण के लिए यदि सरकार किराया–खरीद कारबार के लिए सहायक कंपनी स्थापित करने का इरादा रखती है तो राष्ट्रीयकृत बैंक अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, आई० एफ० सी० अधिनियम आदि सभी में संशोधन करने की आवश्यकता है। मैं एक और प्रश्न पुछना चाहता हूं। महोदय, कर्नाटक में भारतीय स्टेट बैंक अपना बैंकिंग कारबार अपने स्थानिय मुख्य कार्यालय के बिना चला रहा है। परन्तु कर्नाटक में भारतीय स्टेट बैंक की पर्याप्त शाखाएं नहीं हैं। हमने भारत सरकार को भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय मुख्य कार्यालय के लिए कई बार अभ्यावेदन दिए है। यद्यपि कर्नाटक में कुछ शाखाएं है परन्तु वहां भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं आवश्यकतानुसार नहीं खोली गई हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार भारतीय स्टेट बैंक का स्थानीय मुख्य कार्यालय कर्नाटक राज्य में बंगलौर में खोलने जा रही है और यदि हां तो किस तारीख को ?

अध्यक्ष महोदय : और किस सड़क पर।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं प्रश्न के दुसरे भाग का उत्तर पहले दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें पुछ से पकड़िए।

श्री जनार्दन पुजारी : मुझे सभा को यह सूचना देते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि सरकार कर्नाटक में बंगलौर में स्थानिय मुख्य कार्यालय खोलने पर सहायता हो गई है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह एस० बी० आई० होगा अथवा सी० बी० आई०...?

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : यह सच है कि बैंकों का काम अब केवल उधार देना या लेना नहीं रहा यह देश की अर्थ व्यवस्था के विकास की प्रक्रिया का एक साधन हैं। माननीय सदस्य ने कुछ सुझाव दिए हैं। मुख्य उत्तर में मैंने जैसा कि कहा है कि एक विधेयक रखने की सूचना लोक सभा को पहले ही भेजी जा चुकी है और इस विधान में एक सहायक कंपनी स्थापित करने का सामर्थ्यकारी उपबन्ध भी शामिल है और जब मुख्य बैंकिंग संशोधन विधेयक सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

श्री बी० वी० देसाई : मैं सरकार को बधाई देता हूं कि उसने कर्नाटक क्षेत्र के लिए बंगलौर में एक स्थानीय मुख्य कार्यालय खोलने की हमारी लम्बे समय से चली आ रही मांग को मान लिया है।

अब मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीयकृत बैंकों की सहायक कंपनीयां खोलने के सम्बन्ध में है। क्या उनके लिए सांविधिक नकदी अनुपात वही रहेगा अथवा उसमें परिवर्तन हो जाएगा ? क्या इस सम्बन्ध में कोई उपबन्ध है ? यह बैंकिंग कारबार नहीं है, यह कुछ भिन्न है, जहां नकदी अनुपात में वृद्धि की जानी हो क्या सरकार उसके लिए तैयार है और यदि हां तो किस सीमा तक ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मेरे मित्र ने जैसा कि स्पस्ट किया है कि हम बैंकिंग

कानूनों के बारे में एक व्यापक विधान ला रहे हैं जिससे उपस्कर पट्टे पर सप्लाई करने अथवा किराया-खरीद आधार पर सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु हम सहायक कम्पनियां स्थापित कर सकेंगे। जब हम इन सहायक कंपनीयों को स्थापित करने का अधिकार मिल जाएगा तब इन सभी बातों पर चर्चा की जा सकती है। हम अभी उन पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अभी सहायक कम्पनियों की स्थापना नहीं हुई है। हमने उत्तर में कहा है कि हमने बैंकिंग विनियमन अधिनियम में व्यापक संशोधन करने हेतु एक विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी है जिसके द्वारा हम यह सब कर सकेंगे। इस समय बैंकिंग विनियम अधिनियम की धारा 19 हमें सहायक कंपनी की स्थापना करने की अनुमति नहीं देती है।

श्री मोहन लाल पटेल : आज कल बहुत सी कम्पनियां सराफ और वित्तदाता के नाम बैंकों के समानान्तर कार्य कर रही है। वे जमा राशियों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों की अपेक्षा अधिक ऊंची दर पर ब्याज दे रही है। स्वभावतः लोग अपना पैसा उन्हीं के पास जमा कराते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन समानान्तर बैंकिंग कंपनियों की वजह से राष्ट्रीय बैंकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि हां तो इन सराफों और वित्तदाताओं को समाप्त करने पर विचार कर रही है।

श्री प्रणव मुखर्जी : ये बैंकिंग उद्योग को प्रभावित करने के अतिरिक्त ये साधारण व्यक्तियों के जीवन को भी प्रभावित कर रही हैं। बेईमान संस्थानों द्वारा कुछ साधारण व्यक्तियों को धोखा दिया जा रहा है। हम प्रस्तावित व्यापक संशोधन द्वारा इस समस्या के कुछ पहलुओं को को हल करने का प्रयास कर रहे है। परन्तु इसके साथ ही यह याद रखना होगा कि इस क्षेत्र में ये लोग मौजूद हैं। मुझे इसमें सन्देह रहीं कि वे सभी प्रकार के संधिग्ध उपाय अपना रही हैं। मैं किसी कम्पनी विशेष का नाम नहीं लूंगा-अर्थात वे क्या ब्याज-दर देती हैं। दुर्भाग्यवश, जमाकर्ता शीघ्र धन कमाने की प्रवृति के शिकार हो जाते हैं जबकि उन्हें स्वयं यह बता दिया जाता है कि उन्हें 12 प्रतिशत वैध और 12 प्रतिशत चोरी-छिपे मिलेगा। इसके बहुत से लोग शिकार हो जाते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : 24 प्रतिशत चोरी-छिपे।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं इसके विस्तार में नहीं जाउंगा। आपको अधिक जानकारी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे उत्तर चाहिए। मैं अनुपूरक प्रश्न पूछूंगा।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैंने ऐसा इसलिए कहा कि आप इसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे इसमें लाने के लिए उनका धन्यवाद।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं यह कर रहा हूं कि हम समस्या को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें इसकी पूरी जानकारी है।

श्री ओस्कर फर्नान्डीस : बंगलौर में स्थानीय मुख्य कार्यालय खोलने की हमारी लम्बे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करने के लिए हम वित्त मंत्री जी के आभारी हैं। इसके अतिरिक्त, यह केवल वित्त पोषण अथवा किराया-खरीद के लिए बैंकों की सहायक कम्पनियां

खोलने का प्रश्न नहीं हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ अधिक धनराशि जमा की जा सकती है, अधिक बैंक शाखाएं खोलने से संबंधित भी है और प्राथमिकता क्षेत्र का वित्त पोषण भी करता है। इस संबंध में मैं सरकार के कार्यक्रम के बारे में जानना चाहता हूं कि वह हम आगामी दो वर्षों में देश भर में कितनी शाखाएं खोलेगी।

श्री जनार्दन पुजारी : वर्ष 1969 में अर्थात राष्ट्रीयकरण से ग्रासीण क्षेत्रों में केवल 1832 शाखाएं थी। अब राष्ट्रीकरण के पश्चात दिसम्बर, 1981 में ग्रामीण क्षेत्रों में 20394 शाखाएं थीं। हमारा ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 8000 शाखाएं और महानगरों तथा शहरी क्षेत्रों में 2000 शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय वित्त मंत्री जी ने संदिग्ध कारबार, उन्हीं के शब्दों का उद्धृत कर रहा हूं, करने वाले कुछ गैर-बैंकिंग वित्त पोषण संस्थानों पर नियंत्रण रखने हेतु प्रस्तावित विधेयक में एक उपबन्ध सम्मिलित करने की संभावना का उल्लेख किया है। इस देश में सबसे बड़ा प्रतिष्ठान पश्चिम बंगाल का 'संचिता' है जिसका मामला पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कार्यवाही किए जाने के पश्चात उच्चतम न्यायालय के सामने भी आया था। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकार से इस प्रतिष्ठान के विरुद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार ने उस प्रतिष्ठान से संबंधित व्यक्तिओं के विरुद्ध मुकदमे चलाए हैं। केन्द्र सरकार और रिजर्व बैंक को बार-बार अनुरोध करने के बावजूद इन दोनों एजेन्सियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उच्चतम न्यायालय की सुनवाई के दौरान जो एक बात उभर कर आई, वह यह थी कि प्रारम्भिक में 48% ब्याज दिया जा रहा था, यद्यपि अभिलेखा में यह 12% था अर्थात 36% कालेधन में और यह कि 1980 के चुनावों से पूर्व इसे 36% तक घटा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने इस राजनीतिक दल के कोष में अंशदान किया था। कोई भी यह कल्पना कर सकता है कि लाभ किसे हुआ था। अतः यह सब जानते हुए, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मामले में गत दो वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं कि संचयता और समान संगठनों के कार्यकलापों को नियंत्रित करने के लिए और छोटे जमाकर्ताओं को बचाया जाये, इस दिशा में केन्द्रीय सरकार का रिजर्व बैंक ने क्या किया है।

श्री प्रणव मुखर्जी : माननीय सदस्य को यह भली भांति पता है कि हमने क्या-क्या कदम उठाये हैं क्योंकि इस मामले पर दूसरे सदन में विस्तार से विचार-विमर्श हुआ था—मुझे यह पता नहीं हैं कि क्या यह इस सदन में हुआ था। पहले तो जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, आयकर विभाग पहले ही कार्यवाही आरंभ कर चुका है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे तो दस्तावेजों की नकल भर कर रहे हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : क्योंकि उनको आपने दस्तावेज नहीं सौंपे थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं।

श्री प्रणव मुखर्जी : कृपया तर्क-वितर्क में न पड़िये। हमें अनुमति लेने के लिए उच्चतम न्यायालय जाना पड़ा था अर्थात यह देखने के लिए कि हमारे पास प्राधिकार है। मैं आपको ब्यौरा दे सकता हूं। यदि आप चाहते हैं तो आप चर्चा चलाइये। मैं ब्यौरा प्रस्तुत करूंगा। (व्यवधान)

केवल इतना ही नहीं, उनके दस्तावेज प्राप्त करना भी कठिन कार्य था। वे हमें पश्चिमी-बंगाल सरकार से प्राप्त नहीं हुए थे। हमें अपने लोगों को प्राधिकार दिलाने के लिए, उच्चतम न्यायालय से अनुमति मांगनी पड़ी थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह सही नहीं है। दुर्भाग्य से उन्हें सही सूचना नहीं दी गई है। तो फिर मैं दूंगा।

श्री प्रणव मुखर्जी : बहुत अच्छा आप ले जाइये। दूसरा मुद्दा यह है कि मैंने उप-सचिव के पत्र का दिनांक और संख्या दी थी, जिसमें कि कम्पनी के स्वरूप के बारे में राज्य प्रशासन को लिखा गया था। मैं उस पत्र को उद्धृत करता हूं। जब उन्हें सावधान किया गया कि हमें शिकायतें मिल रही हैं—वास्तव में शिकायत चौधरी चरणसिंह जी को मिली थी जो कि उस समय वित्त मंत्री थे—और वित्त मंत्रालय से किसी ने पश्चिम-बंगाल सरकार को लिखा था कि हमें इस कम्पनी के बारे में शिकायतें मिल रही हैं और एक अधिकारी ने हमें बताया—स्पष्टतया निम्न स्तर के अधिकारी ने—नहीं ईसमें हमें कुछ भी गलत नहीं लगा है, कुछ भी अपराधिक नहीं हैं। यदि आप चाहते हैं तो मैं उस पत्र की एक प्रति आपको दे दूंगा। अतः हमें, उस पहलू को छोड़ देना चाहिए। मैं यह उजागर करना चाहता हूं कि हमने कार्यवाही आरम्भ कर दी है, बैंकिंग की ओर से कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है और आयकर की ओर से भी की जा चुकी है। जहां तक संरक्षण की बात है, मैं क्या संरक्षण प्रदान कर सकता हूं ? यदि उन्होंने कर वचंना की हैं तो मैं उन्हें दण्डित कर सकता हूं, यदि उन्होंने विधि की अवज्ञा है तो भी मैं उन्हें दण्डित कर सकता हूं। परन्तु लोग यदि रुपया जमा कराते हैं और वह ऐसी कम्पनियों से वापस नहीं मिलता है और वे यह सोचते हैं कि सरकार उनकी सहायता करेगी तो वह स्थिति हमें स्वीकार्य नहीं है।

चावल का निर्यात

***393. श्री सुधीर गिरि :**

श्री नवीन रवाणी : क्या वाणिज्य मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के वर्षों के दौरान कुल कितनी मात्रा में चावल का निर्यात किया गया और किन-किन देशों को किया गया;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान (वर्षवार) कुल कितनी मात्रा में चावल का उत्पादन हुआ;

(ग) जब कि देश में खाद्यान्न की कमी है तो चावल का निर्यात करने की क्या सम्भावना है; और

(घ) क्या सरकार का विचार वर्ष 1983-84 के दौरान भी चावल का निर्यात करने का है; यदि हां, तो कितना ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) निर्यातित चावल बासमती तथा गैर-बासमती दोनों की कुल मात्रा निम्नलिखित है :—

आंकड़े अनन्तिम हैं ।—

वर्ष	मात्रा (लाख मे० टन)	गन्तव्य स्थल
1980-81	6.87	सोवियत संघ, वियतनाम, मारिशस, नीदरलैंड, यू० ए० ई०, कुवैत, सऊदी अरब, ईरान आदि
1981-82	8.54	
1982-83	4.70	

(ख) चावल के कुल उत्पादन आंकड़े नीचे दिए जाते हैं :—

वर्ष	उत्पादन (मिलियन मे० टन)
1979-80	42.33
1980-81	53.63
1981-82 (अनुमानित)	53.59

(ग) तथा (घ) 1983-84 के लिए निर्यात नीति तैयार की जा रही है ।

श्री सुधीर गिरि : कृपया प्रश्न के भाग (ग) को देखिए, जिसमें निम्नांकित बात कही गई है :—

> "जब कि देश में खाद्यान्न की कमी है तो चावल का निर्यात करने की क्या सम्भावना है ।"

वे कह चुके हैं उनका कहना है कि 1983-84 के लिए चावल निर्यात की नीति तैयार की जा रही है । मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । हम अमरीका और आस्ट्रेलिया से 1981-82 और 1982-83 के दौरान लगभग 70 लाख टन गेहूं का आयात कर चुके हैं जो कि स्वयं हमारे देश में विद्यमान मूल्यों से अधिक पर खरीदा गया था । अतः, इससे हमारे देश में खाद्यान्नों की कमी सिद्ध होती है । इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जहां तक खाद्यान्नों के आयात-निर्यात का सम्बन्ध है, ऐसी गलत और बाल की खाल निकालने वाली नीति को अपनाने और अनुसरण करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा पूर्ति विभाग के मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : जहां तक वर्ष 1983-84 का संबंध है, यह निर्णय लिया गया है कि हम गैर-बासमति चावल का निर्यात नहीं करेंगे और नयी फसल के आने पर उसकी उपलब्धता को कूट कर वर्ष के मध्य में इसकी समीक्षा करेंगे ।

अतः, इस संबंध में सारे भय पूर्णतया निर्मूल हैं। जहां तक बासमति का संबंध है, उसका अधिक उपभोग नहीं होता है और उसके निर्यात की अनुमति होगी।

श्री सुधीर गिरि : मंत्री महोदय का कहना है कि वे इस वर्ष निर्यात नहीं करेंगे। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सूखे के कारण केरल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान इन सभी राज्यों में खाद्यान्नों की भारी कमी है तो क्या वे खाद्यान्नों का बाहर से आयात कर रहे हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मुख्य प्रश्न चावल के आयात से सम्बद्ध है। परन्तु यदि सूखे की परिस्थितियां और अन्य अभाव हमें बाध्य करते हैं तो निश्चय ही जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और जनसंख्या को भोजन जुटाने के लिए यदि ऐसी कोई आवश्यकता पड़ती है तो हमें उसे पूरा करना होगा।

श्री ए० के० बालन : चूंकि हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, इसलिए हमारा देश रूस और कुछ अरब देशों को भी, चावल का निर्यात करने की स्थिति में है। इस संबंध में, मुझे एक पूरक प्रश्न पूछना है। क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय सरकार ने केरल को पर्याप्त चावल नहीं दिया है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

अध्यक्ष महोदय : *हां, श्रीमान पंडित जी, यह संगत प्रश्न नहीं है।*

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : उत्तर से यह स्पष्ट है कि हमारे यहां चावल का अधिक उत्पादन हो रहा है, परन्तु हमें चावल नहीं दिया जाता है। इस प्रश्न पर यहां पहले भी विचार किया जा चुका है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान पंडित जी, इसकी अनुमति नहीं है।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : मैंने एक पत्र उनको भी लिखा है। हम चावल की मांग करते रहे हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पंडित जी, कृपया (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : श्री नाडार जी, मैं आपसे कई बार यह निवेदन कर चुका हूं कि आप सदन में इस प्रकार न चिल्लायें। जी हां, पंडित जी ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय को इसकी बड़ी चिन्ता है।

श्री ए० नीला लोहिथादसन नाडार : उनका कहना है कि इसे एक अन्य प्रश्न के रूप में उठाया जाए।

अध्यक्ष महोदय । क्या आप नियमों को जानते हैं ? प्रोफेसर, उनसे नियम पढ़कर आने के लिए कहिए ।

(व्यवधान)

जी हां, श्री पंडित जी । श्रीमन् बालन जी बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत गलत बात है ।

(व्यवधान)

डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या मंत्री महोदय सदन को बतायेंगे कि क्या बासमती का निर्यात करते समय हाल ही में कुछ ऐसे दृष्टान्त सामने आए हैं जबकि बासमती को परिमल के साथ मिला दिया गया हो तथा क्या आयातक देशों से इसकी शिकायतें मिली हैं ? चावल की वे कौन सी किस्में हैं जिन्हें गैर-बासमती किस्मों में गिना जाता है और क्या सरकार परिमल का मिश्रण बन्द करेगी, जिसकी कि दरें, हाल ही में किस्मों के आपस में मिश्रण के व्यवसाय के चल पड़ने के कारण, ऊंची हो गई हैं ?

श्री सतीश अग्रवाल : यह तो सरकार का एक सुविचारित निर्णय है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जहां तक अन्य घटिया किस्मों को मिलाने का सम्बन्ध है, जब कभी भी यह हमारे नोटिस में आया है, हम उस पर पहले ही कार्यवाही कर चुके हैं ।

जहां तक परिमल की बात है, इसकी एक विशिष्ट किस्म उपलब्ध है, परन्तु 1983 में बासमती के निर्यात की ही अनुमति दी जा रही है । गैर-बासमती किस्म की अनुमति कतई नहीं दी जा रही है । हम एक छमाही समीक्षा करेंगे और केवल तभी चावल की अन्य किस्मों के निर्यात की अनुमति दी जा सकेगी । यहां तक कि बासमती के मामले में भी उत्पादन बढ़ रहा है । 1979-80 में यह 420 लाख टन था । मैं दशमलव को छोड़कर, केवल पूर्ण संख्याएं ही पढ़कर सुना रहा हूं । 1980-81 में 530 लाख टन का उत्पादन हुआ था और 1981-82 में भी 530 लाख टन का । इसके मुकाबले, चावल का कुल निर्यात घट गया है और इस वर्ष तो बासमती का निर्यात भी आधे से कम हो गया है, वर्ष 1981-82 में 31 लाख टन से घटकर इस वर्ष 12.30 लाख टन रह गया है । यह एक मामूली सा अंश है ।

श्री ए० नीला लोहिथादसन नाडार : मंत्री महोदय के उत्तर से यह स्पष्ट है कि बासमती चावल उपलब्ध है और वह दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह खाद्य मंत्री महोदय से कुछ सलाह-मशविरा करेंगे और वह केरल के लिए कुछ बासमती चावल आबंटित कर सकेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न यहां संगत नहीं है । हां, श्री कुरियन जी ।

श्री ए० नीला लोहिथादसन नाडार : केरल खाद्यान्न की मांग कर रहा है, लोग चावल के लिए चिल्ला रहे हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह उसका उत्तर नहीं है। यह कोई प्रश्न पूछने का ढंग नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री हरीश कुमार गंगवार : वह पूछ रहे हैं···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री गंगवार जी, क्या आप उनके वकील हैं ? आप अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं ? मुझे अपने काम का पता है। यह तो एक असंगत प्रश्न है। यह कतई असंगत है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूंगा। हां, श्री कुरियन। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे एक अन्य प्रश्न दीजिए। कोई संगत प्रश्न कीजिए और मैं अनुमति दे दूंगा।

श्री ए० के० बालन : नागरिक पूर्ति मंत्री उत्तर देने में असमर्थ हैं। इसीलिए तो हम वाणिज्य मंत्री महोदय से पूछ रहे हैं।

श्री नीला लोहिथादसन नाडार : मैंने उन्हें एक पत्र भी लिखा है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप नियमों को पढ़ते नहीं हैं। आप तैयारी किए बिना आते हैं। आप नाहक इसे उठाते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? आप सभा में क्यों चिल्ला रहे हैं ? क्या यह कोई तरीका है ? शिष्टाचार कहां गया ? श्रीमान् बालन जी आप तो युवा हैं। आपको तो कुछ शिष्टाचार भी सीखना चाहिए। आज इसी विषय पर इस सदन में बहस हो रही है। क्या आप इसे अनुभव नहीं करते हैं ? यह माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं ? हाँ, श्री कुरियन जी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, चालू रखिए। इसकी अनुमति नहीं है।

प्रो० पी०जे० कुरियन : देश भीषण सूखे की स्थिति से गुजर रहा है। वास्तव में चावल के उत्पादन में गिरावट आई है केरल तथा अन्य राज्यों से अधिक से अधिक चावल की मांग की जा रही है। इस विशेष स्थिति में, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जब इस देश में चावल की कमी है, तो क्या आप चावल निर्यात नहीं करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह निर्यात का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह साधारण अर्थव्यवस्था का प्रश्न है।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : मैं भी इस प्रश्न का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने एक प्रश्न निर्यात की संभावना के बारे में पूछा है वह संगत

प्रश्न है। संगत प्रश्नों में कोई आपत्ति नहीं करता हूं। मैं केवल असंगत प्रश्नों पर आपत्ति करता हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : माननीय सदस्य ने कमी के संदर्भ में निर्यात के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने गैर बासमती चावल के निर्यात को बन्द कर दिया है। मुझे यह बताया गया है कि परमल चावल के निर्यात को भी रोक दिया गया है। पिछले वर्ष चावल के कुल 535.9 लाख मीटरी टन के कुल चावल उत्पादन में से 10.3 लाख मीटरी टन बासमती चावल का निर्यात किया गया था। बस इतना ही निर्यात किया गया था। यह गरीब व्यक्ति का भोजन नहीं है। यह एक महंगा भोजन है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इससे भी अधिक धन प्राप्त होता है। आप इस बात को क्यों नहीं बताते हो ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसके साथ ही हम उसकी पुनरीक्षा भी कर रहे हैं। यदि स्थिति इतनी खराब है कि निर्यात करना उचित नहीं है तब हम निश्चय ही कोई निर्णय लेंगे। लेकिन इस समय यह संभव नहीं है।

प्रो० पी०जे० कुरियन : वास्तव में केरल में उच्च मध्यम वर्ग बासमती चावल का उपभोग कर सकता है। अतः बासमती चावल के निर्यात को रोकिए और इसको केरल को भेजिए मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि उस चावल को खरीदने को हम तैयार हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह कार्यवाही करने के लिए एक सुझाव है। मैंने इसको नोट कर लिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : मंत्री महोदय ने प्रश्न के भाग (ग) तथा (घ) का उत्तर देते हुए यह बताया है कि वर्ष 1983-84 के लिए निर्यात नीति तैयार की जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सच नहीं है कि भारत सरकार आयात तथा निर्यात दोनों के ही सम्बन्ध में अपनी निति तैयार कर रही है तो इसमें कुछ विरोधाभास है। उदाहरण के तौर पर जब हमने आपकी अनुमति से इस सदन में गेहूँ के आयात के प्रश्न पर चर्चा की थी, तब उन्होंने यह कहा था कि देश में रिकार्ड उत्पादन हुआ है। इसके साथ ही हमें रिकार्ड आयात करना पड़ता था। यह एक नये प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसे आप भी नहीं समझ पायेंगे यही बात कमी होने पर भी निर्यात करने के सन्दर्भ में है। क्या आप इन असंगतियों को दूर करेंगे और हमेशा के लिए यह निर्णय करेंगे कि यदि हमारे यहां रिकार्ड उत्पादन होता है तो हम आयात नहीं करेंगे और जब हमारे यहां कमी होगी तो हम निर्यात नहीं करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जब रिकार्ड उत्पादन होगा, क्या तब कमी नहीं होगी ? रिकार्ड उत्पादन एक अलग बात है और कमी होना एक अन्य बात है। यदि आप इस बात को समझ सकते हैं, तो फिर इस बात को क्यों पूछते हैं ? आप भी यह जानते हैं कि बासमति चावल अधिक राजस्व प्राप्त किया जा सकता है।

प्रो० मधु दण्डवते : मंत्री जी को इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन देना चाहिए ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि क्या हम परस्पर विरोधी बातों को दूर करेंगे । हम न केवल निति के सम्बन्ध में ही परस्पर विरोधी बातों को दूर करेंगे बल्कि माननीय सदस्य के मन की परस्पर विरोधी बातों को निश्चय ही दूर करेंगे ।

प्रो० मधु दण्डवते : आप मेरे मन की परस्पर विरोधी बातों को कैसे दूर कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री गुलशेर अहमद । प्रश्न संख्या 394. वह मैं कर सकता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नाडार साहिब, यदि आप धैर्य और शांति से काम लें तो मैं आपकी बात को अधिक सुन सकता हूं उसके लिए अधिक जवाबदेह हो सकता हूं । मैं आप से निवेदन करता हूं कि आप शांत रहिए ।

(व्यवधान)

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : उस दिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी । मंत्री जी बाहर चले गए थे । हमें पूरा उत्तर देने के बजाय ···

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको यहां पर पूरी चर्चा करने की अनुमति दी है । आप चिल्ला क्यों रहे हैं ? मेरे कान पूरी तरह से ठीक है, मैं पूरी तरह से ठीक सुनता हूं । यदि आप धीरे से बोले तो मैं आपकी बात अधिक सुन सकता हुं । अत: मैंने एक चर्चा करने की अनुमति दी थी । सदन में उसी विषय पर चर्चा हो रही है । आज उसी विषय पर चर्चा की जा रही है । एक नेता के रूप में आप उस पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : आप उनको यह निदेश दे सकते हैं कि इसको 12 बजे उठाया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : क्यों, क्या यह उचित है ? श्री गुलशेर अहमद ।

शुल्क में कमी करके कारों का आयात करने का प्रस्ताव

*394. **श्री गुलशेर अहमद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सरकार ने रंगीन टेलीविजन सेटों के आयात को, शुल्क में कमी करके उदार बनाने की एक योजना शुरू की है;

(ख) क्या टेलीविजन सेटों के मामले में दी गई छुट की तरह शुल्क कम करके और नियमों को उदार बना कर नई चली हुई कारों के आयात की अनुमति देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) दिनांक 11.10.82 के आयात व्यापार नियंत्रण, आदेश सं० 29/82 के तहत, 11.10.1982 से 4.12.1982 के दौरान, निबंधित सामान्य लाइसेंस के अधीन रंगीन टी०वी० सेटों के आयात की इजाजत दी गई थी। इन आयातों पर उद्ग्रणीय सीमाशुल्क, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन निर्धारित मूल्यानुसार 190.375% की सांविधिक दर से लगाया गया था।

(ख) वाणिज्य मंत्रालय के अधीन मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात द्वारा 1983-84 की आयात नीति बनाई जा रही है, अत: नई/पुरानी कारों की प्रस्तावित आयात नीति के बारे में अभी कोई ब्यौरा नहीं दिया जा सकता। नई/पुरानी कारों के आयात पर सीमा शुल्क घटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री गुलशेर अहमद : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 1980 से 1983 की अवधि में छोटी कारों के मूल्यों में साधारणत: दो गुनी वृद्धि हुई है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये छोटी कारें बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं कभी-कभी लोगों को पांच अथवा छ: वर्षों तक का इंतजार करना पड़ता है और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि सरकार कुछ धन अर्जित करेगी, जैसाकि टेलीविजन के मामले में हुआ है, जिसमें उन्होंने लगभग 60 करोड़ रुपये अर्जित किये हैं, यदि यह प्रस्ताव नियंत्रक द्वारा लाया जाता है तो क्या सरकार इस प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और पुरानी तथा नई कारों को आयात करने के लिए नियंत्रक निर्यात तथा आयात के प्रस्ताव को स्वीकार करेगी ?

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, मुझे इसमें सन्देह है, मेरा उत्तर नहीं में है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, दूसरा प्रश्न।

श्री गुलशेर अहमद : नहीं

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय मंत्री जी ने मूल प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। आप नीति तैयार कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न नई अथवा पुरानी कारों के आयात करने से सम्बन्धित है। जैसा कि आपको याद होगा रंगीन टेलीविजन के मामले में, मैंने यह बताया था कि हमारे विशेषज्ञों ने पहले ही यह घोषित कर दिया है कि वे रंगीन टेलीविजन का उत्पादन करने की स्थिति में हैं यद्यपि व्यक्तिगत रूप मैं इसके खिलाफ हूं मेरे पास कोई टेलीवीजन सेट नहीं है लेकिन हमारे देश में रंगीन टेलीविजन की उत्पादन क्षमता होने के बावजूद भारत सरकार ने रंगीन टेलीविजन के आयात करने की अनुमति दी जिससे हमारे देशी प्रयासों को हानि हुई। उसी रूप में सरकार अब भी नीति तैयार कर रही है। क्या अपने दृढ़ कथन का अनुसरण करते हुए सरकार बजट में आत्म-निर्भर बनने के बारे में घोषणा करेगी कि हमें आत्म-निर्भर बनना होगा। सरकार किसी विदेशी कार के आयात की अनुमति नहीं होगी जिसका हमारे अपने उत्पादन पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से उन्होंने भी यही कहा है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उन्होंने ऐसा नहीं कहा है ।

श्री प्रणव मुखर्जी : मेरे मित्र ने अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को नहीं समझा है अथवा मैं उनको स्पष्ट करने में असमर्थ हूं मैं उनकी बात को अच्छी तरह से समझने में असमर्थ हूं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इससे आपको उनको समझाने में आसानी होगी ।

श्री प्रणव मुखर्जी : वास्तव में आज भी आयात करने की अनुमति है । लेकिन आयात अत्यधिक शुल्क दरों को लागू करके हमने इसको सीमित किया है । माननीय सदस्य इस बात को भली भांति जानते हैं यदि यह जानने के इच्छुक है तो मैं उनको आंकड़े दे सकता हूं । लेकिन मेरे विचार से वह इससे पूरी तरह से परिचित हैं । हम उस नीति को जारी रख रहे हैं । पुराने-रंगीन टेलीवीजन के आयात के सम्बन्ध में, मैं माननीय सदस्य की (गलतफहमी) को दूर करना चाहता हूं कि देशी उद्योग को हानि पहुंचाने के बारे में हमने यह कामना की है । यह बात सही नहीं है । केवल एक विशेष अवधि के लिए ही रंगीन टेलीवीजन के आयात की अनुमति दी गई थी । मूल उत्तर में मैंने तारीखे भी बताई हैं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : एशियाड के दौरान ।

श्री प्रणव मुखर्जी : 11-10-82 से 4-12-82 तक लगभग 62000 सेटों का आयात किया गया था । उसमें भी लगभग 60,000 सेटों को दिया दिया गया था और इससे हमें 50 करोड़ रुपये से कुछ अधिक सीमा शुल्क प्राप्त हुआ है । उसके पश्चात उस आयात को रोक दिया गया है । हमने न केवल तैयार सेट का ही निर्यात किया है । जैसा कि माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं हमने एक सरकारी क्षेत्र के संस्थान को किट (उपकरणों) को आयात करने की अनुमति दी थी ताकि स्थानीय तथा देशी निर्माताओं को किसी शुल्क के भुगतान किये बिना आयातित किट (उपकरणों) का लाभ प्राप्त हो सके । लगभग 90,000 किट (उपकरणों) का आयात किया गया था और देश में 4',000 सेटों का निर्माण किया गया था ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : पहली बार वह मुझे थोड़ा सा आश्वस्त कर सके हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में वह आपको दूसरे प्रयास में, पूरी तरह से आश्वस्त कर देंगे ।

श्री के० लक्कप्पा : उन पुरानी कारों की संख्या क्या हैं जिन्हें आयात शुल्क में कटौती करके आयात करने की अनुमति दी गई है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : व्यक्तिगत मामलों में आवेदन पत्रों के ब्यौरे देना मेरे लिए संभव नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, श्री अहिरवार ।

श्री रतनसिंह राजदा : महोदय, इस पर मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अगला प्रश्न ले लिया है।

श्री रतनसिंह राजदा : आप केवल दायीं तथा बाईं ओर ही देखते हैं। कभी-कभी आपको अपने सामने भी देखना चाहिए। अब दोनों ही वहां मौजूद हैं।

अध्यक्ष महोदय : कभी आप नजर आ जाते हैं, कभी कोई और नजर आ जाता है। यह तो चलता ही रहता है।

श्री रतनसिंह राजदा : या तो आप आमूल सुधारवादी हैं अथवा रूढ़िवादी हैं। कभी-कभी मध्य भाग भी अच्छा रहता है।

भारत की निर्यात निष्पादन के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का खेद

*496. श्री सूरजभान :
श्री रामप्रसाद अहिरवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इन प्रेस समाचरों की जानकारी है कि भारत के निर्यात निष्पादन तथा औद्योगिक उत्पादन की धीमी गति से अप्रसन्न होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सरकारी कर्मचारियों के सेवाकाल में वृद्धि करने ताकि पेंशन के रूप में 200 करोड़ रुपये की अदायगी को टाला जा सके तथा बैंकों द्वारा ऋण की सुविधा कम करने जैसे कुछ वित्तीय प्रतिबंधों की सलाह दी है;

(ख) तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार दोनों कदम उठाएगी ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जैसा कि प्रश्न के भाग (क) में संकेत किया गया है, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इस प्रकार के कोई सुझाव नहीं दिए गए हैं।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

श्री सूरजभान : मेरे प्रश्न का ओपनिंग सेंटेंस यह है—क्या सरकार को प्रेस रिपोर्ट की जानकारी है। इन्होंने इसको डिनाय नहीं किया है—माना भी नहीं है। प्रेस रिपोर्ट देखी भी है या नहीं देखी है, यह जानकारी नहीं है। मैं "करंट" 28 जनवरी के बारे में बताना चाहता हूं।

मेरे प्रश्न में चार चीजों का जिक्र है—निर्यातों का निष्पादन औद्योगिक उत्पादन में कमी, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के कार्यकाल में वृद्धि तथा बैंक की उधार सुविधाओं में सख्ती की जाना।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि हमारा एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड का 2.2 परसेंट था जो आज घटकर 0.4 रह गया है। क्या यह भी सही है कि हम एक्सपोर्ट के मामले में 1960 में विश्व में 16वें नंबर पर थे और अब हमारी 46वीं पोजीशन

है। हाउस में भी माना कि हमारा इंडस्ट्रिल प्रोडक्शन घट गया है। गवर्नमेंट एंप्लाइज का 58 के बाद एक्सटेंशन बंद कर दिया है और बैंक लैंडिंग फैसेलिटीज बंद हो गई हैं।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं जैसा कि बताया गया है कि आई० एम० एफ० की कोई कंडीशन नहीं है, कोई गाइड लाइंस नहीं हैं तो क्या किसानों, मजदूरों गरीब आदमियों को जो बैंकों से लोन मिलना बंद कर दिया गया है उसको दुबारा शुरू किया जायेगा।

श्री प्रणव मुखर्जी : मुझे लगता है कि मैं माननीय सदस्य का प्रश्न समझ नहीं पाया। जैसा कि मैं समझ पाया हूं उन्होंने कुछ प्रैस रिपोर्टस का उल्लेख किया है जिनके नाम तथा विस्तृत ब्यौरे नहीं दिये। अतः इस पर टिप्पणी देना सम्भव नहीं है जब तक कि वे समाचार पत्र अथवा पत्रिका का नाम नहीं लेते तथा यह नहीं बताते कि यह किस तारीख को छपा था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : 'करैंट'

श्री प्रणव मुखर्जी : प्रश्न में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। आप प्रश्न को देखिए। मैं कहता हूं कि मुझे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ जिसमें उन्होंने कहा हो आपका निर्यात निष्पादन खराब है और आपको कुछ करना है। मुझे इस प्रकार का कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या उन्होंने संतोष व्यक्त किया है।

श्री प्रणव मुखर्जी : संतोष या असंतोष व्यक्त करने का कोई प्रश्न नहीं है और मैं सोचता हूं कि मुझे यह नहीं कहना चाहिए क्योंकि मेरे उनके प्रमाण पत्र संतोष पर निर्भर नहीं करता। परन्तु जब भी मामले की पुनरीक्षा की जाती है तो इसको देखते हैं।

दूसरे मुद्दे के बारे में भी माननीय सदस्य इसमें हमारे 2% अंश के बारे में अमित हैं स्थिति ऐसी नहीं है। जिसका आप संदर्भ दे रहे है वह व्यापार का अंश है। व्यापार का तात्पर्य आयात और निर्यात दोनों है। मुझे लगता है कि भारत ऐसी अवस्था में कभी नहीं पहुंचा जबकि विश्व निर्यातों में 2.64% हिस्सा भारत का रहा है। पूर्ण रूप से तो सत्य यह है कि विश्व व्यापार में हमारा हिस्सा कम हो गया है और इस बात को हमने स्वयं स्वीकार किया है। इसलिए यह कोई नई बात नहीं है, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को इसके बारे बतलाने की कोई आवश्कता नहीं है परन्तु इसके बावजूद भी निर्यातो में वृद्धि हो रही है। जब सदस्यो को सम्बन्धित मंत्रालयों की मांगो पर चर्चा करेंगे तो वे इसको विस्तृत रूप में देखेंगे, परन्तु गुणात्मक रूप से इसमें परिवर्तन आ रहा है। आज हमारे निर्यातों में निर्मित वस्तुयें हैं जो कि जो, कुछ एक दशक पहले या आनुपातिक रूप से उससे अधिक हैं। मैं समझता हूं कि बाजार की विविधता के बारे में भी हमने आर्थिक समीक्षा व बजट भाषण दोनों में ही वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत किए है—कि जहां तक चालू वर्ष का संबंध है तेल समेत निर्यातों में लगभग 16% की वृद्धि होगी, यद्यपि विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं है क्योंकि वाणिज्यिक आसूचना महानिदेशक से हमें नवीनतम् सूचनाये नहीं मिलती कभी कभी इससे भी कठिनाई आती है।

महोदय इससे अधिक मैं इसका उत्तर दे सकता हूं मुझे नहीं मालूम।

श्री सूरजभान : बैंक की उधार सुविधाओं के बारे में क्या है ?

(व्यवधान)

श्री प्रणव मुखर्जी : यहां पर मेरा कार्य आपको विस्तृत तथा—उत्तर देना है। पहले प्रश्नों के उत्तर में भी मैंने आपको ग्रामीण शाखाओं की संख्या तथा उनको दिये गये अग्रिमों तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों के बारे में सूचना दी है। लगभग प्रति सप्ताह हम आपको बहुत अधिक सूचनायें देते हैं।

(व्यवधान)

श्री सूरजभान : अध्यक्ष महोदय, कई बार हमें घरों में यह देखने को मिलता है कि सास बहू को कह देती है कि साड़ी का पल्लू सिर पर रखा करो या जब नाखून बढ़े हुए होते हैं तो कह देती है कि नाखून काट दो। जब बहू की सहेली उससे पूछती है कि तुम्हारे सिर पर पल्लू क्यों है और तुम्हारे नाखून क्यों कटे हुए हैं, क्या तुम्हारी सास ने कहा है ? बहू इससे इन्कार नहीं करेगी कि सास ने कहा है। मंत्री महोदय, क्या आपकी पोजीशन ऐसी तो नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : जब सास उपस्थिति नहीं तो प्रश्न कैसे उठ सकता है।

श्री प्रणव मुखर्जी : मुझे लगता है कि मैं इस मजाक का आनन्द नहीं उठा सकता क्योंकि मैं हिन्दी नहीं समझता।

भेदात्मक ब्याज दर योजना के कार्य-निष्पादन का पुनरीक्षण

*397. श्री गदाधर साहा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भेदात्मक ब्याज दर योजना के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) अब तक किस सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है;

(ग) क्या जन संख्या के लक्षित वर्ग के सामाजिक आर्थिक दर्जे में सम्भावना के अनुसार सुधार हुआ है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या भेदात्मक ब्याज दर योजना के कार्य-निष्पादन का अभी तक कोई पुनरीक्षण किया गया है और यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) इस योजना का उद्देश्य छोटे उत्पादन कार्यों के लिए ब्याज की रियायती दर पर

बैंक ऋणों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों में से सबसे कमजोर व्यक्तियों की सामाजिक आर्थिक दशाओं में सुधार लाना है ।

(ख), (ग) और (घ) बैंक प्रबन्ध के राष्ट्रीय संस्थान (एन० आई० बी० एम०) द्वारा किए गए नमूना अध्ययन के अनुसार, डी० आर० आई० स्कीम, उस वर्ग के लोगों के अधिकाधिक भाग को व्याप्त करती है, जिनके वास्ते यह स्कीम बनाई गई है और लाभान्वितों की बहुसंख्या ने अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तनों की सूचना दी है, जैसा कि इनकी आय तथा धारित परिसम्पत्तियों की कीमत में वृद्धि से परिलक्षित होता है । अलबत्ता, इस अध्ययन से यह मालूम होता है कि जहां सकारात्मक परिवर्तन न होने के मामलों का पता चलता है, उनके वास्ते मुख्य रूप से यह पहलू जिम्मेदार हैं :— अपर्याप्त वित्तपोषण, ऋणों के अन्तिम उपयोग के पर्यवेक्षण में कमी, वापसी अदायगी की अवधियों तथा उन प्रयोजनों के बीच जिनके लिए यह ऋण उपलब्ध कराये गए थे भिन्नता, और ऐसी परियोजनाओं और योजनाओं का वित्तपोषण जो कि शुरू से ही अर्थक्षम नहीं थीं । डी० आर० आई० के अधीन वित्तपोषण के और अधिक मामलों में अनुकूलतम परिणाम प्राप्त करने के लिए, इनमें सुधार की आवश्यकता है ।

श्री गदाधर साह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिए गए अभिमतों के संदर्भ में ऐसे कई मामले हैं जिनमें इस योजना के अन्तर्गत सामाजिक आर्थिक दशाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और अपर्याप्त वित्तपोषण तथा ऋणों के अन्तिम उपयोग के पर्यवेक्षण के अभाव के लिए उत्तरदायी घटक है; मेरा विशिष्ट प्रश्न है । सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को इसके अन्तर्गत लेने में सुधार. तथा अपर्याप्त वित्तपोषण तथा ऋणों के अन्तिम उपयोग के पर्यवेक्षण के अभाव को दूर करने तथा डी० आर० आई० वित्तपोषण के अधिकांश मामलों में श्रेष्ठतम् परिणाम प्राप्त करने के लिए कौन से सुधारात्मक उपाय अपनाए गए हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : विभेदात्मक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत दिसम्बर 1981 की स्थिति के अनुसार 255.65 करोड़ रुपये की राशि उधार दी गयी थी और इसके अन्तर्गत आने वाले ऋणियों की संख्या लगभग 29 लाख है । जहां तक अनुसूचित जातियों और जनजातियों का सम्बन्ध है, ऋणियों की संख्या लगभग 13.7 लाख है तथा दिसम्बर 1981 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि लगभग 122.98 करोड़ रुपये है । इस प्रकार से हमने अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक दशायें सुधारने के लिए भी कदम उठाये हैं । यह इस बात से बिल्कुल स्पष्ट है कि इस क्षेत्र को दी गयी राशि का प्रतिशत 48.1% है ।

श्री गदाधर साह : मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के ऋणियों को इसके अन्तर्गत लेने में सुधार; तथा वित्तपोषण तथा ऋणों के अन्तिम उपयोग के पर्यवेक्षण के अभाव को दूर करने तथा विभेदात्मक ब्याज दर वित्त पोषण के अधिकांश में श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त करने के लिए कौन से सुधारात्मक उपाय अपनाए गए हैं ।

श्री प्रणव मुखर्जी : हम लोगों की महत्वाकाक्षाओं—कुल आवश्यकता—को पूरा नहीं कर पाए हैं । यदि हम और अधिक धन की व्यवस्था कर पाते और प्रवाहित कर पाते तो निश्चित रूप

से हम बहुत अधिक और लोगों को तथा और अधिक क्षेत्रों को इसके अन्तर्गत ले चुके होते।

जैसा कि मेर साथी ने उल्लेख किया इस योजना के विशेष संकार्य के सम्बन्ध में राष्ट्रीय बैंक संस्थान द्वारा कुछ अध्ययन किए गए हैं और हमने भी अध्ययनों पर आगे कार्यवाही करने तथा हमें आगे की आवश्यक कार्यवाही के बारे में सुझाव देने के लिए एक छोटा सा दल नियुक्त किया है मैं यह नहीं कहूंगा कि हम योजना के परिचालन से पूर्णतः खुश हैं। परन्तु दो क्षेत्रों में प्रतिशतता में कुछ सुधार हुआ है—भूमिधर परिसम्पत्तियां। सन्तुष्टि की प्रतिशतता लगभग 58% हो गई है। जिन लोगों को विभेदात्मक ब्याज दर योजन के अन्तर्गत जिनके लिए व्यवस्था की गयी है वे आर्थिक दृष्टिकोण से समान के सबसे निम्न वर्ग के हैं। सन्तुष्टि का आप प्रतिशत 72% के लगभग होगा। ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां प यह इतना संतोषजनक नहीं है इसलिए मैं यह दबा नहीं रहा हूं कि हम योजना को सफलता पूर्वक कार्यान्वित कर पाये हैं। उन क्षेत्रों में बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है।

श्री गदाधर साह : कुल अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में विभेदात्मक ब्याज दर योजना का लक्ष्य क्या है। इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले परिवारों का प्रतिशत क्या है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : कुल का। प्रतिशत।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, सरकार ने अपने जवाब में और सप्लीमेंटरी में कहा है कि इस स्कीम से सबसे ज्यादा लाभान्वित समाज के सबसे निम्न तबके के लोग और खासकर शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स समुदान के लोग हुए हैं और उन्हीं के लिए यह स्कीम बनाई गई है। तो क्या सरकार बतलायेगी कि अभी तक इस योजना के तहत कितने शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स परिवारों को कम दर पर ऋण दिया गया है ? और क्या सरकार को ऐसी भी शिकायत मिली है कि जो लोन दिया जाता है उसके मिलने में काफी धांधली होती है और मिल नहीं पाता ? यदि हां, तो इसके निराकरण के लिए सरकार कौन से कदम उठा रही है जिससे गरीब लोग इस योजना से लाभान्वित हो सकें ?

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस योजना के अन्तर्गत हमने अनुसूचित जाति/जनजाति के 13.7 लाख लोगों को लाभान्वित किया है जिसकी राशि 122.98 करोड़ रुपये है। मैंने प्रतिशत के आंकड़े दिए हैं और यह 48.1% है।

शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं और हम उन पर ध्यान दे रहे हैं। हमने आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए हैं और उन मामलों में जहां पर सरकार के ध्यान में कुछ विशिष्ट दृष्टांत लाए गए हैं जांच भी करायी जा रही हैं।

अलीपुर कलकत्ते में एक होटल के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम का प्रस्ताव

*398. श्री रेणुपद दास : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम ने पश्चिम बंगाल सरकार को अलीपुर कलकत्ता

में हेस्टिंगस हाउस में एक होटल निर्माण करने का प्रस्ताव कभी भेजा था;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का क्या हुआ; और

(ग) भारतीय पर्यटन विकास निगम राज्य सरकार को भूमि के अन्तरण आदि के लिए क्यों नहीं लिख सका ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) जी, हां। आई० टी० डी० सी० ने अक्तूबर, 1980 में पश्चिम बंगाल सरकार से कलकत्ता में एक होटल परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव किया था। पश्चिम बंगाल पर्यटन विकास निगम ने नवम्बर, 1982 में आई० टी० डी० सी० को सूचित किया कि वित्तीय प्रतिबन्धों के कारण वे उक्त संयुक्त उद्यम परियोजना में भाग लेने में असमर्थ थे। तथापि, राज्य सरकार द्वारा पहले प्रस्तावित भूमि चूंकि अब उपलब्ध नहीं है, अभी हाल ही में उन्होंने एक वैकल्पिक स्थल की पेशकश की है।

श्री रेणुपद दास : महोदय, मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से स्पष्ट है कि भारत पर्यटन विकास निगम ने कुछ शर्तों के अन्तर्गत कलकत्ता में एक होटल बनाने का प्रस्ताव किया था। उनमें से एक शर्त यह थी कि यह संयुक्त उद्यम होना चाहिए तथा दूसरी यह कि राज्य सरकार को 20% तक इक्विटी शेयर में भाग लेना होगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभी राज्यों में इक्विटी शेयर, में भाग लिया जिससे भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटल बनाए गए हैं।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : महोदय, हाल ही में, आई० टी० डी० सी० ने विभिन्न राज्यों में संयुक्त उद्यम सम्बन्धी एक योजना तैयार की है और कुछ राज्य जैसे—बिहार, असम, आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश पहले ही इसके लिए सहमत हो गए हैं। यह योजना अन्य राज्यों द्वारा भी स्वीकार किए जाने के लिए भेजी गई है। इसकी मूल शर्त यह है कि आई० टी० डी० सी० का हिस्सा 51% तथा राज्यों का हिस्सा 49% होगा।

श्री रेणु पद दास : महोदय, आई० टी० डी० सी० द्वारा पहले, ही कई होटलों का निर्माण किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन राज्यों ने भी, जिनमें ये होटल स्थित हैं, शेयर में भाग लिया ?

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, पहले जो होटल बनाए गए थे वे आई० टी० डी० सी० के अपने उद्यम थे। लेकिन अब आई० टी० डी० सी० ने यह योजना तैयार की है और इसे, जैसा कि मैंने कहा, कुछ राज्यों ने स्वीकार कर लिया है और अन्य राज्यों ने भी इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाई है।

श्री रेणु पद दास : पहला मुद्दा मुझे स्पष्ट नहीं हुआ, मैं दूसरे मुद्दे के बारे में जानना चाहता हूं। क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय कठिनाईयों के कारण इक्विटी शेयर में भाग लेने में अपनी असमर्थता प्रकट की है ? और दूसरे, राज्य सरकार द्वारा कलकत्ता में ऐसे होटल के

निर्माण के लिए भूमि की पेशकश करने के बाद क्या आई० टी० डी० सी० शीघ्र ही उस होटल का निर्माण करने जा रही है।

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, यह सच है कि पश्चिम बंगाल पर्यटन विकास निगम ने वित्तीय कठिनाईयों के कारण इसमें भाग लेने में असमर्थता प्रकट की है। हाल ही में, मैंने मुख्य मंत्री से यह बताने के लिए कहा कि क्या राज्य सरकार के लिए होटल के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि का आबंटन करना राज्य सरकार के लिए संभव होगा ? मुख्य मंत्री ने बताया है कि होटल के लिए विक्टोरिया टर्मिनल के आस पास एक प्लाट उपलब्ध कराया जा सकता है (व्यवधान) मुझे खेद है कि यह 'विक्टोरिया स्मारक' के निकट है। जैसे ही हमें शर्तों का पता चलेगा, हम परियोजना रिपोर्ट तैयार करेंगे तथा परियोजना रिपोर्ट तथा व्यावाहर्यता के आधार पर पूरे मामले पर विचार किया जायेगा।

श्री सुनील मैत्रा : क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि आई० टी० डी० सी० कितने राज्यों में होटल बना चुका है और पश्चिम बंगाल राज्य में आई० टी० डी० सी० द्वारा पहले ही कितने होटलों का निर्माण किया जा चुका है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : हमने 22 स्थानों पर होटल बनाये हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल में बनाया गया एक पांच-तारक होटल भी शामिल है।

श्री सुनील मैत्रा : अन्य राज्यों की क्या स्थिति है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : कहीं भी एक से अधिक होटल नहीं है। कलकत्ता में भी एक होटल है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों द्वारा बनाए जाने वाले नियन्त्रित कपड़े के उत्पादन में कमी

*401. **श्री बी० एस० विजय राघवन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों द्वारा बनाए जाने वाले नियन्त्रित कपड़े के उत्पादन में भारी कमी होने वाली है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में कितनी कमी होगी तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ग) राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा नियन्त्रित कपड़े का पूर्ण उत्पादन प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य तथा पूर्ति विभाग के मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) एन० टी० सी० मिलों से 1982-83 के दौरान उनके 310 मिलियन वर्ग मीटर के दायित्व के आधार पर लगभग 220 मिलियन वर्ग मीटर कंट्रोल के कपड़े के उत्पादन की आशा की जाती है।

उत्पादन में गिरावट मुख्य रूप से बम्बई आधारित मिलों में लम्बे समय तक हड़ताल तथा पावर की कटौती के कारण है ।

(ग) उठाए गए उपाय निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(1) एन० टी० सी० पहले ही विभिन्न मिलों में लगभग 25 प्रतिशत पावर की कमी को पूरा करने के लिए लगभग 17 करोड़ रु० की लागत के कैप्टिव जनरेटिंग सैटों को लगा चुकी है ।

(2) 31-12-1982 तक 245 करोड़ रु० की कुल लागत पर आधुनिकीकरण कार्यक्रम, जिसमें नई मशीनरी का लगाना शामिल है ।

(3) बम्बई में हड़ताल करने वाली वस्त्र मिलों द्वारा उत्पादन पुनः आरम्भ करने के साथ ऐसी सम्भावना है कि वितरण के लिए कंट्रोल के कपड़े का और उत्पादन उपलब्ध होगा ।

श्री रामस्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, भारतीय वस्त्र निगम का मुख्य उद्देश्य यह है कि मोटा कपड़ा बनावें, ताकि समाज के गरीब तबके के लोगों को कम कीमत पर उपलब्ध हो सके । सरकार बहुत पैसा खर्च करती हैं । माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि 220 मिलियन वर्ग मीटर कन्ट्रोल कपड़े की आवश्यकता हो सकती है । बम्बई में टैक्सटाइल मिलों की हड़ताल होने की वजह से यह गिरावट आई है । आपने एन० टी० सी० की स्थापना की है । माड्रनोइजेशन के नाम पर सरकार ने सिक-मिलों को टेक-ओवर करके 320 करोड़ रुपया खर्च किया है । सरकार का उद्देश्य है कि पुरानी मशीनों को बदलकर हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ावें । माड्रनोइजेशन का मतलब 30 काउन्ट के बजाय 40 काउन्ट तैयार करना होना चाहिए था । यह बहुत बड़ी चाल है, इस सम्बन्ध में मैं अपना एक प्वाइंट बनाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्वाइंट बनाते रह जायेंगे प्लेट फार्म पर खड़े ।

श्री राम स्वरूप राम : इस सम्बन्ध में सरकार ने इंडो इक्वीपमेंट मशीन प्रोड्यूसर्स से 320 करोड़ रुपये की मशीनरी खरीदी है, जो कि सब-स्टैंडर्ड है । क्या सरकार इसकी सी० बी० आई० की जांच करायेगी, और तब तक उसका पेमेंट नहीं होने देगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मान्यवर, जहां तक आधुनिकीकरण के अन्दर उत्पादन में वृद्धि का सवाल है, इन्होंने 40 काउन्ट की बात पूछी हैं, तो उसमें वृद्धि हुई है । इसमें मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं । 1975-76 में 40 काउन्ट की प्रोडक्टिविटी 52.6 थी, जो 1982-83 में बढ़ कर 60.8 हो गई ।

जहां तक आरोप या कम्पलेंट की बात है यह प्रश्न इसमें नहीं आता है, इस लिए इसका तत्काल उत्तर नहीं दिया जा सकता है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विकलांगों द्वारा कारों का आयात

*391. **श्री दया राम शाक्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कारों के आयात के लिए विकलांगों से आवेदन आमंत्रित किए थे;

(ख) क्या विकलांगों से आमंत्रित किए गए आवेदनों को रद्द किया जा रहा है तथा यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) विकलांगों से अब तक सरकार को कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या सरकार को जानकारी है कि विकलांगों को आवेदन-पत्र भरने में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा और इस सारी कठिनाई के बाद ही वे अपने आवेदन-पत्र सरकार को प्रस्तुत कर सके हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन सभी विकलांग व्यक्तियों के आवेदनों पर सरकार द्वारा सहानुभूति-पूर्वक विचार न किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ङ) जुलाई, 1982 में सरकार ने ऐसी कारों को, जो विशेष रूप से डिजाइन की गई हों और उनका आयात विकलांग व्यक्तियों द्वारा अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए किया जाना हो, शुल्क रियायत मंजूर करने के लिए एक योजना की घोषणा की। इस प्रयोजनार्थ, पूर्वोक्त रियायत हेतु ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले आदेशों पर एक ऐसी समिति द्वारा विचार किया जाना होता है, जिसमें विभिन्न सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि होते हैं। शुल्क रियायत के लिए मामलों की सिफारिश करने हेतु समिति को ये बातें ध्यान में रखनी होती हैं—विकलांगता का स्वरूप, कार की किस्म और विशेषता और प्रार्थी द्वारा कार आयात करने की जरूरत तथा आयातकर्ता की आर्थिक स्थिति, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या वह कार खरीदने और उसका रखरखाव कर सकने की स्थिति में है।

सरकार को उन कठिनाइयों, यदि कोई हैं, की जानकारी नहीं है, जो आवेदन-पत्र पूरा करने में आती हों।

पूर्वोक्त रियायत पाने के लिए 1 मार्च, 1983 तक 1452 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। इन मामलों में से, 201 छूट प्रदायी आदेश जारी किए जा चुके हैं और 115 आवेदन-पत्र नामंजूर कर दिए गए हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान प्राप्त अनुभव को मद्देनजर रखते हुए इस समय इस योजना की समीक्षा की जा रही है।

देश में प्रयोग के लिए चाय की कमी

*396. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में प्रयोग के लिए चाय की भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या किए जाएंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम का कलकत्ता में क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

*399. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश के पूर्वी भाग में हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम (हैंडीक्राफ्ट एण्ड हैन्डलूम एक्सपोर्ट कारपोरेशन) का कोई क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं है;

(ख) क्या हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम का कलकत्ता में क्षेत्रीय मुख्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने पश्चिम बंगाल से, जहां बड़ी संख्या में बुनकर इस व्यापार में लगे हुए हैं, निर्यात के लिए हथकरघा उद्योग के उत्पादन की खरीद हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) *हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम का कलकत्ते में एक कार्यालय है ।*

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को ऋण

*402. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** :

श्री गुफारन आजम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को निदेश दिए हैं कि वे कमजोर वर्गों को ऋण देना सुनिश्चित करें;

(ख) क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करेगी कि कमजोर वर्गों में से कौन इसके लाभार्थ होंगे;

(ग) इस सम्बन्ध में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितना ऋण दिया गया है (अद्यतन आंकड़े); और

(घ) इससे देश के कमजोर वर्गों को किस सीमा तक लाभ होगा ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों से सम्बन्धित 20 सूत्री कार्यक्रम के लाभ प्राप्तकर्ताओं के निर्धारण के बारे में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं और उन्हें कमजोर वर्गों को ऋणों का प्रवाह बढ़ाने पर जोर देने की सलाह दी है जिससे कि मार्च 1985 तक इन वर्गों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों में मिलने वाले ऋण का 25 प्रतिशत अथवा इन बैंकों के कुल ऋण का 10 प्रतिशत भाग मिलने लगे। इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के भीतर "कमजोर वर्ग" की एक मिश्रित अवधारणा विकसित की गई है। इस कमजोर वर्ग में ये शामिल होंगे :—

1. छोटे और सीमांतिक किसान
2. भूमिहीन मजदूर
3. काश्तकार/कटाईदार
4. कारीगर, ग्रामीण और कुटीर उद्योग
5. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) के लाभ प्राप्तकर्ता
6. अनु० जातियां और अनु० जनजातियां, और
7. विभेदी ब्याज दर (डी०आर०आई०) के लाभान्वित व्यक्ति।

क्योंकि मिश्रित कमजोर वर्ग की अवधारणा अभी हाल ही में विकसित की गई है, अतः सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस वर्ग को दिए गए ऋणों के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि उसके त्वरित अनुमानों के अनुसार छोटे और सीमांतिक किसानों, कृषि से सम्बद्ध गतिविधियों के लिए 10,000 रुपये तक का ऋण लेने वाले ऋणकर्ताओं और 25,000 रुपये से अधिक मिश्रित ऋणों की अपेक्षा न रखने वाले कारीगरों, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों और छोटी इकाइयों के पास बकाया ऋण की राशि दिसम्बर 1982 के अन्त की स्थिति के अनुसार 1784 करोड़ रुपये थी, जो कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिए गए ऋणों की लगभग 15.8 प्रतिशत बैठती है।

विजयवाड़ा और मद्रास/हैदराबाद के बीच इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की प्रातःकालीन उड़ानों में परिवर्तन

*403. श्रीमती विद्या चेन्नुपति : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा से मद्रास/हैदराबाद को जाने वाली प्रातःकालीन उड़ानों का प्रस्थान समय प्रातः 6.30 बजे का है;

(ख) क्या उन्हें पता है कि विजयवाड़ा हवाई अड्डा अपने आसपास के पांच जिलों को

सेवा प्रदान करता है और इन जिलों के निवासियों के लिए यह प्रस्थान समय बड़ा असुविधाजनक है और वे लोग इस उड़ान का लाभ नहीं उठा पाते;

(ग) क्या इसके समय में उपयुक्त परिवर्तन अर्थात् प्रातः 9.30 करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं । विजयवाड़ा से मद्रास के लिए रवाना होने वाली प्रातःकालीन उड़ान (आई०सी० 548) का प्रस्थान करने का समय 0800 बजे है तथा विजयवाड़ा से हैदराबाद की उड़ान (आई०सी०-547) का प्रस्थान करने का समय 1300 बजे है ।

(ख) से (घ) इण्डियन एयरलाइन्स की ग्रीष्मकालीन समय-सारणी में, जो 16-4-1983 से लागू होगी, आई०सी०-548 हैदराबाद से 0910 बजे रवाना होगी तथा 1010 बजे विजयवाड़ा पहुंचेगी और विजयवाड़ा से तिरुपति से होते हुए मद्रास के लिए 1030 बजे रवाना होगी ।

कारों की वसूली

*404. **श्री सुनील मैत्रा :**

श्री हन्नान मोल्लाह : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल और सितम्बर, 1982 के बीच की छह महीने की अवधि में (1) उत्पाद शुल्क, (2) सीमा शुल्क, (3) आयकर और (4) निगम कर की वास्तविक वसूली कितनी हुई;

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक मद के सम्बन्ध में वसूली का बजट प्राक्कलन कितना था; और

(ग) यदि उक्त अवधि में वसूली बजट प्राक्कलन से कम रही, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) सदन पटल पर एक विवरण पत्र रखा गया है ।

विवरण

1. अप्रैल और सितम्बर 1982 के बीच की छह महीने की अवधि में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (कोयला और कोक, नमक, रबड़, चूना-पत्थर और डोलोमाइट तथा लोह अयस्क पर उपकर को छोड़कर) तथा सीमा शुल्क की उगाही की वास्तविक मात्रा इस प्रकार थी :

	(करोड़ रुपयों में)
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	3786.38
सीमा शुल्क	2278.57
आयकर और निगम कर (अनन्तिम)	1071.90

2. वर्ष 1982-83 के लिए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (ऊपर बताए गए उपकरों को छोड़कर) तथा सीमा शुल्क के सम्बन्ध में वसूली के बजट अनुमान इस प्रकार थे।

(करोड़ रुपयों में)

	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	सीमा शुल्क
बजट अनुमान	8475.12	4996.60
संशोधित बजट अनुमान	8255.90	4990.00

सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए आयकर तथा निगमकर का बजट अनुमान 3944.75 करोड़ रुपये नियत किया गया है।

इन करों के सम्बन्ध में मार्च से सितम्बर 1982 की छह महीने की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के अविकृत यथानुपात अनुमानों को निकालना कठिन है।

3. अप्रैल से सितम्बर 1982 की अवधि के लिए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क से वसूलियां, पूरे वर्ष के लिए स्वीकृत बजट अनुमानों के आधार पर इस अवधि के लिए संगणित यथानुपात से कम थी। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के मामले में, यह राजस्व अर्जित करने वाली कुछ महत्वपूर्ण जिसों का प्रत्याशित उत्पादन से कम उत्पादन होने तथा कुछ मामलों में वसूली के खिलाफ अदालतों द्वारा स्थगन आदेश दिए जाने के कारण हुआ। सीमा शुल्क के मामले में, यह, कुछ जिसों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट आने तथा अदालतों में विचाराधीन मामलों में राजस्व के रुके पड़े रहने के कारण हुआ।

आयकर और निगम कर की वसूली का लगभग 66.42% भाग अग्रिम कर के रूप में प्राप्त होता है। आयकर अधिनियम के अनुसार, जिन मामलों में करदाता का लेखा-वर्ष, वित्तीय वर्ष के 31 दिसम्बर को या उससे पहले समाप्त होता है, उन मामलों में अग्रिम कर 15 जून, 15 सितम्बर और 15 दिसम्बर को देय होता है। अन्य किसी भी मामले में यह वित्तीय वर्ष के 15 सितम्बर, 15 दिसम्बर और 15 मार्च को देय होता है। इस स्थिति के कारण, आयकर और निगम कर की वसूली में उस महीने में वृद्धि होती है जिस महीने में अग्रिम कर की किश्तें देय होती हैं और जिस महीने में किश्तें देय नहीं होती हैं उस महीने में उनमें कमी आ जाती है। इसके अलावा, बहुत से कर निर्धारिती उनसे प्राप्त राशियों की अदायगियां वित्तीय वर्ष के अंन्तिम माह में ही करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वसूली का एक बड़ा भाग मार्च के महीने में प्राप्त होता है। इस स्थिति को देखते हुए, बजट अनुमानों को वसूली के साथ सही तुलना के प्रयोजनार्थ एक वर्ष में महीनों की संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता।

इलायची का उत्पादन दुगुना करने की योजना

*405. **श्री के० मालन्ना :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलायची बोर्ड ने इस समय विश्व बाजार में बढ़ती हुई मूल्य-स्पर्धा का सामना करने के लिए देश में इलायची का उत्पादन दुगना करने की एक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इलायची उगाने वाले राज्यों में इस समय इलायची का प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) इलायची बोर्ड ने आगामी 10 वर्षों में 17,900 हेक्टार के क्षेत्र में औसत उत्पादन को दो गुणा करने के लिए एक योजना तैयार की है।

(ख) केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के इलायची उगाने वाले राज्यों का प्रति हेक्टार वार्षिक उत्पादन सामान्य वर्ष में क्रमश: 73 किग्रा, 47 किग्रा तथा 43 किग्रा है।

सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को चिकित्सा सहायता

*406. **श्री के० लकप्पा** : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्यमों के कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य सीमारहित चिकित्सा सुविधा पाने के हकदार हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्यमों के क्या नाम हैं और उनके कर्मचारियों को चिकित्सा सहायता व्यय की प्रतिपूर्ति का उसका भुगतान किस प्रकार किया जाता है;

(ग) क्या सरकार को पता चला है कि कुछ मामलों में कर्मचारियों ने जाली बिल प्रस्तुत करके चिकित्सा सहायता अथवा चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त की है और कुछ मामलों में ऐसी प्रतिपूर्ति की सकल राशि उन कर्मचारियों द्वारा अर्जित वार्षिक परिलब्धियों की राशि से भी अधिक हो गई, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उद्यमों को घाटे से बचाने तथा दोषी कर्मचारियों को दंड देने के लिये त्रुटियों को दूर करने हेतु क्या उपचारी उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार उन कर्मचारियों, जो या तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना, केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना या विभागीय तौर पर चालू स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं, के चिकित्सा व्यय के दावों की प्रतिपूर्ति सरकारी उद्यमों के प्रबन्धक सम्बद्ध कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये गए वाऊचरों एवं दावों के आधार पर करते हैं। प्रबन्धक द्वारा इन दावों की निर्धारित नियमों, जिनमें सामान्यत: अधिकतम राशि निर्दिष्ट है, के अनुसार जांच की जाती है। ऐसे उपक्रमों, जिनके नियमों में चिकित्सा संबंधी दावों की प्रतिपूर्ति के लिए अधिकतम राशि निश्चित नहीं की गई है, के नाम उपलब्ध जानकारी के अनुसार अनुबन्ध में दिए गए हैं। जहां कहीं प्रबन्धक यह महसूस

करते हैं कि सम्बद्ध कर्मचारीयों द्वारा प्रस्तुत किये गए चिकित्सा संबंधी बिल बहुत अधिक हैं, तो सामान्यत: उन मामलों की जांच सम्बद्ध उद्यम के सतर्कता प्राधिकारियों द्वारा की जाती है जिनका कार्य दोषी कर्मचारियों के खिलाफ करंवाई करना है। प्रत्येक प्रवन्धक का यह दायित्व है कि उसे जब कभी ऐसी किसी खामी का पता चले तो वह उसे दूर करे।

उन उद्यमों के नाम जिन्होंने यह सूचित किया है कि उनके यहां चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की अधिकतम राशि निश्चित नहीं है।

1. ग्राम विद्युतीकरण निगम।
2. एजूकेशनल कन्सल्टेंट्स (इंडिया) लि०।
3. वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसज इन्डिया लि०।
4. भारतीय परियोजना उपस्कर निगम।
5. राज्य व्यापार निगम।
6. स्कूटर्स इण्डिया लि०।
7. भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण।

राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रतिरक्षा संबंधी राष्ट्रीय विचार गोष्ठी एवं कार्यशाला

*407. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद मिलिटरी एण्ड राइफल ट्रेनिंग एसोसिएशन ने राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रतिरक्षा संबंधी राष्ट्रीय विचार गोष्ठी एवं कार्यशाला को अपनी रिपोर्ट और कार्यवाही सरकार को भेजी है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) इस समय भारत में कितनी राइफल ट्रेनिंग एसोसिएशनें काम कर रही हैं और इस क्रियाकलाप को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा कितनी सहायता दी जा रही है;

(घ) क्या सरकार ने अहमदाबाद मिलिटरी और राइफल ट्रेनिंग एसोसिएशन के "नेशनल एसोसिएशन आफ डिफेंस प्रिपेयरडनेस आफ इण्डिया" के गठन के सुझाव को स्वीकार कर लिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो "रक्षा तैयारी" और देश में रक्षा की तीसरी पंक्ति के रूप में एक असैनिक रक्षा संगठन की स्थापना के लिए सरकार की अन्य योजनाएं क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) अहमदाबाद मिलिटरी एण्ड राइफल ट्रेनिंग एसोसियेशन का ऐसा कोई कार्यवृत्त रक्षा मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इण्डिया, जो राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वयंसेवी संगठन है, से 20 अन्य एसोसिएशन और 145 राइफल क्लब संबद्ध हैं। खेल कूद मंत्रालय नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इण्डिया को नेशनल शूटिंग प्रतियोगिताओं, कोचिंग कैम्पों और मान्यताप्राप्त अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए टीमें विदेश भेजने के संबंध में वित्तीय सहायता देता है।

(घ) रक्षा मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) रक्षा संबंधी तैयारियों तथा दूसरी रक्षा पंक्ति की पर्याप्त योजनाएं हैं। इनके ब्यौरे देना उचित नहीं होगा।

देश की मुद्रा प्रणाली का अध्ययन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समिति की नियुक्त

*408. **श्री पी० एम० सईद :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश की मुद्रा प्रणाली का गहराई से अध्ययन करने तथा सरकार की आर्थिक नितियों की प्रभावकारिता बढ़ाने के उपाय सुझाने के लिए एक पांच सदस्यीय समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक दिये जाने की संभावना है,

(ग) इसका कार्यक्षेत्र क्या है और इसके सदस्यों के नाम क्या है; और

(घ) क्या उन्होंने कोई अन्तरिम रिपोर्ट दी है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसम्बर, 1982 में पांच सदस्यों की एक समिति नियुक्त की है जो मुद्रा प्रणाली के कार्यचालन का गहराई से अध्ययन करेगी और आर्थिक नीति के आधारभूत उद्देश्यों के संवर्धन के एक उपकरण के रूप में मुद्रा नीति की प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए उपायों का सुझाव देगी। समिति और बातों के साथ-साथ मुद्रा और ऋण नीति के उपकरणों का उनके द्वारा सामान्य रूप से ऋण प्रणाली और अर्थ व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में मूल्यांकन करेगी। प्रो० सुखमय चक्रवर्ती समिति के अध्यक्ष हैं। इसके अन्य सदस्य श्री एम० पी० चितले, डाक्टर आर० के० हजारी, डाक्टर फरीदी मेहता और डाक्टर सी० रंगाराजन है। समिति से जून, 1984 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट देने का अनुरोध किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

आई० डी० बी० आई० और आई० एम० सी० आई० द्वारा राष्ट्रीय कपड़ा निगम को दिए गये आसान ऋण पर ब्याज में वृद्धि

*409. **श्री के०टी० कोसलराम :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिये गये आसान ऋण पर जो 130 करोड़ रुपये का है ब्याज दर में वृद्धि होने के कारण राष्ट्रीय कपड़ा निगम पर सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या ब्याज दर कम करने के लिए वित्त मंत्रालय से कोई बातचीत शुरू की गई है क्योंकि राष्ट्रीय कपड़ा निगम राष्ट्रीय हित में काम कर रहा है ?

वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लाख के निर्यात में गिरावट

*410. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान कितना लाख निर्यात किया गया;

(ख) लाख के निर्यात में गिरावट आने के क्या कारण हैं;

(ग) लाख का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है;

(घ) क्या मिष्ठान चमकाने और फलों की कोटिंग करने में लाख के प्रयोग में इसकी निरापदत्ता के लिए अमरीका सरकार ने भारतीय लाख की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) गत दो वर्षों के दौरान चपड़े का निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहा है :—

	मात्रा	मूल्य
	मे० टन	करोड़ रु०
1980-81	6,250	8.31
1981-82	6,625	10.72

(ख) गत दो वर्षों में निर्यातों में कोई गिरावट नहीं आई है। 1982-83 में निर्यात में गिरावट लाख के कम उत्पादन के कारण आई।

(ग) भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों में लाख विकास संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 5.77 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। निर्यात के लिए चपड़े के रूप में संसाधित करने के लिये लाखदाने की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से लाख दाने के आयात की अनुमति खुले सामान्य लाइसैंस के अन्तर्गत दी जाती है। निर्यात के लिए लाखदाने को चपड़े में परिवर्तित करने के लिए अन्तर्देशीय क्षेत्रों को सीमाशुल्क बन्धपत्रित भांडागार की सुविधा प्रदान की गई है।

(घ) जी हां।

(ङ) परिणामों की जानकारी अध्ययन पूरा हो जाने के बाद ही पता चलेगी।

यूगोस्लाविया में सीमेंट का आयात

4430. **श्री एम० राजशेखर मूर्ति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूगोस्लाविया ने लिंक डील के आधार पर प्रतियोगी मूल्यों पर सीमेंट देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) क्या विशेष सम्बन्ध (लिंक) अथवा वस्तु विनिमय आधार पर यूगोस्लाविया से सीमेंट के आयात की अनुमति दी जाएगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) सम्पर्क व्यापार आधार पर सीमेंट की सप्लाई के लिये यूगोस्लावियाई संगठन से एक आफर प्राप्त हुआ है। चालू आफर के ब्यौरे में प्रकट करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

(ख) इस विषय में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सीमा-शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और स्वर्ण हेतु न्यायाधिकरणों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का चयन न किया जाना

4431. श्री भीखा भाई : क्या वित्त मंत्री सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा स्वर्ण के लिए न्यायाधिकरण में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का चयन न किये जाने के बारे में 25, फरवरी, 1983 के अतरांकित प्रश्न संख्या 1140 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) संबंधी अपीलीय न्यायाधिकरण की सदस्यों की भर्ती/चयन से सम्बन्धित भर्ती नियमों को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इन नियमों को कब अन्तिम रूप दिया जायगा; और

(ग) क्या इन नियमों को अन्तिम रूप देते समय पदोन्नति सम्बन्धी आरक्षण आदेशों/रोस्टर प्वाइंट्स को ध्यान में रखा जाएगा।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क तथा स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण के सदस्यों के लिए भर्ती नियम बनाने का कार्य पहले ही आरम्भ कर दिया गया है। इन नियमों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किये गये सामान्य अनुदेशों को ध्यान में रखा जायेगा।

तमिलनाडु बागान निगम द्वारा निर्यात

4432. **श्री एन० डेनिस :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु बागान निगम अपनी वस्तुओं का निर्यात करता है;

(ख) आज तक कौन कौन सी मदों का निर्यात किया गया;

(ग) प्रत्येक मद का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई प्रत्येक मद का क्या मूल्य है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

निर्यातकों द्वारा वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद का जुर्माने का भुगतान न करना

4433. **श्री अशफाक हुसैन :**

श्री आनन्द पाठक : क्या वाणिज्य मंत्री निर्यातकों द्वारा वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद को जुर्माने का भुगतान न करने के बारे में 30 जुलाई, 1982 के अतरांकित प्रश्न संख्या 3484 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) और (ख) में वांछित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी; और

(ग) यदि अपेक्षित जानकारी पूरी तरह एकत्रित नहीं की गई है तो क्या वे अब तक एकत्रित की गई जानकारी को सभा पटल पर रखेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां ।

(ख) अतरांकित प्रश्न सं० 3484 के दिये गये उत्तर में से उठने वाले आश्वासन को पूरा करने में कार्यान्वयन रिपोर्ट सभा पटल पर रखने के लिए 17 फरवरी, 1983 को संसदीय कार्य विभाग को भेज दी गई है ।

(ग) उपरोक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

औषधियों पर कराधान नीति की पुनरीक्षा

4434. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औषधियों पर कराधन की नीति की पुनरीक्षा करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो रोगियों के लिए औषधियां सस्ती करने के लिए औषधियों पर से कौन-कौन से कर समाप्त किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) जैसा कि इस समय की स्थिति है, औषध द्रव्यों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की दरें, जहां कहीं भी उदग्रहणीय हैं (और ये दरें सभी पर उदग्रहणीय नहीं हैं) अपेक्षाकृत कम हैं। अधिसंख्य औषध-द्रव्य, मध्यवर्ती औषध, कतिपय जीवन-रक्षक औषध द्रव्य और सामान्य नामों के अन्तर्गत बिकने वाले सभी औषध-द्रव्य) अर्थात जो एकस्व अथवा स्वामित्व के किस्म की दवाइयां नहीं हैं) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से पूर्णतया छूट प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, विनिदष्ट जीवन-रक्षक औषध द्रव्य भी, उनका आयात किये जाने की स्थिति में, सीमाशुल्क से छूट प्राप्त है और विनिदष्ट मध्यवर्ती औषधों पर, उनका आयात किये जाने की स्थिति में, घटी दरों पर सीमाशुल्क लगता है। इन सारे उपायों का लक्ष्य रोगियों को अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर औषध-द्रव्य उपलब्ध कराना है। औषधों द्रव्यों संबंधी कराधान नीति में और संशोधन करने के बारे में सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद और नोट प्रिंटिंग प्रेस, देवास में कार्य कर रहे कर्मचारी

4435. **श्री लक्ष्मण शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद और नोट प्रिंटिंग प्रेस देवास, मध्य प्रदेश में कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और वहां आरक्षित कोटे के अन्तर्गत किए गए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या श्रेणीवार और वर्ग-वार कितनी है;

(ख) भर्ती और पदोन्नति नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कितने कर्मचारियों को लाभ पहुँचाया गया है; और

(ग) यदि उनको कोई लाभ नहीं दिया गया है, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इन दो संस्थाओं में आरक्षित कोटे के अन्तर्गत नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की श्रेणीवार और वर्ग-वार संख्या निम्नलिखित है :

		श्रेणी	
वर्ग	जोड़	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
समूह "क"	33	3	1
समूह "ख"	49	2	2
समूह "ग"	401	49	32
समूह "घ"	175	70	21
औद्योगिक कर्मचारी	2475	465	390
जोड़	3133	589	446

(ख) भर्ती और पदोन्नति नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के जिन कर्मचारियों को लाभ पहुँचाया गया है उनकी संख्या निम्नलिखित है :—

सीधे भर्ती के अन्तर्गत		पदोन्नति के अन्तर्गत	
अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
387	289	391	288

(ग) उपर्युक्त (ख) को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

उड़ीसा में पर्यटन ने विकास के लिए मंजूर की गई धनराशि

4436. **श्री चिंतामणि जेना :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पर्यटन के विकास के लिए 1981-82 और 1982-83 के वर्षों में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ख) उड़ीसा में किन-किन स्थानों का अन्तर्गत विकास किया गया है;

(ग) वर्ष 1983-84 के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं; और

(घ) किए जाने वाले कार्य का ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) विधियां राज्य-वार आबंटित नहीं की जाती। 1981-82 के दौरान उदयगिरी, रत्नागिरी और ललितगिरी की की मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नगर और ग्राम आयोजन संगठन को 1.60 लाख रुपये की राशि और 1982-83 के दौरान नन्दन-कानन स्थिति लायन सफारी पार्क के विकास हेतु 8 लाख रुपए की राशि पेशगी दी गई थी।

(ख), (ग) और (घ) उड़ीसा में पर्यटन के विकास के लिए निम्नलिखित स्कीमें छठी पंच-वर्षीय योजना में शामिल की जा चुकी हैं :—

1. केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने भुवनेश्वर में एक भारत सरकार पर्यटक कार्यालय खोला है।
2. सिमलीपाल में लगभग 50 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक वन-गृह।
3. 25 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर नन्दन-कानन में लायन सफारी पार्क का विकास।
4. चिल्का झील में जल-क्रीडा शुरू करने लिए एक सर्वेक्षण।

5. नगर और ग्राम आयोजन संगठन से कोणार्क के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करना।

6. भारतीय यात्री आवास विकास समिति के माध्यम से पुरी में एक धर्मशाला।

भारत पर्यटन विकास निगम

(i) होटल कलिंग (अशोक) भुवनेश्वर, का विस्तार।

(ii) पुरी में एक 3-स्टार होटल और कोणार्क में समुद्रतट-कुटीरों के निर्माण के लिए उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के सहयोग से संयुक्त उद्यम परियोजना।

निर्यात कोटा वितरण के कार्य में लगी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के कर्मचारी

4437. **श्री आनन्द पाठक : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के 90 प्रतिशत कर्मचारियों से गैर-निर्यात संवर्धन सम्बन्धी कार्य अर्थात निर्यात कोटा वितरण का कार्य कराया जाता है; और

(ख) सरकार का इस मामले में क्या करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद में कुल 262 कर्मचारियों में से 199 निर्यात पात्रता और सम्बद्ध कार्यों के प्रशासन में और 63 निर्यात संवर्धन और सामान्य सेवाओं में लगे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय स्टेट बैंक, पटना की शाखाओं में नकदी ले जाने वाले वाहनों की उपलब्धता

4438. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक की अकेले पटना में ही दानापुर से पटना सिटी तक 30 से 40 के लगभग शाखाएं हैं;

(ख) क्या इन शाखाओं से भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा तक शेष बची नकद राशि ले जाने के लिए नकदी ले जाने वाला केवल एक ही वाहन है;

(ग) क्या नकदी ले जाने वाला वाहन के अभाव में शेष बची नकद राशि वाली शाखाएं गैर-सरकारी वाहनों में बड़ा जोखिम लेकर और इस प्रकार की नकद रकम के साथ जाने वाले अधीनस्थ कर्मचारियों की जिम्मेदारी पर मुख्य शाखा को भेज रही है;

(घ) क्या शेष बची नकद राशि वाली अधिकांश शाखाओं द्वारा अपनी सीमा से अधिक

धनराशि अपने पास रखी जाती है जिससे भारतीय स्टेट बैंक को वाहनों आदि जैसे नकद राशि भेजने की सुविधाओं के अभाव में ब्याज की हानि होती है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पटना में नकद राशि ले जाने वाले वाहन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी

4439. **श्री ए० नीला लोहिथादसन नाडार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे सीमा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी रोक-थाम हेतु सरकार के पास स्पष्ट रूप से कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत पांच वर्षों में अपनी सीमाओं पर तस्करी के कितने मामले रजिस्टर्ड किए गए और उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश और बर्मा के साथ लगे भू-सीमा क्षेत्र तस्करी के लिए बराबर सुगम्य क्षेत्र बने हुए हैं। 1978 से 1982 तक की अवधि के दौरान, इन भूसीमावर्ती क्षेत्रों पर क्षेत्राधिकारिक सीमाशुल्क समाहतलियों के क्षेत्राधिकारों में किए गए अभिग्रहणों की संख्या तथा पकड़े गए तस्करी के माल के मूल्य का विवरण संलग्न विवरण-पत्र में दिया गया है।

(ख) और (ग) 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र सं० 19 में, जिसमें तस्करों, जमाखोरों, और कर अपवंचकों के खिलाफ बराबर कड़ी कार्यवाही करते रहने की अपेक्षा है, कार्यान्वयन हेतु सरकार ने एक कार्य योजना बनाई है, जिसके अनुसार, तस्करी निवारण अभियान विशेषकर; तस्करी के लिए सुगम्य क्षेत्रों में तेज कर दिया गया है, जिनके अन्तर्गत पाकिस्तान, नेपाल; बंगलादेश और बर्मा के साथ भूसीमावर्ती क्षेत्र आते हैं। कार्ययोजना के तहत किए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :— सीमाशुल्क विभाग के निवारक और गुप्त सूचना तन्त्र को सुदृढ़ बनाना; विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के उपबन्धों को अधिकाधिक लागू करना; केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अन्य सम्बन्धित प्राधिकरणों के साथ अपेक्षाकृत अधिक समन्वय स्थापित करना; और तस्करी को रोकने के लिए पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना। इस मामले की बराबर समीक्षा की जाती रहती है।

विवरण

(मूल्य : लाख रुपयों में)

सीमावर्ती क्षेत्राधिकार	1978		1979		1980		1981		1982	
	मामलों की संख्या	पकड़े गए माल का मूल्य	मामलों की संख्या	पकड़े गए माल का मूल्य	मामलों की संख्या	पकड़े गए माल का मूल्य	मामलों की संख्या	पकड़े गए माल का मूल्य	मामलों की संख्या	पकड़े गए माल का मूल्य
(i) भारत पाक सीमा	549	50	572	117	909	121	1228	120	1732	158
(ii) भारत-नेपाल सीमा	10069	194	9742	145	7983	166	7560	224	7951	232
(iii) भारत-बंगलादेश सीमा	7844	72	10146	94	9232	156	10847	189	6444	139
(iv) भारत-बर्मा सीमा	1036	13	1130	15	1095	18	814	23	630	38

(1982 के सम्बन्ध में दिए गए आंकड़े अनन्तिम हैं)

राष्ट्रीय कैडेट कोर के संवर्ग में स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारी

4440. **डा० कर्ण सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कैडेट कोर के संवर्ग में स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान उनमें से कितनों ने गृह निर्माण अग्रिम राशि हेतु आवेदन किया और उनमें से कितनों को इस प्रकार की अग्रिम राशि दी गई; और

(ग) यदि किसी को नहीं दी गई तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर में 629 पूर्णकालिक स्थायी कमीशन प्राप्त अफसर हैं जिनमें से सात ने गृह निर्माण अग्रिम के लिए आवेदन किया है। गृह निर्माण के लिए धन के आबंटन से सम्बन्धित नियमों तथा अन्य प्रक्रियागत औपचारिकताओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। अग्रिम के लिए मंजूरी देने या मंजूरी नहीं देने के लिए मामलों पर इसके बाद ही विचार किया जा सकता है।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारी संघों के साथ वित्त मंत्री की वार्ता

4441. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की सहकारी आवास समिति के बम्बई में आयोजित एक समारोह में मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि वे कर्मचारियों की मांगों के बारे में शीघ्र ही जीवन बीमा निगम के कर्मचारी संघों के साथ वार्ता करेंगे; और

(ख) यदि हां, तो वार्ता कब शुरू होगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) इस बात का कोई रिकार्ड नहीं है कि पिछले वर्ष बम्बई में जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की सहकारी आवास समिति के समारोह में क्या घटित हुआ था। लेकिन कर्मचारी संघों के प्रतिनिधि कई अवसरों पर वित्त मंत्री से मिलते रहे हैं।

हाल ही में, कुछ संसद सदस्य और जीवन बीमा निगम के कर्मचारी संघों के प्रतिनिधि वित्त मंत्री से मिले थे। उनके अनुरोध पर, वित्त मंत्री इन संघों के कुछ प्रतिनिधियों से 24 और 25 मार्च, 1983 को मिलने के लिए सहमत हो गए हैं।

देश के आंतरिक सेवा हवाई अड्डों पर विदेशी पर्यटकों के लिए "कार" सुविधाएं

4442. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न आंतरिक सेवा

हवाई अड्डों पर बार सुविधाओं के अभाव में विदेशी पर्यटकों को असुविधा होती है;

(ख) भारत के किन-किन हवाई अड्डों पर इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं; और

(ग) अन्य हवाई अड्डों पर भी यह सुविधा देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) (क) सरकार को आंतरिक सेवा हवाई अडडों पर बार सुविधाओं के उपलब्ध न होने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) बागडोगरा हवाई अड्डे पर।

(ग) चार और हवाई अड्डों, यथा बंगलौर, हैदराबाद, जयपुर और वाराणसी पर बार सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

लम्बे रेशे वाली रुई के निर्यात में गैर सरकारी व्यापार में कमी

4443. श्री जी० वाई कृष्णन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने लम्बे रेशे वाली रुई के निर्यात के गैर-सरकारी व्यापार में कुछ मात्रा कम करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) लम्बे रेशे वाली रुई की केवल भारतीय रुई निगम लि० और शीर्ष राज्य सहकारी विपणन संगठनों की मार्फत निर्यात की अनुमति है। सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

रुई के मूल्य में वृद्धि

4445. श्री मोहन लाल पटेल :

श्री डी० पी० जडेजा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) भारत में कपास का उत्पादन करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) ऐसे प्रत्येक राज्य में रुई उत्पादकों द्वारा की गई कपास के मूल्य सम्बन्ध मांग का ब्यौरा क्या है और उन्हें दिए जा रहे रुई के मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि किसानों द्वारा मांगे गये रुई के मूल्य की ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है;

(घ) क्या इसका रुई के उत्पादन पर कोई प्रभाव पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में रुई उत्पादकों की सुरक्षा के लिए रुई के मूल्य में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) प्रमुख रुई उपजकर्ता राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और हरियाणा हैं।

(ख) राज्य सरकारें रुई उपजकर्ता राज्यों में रुई उपजकर्ताओं द्वारा मांग की गई कीमतों को यदि कोई हों, के बारे में इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाई हैं। रुई उपजकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने महाराष्ट्र को छोड़कर सभी रुई उपजकर्ता राज्यों में रुई की प्रमुख किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमतें निर्धारित की हैं और भारतीय रुई निगम को समर्थन कीमत स्तर पर खरीद करने के लिए प्राधिकृत किया है। महाराष्ट्र के मामले में, एकाधिकार खरीद योजना चल रही है और किसानों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्धारित गारंटी कीमतें दी जाती हैं।

वास्तव में, भारतीय रुई निगम के खरीद कार्यों को बढ़ाने के लिए सरकार को याचिकाएं प्राप्त हो रही हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय रुई निगम द्वारा आफर की गई कीमतें लाभप्रद कीमतें हैं, अन्यथा किसानों ने अपनी फसल को दूसरे माध्यमों से बेच दिया होता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं। दूसरी ओर रुई के उत्पादन में आम तौर पर वृद्धि का रुख रहा है जब कि रुई उत्पादन के अन्तर्गत क्षेत्र उतना ही रहा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) रुई उपजकर्ताओं को लाभकारी कीमतें सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय रुई निगम ने खरीद कार्यों को तेज कर दिया है और लम्बे रेशे वाली रुई के निर्यात की उदारता आधार पर अनुमति है।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर चिकित्सा एककों की स्थापना

4446. **श्री गुलाम मोहम्मद खान** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर चिकित्सा एकक स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां): (क) जी, हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित चिकित्सा-एकक आपातकालीन प्राथमिक उपचार प्रदान किए जाने की दृष्टि से अनिवार्य-चिकित्सा सुविधाओं से युक्त होंगे ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा विभिन्न कम्पनियों से बकाया की वसूली

4447. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा 30 जून, 1982 तक विभिन्न कम्पनियों को दिए गए 167.9 करोड़ रुपये के ऋण में से बकाया धनराशि वसूल करने में समर्थ हैं; और

(ख) यदि हां, तो धनराशि कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 30-6-1982 की स्थिति के अनुसार, प्रत्यक्षत: सहायता प्राप्त एककों की ओर 167.9 करोड़ रुपये की कुल बकाया में से, 31-12-1982 को समाप्त हुए छः महीनों के दौरान, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 26.9 करोड़ रुपये वसूल कर लिए हैं ।

गाजीपुर को वायुदूत सेवा से जोड़ना

4448. **श्री जैनुल बशर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजीपुर को वायुदूत सेवा से जोड़ने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो गाजीपुर को वायुदूत से जोड़ने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) उपयुक्त विमान उपलब्ध हो जाने पर तथा अन्य आधार संरचनात्मक सुविधाओं का विकास हो जाने पर वायुदूत ने गाजीपुर को अपने विस्तार कार्यक्रम में शामिल कर लिया है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार का पूंजी निवेश

4449. **श्री एन० ई० होरो** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार का कुल पूंजी निवेश कितना है;

(ख) प्रत्येक राज्य में विशेषकर बिहार राज्य में सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है और यह कुल पूंजी निवेश का कितने प्रतिशत है;

(ग) क्या यह सच है कि राज्यों में पूंजी निवेश समान रूप से नहीं किया जाता;

(घ) यदि हां, तो कुछ राज्यों को अधिक पूंजी निवेश के लिए और अन्य राज्यों को नगण्य पूंजी निवेश के लिए चुनने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार सभी राज्यों में समान रूप से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना करना है ताकि राष्ट्रीय धनराशि का सभी राज्यों में समान रूप से तथा समानुपात में पूंजी निवेश किया जा सके; और

(च) यदि हां, तो यह योजना कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) 31-3-1982 को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सकल परिसम्पत्ति के रूप में कुल 25504.43 करोड़ रुपये की सरकारी पूंजी लगी थी।

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लगी पूंजी (सकल परिसम्पत्ति के रूप में) के बिहार राज्य सहित राज्यवार वितरण का ब्योरा विवरण में दिया गया है। कुल पूंजी निवेश में से 15.84 प्रतिशत पूंजी बिहार में लगी है।

(घ), (ङ) और (च) हालांकि पूंजी निवेश सम्बन्धी निर्णय लेते समय विभिन्न राज्यों के अन्तर्गत विकास व्यय की असमानता को ध्यान में रखा जाता है, तथापि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में परिव्यय की स्वीकृति भौगोलिक आधार की अपेक्षा मुख्यत: विभिन्न तकनीकी-आर्थिक दृष्टिकोणों के आधार पर दी जाती है।

विवरण

सकल परिसम्पत्ति के रूप में राज्यवार पूंजी निवेश का विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	31-3-1982 को पूंजी निवेश (सकल परिसम्पत्ति)
1		2
1.	आन्ध्र प्रदेश	1203.16
2.	असम	1234.48
3.	बिहार	4041.06
4.	गुजरात	1097.45
5.	हरियाणा	288.91
6.	हिमाचल प्रदेश	166.05
7.	जम्मू एवं कश्मीर	14.82

1		2
8.	कर्नाटक	966.78
9.	केरल	535.58
10.	मध्य प्रदेश	3180.71
11.	महाराष्ट्र	2973.44
12.	उड़ीसा	1273.95
13.	पंजाब	439.38
14.	राजस्थान	471.67
15.	तमिलनाडु	1078.95
16.	उत्तर प्रदेश	1354.74
17.	पश्चिम बंगाल	1977.67
18.	दिल्ली	694.96
19.	गोवा	8.76
20.	अन्य राज्य/संघ शासित क्षेत्र	219.22
21.	अविभाजित	2277.69
	जोड़	25504.43

राजभाषा अधिनियम का क्रियान्वयन

4450. **श्री रामविलास पासवान :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के उपबन्धों का क्रियान्वयन किया जा रहा है और यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान कितने सामान्य आदेश जारी किए गए और उनमें से कितने आदेश हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए गए;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान कितने पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए और उनमें से कितने पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया;

(ग) मंत्रालय द्वारा कितने प्रकाशन/पत्रिकाएं प्रकाशित की गई और उनमें से कितने हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित किए गए;

(घ) वर्ष 1968 के पश्चात् कितने कार्यालय/संगठन स्थापित किए गए हैं और उनमें से कितनों को आरम्भ से ही भारतीय नाम दिए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है जिन्होंने राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का उल्लंघन किया है, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां। मंत्रालय (मुख्य) द्वारा वर्ष 1982 में 397 सामान्य आदेश जारी किए गए और वे सभी द्विभाषिक रूप में, अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में जारी किए गए।

(ख) मंत्रालय (मुख्य) में वर्ष 1982 में हिन्दी में प्राप्त हुए पत्रों की कुल संख्या 2032 है जिनमें से 709 के उत्तर दिए गए। ये सभी उत्तर हिन्दी में ही दिए गए।

(ग) मंत्रालय (मुख्य) द्वारा कोई पत्र-पत्रिका; अंग्रेजी या हिन्दी में नहीं निकाली जाती।

(घ) (1) मंत्रालय द्वारा वर्ष 1968 के बाद स्थापित किए गए कार्यालयों/संगठनों की संख्या 31 है।

(2) इनमें से जिन कार्यालयों/संगठनों के शुरू से ही भारतीय नाम रखे गए उनकी संख्या 19 है।

(3) अन्य 12 कार्यालयों/संगठनों के नाम हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में हैं।

(ङ) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के उपबन्धों का सामान्य रूप से अनुपालन किया जा रहा है, इसलिए प्रश्न नहीं है।

ग्रेफाइट का निर्यात

4451. **श्री ए० के० राय** : *क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या यह सच है कि देश में उत्पादित अधिकांश ग्रेफाइट का निर्यात किया जाता है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और पिछले पांच वर्षों में कितने ग्रेफाइट का उत्पादन हुआ और कितने ग्रेफाइट का और कौन से देश को निर्यात किया गया;

(ख) निर्यात किए जाने वाले ग्रेफाइट की रुपये में दर कितनी है और देश में यह किस दर पर बेचा जाता है;

(ग) ग्रेफाइट को प्रयोग करने वाले प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं;

(घ) क्या यह सच है कि निर्यात किए जाने वाले ग्रेफाइट पर कोई उचित किस्म का नियंत्रण नहीं है, जिससे इसकी मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं अन्यथा इसकी भारी मांग है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) उत्पादन, निर्यात तथा जिन देशों को ग्रेफाइट का निर्यात किया जाता है, के बारे में जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) रसायन तथा सम्बद्ध उत्पादन निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार 40-50 प्रतिशत अंश नियत कार्बन वाले कच्चे ग्रेफाइट का स्वदेशी मूल्य लगभग 1200 रु० प्रति मै० टन है और अयस्क का अपचयन करने के बाद 80—85 प्रतिशत अंश नियत कार्बन अंश वाले ग्रेफाइट फ्लेक्स के लिए एफ०ओ०वी० निर्यात मूल्य लगभग 3650 रु० प्रति मै० टन है ।

(ग) प्राकृतिक ग्रेफाइट के इस्तेमाल के मुख्य क्षेत्रों में ग्रेफाइट कुठाली, लेड पैंसिल, शुष्क बैटरियां, इलैक्ट्राड्स तथा फाऊंड्रीज और स्नेहक उद्योग हैं ।

(घ) ग्रेफाइट मद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनिवार्य क्वालिटी नियंत्रण और पोत लदान पूर्व निरीक्षण के अध्यधीन नहीं है ।

(ङ) रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद, जो इस मद के निर्यातों का संचालन कर रही है, को विदेशी खरीदारों की किसी प्रकार की शिकायत के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

विवरण

मात्रा : टन में

वर्ष	उत्पादन (कैलेंडर वर्ष के आधार पर उपलब्ध)
1977	11621
1978	14460
1979	13889
1980	14687
1981	15619
	निर्यात (वित्तीय वर्ष के आधार पर उपलब्ध)
1977-78	54.0
1978-79	436.0
1979-80	2724.0
1980-81	4173.0
1981-82	उपलब्ध नहीं

मुख्य देशों के नाम, जिन्हें ग्रेफाइट निर्यात किया जाता है

जापान, चीन, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, सं० रा० अमरीका, सिंगापुर, मलयेशिया, फ्रांस आदि ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कोटा, बूंदी और झालावाड़ में शाखाएं खोलना

4452. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में हरोती क्षेत्र (कोटा, बूंदी और झालावाड़) में नई शाखाएं खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि चालू शाखा विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत, कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों के 46 केन्द्रों में बैंक कार्यालय खोलने के वास्ते क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों समेत वाणिज्यिक बैंकों को आबटन किए जाने का प्रस्ताव है। उपर्युक्त आवंटनों के अलावा, इन जिलों में बैंक कार्यालय खोलने के वास्ते, बैंकों के पास 12 प्राधिकृतियां मौजूद थीं। सम्बन्धित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

जिला	शाखाएं खोलने के वास्ते वाणिज्यिक बैंकों के पास इस समय बकाया प्राधिकृतियों की संख्या	अप्रैल, 1982 से मार्च, 1985 की नीति अवधि के दौरान शाखाएं खोलने के वास्ते वाणिज्यिक बैंकों को प्रस्तावित आवंटनों की संख्या
कोटा	6	30
बूंदी	1	5
झालावाड़	5	11
जोड़	12	46

मध्य प्रदेश में 1983-84 और 1984-85 के दौरान पर्यटन सुविधाएं

4453. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार मध्य प्रदेश में अगले दो वर्षों के दौरान (1983-84 और 1984-85) पर्यटन सुविधाओं में वृद्धि के लिए क्या उपाय करने का है; और

(ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर केन्द्र ने अब तक क्या कार्यवाही की है और इसके लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) मध्य प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए आगामी दो वर्षों के दौरान निम्नलिखित स्कीमें शुरू करने का प्रस्ताव है :—

(I) शिवपुरी में 49.95 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक पर्यटक गांव कम्पलैक्स की स्थापना।

(II) भारत पर्यटन विकास निगम की अपनी संयुक्त उद्यम स्कीम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के सहयोग से भोपाल में एक होटल का निर्माण करने की योजना है ।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश के बारे में निम्नलिखित प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई है :—

(I) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने 46.76 लाख रुपये की लागत पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में एक वन गृह का निर्माण किया है ।

(II) कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षित हाथियों और मिनी बस की खरीद के वास्ते 3.60 लाख रुपये दिए गए हैं ।

(III) भोपाल झील में इस्तेमाल के लिए नौकाओं की खरीद के वास्ते राज्य सरकार को 3-51 लाख रुपये की एक राशि दी गई है ।

(IV) शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान के लिए मिनी बस की खरीद के वास्ते 0.50 लाख रुपये की एक राशि भी दी गई है ।

(V) इसके अलावा, भील पर्व के आयोजन के लिए 0.50 लाख रुपये की एक राशि दी गई है ।

(VI) भारत पर्यटन विकास निगम ने अप्रैल, 1982 में भोपाल में एक परिवहन यूनिट की स्थापना की है ।

अहमदाबाद में बैंक धोखाधड़ियों का पता लगना

4454. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बैंकों में धोखाधड़ी की अहमदाबाद से प्राप्त सूचना की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन धोखाधड़ियों का पता लगा है उनका ब्यौरा क्या है, (देखें इण्डिया टूडे—28 फरवरी, 1983); और

(ख) क्या ये धोखाधड़ी सरकारी लेखा परीक्षक की पकड़ में नहीं आई और यदि हां, तो ऐसी धोखाधड़ियों को समाप्त करने के लिए आन्तरिक जांच और देखरेख को कारगर बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 'इण्डिया टूडे' नामक पत्रिका के 28 फरवरी, 1983 अंक में "बर्स्टिंग दि बैंक्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार सरकार ने देखा है । उपर्युक्त समाचार, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ बड़ौदा और बैंक आफ इण्डिया में से प्रत्येक में धोखाधड़ी के एक-एक मामले से सम्बन्धित है । इन तीन मामलों के सम्बन्ध में ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(I) भारतीय स्टेट बैंक की गांधीनगर स्थित शाखा में धोखाधड़ी

भारतीय स्टेट बैंक ने सूचना दी है कि मई, 1978 से जून 1982 की अवधि के बीच

इसकी गांधीनगर शाखा में एक लिपिक द्वारा एक धोखाधड़ी की गई थी जिसमें लगभग 3.24 करोड़ रुपए की राशि अंतर्ग्रस्त थी। इस बीच, बैंक ने प्रक्रिया को सुचारू बनाने के वास्ते कई कदम उठाए हैं और राशि की वसूली के वास्ते भी कदम उठाए हैं। बैंक ने गहन आंतरिक जांच के वास्ते एक प्रबंधक आडिट दल (मैनेजमेंट आडिट टीम) भी भेजी है। इस बीच, प्रथम दृष्ट्या इस धोखाधड़ी के वास्ते दोषी पाये गये 12 कर्मचारियों को बैंक ने निलम्बित कर दिया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने, इस धोखाधड़ी के संबंध में दो मामले भी दर्ज किए हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

(II) बैंक आफ बड़ोदा की डांडिया बाजार स्थित शाखा में धोखाधड़ी

बैंक आफ बड़ोदा ने सूचना दी है कि बैंक शाखा के तत्कालीन प्रबन्धक ने, निर्धारित तरीकों की परवाह किए बिना असावधानीपूर्वक तथा अनुपयुक्त ढंग से 24.41 लाख रुपए की राशि के अनियमित को दी गई जिसने एक मामला दर्ज कर लिया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। बैंक ने शाखा प्रबन्धक को निलम्बित कर दिया है। अपनी रकम की वसूली के वास्ते भी बैंक ने कुछ कदम उठाए हैं।

(III) बैंक आफ इंडिया की गांधी रोड और पाल्दी स्थित शाखाओं में धोखाधड़ी

बैंक आफ इंडिया ने सूचना दी है कि इसकी गांधी रोड और पाल्दी शाखाओं के शाखा प्रबन्धकों ने कुछ बैंक कर्मचारियों समेत, अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर 4.17 लाख रुपए की राशि की धोखाधड़ी की। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पांच मामले दर्ज किए हैं और उसकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है। इस बीच, बैंक ने अपने पांच कर्मचारी निलम्बित कर दिए हैं।

क्योंकि, धोखाधड़ी के इन सभी मामलों की जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है, इन मामलों के संबंध में और ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

वर्ष 1980, 1981 और 1982 (30 सितम्बर तक) के दौरान सरकारी क्षेत्र में 28 बैंकों में हुई धोखाधड़ियों के सम्बन्ध में सांख्यिकी आंकड़े और उसमें अन्तर्गस्त राशि, विवरण में दी गई है।

धोखाधड़ियों के विरुद्ध सुरक्षणों को विहित करने वाली सभी बैंकों की अपनी अनुदेश पुस्तिकाएं हैं। उनके अनुभवों के आधार समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है और उन्हें सुचारू बनाया जाता है। धोखाधड़ियों को रोकने और सुरक्षणों के विशिष्ट उपायों के सम्बन्ध में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी बैंकों को आवधिक अनुदेश जारी किए जाते हैं। 25-2-83 को बुलाई गई सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यालयों की बैठक में, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने, बैंकों में धोखाधड़ियों की घटनाओं पर, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यक्त की गई गंभीर चिन्ता से, बैंकों को अवगत कराया। मुख्य कार्यपालकों को अपने यहां सर्तकता तंत्र को सुदृढ़ बनाने की हिदायतें दी गई हैं। उनसे यह भी कहा गया है कि वे दोषी कर्मचारियों को कठोर दण्ड दें और बैंकों में धोखाधड़ियों की घटनाओं से बचने के लिए सभी संभव निरोधक उपाय करें। बैंक शाखाओं के कार्यकलापों पर अधिक नियंत्रण रखने के उद्देश्य से, बैंकों को अंत: शाखा खातों के शीघ्र समाशोधन, प्रभावी शाखा पर्यवेक्षण और नियमित निरीक्षणों की आवश्कता के बारे में भी स्मरण कराया गया है।

विवरण

भारत में बैंक शाखाओं/कार्यालयों में वर्ष 1980 से 1982 (30 सितम्बर तक) के दौरान हुई घोखाधड़ियों की संख्या और उनमें अन्तर्ग्रस्त राशियां जैसी कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित की गई हैं।

(चाहे उनके होने की तारीखें कोई भी हों)

(राशि करोड़ रुपये)

बैंक समूह (सरकारी क्षेत्र)	1980		1981		1982 (30 सितम्बर तक)	
	घोखाधड़ियों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि	घोखाधड़ियों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि	घोखाधड़ियों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि
भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी	439	1.38	445	3.70	452	6.02
14 राष्ट्रीयकृत बैंक	1024	6.24	1290	14.58	972	8.10
6 अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक	131	0.78	156	2.06	150	1.82
जोड़ : सरकारी क्षेत्र के समस्त बैंक	1594	8.40	1891	20.34	1574	15.94

टिप्पणी : (i) "बैंक घोखाधड़ी" में सामान्यत: मिथ्या-निरुपण, विश्वास भंग, लेखा-पुस्तकों में हेराफेरी, चैकों, ड्राफ्टों और विनिमय पत्रों जैसी लिखतों को घोखाधड़ी से भुनाना, बैंकों को भारित प्रतिभूतियों का अनधिकृत लेन-देन, अपकरण, गबन, चोरी राशियों का मिथ्या निरुपण, सम्पत्ति का परिवर्तन, ठगी, कहियां, अनियमितताएं आदि शामिल हैं।

(ii) बैंकों द्वारा सूचित की गई सभी घोखाधड़ियों की गई हैं चाहे उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि कुछ भी हो। इन घोखाधड़ियों में अन्तर्ग्रस्त राशि अनिवार्यत: बैंकों को हुई हानि की राशि की द्योतक नहीं है।

इंडियन एयरलाइन्स (दिल्ली क्षेत्र) में यातायात सहायकों/कार्यालय/सहायकों की भर्ती के लिए पेनल

4456. **श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स (दिल्ली क्षेत्र) ने यातायात सहायकों, कार्यालय सहायकों आदि की भर्ती के लिए जून, 1982 में उचित लिखित परीक्षा और साक्षात्कार लेकर एक पेनल बनाया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पेनल में सभी व्यक्तियों को अभी तक नौकरी नहीं दी गई है; और

(ग) क्या नया पेनल बनाने से पहले पेनल में प्रत्येक श्रेणी के सभी व्यक्तियों को नौकरी दे दी जायेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) इस प्रकार बनाई गई नामिकाएं एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेंगी । यदि इस अवधि में पर्याप्त संख्या में पद नहीं होते तो ये नामिकाएं समाप्त हो जाएंगी तथा नामिकाओं में सम्मिलित बचे हुए प्रत्याशियों को नियुक्ति नहीं दी जाएगी ।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

4457. **श्रीमती संयोगिता राणे :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विचार समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने हेतु कोई योजना चालू करने का है;

(ख) क्या आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु राज्य व्यापार निगम के साथ प्रबन्ध करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए पहले ही चलाई जा रही योजनाओं में बाजार संवर्धन, क्वालिटी नियन्त्रण अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं का विकास, प्रान फार्मिंग विस्तार कार्यक्रम, मछली पकड़ने के पोतों की चार्टरिंग आदि शामिल हैं ।

(ख) तथा (ग) राज्य व्यापार निगम ने 1-1-1983 से 31-12-1983 तक एक वर्ष के लिए प्रायोगिक आधार पर जापान को प्रशीतित श्रिम्पों के निर्यात के लिए पूर्वी क्षेत्र में समुद्री उत्पादकों के निर्यातकों की अल्पावधि वित्तीत सहायता देने के लिए एक योजना शुरू की है जिसके अन्तर्गत उनके सहयोगियों को प्रति निर्यातक 5 लाख रु० की एक अधिकतम सीमा के अध्यधीन निर्यात के लिए उत्पादित माल के एफ० ओ० वी० के 80 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

एयर इंडिया को हुआ घाटा

4458. **श्री एम० एस० के० सतियेन्द्रन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया को वर्ष 1979-80 में 15.9 करोड़ रुपये और वर्ष 1981-82 में 21.30 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में कुल कितना घाटा हुआ हैं; और

(ग) सरकार घाटे को कम करने हेतु क्या उपाय कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) एयर इंडिया को वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 में क्रमशः 15.09 करोड़ और 21.30 करोड़ रुपये की हानि हुई। वर्ष 1981-82 में एयर इंडिया ने 10.36 करोड़ रुपये का निवल लाभ कमाया।

(ख) वर्ष 1982-83 में, एयर इंडिया को लगभग 36.10 करोड़ रुपये का निवल लाभ अर्जित करने की आशा है।

(ग) : (ख) को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न नहीं है।

विदेशी मुद्रा रिजर्व

4459. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1983 को विदेशी मुद्रा का रिजर्व कितना था और यह 1 जनवरी, 1982 को कितना था; और

(ख) यदि यह पिछले वर्ष से अधिक है तो इसमें वृद्धि किस प्रकार हुई और यदि कम है, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) पहली जनवरी, 1983 को सोने तथा विशेष आहरण अधिकारों (एस० डी० आर०) को छोड़कर विदेशी मुद्रा भंडार की राशि, पहली जनवरी, 1982 के 3444 करोड़ रुपये के मुकाबले, 3436 करोड़ रुपए थी। यदि अन्तर्राष्ट्रीय

मुद्रा कोष के लेने-देनों को हिसाब में न लिया जाए तो विदेशी मुद्रा भंडार में पहली जनवरी, 1982 से पहली जनवरी, 1983 तक की अवधि के दौरान 1565 करोड़ रुपये तक की कमी हो गई होती। प्रतिकूल विदेशी मुद्रा की स्थिति विदेश व्यापार के बहुत बड़े घाटे के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है, जिसका कारण 1979 और 1980 में अत्यावश्यक आयातों, विशेष रूप से पैट्रोल तेल और चिकनाने के पदार्थों के आयातों की कीमतों में तेज वृद्धि होना और इसी अवधि में भारत के निर्यातों की कुछ प्रमुख मदों की कीमतों में बहुत ज्यादा गिरावट आना है। विकसित देशों में बराबर मंदी की स्थिति बने रहने तथा संरक्षणवादी व्यापारिक वातावरण के कारण भी भारत के निर्यातों की वृद्धि में रुकावट आई है।

खोई पर आधारित विस्कोस रेयन का उत्पादन

4460. **श्री ईरा अनवरासु** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी, ब्राजील और फिलीपीन्स में खोई पर आधारित विस्कोस रेयन का वाणिज्यिक उपयोग हेतु प्रयोगात्मक उत्पादन शुरू किया गया हैं; और

(ख) क्या तमिलनाडु केमिकल मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन ने जिन राज्यों में चीनी फैक्ट्रियां हैं वहां ऐसी यूनिटें स्थापित किए जाने की मांग की है; और यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

(ख) तमिलनाडु केमिकल्स मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सरकारी कम्पनियों की सार्वजनिक जमा योजना के अन्तर्गत जमा धनराशि

4461. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्यूरो आफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज (बी० पी० ई०) के अन्तर्गत विभिन्न सरकारी कम्पनियों की सार्वजनिक जमा योजनाओं के अन्तर्गत 31 दिसम्बर 1982 तक कुल कितनी धन राशि जमा हुई थी और प्रत्येक कम्पनी का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ख) 31 दिसम्बर, 1982 को कितने जमाकर्त्ता "कर्मचारियों, भूतपूर्व कर्मचारियों, कम्पनी के मृत कर्मचारियों की विधवाओं और इसकी सहायक कम्पनियों, मान्यता प्राप्त धर्मार्थ न्यासों और केन्द्र की सशस्त्र सेनाओं द्वारा इन सेनाओं के भूतपूर्व और वर्तमान सदस्यों अथवा उनके आश्रितों के कल्याण हेतु स्थापित किए गए रेजीमेन्टल फण्ड अथवा गैर-सरकारी कोष" की श्रेणी के अन्तर्गत थे जिन्हें 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दिया गया था और जिनकी जमा धन राशि एक लाख रुपये या उससे अधिक थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) उपलब्ध जानकारी के आधार पर ब्यौरा विवरण में दिया गया है ।

(ख) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है तथा उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रमांक	सरकारी उद्यम का नाम	जमा (प्रगामी)	
		राशि	कब तक
1.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	5910.35	31-12-82
2.	एच० एम० टी० लिमिटेड	1175.00	—
3.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण	3437.00	30-11-82
4.	हिन्दुस्तान जिंक लि०	1068.88	31-12-82
5.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	1162.15	31-12-82
6.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि०	751.61	—
7.	इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि०	1080.46	31-12-82
8.	भारतीय तेल निगम	5215.00	31-12-82
9.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०	2643.00	31-12-82
10.	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०	1202.00	31-12-82
11.	मद्रास रिफाइनरीज लि०	500.00	31-12-82
12.	इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि०	1255.00	31-12-82
13.	बामेर लारी एण्ड कं० लि०	114.09	30-9-82
14.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०	292.58	31-12-82
15.	भारत इलेक्ट्रानिक्स लि०	789.32	31-12-82
16.	माझगांव डाक लि०	176.53	31-12-82
17.	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (त्रावणकोर) लि०	30.26	31-12-82
18.	एण्ड्यू यूले एण्ड कं० लि०	54.69	31-12-82
		26827.92	

एम० ई० एस० अम्बाला केन्ट द्वारा बोली लगाने वालों की जमानत की धनराशि को लौटाना

4463. **श्री उत्तम राठौर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें विभिन्न बोली लगाने वालों द्वारा जमा की गई जमानत की धनराशि एम० ई० एस० अम्बाला केन्ट के पास जमा है;

(ख) क्या इतने पुराने भी कोई मामले हैं जो 1963 से पड़े हैं यदि हां, 1963 के बाद वर्षवार ऐसे सभी मामलों का ब्यौरा क्या है और जमानत धनराशि को न लौटाने के कारण क्या हैं; और

(ग) क्या बोली लगाने वालों ने अपनी जमानत धनराशि वापस लौटाने हेतु आवेदन किया था और "आपत्ति नहीं" प्रमाण पत्र पेश किया था, यदि हां, तो सरकार का विचार जमानत धनराशि को कब तक लौटाने का है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

रक्षा लेखा विभाग में अधीनस्थ लेखा सेवाओं में सर्विस आर्डर की क्रियान्विति

4464. **श्री राम सिंह शाक्य :** क्या वित्त मंत्री रक्षा लेखा विभाग में अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा में आरक्षण आरर्ड लागू करने के बारे में 13 अगस्त, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5263 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपरोक्त परीक्षा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को अर्हता के स्टैण्डर्ड में छूट देने वाले आर्डरों की संख्या एवं तारीख क्या है;

(ख) उक्त आर्डर के अन्तर्गत अर्हता स्टैण्डर्ड में छूट देने में सरकार का इरादा तथा प्रयोजन क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त भाग (क) और (ख) इन समुदायों को साढ़े बाइस प्रतिशत आरक्षण देने की सरकार के नीति के अनुसरण में है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त नीति को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार केवल मात्र इन समुदायों के लिए उक्त परीक्षा लेकर तथा सामान्य श्रेणी में फिलहाल पदोन्नति रोक कर लेखा अनुभाग अधिकारियों को 30 जून, 1982 के दिन तक की 616 आरक्षित रिक्तियों को भरने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा अपनाये जाने वाले अन्य तरीकों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) भारत सरकार, मंत्रीमण्डल

सचिवालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 21 जनवरी, 1977 का का०ज्ञा० संख्या एफ०-36021/10/76-स्थापना (एस० सी० टी०)।

(ख) जब सामान्य रूप से निर्धारित योग्यता स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए प्रर्याप्त संख्या में उम्मीदवार नहीं मिलते तो पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्तता की न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इनमें छूट दी जाती है।

(ग) (ख) में उल्लिखित प्रक्रिया से स्तर में छूट दिये जाने के कारण, लेकिन पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्तता की न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, आरक्षित वर्ग के अधिक उम्मीदवारों को चुनना सम्भव होगा।

(घ) और (ङ) चूंकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार भी अधिनस्थ लेखा सेवा परीक्षा में बैठने के पात्र हैं, अतः उनके लिए अलग परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है।

एशियाड के दौरान विदेशियों के लिए गौ-मांस की व्यवस्था करना

4465. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :**

श्री मूल चन्द डागा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाई खेलों के दौरान विदेशियों को होटलों और रेस्टोरेंटों में गौमांस दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह व्यवस्था सरकार की अनुमति से की गई थी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम ने, जो कि एशियाई खेलों के लिए आधिकारिक कैटरर थे, अपने होटलों और रेस्तराओं या खेल गांव कम्पलैक्स में विदेशियों को बीफ (गाय का मांस) नहीं परोसा।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों द्वारा क्वार्टर खाली करना

4466. **श्री हीरा लाल आर० परमार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया के अपना मकान रखने वाले कर्मचारियों को चाहे उसके द्वारा किसी प्रकार के मकान ऋण सुविधा का लाभ उठाया गया हो अथवा न लिया गया हो 31 मार्च 1983 तक स्टाफ-क्वार्टर्स खाली करने का कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि ऐसे आदेश, उपर्युक्त विषय पर 30 अगस्त, 1980 के जी० ओ० आई०, सम्पदा निदेशालय ज्ञापन संख्या 12033(6)/75-पी० ओ० एल०-11-(वी० ओ० 11) में दिए गए निदेशों के प्रतिकूल हैं; और

(घ) रिजर्व बैंक आफ इंडिया, दिल्ली के कर्मचारियों को इस मामले में न्याय दिलाने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अपने कर्मचारियों से बैंक आवास की अपेक्षया बड़ी मांग और साथ ही विभिन्न स्थानों पर बैंक के पास सीमित संख्या में फलैटों की उपलब्धता को देखते हुए, रिजर्व बैंक ने व्यवस्था की है कि जिस कर्मचारी के पास अपनी तैनाती के स्थान पर, स्वयं का आवासीय स्थान उपलब्ध होगा, उसे उस स्थान पर बैंक के आवास के आबंटन के लिए पात्र नहीं समझा जाएगा ।

(ग) संपदा निदेशालय के दिनांक 30 अगस्त, 1980 के ज्ञापन सं० 12033(6)/75—पी०ओ०एल०-11 (खंड 11), में अंतर्विष्ट हिदायतें, भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों पर लागू नहीं होती । अपने कर्मचारियों की आवश्यकताओं और बैंक के पास उपलब्ध आवास को देखते हुए, बैंक-आवास के संबंध में वह अपनी नीति स्वयं निर्धारित करता है ।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि कर्मचारी के आवास के बहुत दूरी पर अवस्थित होने अथवा उसके स्वयं के आवास के अपर्याप्त होने जैसी उचित कठिनाईयों के मामले में, बैंक-आवास-आबंटन के वास्ते कर्मचारियों के अनुरोधों पर, रिजर्व बैंक प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर विचार करेगा ।

तेजी से प्रगति करने वाले कुछ उद्यमों द्वारा करों का भुगतान न करना

4467. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कंपनीयों की सूची में जिन्होंने उनको दिए गए उदार प्रोत्साहनों के कारण कई साल तक करों का बिलकुल भी भुगतान नहीं किया है देश के कुछ अत्यधिक लाभकारी और अत्यधिक तेजी से प्रगति करने वाले उद्यम हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, हां, यह सच है कि बहुत अधिक लाभ कमाने वाली कुछ कंपनियों ने, जिनका पिछला रिकार्ड यह दर्शाता है कि वे विकास करती रही है, आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञात कतिपय कर रियायतों के कारण कुछ निर्धारण वर्षों के लिए, कोई आय-कर अदा नहीं किया है अथवा तुलनात्मक दृष्टि से अपने लाभों का एक अल्प भाग ही आय-कर के रूप में अदा किया है ।

(ख) यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञेय कर-रियायतों के लिए संबंध में विभिन्न कटौतियों के परिणामत: कंपनियों की कर लगने योग्य आय उस सीमा तक कम न हो जाय कि लाभ कमानेवाली कंपनियों द्वारा कोई कर ही न अदा न किया जाय अथवा केवल नाममात्र का कर ही अदा किया जाय, वित्त विधेयक, 1983 के खण्ड 32 द्वारा आय-कर अधिनियम में इस आशय क एक उपबंध बनाया जाना अभिप्रेत है कि जहां किसी कंपनी के मामले में आय-कर अधिनियम के विनिर्दिष्ट उपबंधों के अंतर्गत अनुज्ञय कटौती की सकल राशि, ऐसी कटौती करने से पूर्व संगणित कुल आय की राशि के 70 प्र० श० से बढ़ जाती है, वहां उनउपबंधों के अंतर्गत काटी जाने वाली राशि को, इस प्रकार की कटौती करने से पूर्व यथा संगणित कुल आय के 70 प्र०श० तक सीमित कर दिया जाए;

उत्तर प्रदेश और राजस्थान का भ्रमण करने वाले पर्यटकों को होने वाली कठिनाइयां

4468. **श्री राम लाल राही** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और राजस्थान के राज्यों में अधिकारियों की ओर से लापरवाही बरते जाने के कारण पर्यटकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिनके बारे में पर्यटकों ने लिखित शिकायतें की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) श्रीमन्, ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली छावनी में झरेडा, पुराना नांगलोई मेहराम पुर और सराय सोहल गांवों को आवश्यक सुविधाएं

4469. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वतंत्रता के पैंतीस साल बाद भी दिल्ली छावनी क्षेत्र के चार गांवों (एक) झरेडा (दो) पुराना नांगलोई (तीन) मेहरामपुर और (चार) सराय सोहल में सड़कें, पेय जल, शोचालय, नालियां, कम्यूनिटी हाल और बिजली जैसी आवश्यक सुविधायें प्रदान नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां तो सरकार का विचार नई दिल्ली के विकास के साथ इन गांवों के विकास को भी सुनिश्चित करना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) दिल्ली छावनी बोर्ड आवश्यक नागरिक सुविधाएं जैसे सड़क, पीने का पानी, शौचालय, ड्रेन, सड़क की बत्तियां आदि 1924 के छावनी अधिनियम की धारा 116 के अनुसार प्रदान कर रहा है। इसके अलावा झरेडा, पुराना नांगल और मेहराम नगर गांवों में प्रत्येक में छावनी बोर्ड प्राथमिक स्कूल भी चला रहा है। सराय सोहल में छावनी बोर्ड खड़जा, ड्रेनेज और सफाई व्यवस्था सेवा उपलब्ध करा रहा है।

नागरिक सुविधाएं धन की उपलब्धता के अनुसार बढ़ाई/उपलब्ध की जाती हैं।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा किसानों को दिया गया ऋण

4470. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण देने वाली निकायों और वाणिज्यिक बैंकों ने कितने कृषि ऋण दिए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ ऋण देने वाली संस्थायें और वाणिज्यिक बैंक किसानों को ऋण देने में मना कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उनके मंत्रालय ने किसानों को ऋण देने हेतु क्या शर्त लागू की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी : (क) दिसम्बर 1981 तथा 1982 (हाल ही में उपलब्ध) को सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामिण बैंकों द्वारा दिए गए कृषि ऋणों की बकाया राशि नीचे दी गई है :—

(करोड़ रुपये)

	1981	1982
भारतीय स्टेट बैंक समूह	1828	2032
राष्ट्रीयकृत बैंक	2670	2965
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	406	499
		(सितम्बर तक)

(ख) से (घ) बैंक सभी अर्थक्षम परियोजनाओं/स्कीमों के वास्ते ऋण उपलब्ध कराते हैं छोटे ऋणकर्ताओं ऋणों के अधिक प्रवाह को सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न रियायतें दी गई हैं और बैंक इन अनुदेशों का अनुपालन कर रहे हैं। कम राशि के ऋणों के वास्ते आवेदनों को शाखाओं द्वारा 3 से 4 सप्ताह की अवधि में निपटाया

जाता है तथा बैंकों ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपने शाखा प्रबन्धकों को समुचित अधिकार सौंपे हैं जिससे कि शाखाओं में प्राप्त आवेदनों में से 80 प्रतिशत आवेदनों को वे स्वयं शाखा-स्तरों पर ही निपटा दें। किसानों को ऋणों के सुगम वितरण के सुनिश्चय के वास्ते किए गए कुछ अन्य उपाय ये हैं। ऋण-आवेदन पत्रों को सरल बनना, 5000/-रुपये तक के प्रतिभूति मानकों में छूट के साथ-साथ छोटे ऋणों पर आवश्यक मार्जिनों में छूट।

विदेशी मुद्रा विनियमन-अधिनियम की धारा 28 में लागू करने हेतु मार्ग-दर्शी सिद्धान्त

4471. **श्री रतन सिंह राजवा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28 को लागू करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं यदि हां, तो ये कब जारी किए गए और कहां पर उपलब्ध हो सकते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या धारा 28 (1) (सी) को लागू करने के सामान्य दिशा-निर्देश क्या हैं और क्या "प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष" विचार से क्या आशय हैं, के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण जारी किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28 (1) (ग) के प्रशासन के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों के अन्तर्गत, निम्न-लिखितों पर विदेशी व्यापार चिन्हों का इस्तेमाल किए जाने की अनुमति हैं : अर्थात (I) निर्यात, (II) जीवन रक्षक औषध और (III) पौधा संरक्षण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली महामारी नाशक दवाइयां और रसायन। ये दिशा निर्देश, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारा 28 के अधिन जारी की गई इन अधिसूचनाओं में विहित है; अर्थात् फेरा 27175-आर० बी० दिनांक 19-4-75 (1975 का सा० का० नि० 572) और फेरा 84176 दिनांक 6-3-76 (1976 का सा० का० नि० 508)। घरेलू बिक्री की अन्य मदों पर विदेशी व्यापार चिन्हों की अनुमति उस स्थिति में नहीं दी जाएगी, जबकि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष (कांसिडरेशन) अन्तर्ग्रस्त होगा। "प्रत्यक्ष कांसिडरेशन" (डाइरेक्ट कांसिडरेशन) का अर्थ होगा नगद प्रेषणाओं के माध्यम से धनराशियों को बाहर भेजना। अप्रत्यक्ष कांसिडरेशन (इन्डाइरेक्ट कांसिडरेशन) शब्द की परिभाषा अधिनियम में भी नहीं की गई है। इस शब्द का प्रयोग इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए किया है कि इसके अन्तर्गत प्रत्यक्ष तथा अधिक आसानी से निश्चित किए जा सकने वाले कांसिडरेशनों के अलावा, कतिपय सूक्ष्म रूप से तथा कम स्पष्ट रूप से दिए जाने वाले ऐसे कांसिडरेशन भी आ जांए, जिनसे समाश्रित देनदारी उत्पन्न होती हो। इस प्रकार के अप्रत्यक्ष कांसिडरेशनों के उदाहरणों के तौर पर व्यापार चिन्हों के मालिकों से कच्ची सामग्री या संघटकों की खरीद करने के लिए निर्धारित शर्तों आदि को उद्धृत किया जा सकता है। किन्तु अप्रत्यक्ष कांसिडरेशन वर्ग के अन्तर्गत आने वाले इसी प्रकार के कांसिडरेशनों की पूरी सूची देना या उन्हें सामान्य रूप से व्यक्त करना संभव नहीं है। प्रत्येक मामले पर, व्यापार चिन्ह के प्रयोग से सम्बद्ध समग्र तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा सम्बद्ध करार के उपबन्धों को देखते हुए विचार करना होगा।

कालीनों के निर्यात में कमी आना

4472. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालीनों के निर्यात में कमी आयी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पिछले तीन वर्षों में कितने मूल्य के कालीनों का निर्यात किया गया है; और

(ख) निर्यात के मूल्य में कमी आने के कारण कितने कर्मचारी (बुनकर और इस रोजगार से सम्बन्धित मजदूर) प्रभावित हुए हैं तथा क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है। करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां। इसका कारण है विश्व बाजार में चल रही मंदी की दशाएं तथा चीन जनवादी गणराज्य, पाकिस्तान आदि से बढ़ती हुई प्रतियोगिता। पिछले तीन वर्षों के लिए ऊनी कालीनों के निर्यात आंकड़े निम्नवत प्रकार हैं;

1979-80	135.38 करोड़
1980-81	157.66 करोड़
1981-82 (अनन्तिम)	156.69 करोड़
1982-83 (अनन्तिम) (अप्रैल, दिसम्बर)	124.42 करोड़

(ख) निर्यातों में गिरावट के परिणामस्वरूप रोजगार में कुछ गिरावट आई होती परन्तु उद्योग के छितरे हुए होने के कारण ठीक आंकड़े देना सम्भव नहीं हैं। इस सम्बन्ध में अस्थायी कठीनाइयों को दूर करने के लिए निम्नोक्त उपाय आरम्भ किए गये हैं;

(1) रियायती दरों पर लदान पूर्व ऋण की अवधि को 90 दिनों से बढ़ाकर 100 दिन कर दिया गया है।

(2) कालीनों के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले ऊनी यार्न की क्वालिटी में सुधार लाने के विचार से हाथ से गांठ लगाकर बने ऊनी कालीनों के निर्यातों के बदले 48 एस काउण्ट अथवा उससे नीचे के कच्ची ऊन के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई है।

(3) जब यार्न रंगा जाता है अथवा पीस रूप में रंगा जाता है अथवा मुख्य रूप से रंगा जाता है तो ऊनी कालीनों के निर्यातों पर 90 पैसे (नब्बे पैसे केवल) प्रति किग्रा० की शुल्क वापसी की अनुमति दी जाती है।

(4) हाथ से गांठ लगाकर बने ऊनी कालीनों के लिए एक बिक्री-सह-अध्ययन दल खाड़ी देशों को तथा दूसरा संयुक्त राज्य अमरीका व कनाड़ा को भेजा गया था।

(5) कालोनों के लिए एक अलग निर्यात संवर्धन परिषद स्थापित की गई है ।

राष्ट्रीय कैडेट कोर योजना का "मिनिस्ट्रियल स्टाफ"

4474. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन० सी० सी० प्रशिक्षण की यह विडम्बना है कि इस व्यवस्था में मिनिस्ट्रियल स्टाफ, राज्य सरकार का है जबकि प्रशिक्षण कर्मचारी केन्द्र सरकार के हैं जिनके परिणामस्वरूप इस योजना में उचित समन्वय नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसमें मिनिस्ट्रियल स्टाफ, को पदोन्नति के अवसर भी नगण्य हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार "मिनिस्ट्रियल स्टाफ" को भी केन्द्रीय वेतनमान देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि नहीं, तो "मिनिस्ट्रियल स्टाफ" में व्याप्त असंतोष से एन० सी० सी० योजना पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने के लिए सरकार क्या प्रयास करेगी; और

(ङ) इस योजना के समस्त कर्मचारियों को केन्द्रीय विद्यालयों जैसी योजना के आधार पर केन्द्र के अन्तर्गत लेने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

राष्ट्रय कैडेट कोर की यूनिटों और ग्रुप मुख्यालयों में लिपिकीय कर्मचारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा दिए जाते हैं और राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों को प्रशिक्षण देने वाला स्टाफ केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है । इन दोनों के बीच सहयोग में किसी प्रकार की कमी नहीं है और न इससे राष्ट्रीय कैडेट कोर की प्रशिक्षण व्यवस्था को किसी प्रकार प्रभावित होने दिया जाता है ।

2. ऊपर उल्लिखित लिपीकीय कार्मिक राज्य सरकार के कर्मचारी हैं इसलिए इनकी पदोन्नति के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकार संवर्ग के लिए लागू नियम लागू होते हैं ।

3. उपर्युक्त लिपिकीय स्टाफ को केन्द्र सरकार के वेतनमान देने का कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही वित्तीय कठिनाइयों और अन्य प्रशासकीय समस्याओं के कारण, जो इस प्रकार के उपाय करने से उठ सकते हैं, इन्हें केन्द्र सरकार में लिया जा सकता है ।

सरकारी सेवाओं और सरकारी उपक्रमों में वेतनमानों के लिए निर्धारित मानदण्ड

4475. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी सेवा में किसी पद के लिए वेतनमान निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी सेवाओं तथा उसके साथ-साथ सरकारी उपक्रमों में एक ही तरह के कुछ कामों के लिए भिन्न-भिन्न वेतनमान हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या आधार हैं; और

(घ) क्या सरकारी सेवाओं और सरकारी उपक्रमों में अनुसचिवीय पदों के वेतनमानों में अन्तर की व्याख्या सहित एक तुलनात्मक विवरण सभापटल पर रखा जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का वर्तमान वेतन-ढांचा तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है, जिसने पद से सम्बद्ध कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों, पद पर भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता, अपेक्षित पर्यवेक्षण की मात्रा आदि जैसी अनेक बातों को ध्यान में रखा था । चौथे वेतन आयोग की नियुक्ति के बारे में 28-2-83 को वर्ष 1983-84 के लिए वित्त मंत्री के बजट भाषण में पहले ही घोषणा कर दी गई है । कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करने के बाद वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों की घोषणा की जाएगी । तुलनात्मक कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक के बीच असमानतायें अंशत: ऐतिहासिक कारणों से और अंशत: सेवा और रोजगार की शर्तों में अन्तर के कारण हैं । सरकारी क्षेत्र के उपक्रम मुख्यत: उत्पादन और व्यापारिक कार्यों में लगे हुए हैं और इस प्रकार कार्यों की अपेक्षाओं में अन्तर है । जबकि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों का संशोधन वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में संशोधन प्रबन्धकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच हुए समझोतों के आधार पर किया जाता है ।

ऊपर बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकारी सेवाओं और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यालयों पदों के वेतनमानों की तुलना करना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि सभी उपक्रमों में भी वेतनमानों में समानता नहीं है जबकि सरकारी वेतनमानों में ऐसी स्थिति नहीं है ।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में पंजी निवेश

4476. **श्री अजय बिश्वास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में निवेश के लिए कितनी पूंजी खर्च की तथा उसमें से कितनी राशि उत्तर पूर्व क्षेत्र (राज्यवार) में व्यय की गई; और

(ख) संपूर्ण देश में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी राशि व्यय की जानी है तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र (राज्यवार) के लिये कितना व्यय किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) पिछले पांच वर्ष (1977-78 से 1981-82 तक) के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में पूंजीगत चालू निर्माण-कार्य सहित सकल परिसम्पत्ति के रूप में लगी पूंजी 1453.23 करोड़ रुपये है। इसमें से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में किए गए प्रमुख पूंजी निवेश का ब्योरा क्या है :—

		(करोड़ रुपयों में)
1.	असम	921.58
2.	मणिपुर	103.40
3.	नागालैण्ड	42.37

(ख) कोयला और पैट्रोलियम परियोजनाओं सहित केन्द्रीय औद्योगिक एवं खनिज परियोजनाओं के लिए छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में परिव्यय 19018.07 करोड़ रुपए निर्दिष्ट है, जिसमें से 11291.94करोड़ रुपए का परिव्यय विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में निर्धारित परियोजनाओं के लिए आबंटित किया गया है। इस क्षेत्र के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के निमित्त 1179.39 करोड़ रुपए के परिव्यय की योजना तैयार की गई है, जिसका ब्योरा इस प्रकार है :—

		(करोड़ रुपयों में)
1.	असम	1008.81
2.	नागालैण्ड	15.90
3.	त्रिपुरा	42.42
4.	उत्तर पूर्वी परिषद	12.26

स्क्रैप की बिक्री के नाम पर राष्ट्रीयकृत जूट मिलों की आस्तियों को कम करना

4477. **प्रो० रूप चन्द पाल :**
श्री सोमनाथ चटर्जी :
श्री नीरेन घोष : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राष्ट्रीय पटसन निर्यात निगम के प्रबन्धाधीन राष्ट्रीयकृत पटसन मिलों की मूल्यावान आस्तियों की स्क्रैप बिक्री के नाम पर कम किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) आधुनिकीकरण/नवीकरण योजना के कारण कुछ पुरानी मशीनें बेकार हो गई हैं। ऐसी बेकार मशीनों का पता सुव्यवस्थित पद्धति द्वारा लगाया गया था। कतरनों की बिक्री ए०जे०ए०सी० की वित्तीय शक्तियों के नियमों के अन्तर्गत की जाती हैं और नियमों के अन्तर्गत गठित एकक समितियों के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत की जाती है। जब कभी अनियमितताएं पाई जाती हैं, नियमों के अन्तर्गत एन०जे०एम०सी० द्वारा कार्यवाही की जाती है। सरकार को सूचित किया गया है कि एन०जे०एम०सी० इस समय इस प्रकार की अनियमितताओं के लिए दो अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है।

सरकारी क्षेत्र की यूनिटों से उच्च पदस्थ अधिकारियों की सेवा समाप्त किया जाना

4478. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सरकारी क्षेत्र के यूनिटों से हाल ही में उच्च पदस्थ अधिकारियो की सेवा समाप्त किए जाने का ब्योरा क्या है,

(ख) हाल में की गई ऐसी प्रत्येक सेवा समाप्ति की विशिष्ट सूचना सहित तत्संबंधी कारण क्या हैं,

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के यूनिटों में प्रतिनियुक्त पर गए किसी भारतीय प्रशासनिक सेवा के या अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की सेवा भी ऐसे ही कारणों से समाप्त की गई है, और

(घ) ऐसी सेवा समाप्तियों का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) सरकारी उद्यमों में पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालकों तथा निदेशक मण्डलों में निदेशकों की सेवा समाप्ति का निर्णय शीर्षस्थ स्तर पर किया जाता है। इस प्रकार सेवा समाप्ति घटिया कार्य-निष्पादन, सत्यनिष्ठा में कमी आदि जैसे विभिन्न कारणों से की जाती है। पिछले छः महीनों में जिन व्यक्तियों की सेवाएं समाप्त की गई हैं, उनके नामों के बारे में जानकारी विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से एकत्र की जा रही है तथा उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

कपड़ा मजदूरों के हितों को प्रभावित न करते हुए कपड़ा मिलों को दिए गए प्रोत्साहन

4479. श्री नीरेन घोष : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौड़े अर्ज के करघों और आधुनिकतम उपकरणों को बिना शुल्क निर्यात करने के माध्यम से आधुनिकीकरण की गति में तेजी लाने हेतु कपड़ा मिलों को कुछ प्रोत्साहन दिए जाने की योजना में क्या सरकार छटनी न करने, गैर-जबरन छुट्टी न करने, तालाबन्दी न करने और बन्दी आदि के रूप में कपड़ा मजदूरों के हितों की सुरक्षा कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त योजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख परियोजना। मुक्त व्यापार जोन के अन्तर्गत स्थापित किए जा रहे एककों के लिए करघों अथवा आधुनिक मशीनरी के शुल्क मुक्त आयातों की अनुमति है। इस प्रकार के करघों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने के लिए अन्य कोई प्रस्ताव नहीं है। फिलहाल शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख परियोजना मुक्त व्यापार जोन के अन्तर्गत न जाने वाले एककों को केवल प्रतिस्थापन उद्देश्य के लिए जटिल करघों के आयातों की अनुमति दी जा रही है। इस प्रकार के आधुनिकीकरण की वजह से श्रमिकों के बेरोजगार होने के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं मिली है। तथापि, श्रमिक बल के सुव्यवस्थीकरण के बारे में श्रमिकों और मैनेजमेंट के बीच परस्पर वार्ता की जानी है।

कुष्ठ रोगियों द्वारा तीर्थ स्थानों में जमा रहना

4480. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को जानकारी है कि काफी संख्या में कुष्ठ रोगी तीर्थ स्थानों तथा अन्य पर्यटन के आकर्षण वाले स्थानों पर जमे रहते हैं जिसके कारण पर्यटकों को परेशानी होती है; और

(ख) सरकार किस प्रकार के सुधारात्मक उपाय अपनायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, समय-समय पर उनका ध्यान इस समस्या की ओर दिलाया जाता है।

गया जिले के अत्रि प्रखंड के पत्थर की मूर्तियां बनाने वाले शिल्पी

4481. **श्री कुंवर राम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिले के अत्रि प्रखंड में पत्थर की मूर्तियां बनाने वाले शिल्पियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कोई कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो हजारों वर्ष से इस कार्य में लगे परिवारों को राहत देने के लिए क्या कोई कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा)। (क) तथा (ख) : जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में निर्यातोन्मुखी उद्योग

4482. **श्री हरिहर सोरेन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उद्योग स्थापित करने को प्राथमिकता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में अब तक स्थापित किए गए इस प्रकार के उद्योगों की संख्या तथा नाम क्या हैं;

(ग) उनमें से कितने उद्योगों ने उत्पादन शुरू कर दिया है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) उड़ीसा में दो 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों ने उत्पादन शुरू कर दिया है। उनके ब्यौरे नीचे दिए जा रहे हैं :—

	नाम तथा एकक का स्थान		वार्षिक क्षमता (टन में)
1.	मैसर्स फैरो अलोय कारपोरेशन लि०; भादरक, बागासौर, उड़ीसा।	चार्ज क्रोम	50,000
2.	मैसर्स इण्डियन मैटल फैरो अलोय लि०, रायगोडा, जिला कोरापुट, उड़ीसा।	1. सिलिकोन मैटल	10,000
		अथवा	
		2. फैरो सिलिकोन	25,000
		अथवा	
		3. चार्ज क्रोम	45,000
		अथवा	
		4. प्रोडक्ट मिक्स जिसमें विभिन्न किस्मों का सिलिकोन मैटल, फैरो सिलिकोन तथा चार्ज क्रोम शामिल है।	45,000

पश्चिमी बंगाल में ग्रामीण एवं अनुसूचित बैंक

4483. **श्री अमरराय प्रधान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल राज्य में कितने ग्रामीण एवं अनुसूचित बैंक हैं; और

(ख) इन बैंकों में श्रेणीवार आंकड़ों सहित कितने कर्मचारी तथा अधिकारी कार्य रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) संभवतः, माननीय सदस्य पश्चिम बंगाल में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का उल्लेख कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो 30 जून, 1982 की स्थिति के मुताबिक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की पश्चिम बंगाल में 2465 शाखएं थीं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

	शाखाओं की संख्या
भारतीय स्टेट बैंक	447
भारतीय स्टेट बैंक के 7 सहयोगी बैंक	16
20 राष्ट्रीकृत बैंक	1487
पश्चिमी बंगाल में कार्यरत 8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	323
अन्य भारतीय अनुसूचित बैंक	145
विदेशी बैंक	47
जोड़ :	2465

(ख) पश्चिमी बंगाल में, 8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या इस प्रकार थी :

अधिकारी	583 (प्रायोजक बैंकों से प्रतिनियुक्ति अधिकारियों समेत)
लिपिक	630
अन्य	127

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अमेरिकन डालर तथा ब्रिटिश पौंड की तुलना में रुपये की पुनरीक्षा

4485. **श्री सत्य नारायण जटिया** :क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1972-73 से 1982-83 के वर्षों में अमेरिकन डालर तथा पौंड से भारतीय मुद्रा का कितनी बार कितना-कितना तुलनात्मक परिवर्तन हुआ ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : 1 अप्रैल, 1972 से 18 मार्च, 1983 तक की अवधि के दौरान पौंड स्टर्लिंग की तुलना में रुपए की दर में 261 बार परिवर्तन किया गया

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अमेरिकी डालर की खरीद की दर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में पौंड स्टर्लिंग और अमेरिकी डालर की तुलनात्मक दर और पौंड स्टर्लिंग के लिए भारतीय रिजर्व

बैंक की खरीद की दर के आधार पर हर रोज निर्धारित की जाती है। इस प्रकार से निर्धारित की गई दर की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शनिवार और रविवार को छोड़कर और उन दिनों को छोड़कर जिन दिनों रिजर्व बैंक के कार्यालय या न्यूयार्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक आफ न्यूयार्क का कार्यालय बन्द रहता हो, प्रतिदिन की जाती है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न विशेष कार्यक्रमों को समर्थन प्रदान करने हेतु संस्थानिक ऋण

4486. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा छठी योजना अवधि के दौरान बनाए गए तथा निर्धारित विभिन्न विशेष कार्यक्रमों को समर्थन देने हेतु कार्यक्रम-वार कितने संस्थागत ऋण की आवश्कता है;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कितना संस्थानिक ऋण उपलब्ध कराया गया तथा 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के विशेष कार्यक्रमों के लिए सहकारी तथा व्यापारिक बैंकों के माध्यम से कितना सावधिक ऋण जुटाया गया;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों से राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी तथा व्यापारिक बैंकों द्वारा इस समय कितना ब्याज वसूल किया जाता है; और

(घ) क्या बैंकों को ब्याज की विभिन्न दर योजना को ऋण उपलब्ध कराने तथा ब्याज दर कम दर के लिए सहकारी तथा अन्य संस्थाओं द्वारा भी अपनाया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) लाभ प्राप्तकर्त्ताओं के प्रति उन्मुख सहायता के कार्यक्रमों के लिए, जिनसे कि लाभ पाने वालों को निवेश सहायता अंशतः बजट स्रोतों से और अंशत बैंक ऋण से उपलब्ध करायी जाती है, निधियों का निर्धारण बजट स्रोतों के विषय में ही किया जाता है। यद्यपि किसी कार्यक्रम या योजना के लिए ऋण का कोई विनिर्धारण नहीं किया जाता, बैंकों से कहा गया है कि वे स्व-नियोजन के प्रयास आरम्भ करने में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लोगों सहित समाज के कमजोर वर्गों की सहायता की ओर अभिमुख सभी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पूरी ऋण सहायता प्रदान करें।

छठी योजना में कमजोर वर्गों के प्रति अभिमुख, प्रमुख ऋण-सहायता-प्राप्त विकास कार्यक्रम हैं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में व्यवस्था है कि अंशतः राज्य सहायता और अंशतः बैंक ऋण के माध्यम से वित्त घोषित पूंजीगत परि-सम्पत्तिओं/उत्पादक प्रयासों में निवेश द्वारा हर प्रखंड (ब्लाक) में प्रतिशत 600 लाभप्राप्त-कर्त्ता परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठने में मदद दी जाए। छठी योजना के दौरान इस कार्यक्रम पर कुल परिव्यय

1500 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों से आशा की की जाती है कि वे इन पांच वर्षों के दौरान 3000 करोड़ रुपये की सावधिक ऋण सहायता प्रदान करें। इस कार्यक्रम में यह शर्त रखी गयी है कि सहायता प्राप्त करने वाले परिवारों में से कम से कम 30 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हों। 1980-81, 1981-82 और 1982-83 (अंशत:) के दौरान, उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन विषय के आंकड़े विवरण में दिये गये हैं।

राज्य स्तर पर विभिन्न अधिकरणों द्वारा कार्यान्वयन किये जा रहे लाभ प्राप्त कर्ता उन्मुख कार्यक्रमों के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऋणकर्त्ताओं को उपलब्ध कराये गए ऋण के बारे में आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं। अलबत्ता, दिसम्बर, 1981 के अन्त की स्थिति के मुताबिक सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के 26 72 लाख ऋण खाते थे जिनमें 471 करोड़ रुपए बकाया थे।

(ग) और (घ) बैंकों द्वारा वसूल किए जाने वाले ब्याज की दरें सामान्यत: ऋण के प्रयोजन और मात्रा के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। मोटे तौर पर, विभेदी ब्याज दर योजना और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए छोटे आवास ऋणों के अलावा, जिनमें कि बैंकों द्वारा 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूल किया जाता है, बैंकों द्वारा छोटे ऋणकर्ताओं से वसूल किए जाने वाले ब्याज की दरें 10.25 प्रतिशत और 15 प्रतिशत के बीच रहती हैं।

सहकारी समतियों द्वारा वसूल किए जाने वाले ब्याज की दरें सामान्यत: 10.50 और 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष के बीच होती हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने परियोजक बैंकों की ओर से अथवा उनके द्वारा सामान्यत: पुनर्वित्त के लिए निर्दिष्ट सीमाओं तक, बहुत सीमित मात्रा में विभेदी ब्याज दर (डी० आर० आई०) योजना के अधीन ऋण प्रदान किया जाता है। सहकारी समितियां विभेदी ब्याज दर योजना का कार्यान्वयन नहीं कर रहीं हैं।

विवरण

एकीकृत ग्रामीण विकास योजना (आई० आर० डी० पी०) के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभान्वितों को दी गई सहायता

वर्ष	सहायता पाने वाले लाभान्वितों की सं० (लाख)	अ० ज०/अ० ज० जा० लाभान्वितों की संख्या (लाख)	जुटाए गए सावधिक ऋणों की राशि (करोड़ रुपये)
1980-81	27.83	6.63	236.63
1981-82	28.29	9.82	484.65
1982-83 (दिसम्बर, 1983 तक)	15.02	7.34	285.15

बैंकों द्वारा कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की अदायगी

4487. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) 1979-80, 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 में बैंकों द्वारा कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों की वर्षवार तथा बैंकवार समयोपरि भत्ते की कितनी राशि अदा की गई;

(ख) 1 अप्रैल, 1979, 1 अप्रैल, 1980, 1 अप्रैल, 1981, 1 अप्रैल, 1982 तथा 28 फरवरी, 1983 को बैंकों में विभिन्न श्रेणी के कितने कर्मचारी कार्य कर रहे थे; और

(ग) 1983-84 और 1984-85 के दौरान विभिन्न श्रेणियों के कितने कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1979, 1980, 1981 और 1982 के दौरान प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के बैंक द्वारा अपने कर्मकार कर्मचारियों को अदा की गई समयोपरि भत्ते की राशि संलग्न विवरण में दी गई है। अधिकारी कर्मचारी समयोपरि भत्ता प्राप्त करने के पात्र नहीं होते।

(ख) वर्ष 1979, 1980, 1981 और 1982 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या इस प्रकार थीं :—

	1979*	1980	1981	1982
अधिकारी	1,05,580	1,33,506	1,47,590	1,59,766
लिपिकीय स्टाफ	2,54,853	2,99,556	3,26,572	3,49,810
अधीनस्थ स्टाफ	1,12,146	1,21,796	1,28,431	1,36,548

*इन आंकड़ों में, 1980 में राष्ट्रीयकृत 6 बैंक शामिल हैं।

(ग) प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के बैंक में वर्ष 1983, 1984 और 1985 के दौरान विभिन्न श्रेणियों में नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या बहुत से कारकों पर निर्भर होगी जैसे कि नई शाखाएं खोलने के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले आवंटन, वर्ष के दौरान वास्तविक शाखा विस्तार, वर्तमान शाखाओं में कामकाज की मात्रा में वास्तविक वृद्धि और उसका निपटान, वर्तमान कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति और पदोन्नति आदि। इसलिए, यह बताना सम्भव नहीं होगा कि वर्ष 1983, 1984 और 1985 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में विभिन्न श्रेणियों में कितने कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। अलबत्ता, हाल ही में पिछले दिनों में बैंक, प्रतिवर्ष औसतन 3000 से 4000 अधिकारी और 40,000 से 50,000 लिपिक भर्ती करते रहे हैं।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में समयोपरि भत्ते की अदायगी

(लाख रुपये)

क्रम सं०	बैंक का नाम	1979	1880	1981	1982 (अनन्तिम)
	1	2	3	4	5
1.	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	793.24	1088.00	818.00	249.76
2.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	42.09	59.47	59.70	28.38
3.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	26.67	32.96	23.73	10.83
4.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	51.47	65.23	60.82	23.09
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	17.29	21.82	17.57	8.66
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	27.99	35.57	28.63	7.49
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	40.44	48.48	38.50	25.32
8.	स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	23.00	32.70	26.31	5.05
9.	सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	129.58	160.77	155.66	87.47
10.	बैंक आफ इण्डिया	223.41	335.30	257.81	81.41
11.	पंजाब नेशनल बैंक	107.84	135.41	121.79	70.20
12.	बैंक आफ बड़ौदा	203 85	299.46	210.90	76.96
13.	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	104.89	146.00	122.21	85.05
14.	केनरा बैंक	26.63	30.11	31.83	10.63
15.	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	108.21	152.39	155.36	75.40
16.	देना बैंक	80.34	105.15	70.44	0.86
17.	सिंडीकेट बैंक	21.22	37.73	60.77	24.66
18.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	69.86	110.16	81.33	20.64
19.	इलाहाबाद बैंक	53 80	64.66	58.65	42.76
20.	इण्डियन बैंक	50.26	72.53	80.31	37.26
21.	बैंक आफ महाराष्ट्र	43.63	89.29	83.05	49.56

1		2	3	4	5
22.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	85.38	122.31	110.42	42.16
23.	आन्ध्र बैंक	0.34	1.95	1.31	0.49
24.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	29.01	47.52	50.83	30.00
25.	न्यू बैंक आफ इण्डिया	26.00	60.77	41.77	23.60
26.	विजया बैंक	7.76	33.21	16.60	6.75
27.	कारपोरेशन बैंक	4.45	6.90	9.30	4.05
28.	ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स	29.00	35.00	40.90	20.55
	जोड़	2427.64	3430.65	2834.50	1149.04

विदेशी मुद्रा का संरक्षण

4488. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुर्लभ विदेशी मुद्रा का संरक्षण करने तथा आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन देने के लिए कोई नया कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) उस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) आयात प्रतिस्थापन और विदेशी मुद्रा के संरक्षण के सम्बन्ध में सरकार की नीति का ढांचा छठी आयोजना के प्रारूप में दिया गया है। तदनुसार, इस दिशा में सरकार ने बहुत से उपाय किए हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं :—

(क) तेल और प्राकृतिक गैस के लिए देश में अन्वेषण कार्य और उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास करना जिससे कि आयातित पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भरता में कमी की जा सके।

(ख) ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि इस्पात, सीमेंट, अलौह धातुओं, उर्वरक आदि के क्षेत्र में, देशीय क्षमता के बेहतर उपयोग तथा इन क्षेत्रों में क्षमताओं के विस्तार द्वारा उत्पादन में तत्काल वृद्धि करके प्रभावी रूप में आयात प्रतिस्थापन के लिए प्रयास करना।

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों के लिए मांग में वृद्धि को कम करने के उद्देश्य से आवश्यक उपाय करना; और

(घ) विदेशी मुद्रा विनियमों और विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के उपबन्धों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करना।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को दिया गया ऋण

4489. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह कहना कहां तक सच है कि पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण में से समाज के कमजोर वर्गों को दिए गए ऋण का प्रतिशत संतोषजनक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो दो वर्षों के दौरान कुल दिए गए ऋण में प्राथमिकका क्षेत्र को दिए गए ऋण के प्रतिशतता का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जदार्दन पुजारी) : (क) और (ख) प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिये गये सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋण दिसम्बर, 1980 के अंत के 7852 करोड़ रुपए से बढ़कर, दिसम्बर, 1981 के अन्त में 10,240 करोड़ रुपए हो गये । सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल ऋण में प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिए गए ऋण का अंश भी दिसम्बर, 1980 के 35.8 प्रतिशत से सुधर कर दिसम्बर, 1981 के अन्त में 38.4 प्रतिशत तक पहुंच गया ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक कार्यकारी दल की सिफारिश के आधार पर प्राथमिकता वाले क्षेत्र में "कमजोर वर्ग', की एक व्यापक अवधारणा, हाल ही में, विकसित की गयी है । जिसमें छोटे और सीमान्तिक किसान, भूमिहीन मजदूर, बटाईदार, काश्तगार, कारीगर, ग्राम तथा कुटीर उद्योग, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) के लाभ पाने वाले और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचिच जनजाति के लोग एवं विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन ऋण लेने वाले व्यक्ति शामिल हैं । यह व्यवस्था की गयी है कि मार्च, 1985 तक, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिये जाने वाले गुण का 25 प्रतिशत भाग, इस वर्ग को मिलने लगे । अतः अभी इस वर्ग को मिले ऋण के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि त्वरित अनुमानों के अनुसार छोटे और सीमान्तिक किसानों, कृषि से सम्बद्ध गतिविधियों के लिए 10,000 रुपए तक के ऋण लेने वालों, तथा 25,000 से अधिक का मिश्रित ऋण चाहने वाले कारीगरों, कुटीर उद्योगों और ग्रामीण उद्योगों के पास बकाया कुल ऋण दिसम्बर, 1982 के अन्त की स्थिति के मुताबिक 1784 करोड़ रुपए अर्थात् प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिए गए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल ऋण के 15.8 प्रतिशत के बराबर बैठते हैं ।

वायुसेना मुख्यालय में काम कर रहे सशस्त्र सेना मुख्यालय के कर्मचारी

4490. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वायुसेना मुख्यालय में काम करने वाले सशस्त्र सेना मुख्यालय के कर्मचारी अब भी रक्षा लेखा नियंत्रक (मुख्यालय) द्वारा शासित नहीं होते हैं और उनके सभी-लेखा नियंत्रक/वायुसेना लेखा कार्यालय (ए० एफ० सी० ए० ओ०) धौला कुआं में ही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) रक्षा लेखा नियंत्रक (मुख्यालय) के शीघ्र एकीकरण के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) थलसेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय और अन्तर सेवा संगठन में काम कर रहे सशस्त्र सेना मुख्यालय के सिविलियन कर्मचारियों के वेतन और भत्तों तथा फन्ड एकाउंट से संबंधित काम पहले ही नियंत्रक, रक्षा लेखा (मुख्यालय) को अन्तरित कर दिया गया है।

वायु सेना मुख्यालय में काम कर रहे सशस्त्र सेवा मुख्यालय के सिविलियन कर्मचारियों के वेतन और भत्तों तथा फन्ड एकाउंट से सम्बन्धित काम नियंत्रक, रक्षा लेखा (मुख्यालय) को अन्तरित करने पर विचार किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों को कच्चे पटसन की सप्लाई

4491. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मार्च से जून तक कमी के महीनों के दौरान कच्चे पटसन की सप्लाई के अभाव में पश्चिम बंगाल में कुछ पटसन मिलें बन्द हो सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी मिलों को कच्चे पटसन की सप्लाई सुनिश्चित करने और समृद्ध मिलों को कच्चे पटसन का गैर-आनुपातिक भाग प्राप्त करने से रोकने के लिए कोई कदम उठाए जाएंगे; और

(ग) कच्चे पटसन के कम भण्डार के कारण संकट का सामना कर रही मिलों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) मार्च से जून, 1983 के कमी वाले महीनों में देश में कच्चे पटसन की प्रत्याशित सीमित उपलब्धता तथा कीमतों और सप्लाई में स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से उसका मिल-वार न्यायोचित वितरण प्राप्त करने की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने पहले ही मार्च से जुलाई, 1983 तक माल के स्टाक में क्रमबद्ध कमी करने के लिए 28 फरवरी, 1983 को पटसन (लाइसेंसिंग तथा नियंत्रण) आदेश, 1961 के अन्तर्गत सम्बन्धित पटसन मिलों को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए हैं। आशा की जाती है कि इससे कमजोर मिलों को अपनी उत्पादन गतिविधियां चालू रखने में मदद मिलेगी।

आयकर अधिकारियों की नियुक्ति

4492. श्री आनन्द सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने श्रेणी-दो, श्रेणी-एक वरिष्ठ वेतनमान और श्रेणी-एक कनिष्ठ वेतनमान के पदों के लिए आयकर अधिकारियों के पदों को अलग-अलग वर्गीकृत किया हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकारियों की नियुक्तियां सख्ती से ऐसे वर्गीकरण के अनुसार की जाती हैं;

(ग) यदि नहीं, तो 31 दिसम्बर, 1982 की स्थिति के अनुसार ऐसे मामलों की प्रभारवार संख्या कितनी है जिनमें श्रेणी-एक कनिष्ठ वेतनमान और श्रेणी-एक वरिष्ठ वेतनमान के पदों पर क्रमश: कनिष्ठ वेतनमान श्रेणी-एक और वरिष्ठ वेतनमान श्रेणी-एक के अधिकारी नहीं थे और उसके कारण क्या हैं; और

(घ) भविष्य में वर्गीकरण का कड़ाई से पालन करने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) आयकर अधिकारियों के पदों के मोटे तौर पर वर्गीकरण के अनुसार समूह 'क' अधिकारियों को बड़े अधिकार क्षेत्रों में तैनात किया जाता है जब कि समूह 'ख' अधिकारियों को छोटे अधिकार क्षेत्रों में तैनात किया जाता है। इस नियम को सामान्यत: सभी आयकर आयुक्तों को अधिकार क्षेत्रों के वार्डों/परिमण्डलों में आयकर अधिकारियों की तैनाती करते समय भी अपनाया जाता है। केवल विशेष मामलों में और जनहित में ही इस नियम का पालन नहीं किया जा सकता है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा चालू की गई पालिसियों को सामान्य बीमा निगम द्वारा दिया गया संरक्षण (कवरेज)

4493. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा चालू की गई पालिसियों को सामान्य बीमा निगम द्वारा दिए गए संरक्षण (कवरेज) की जानकारी है;

(ख) क्या गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की गतिविधियों का प्रसार जीवन बीमा निगम का व्यवसाय कम कर रहा है और बैंकों तथा डाक बचत बैंकों से जमा धनराशियों को कम कर रहा है;

(ग) वैयक्तिक दुर्घटना योजना के अन्तर्गत संरक्षण (कवरेज) देकर सामान्य बीमा निगम, एक सरकारी संगठन द्वारा संरक्षण दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि हां, तो गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों और सामान्य बीमा निगम की गतिविधियों पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारत में साधारण बीमा कारबार के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह है कि बीमे के सन्देश को दूर-दूर तक पहुंचाया जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो उपाय किए गए हैं,

उनके एक अंग के रूप में बीमा उद्योग ने दो कम कीमत वाली पालिसियां, अर्थात् जनता व्यक्तिगत दुर्घटना पालिसी तथा ग्रामीण दुर्घटना पालिसी शुरू की है । जनता व्यक्तिगत दुर्घटना पालिसी के अन्तर्गत एक व्यक्ति को 12 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 15,000 रुपये की राशि का दुर्घटना बीमा कवच प्रदान किया जाता है । ग्रामीण दुर्घटना पालिसी के अन्तर्गत एक व्यक्ति को 5 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 6,000 रुपये की इसी तरह का बीमा कवच प्रदान किया जाता है । ये पालिसियां एक वर्ष की होती हैं और इनका हर साल नवीकरण कराना पड़ता है ।

2. इन पालिसियों के प्रीमियम की छोटी राशि को देखते हुए अलग-अलग व्यक्तियों से बीमा कारबार प्राप्त करना न केवल कठिन होता है बल्कि इसमें समय भी ज्यादा लगता है और खर्चा भी ज्यादा होता है । इसलिए बीमा उद्योग ने इन पालिसियों को व्यक्तियों के अलग-अलग सुनिश्चित समूहों को बेचने का प्रयास किया है ताकि बड़े पैमाने पर लोगों को बीमा कवच प्रदान किया जा सके । यह काम राज्य सरकारों तथा सहकारी बैंकों, सहकारी संस्थाओं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों आदि जैसी अन्य संस्थाओं के सहयोग से किया गया है ।

3. भारतीय जीवन बीमा निगम के विचार में कुछ कम्पनियों द्वारा कई बार लोगों को गलत विश्वास दिलाया जाता रहा है कि उन्हें पूरा जीवन बीमा कवच प्रदान किया जा रहा है न कि केवल दुर्घटना बीमा कवच और इससे भी निगम के बारबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता रहा ।

4. इस मामले पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया गया और सरकार ने लोक हित में यह निर्णय लिया है कि भारतीय साधारण बीमा निगम को चाहिए कि वह अपनी सहायक कम्पनियों से कहे कि वे उन कम्पनियों को सामूहिक दुर्घटना कवच प्रदान न करें जो प्रत्यक्षतः पुरस्कार चिट तथा धन परिचालन योजना (प्रतिबन्ध) अधिनियम 1978 की रिष्टि (मिसचीफ) के अन्तर्गत आती हों ।

बैंकिंग सेवा चयन बोर्डों द्वारा क्लर्क, टाइपिस्ट और आशलिपिकों के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं

4494. **श्री तारिक अनवर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि विभिन्न बैंकिंग सेवा चयन बोर्डों द्वारा क्लर्क, टाइपिस्ट और आशुलिपिक आदि पदों के लिए प्रयियोगी परीक्षाएं एक ही तारीख को रखी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप उम्मीदवार एक ही बोर्ड की परीक्षा में बैठ सकते हैं जबकी उन्होंने दो अथवा अधिक बोर्डों की परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरा होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इससे बेरोजगार उम्मीदवारों और उनके अभिभावकों में असन्तोष पैदा होता है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) तक 1982 में, केवल दो बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों ने एक ही तारीख को, लिपिकीय भर्ती के वास्ते प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की। किन्तु, इस तथ्य को देखते हुए कि लिपिकीय भर्ती के वास्ते, वर्ष में सामान्यत: दो बार आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में अर्थात, एक क्षेत्र के बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड और दूसरी भातीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में 18 से 26 वर्ष की आयु के बीच एक उम्मीदवार कितनी ही बार बैठने का पात्र होता है, असन्तोष का कोई वास्तविक कारण नहीं है।

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर में आफिसर जे० एम० प्रथा श्रेणी में आरक्षित न भरे गये पदों को भरा जाना

4495. **श्री बनवारी लाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर स्ड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड स्ड्यूल्ड ट्राइब्स वेलफेयर एशोसियेशन ने आफिसर जे० एम० (प्रथम) श्रेणी में आरक्षित न भरे गये पदों को भरने के लिये 9 फरवरी, 1983 को स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के प्रबन्ध निदेशक को पत्र भेजा है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार द्वारा 1979, 1980, 1981 और 1982 में पदोन्नति के संबंध में आरक्षण नियमों के क्रियान्वयन में हुई भूलों को सुधारने और आरक्षित पदों को भरने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैंकों द्वारा इन आदेशों का कहां तक क्रियान्वयन किया जा रहा है।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) आल इंडिया स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर शैड्यूल्ड कास्ट एण्ड शैड्यूल्ड ट्राइबस एम्पलाइज वैल्फेयर एसोसिएशन ने स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के प्रबन्ध निदेशक को 9-2-83 को एक पत्र भेजा है जिसमें मांग की गई है कि बैंकिंग प्रभाग द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसरण में बैंक पदोन्नति की पिछली बकाया को आगे ले जाएं और पिछली बकाया की भर्ती करने के वास्ते वह अनु० जा०/अनु० जनजाति के वास्ते एक विशेष परीक्षा आयोजित करे।

अनु० जाती/अनु० जनजाति के वास्ते पदोन्नति और पिछली बकाया को आगे ले जाने के संबंध में, सरकारी निति के बारे में बैंक को बतला दिया गया है। अलबत्ता बैंक ने सूचना दी है कि अनु० जाति/अनु० जनजाति कर्मचारी संघ ने, इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय में एक समादेश याचिका दायर कर दी है जो की अभी लंबित है और यह मामला न्यायाधीन हैं।

भारत से बाहर ले जा सकने वाले वैयक्तिक आभूषणों की सीमा

4496. **श्री कमल नाथ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय स्थायी निवासी द्वारा भारत से बाहर ले जा सकने वाले वैयतितक आभूषणों की सीमा को दुगुना कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (घ) जी, हां। यह निर्णय किया गया है कि भारतीय स्थायी निवासियों को 10,000 रुपये के मूल्य के पूर्णत: अथवा मुख्यत: सोने के बने हुए वैयक्तिक आभूषणों को जो सम्बद्ध व्यक्ति ने पहन रखे हों या जो उसके असबाब का हिस्सा हों भारत से बाहर ले जाने की अनुमति दी जाए; जबकि पहले यह मूल्य-सीमा 5000 रुपए थी। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति पूर्णत: या मुख्यत: सोने की बनी वस्तुओं से भिन्न 10,000 रुपए के मूल्य के जवाहरात या आभूषण भारत से बाहर ले जा सकता है जबकि पहले यह सीमा 5000 रुपए थी। लेकिन यह अनुमति अफगानिस्तान, ईरान और मध्यपूर्व में खाड़ी के देशों को जाने वाले यात्रियों पर लागू नहीं होगी जो पहले की भांति अब भी 2000 रुपए तक के मूल्य की ही ऐसी वस्तुएं बाहर ले जा सकते हैं। सोने/अन्भूषणों को बाहर ले जाने की उपर्युक्त व्यवस्था इस शर्त पर आधारित है कि यात्री अन्ततोगत्वा भारत लौटते समय उन्हें फिर वापस ले आएगा।

रक्षा लेखा विभाग में विभागीय पदोन्नति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को अर्हक स्तर में छूट

4497. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागीय पदोन्नति/स्थायीकरण परीक्षा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को अर्हक स्तर में छूट देने वाले कार्मिक विभाग के 23 दिसम्बर 1970 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 8/12/69-ई० सी० टी० (एस० सी० टी०) को रक्षा लेखा विभाग के सम्बद्ध कर्मचारियों में परिचालित किया गया;

(ख) यदि हां, तो कार्यालय आदेश की संख्या और तारीख क्या है और क्या उनके हस्ताक्षर ले लिए गये थे;

(ग) यदि परिचालित नहीं किया गया तो उसके कारण क्या हैं और क्या सरकार का उसे अब परिचालित करने का विचार है;

(घ) क्या उक्त आदेश को परिचालित करने से इन परीक्षाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या बढ़ सकती थी;

(ङ) यदि हां, तो किस सीमा तक;

(च) क्या उसे परिचालित न करने में कोई विभागीय स्तर की सदाशयता की संभावना थी और यदि हां, तो कौन से उपचारात्मक उपाय किये गये हैं; और

(छ) क्या सरकार का विचार उक्त विभाग के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों

के कर्मचारियों को इसके बाद आरक्षण सम्बन्धी सभी आदेशों का परिचालन सुनिश्चित करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ग) इस पत्र को आवश्यक कार्यवाही हेतु फरवरी, 1971 में सभी रक्षा लेखा नियंत्रकों को भेज दिया गया था। सरकार द्वारा भी इस पत्र को "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण" नामक विवरणिका में प्रकाशित किया गया है, जो एक बिक्री प्रकाशन है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

(छ) वर्तमान प्रक्रिया के अन्तर्गत ऐसे सभी आदेश, जो वर्गीकृत नहीं होते, कार्यालय आदेशों/परिपत्रों आदि के माध्यम से पुनः जारी किये जाते हैं और सभी कर्मचारी उन्हें प्राप्त कर सकते हैं।

जिला सहकारी और नगर सहकारी बैंकों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से पुनर्वित्त सुविधा की उपलब्धता

4498. **श्री सुभाष यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पुनर्वित सुविधा जिला सहकारी और नगर सहकारी बैंकों को उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या कुछ समय पूर्व जिला सहकारी और नगर सहकारी बैंकों को देश में पात्र संस्थानों के रूप में मान्यता देने के लिए अभ्यावेदन दिये गए थे; और

(ग) जिला सहकारी और नगर सहकारी बैंकों की इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जिला सहकारी बैंकों और नगर सहकारी बैंकों को आई० डी० बी० आई० द्वारा पुनर्वित्त प्रदान किये जाने के प्रश्न पर, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास संसाधनों की उपलब्धता और ऐसे सहकारी बकों द्वारा संभावित मांग के संदर्भ में विचार किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मत जानने के वास्ते, सरकार इस मामले को बैंक के साथ उठा चुकी है।

रुपए के मूल्य का स्थिरीकरण

4499. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1960 को आधार वर्ष मानते हुए क्रय शक्ति के मामले में रुपए का वर्तमान मूल्य क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार रुपए का अवमूल्यन करने का है और यदि नहीं, तो ऐसा किस स्थिति में किए जाने का विचार है; और

(ग) रुपए के मूल्य के स्थिर करने के लिए कौन से विशेष कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मूखर्जी) : (क) रुपए की देश में क्रय शक्ति, जैसा कि वह 1960 को आधार वर्ष मानते हुए अखिल भारतीय श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक के व्युत्क्रम के रूप में मापी गई है, जनवरी, 1983 के लिए (जो अद्यतन उपलब्ध है) 20.20 पैसे बनती है।

(ख) रुपए का अवमूल्यन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 25 सितम्बर, 1975 से रुपए का बाह्य मुल्य मुख्यत: उन देशों की, जो भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार हैं, मुद्राओं की उपयुक्त रूप में भारित डालिया की विनिमय दर में प्रतिदिन होने वाली घटबढ़ के सन्दर्भ में निश्चित किया जाता है। रुपए और अन्य मुद्राओं के बीच विनिमय दरें, लन्दन बाजार में डलिया में शामिल करेंसियों के मूल्यों में होने वाली घटबढ़ के अनुसार बढ़ती घटती रहती है।

(ग) सरकार मुद्रास्फीति नियंत्रण को उच्च प्राथमिकता देती है। मूल्यों को उचित नियंत्रण में रखने के लिए सरकार द्वारा गई उपाय किए गए हैं। ब्यौरे 1982-83 की आर्थिक समीक्षा और बजट पत्रों में दिए गए हैं। मूल्य स्थिति पर कड़ी नजर रखी जाती है जिससे कि उभरने वाली प्रवृत्तियों के संदर्भ में उपचारात्मक उपाय किए जा सकें।

हथकरघा बुनाई एककों का बन्द होना

4500. **श्री एस० ए० दोराई सेवस्तियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में मदुरे और करूर में अनेक हथकरघा बुनाई एककों के बन्द होने के कारण हथकरघा वस्तुओं के निर्यात पर प्रभाव पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप हजारों कामकार बेरोजगार हो गए हैं क्योंकि सितम्बर-दिसम्बर 1982 में धागे के मूल्यों में 30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत वृद्धि के कारण वे काम नहीं कर सकते हैं; और

(ख) धागे के मूल्यों में इस वृद्धि के कारण और हथकरघा बुनाई के बन्द न होने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) मदुरै तथा करूर में हथकरघा बुनाई एककों के बन्द हो जाने के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है जिससे हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए हैं। तथापि, सितम्बर-दिसम्बर, 1982 के बीच यार्न की कीमतों में 13 प्रतिशत और 35 प्रतिशत के बीच वृद्धि होने के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिससे उत्पादन में हानि हुई। कम काउंटो की अपेक्षा उत्तम काउंटों वाले यार्न की कीमतों में अधिक वृद्धि हुई थी। अब कीमतों में गिरावट आनी शुरू हो गई है और दिसम्बर, 1982 के कीमत स्तर की अपेक्षा

6 प्रतिशत से 14 प्रतिशत तक कम हैं। सितम्बर और दिसम्बर, 1982 तथा मार्च, 83 में प्रचलित कीमतें दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) यार्न की कीमतों में वृद्धि द्वारा उत्पन्न स्थिति को पूरा करने के उद्देश्य से और यह सुनिश्चित करने हेतु कि हथकरघा के उत्पादन को हानि न हो, तमिलनाडु सरकार ने आल इण्डिया फेडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स, बम्बई और साउथ इण्डिया मिल्स एसोसिएशन, कोयम्बतूर के परामर्श से राज्य शीर्ष हथकरघा बुनकर सहकारिता विपणन सोसाइटी (कोआपटैक्स) द्वारा संचालित डिपुओं के माध्यम से तमिलनाडु में वास्तविक प्रयोक्ताओं को क्रमशः यार्न की 3 000 तथा 2,500 गांठें वितरण करने के लिए प्रबन्ध किए हैं। इसके अतिरिक्त हथकरघा तथा वस्त्र निदेशक, तमिलनाडु ने राज्य में सहकारी कताई मिलों के लिए कताई योजना संशोधित की है ताकि कोर्स काउंट के यार्न की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित हो सके जिसकी हथकरघा क्षेत्र को काफी आवश्यकता है।

विवरण

हैंक में सूती यार्न की बाजार कीमतें (धुनी हुई)

(4.54 रु० प्रति कि० ग्रा०)

काउंट	सितम्बर, 82	दिसम्बर, 82	मार्च, 83	प्र०श० घटबढ़ (+) या (—)	
				दिसम्बर, 82 — सितम्बर, 82	मार्च, 83 — दिसम्बर, 82
10 एस	76.50	87.00	74.50	13.7 (—)	14.3
20 एस	93.00	106.00	91.50	14.0 (—)	13.7
30 एस	110.75	125.00	117.00	12.9 (—)	6.4
40 एस	123.50	143.50	133.50	16.2 (—)	7.0
60 एस	145.50	192.50	178.50	32.3 (—)	7.3
80 एस	173.50	235.00	201.50	35.4 (—)	14.3
100 एस	230.00	293.00	272.50	24.7 (—)	7.0

चाय उद्योग के सम्बन्ध में योजना

4501. **श्री हरीश रावत :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड ने देश के विभिन्न राज्यों में चाय उद्योग के विभिन्न पहलुओं जैसे

बागान विकास पुराने कारखानों का आधुनिकीकरण और नए कारखाने लगाने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का पूरा ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत चाय उद्योग के संवर्धन के लिए कुछ धनराशि उत्तर प्रदेश में खर्च की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में चाय उद्योग संवर्धन हेतु किन स्थानों का चयन किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) चाय एस्टेटों बागानों के विकास सम्बन्धी कार्यों में शामिल है : नये क्षेत्रों में विस्तार रोपण, पुराने तथा अलाभकर चाय क्षेत्रों का प्रतिस्थापन तथा पुनरुद्धार, चाय प्रोसेसिंग मशीनरी का प्रतिस्थापना नवीकरण, फैक्टरी क्षमता में वृद्धि करना, सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था आदि। किसी भी एक योजना में इन सभी पहलुओं की व्यवस्था नहीं है, परन्तु चाय बोर्ड अनेक विकासात्मक योजनाएं चलाता है। इनमें शामिल हैं : चाय रोपण वित्त योजना, चाय पुनर्रोपण उपदान योजना, चाय मशीनरी तथा सिंचाई उपस्कर किराया खरीद योजना, लघु उपजकर्ता योजना और गैर-परम्परागत क्षेत्रों के लिए नई चाय एकक वित्त व्यवस्था योजना। हाल में सरकार ने दार्जिलिंग ब्याज उपदान योजना के कार्यन्वयन की भी स्वीकृति दे दी है। वर्ष 1982-83 के लिए चाय बोर्ड ने उक्त योजना के कार्यान्वयन पर 612 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था की है।

(ग) तथा (घ) चाय बोर्ड ने मूल्यांकन प्रयोग करने के लिए 1973-74 में बियारीनाग एस्टेट में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया था लेकिन वहां के स्थानीय बागान मालिकों ने अधिक रुचि नहीं दिखाई और आगे किये जाने वाले प्रयोगों को छोड़ दिया गया। बाद में चाय बोर्ड का कार्यालय बन्द कर दिया गया। तथापि, चाय बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार से सम्पर्क बनाये हुए है और राज्य में चाय की खेती के विस्तार के प्रश्न पर विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श किया गया है। चाय बोर्ड और सी० एस० आई० आर० उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सरकारों के सहयोग से पहाड़ी क्षेत्र चाय गवेषणा केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी विचार-विमर्श कर रहे हैं।

अकबरपुर और टांडा (उत्तर प्रदेश) के बुनकरों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गए ऋणों की अदायगी

4502. **श्री राम अवध** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अकबरपुर और टांडा (उत्तर प्रदेश) के सैकड़ों बुनकरों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से छोटे-छोटे ऋण लिए थे जो सूद आदि मिलाकर अब एक बड़ी रकम बन गए हैं और गरीब बुनकर उसे चुकाने में असमर्थ हैं और यह रकम दिनों दिन बढ़ती जा रही है; और

(ख) यदि हां तो क्या सरकार इस संबन्ध में किसी प्रकार की राहत देने पर विचार कर रही है ताकि बुनकर मूलधन का किश्तों में भुगतान कर सकें ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बैंक, बुनकर व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों समेत अपने ग्राहकों को ऋण देते हैं और उन पर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसरण में ब्याज की दर वसूल करते है। ऋण कर्ताओं में ऋण अनुशासन सुनिश्चित करने और अपने देयों की वसूली के वास्ते बैंकों को उपाय करने होते हैं। वे सहायता प्राप्त एकक की फालतू निर्माण क्षमता और लाभ-हानि बर बर होने की स्थिति आदि को में ध्यान रखते हुए वापसी कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। इसके अलावा, यदि कोई एकक देवी विपत्तियों अथवा बिजली कटौती, मंदी अथवा अन्य उचित कारणों से अदायगी करने में असमर्थ होता है तो नियत वापसी अनुसूची की समीक्षा की जा सकती है और जहां आवश्यक हो उसका पुनर्निर्धारण किया जा सकता है। जब कोई एकक फालतू निर्माण शुरू देता है तो, बैंक अवकाश अवधि के ऋणों पर व्युत्पन्न ब्याज को, (चक्रवृद्धि ब्याज पर जोर दिए बिना) आसान शर्तों पर वसूली करते हैं। बैंकों को सलाह दी गई हैं कि वे ग्राम तथा कुटीर उद्योगों और अति लघु क्षेत्र (टाइनी) में लघु उद्योगों की आवधिक आवश्कताओं अथवा कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के वास्ते दिए गए ऋणों और अग्रिमों के सम्बन्ध में दंडात्मक ब्याज वसूल न करें। अलबत्ता, बैंकों के संसाधनों में मुख्यत: जनता से जुटाई गई जमा राशियां होती हैं जिनकी वापसी अदायगी ब्याज के साथ करनी होती है। इसलिए, जब बैंक प्रत्येक अलग-अलग मामले के गुणावगुण के आधार पर किस्तों का पुनर्निर्धारण कर सकते हैं और करते हैं तो वे मूलधन अथवा ब्याज को माफ करने की स्थिति में नहीं होते।

बम्बई से रत्नगिरि और नागपुर से चन्द्रपुर के लिए तीसरे स्तर की वायु-सेवा

4503. श्री ए० टी० पाटिल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रत्नगिरि क्षेत्र और चन्द्रपुर क्षेत्र में (i) पर्यटन और (ii) उद्योगों के विकास की संभावनाओं की जानकारी है जिसके लिए इन केन्द्रों तक वायु-सेवा की आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार को (i) बम्बई से रत्नगिरि और (ii) नागपुर को चन्द्रपुर से जोड़ने वाली तीसरे स्तर की वायु-सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस प्रस्ताव पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और उसके कारण क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) निधियों की कमी के कारण फिलहाल रत्नगिरि और चन्द्रपुर के लिए वायु दूत सेवाओं का विस्तार करना संभव नहीं है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के अन्तर्गत घाटे में चल रहे होटल

4504. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :**

श्री बापू साहिब परुलेकर :

श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन और विकास निगम के अन्तर्गत चल रहे होटलों को घाटा होना शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उन होटलों के नाम क्या हैं जिनको गत वर्ष हानि उठानी पड़ी और प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि की हानि हुई;

(ग) क्या यह सच है कि इन होटलों में उच्च पद वाले व्यक्ति व्यावसायिक दृष्टि से सक्षम नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों को इन उच्च पदों पर नियुक्त करने के क्या-क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) आई० टी० डी० सी० के 21 होटलों का कुल लाभ, 1980-81 के 161.26 लाख रुपये से बढ़कर 1981-82 में 235.82 लाख रुपये हो गया । यह गत वर्ष के मुकाबले 46.17% की वृद्धि का द्योतक है ।

(ख) निम्नलिखित 12 होटल 1981-82 के दौरान घाटे में रहे :—

	होटल का नाम	शुद्ध घाटा
		(लाख रुपये)
1.	होटल जम्मू अशोक	5.65
2.	होटल ओरंगाबाद अशोक	11.80
3.	होटल खजुराहो अशोक	3.53
4.	कोवलम अशोक बीच रिसार्ट	18.49
5.	टेम्पल बे अशोक बीच रिसार्ट, महाबलीपुरम	2.80
6.	होटल वाराणसी अशोक	2.97
7.	ललित महल पैलेस होटल, मैसूर	5.95
8.	होटल एयरपोर्ट अशोक, कलकत्ता	7.61
9.	होटल पाटलीपुत्र अशोक, पटना	7.49
10.	होटल जयपुर अशोक	7.11
11.	होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर	1.25
12.	होटल मदुरै अशोक	10.20

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

रूस और पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार

4505. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस और पूर्वी यूरोप के देशों के साथ रुपये के मूल्य में व्यापार को जारी रखने के मुख्य कारण/लाभ क्या हैं;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन देशों को काफी और इलैक्ट्रोनिक सामग्री का कितना निर्यात हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) सोवियत संघ तथा अन्य पूर्व यूरोपीय देशों के साथ द्विपक्षीय रुपया क्लीयरिंग प्रबन्धों ने मुक्त विदेशी मुद्रा का आश्रय लिए बिना और दोनों परम्परागत तथा अपरम्परागत उत्पादों के हमारे निर्यातों के लिए सुनिश्चित बाजार प्राप्त करने तथा आवश्यक कच्चा माल तथा औद्योगिक माल (अर्थात् तेल तथा पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, मशीनरी, अखबारी कागज, रोल्ड स्टील उत्पाद, अलौह धातुएं आदि) प्राप्त करने में भारत की सहायता की है ।

(ग) इन देशों को 1980-81 के दौरान काफी तथा इलैक्ट्रानिक माल के निर्यात क्रमश: 99.89 करोड़ रु० तथा 3.95 करोड़ रु० के हुए ।

स्कूटर निर्माता कम्पनियों द्वारा जारी ऋण पत्रों पर स्कूटरों का प्रस्तावित वितरण

4506. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भारत में स्कूटर बनाने वाली कम्पनियां अपने ऋण पत्रों की खरीद पर स्कूटर वितरण हेतु अग्रिम धनराशि एकत्रित करती रही हैं—ये सभी लिमिटेड (प्राइवेट) कम्पनियां हैं;

(ख) क्या सरकार ने उनको ऋण पत्र जारी करने और स्कूटर उत्पादन क्षमता के बारे में दिए विज्ञापन के अनुपात से इतर जमाराशि एकत्र करने और ऋण पत्रों की बिक्री करने की अनुमति दी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के इन कार्यों की जांच की है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) पूंजी निर्गम नियन्त्रक ने, मार्गनिर्देशों में निर्धारित सभी शर्तों के पूरा होने के बाद, मैसर्स लोहिया मशीन्स लिमिटेड को, दो-दो सौ रुपये नकद के 2,82,500 प्रतिभूत परिवर्तनीय

ऋण पत्र, सम-मूल्य पर जारी करने की अनुमति दी है । जमा के रूप में रकमों के संग्रह के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है ।

(ग) चूंकि कम्पनी ने ऋण पत्र जारी करने के लिए, पूंजी निर्गम (नियन्त्रण) अधिनियम के अन्तर्गत दी गई अनुमति की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए कम्पनी की गतिविधियों की जांच करने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन के सर्वेक्षकों को शुल्क के भुगतान में विलम्ब

4507. **श्री बीन बन्धु वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनरल इंसश्योरेंस कारपोरेशन द्वारा सर्वेक्षकों के शुल्क के भुगतान में विलम्ब किया जाता है जिससे बड़ी कठिनाइयां होती हैं;

(ख) कितने सर्वेक्षकों के बिल वर्ष 1980, 1981 और 1982 में लंबित पड़े थे; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं और जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन के कार्यकरण को सुचारु बनाने के लिए क्या प्रस्ताव हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ग) भारतीय साधारण बीमा निगम की सहायक कंपनियों द्वारा सर्वेक्षकों के शुल्क का भुगतान यथा शीघ्र कर दिया जाता है । यदि कभी विलम्ब के मामलों को निगम के ध्यान में लाया जाता है तो उन पर तत्काल कार्यवाई की जाती है ।

(ख) इस संबंध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

राज्यों में परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण का उपयोग

4508. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1981-82 और 1982-83 के दौरान राज्यों में किन्हीं परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण का प्रयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और परियोजना की लागत अनुमानतः क्या है तथा प्रत्येक परियोजना के किस तारीख तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या राज्यों में किन्हीं अन्य परियोजनाओं को भी 1983-84 से आगे इस ऋण में से आबंटन दिया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विस्तारित व्यवस्था मध्यमावधिक संरचनात्मक समायोजन को समर्थन प्रदान करने के लिए है और यह परियोजना से सम्बद्ध ऋण नहीं है ।

कोंकण और उड़ीसा के समुद्रतटों का विकास

4509. **श्री डा० कृपा सिंधु भोई :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण के अछूत समुद्र तटों का विकास करने और इस क्षेत्र में पर्यटक सुविधाओं का संवर्धन करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) पर्यटन के संवर्द्धन हेतु अन्य राज्यों, खास तौर पर उड़ीसा द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(घ) देश में पर्यटन का संवर्द्धन करने और पर्यटकों को एक राज्य से दूसरे राज्य के प्रति आकर्षित करने और देश में पर्यटन के विकास का समन्वय करने के लिए राज्य सरकारों की केन्द्र द्वारा क्या सहायता की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्य सरकारों द्वारा भिजवाए गए प्रस्तावों पर विचार करने के बाद पर्यटक सुविधाओं का विकास करने के लिए उनकी मदद करता है । महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण के समुद्र-तटों के विकास के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं भिजवाया है । यदि ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उस पर उसकी व्यवहार्यता, धन राशि की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए विचार किया जाएगा ।

(ग) और (घ) स्वदेशी और अंतराष्ट्रीय दोनों प्रकार के पर्यटकों के लिए पर्यटक केन्द्रों के विकास की एक विस्तृत स्कीम तैयार की एई है । यह स्कीम राज्य सरकारों से परामर्श करके यात्रा परिपथ संकल्पना, जिसमें 441 केन्द्रों को कवर करते हुए 61 यात्रा परिपथों के एकीकृत विकास की परिकल्पना की गई है, के आधार पर तैयार की गई है ।

केन्द्रीय पर्यटन विभाग वित्तीय अपेक्षाओं की पूर्ण अथवा आंशिक रूप से पूर्ति करके राज्य सरकारों की स्कीमों को क्रियान्वित करने में सहायता करता है । केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने

पर्यटन का संवर्धन करने के लिए राज्य सरकारों से सम्पर्क स्थापित करने के वास्ते राज्यों की राजधानियों में कुछ कार्यालय खोले हैं। विभाग बेहतर समन्वय और देश भर में पर्यटन के विकास के लिए देश के चारों और क्षेत्रों और पर्यटक महत्व के केन्द्रों पर पर्यटक साहित्य का प्रकाशन भी करता है।

केन्द्रीय पर्यटन विभाग और राज्यों के पर्यटन विभागों के बीच समन्वय केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच आवधिक बैठकों के माध्यम से और साथ ही राज्य पर्यटन मंत्रियों की केन्द्रीय पर्यटन और नागर विमानन मंत्री के साथ क्षेत्रीय बैठकों के माध्यम से स्थापित किया जाता है।

छटी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में निम्नलिखित स्कीमें शुरू की गई हैं/शुरू करने का प्रस्ताव है :—

1. केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने भुवनेश्वर में एक भारत सरकार पर्यटक कार्यालय खोला है।

2. सिमलीपाल में 50,00 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक वनगृह का निर्माण

3. निर्माण और आवास मंत्रालय के नगर व ग्राम आयोजन संगठन के माध्यम से 4,00 लाख रु० की कुल लागत पर तलितगिरी—रत्नगिरी और उद्गिरी की मास्टर प्लान तैयार करना।

4. भारतीय यात्री आवास विकास समिति के माध्यम से पुरी में एक धर्मशाला का निर्माण।

5. नगर व ग्राम आयोजन संगठन के माध्यम से कोणार्क के विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार कराई गई है और अनुमोदन तथा अनुसूचना के लिए राज्य सरकार को भेजी गई।

6. चिल्का झील में जल-क्रीड़ाएं प्रारम्भ करना।

7. 25 लाख रु० की अनुमानित लागत पर नन्दन कानन में लायन सफारी पार्क का विकास।

भारत पर्यटन विकास निगम

1. 102 लाख रु० की अनुमानित लागत पर भुवनेश्वर में होटल कलिंग (अशोक) का विस्तार

2. उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के सहयोग से 134 लाख रु० की ननुमानित लागत पर पुरी में 3-स्टार होटल के निर्माण के लिए संयुक्त उद्यम परियोजना।

राज्यों और संघ क्षेत्रों से करों की वसूली

4510. **श्री चित्त बसु :**

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में राज्यों और संघ क्षेत्रों से कितना आयकर, नियम निगम कर, सम्पत्ति कर एकत्र किया गया और गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य को विभाज्य पूल से कितना आवंटन किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : वित्तीय वर्ष 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान आयकर और निगम कर की वसूली से संबंधित सूचना अनुबन्ध-I में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6218/83]

धनकर वसूली के सम्बन्ध में सूचना, आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्र बार उपलब्ध है तथा अनुबन्ध-II दी गई हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6218/83]

वित्तीय वर्ष 1979-80, 1980-81 तथा 198'-82 के दौरान, विभाग पूल से आयकर के राज्य-वार आबंटन सम्बन्धी सूचना अनुबन्ध-III में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6218/83]

धन-कर के आबंटन से सम्बन्धित इसी प्रकार की सूचना अनुबंध-IV में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6218/83]

चीनी के निर्यात का लक्ष्य

4511. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1982 के दौरान 120 करोड़ रुपए के मूल्य की चीनी के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें से कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया और यदि लक्ष्य पूरा नहीं किया गया, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस समय राज्य व्यापार निगम को निर्यात के लिये कुछ अच्छी पेशकश प्राप्त हुई है किन्तु उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है क्योंकि सरकार को अभी वर्ष 1983 के लिये लक्ष्य निश्चित करना है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब लिए जाने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगटन ने, जिसका भारत एक सदस्य है, 1982 में 6.5 लाख मे० टन का निर्यात कोटा आवंटित किया था जिसमें से एस० टी० सी० ने जनवरी, 1983 के स्पिल ओवम सहित

5.10 लाख मे० टन का निर्यात किया । कमी का कारण अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में तीव्र गिरावट आना था ।

(ग) तथा (घ) 1983 में निर्यात की पद्धतियों के बारे में तय किया जा रहा है ।

विश्व के निर्यात में भारत का हिस्सा

4512. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य का अध्ययन किया है कि जहां दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर और हांगकांग ने 1960 से 1981 तक की अवधि के दौरान निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई हैं वहां उसी अवधि के दौरान विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा 1 प्रतिशत से घटकर 0.4 प्रतिशत रह गया है; और

(ख) यदि हां, तो विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राम दुलारी सिन्हा) : (क) पिछले दो दशकों में दक्षिण कोरिया, ताईवान, सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों के उल्लेखनीय वृद्धि मुख्यतः इस कारण हुई कि इन सभी देशों में बहुत छोटा घरेलू बाजार है और उनकी अर्थव्यवस्था अधिकांशतः निर्यातोन्मुख है । इसके अलावा, आधुनिकीकरण और तकनीकी जानकारी तथा प्रतिक्रय व्यवस्थाओं से इन देशों में विनिर्माण क्षेत्र में काफी विदेशी निवेश आया है । जबकि, विश्व निर्यातों में भारत के भाग में गिरावट के लिए कई बातें उत्तरदायी बताई जा सकती हैं जैसे पी० ओ० एल०, औद्योगिक कच्चे माल, पूंजीगति माल आदि की कीमतों की तुलना में भारत के लिए निर्यात हित की मदों की विश्व कीमतों में अपेक्षतया कम वृद्धि, औद्योगिक देशों द्वारा अपनाई गई प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धतियों तथा संरक्षणवादी उपाय । इसके अलावा, भारत के पास एक बहुत बड़ा बाजार है जिसमें प्रचुर घरेलू मांग है जिससे निर्यात के लिए सप्लाई में कमी आ जाती है ।

(ख) भारत के निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा पहले ही अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें शामिल हैं निर्यात उत्पादन पर लाइसेंसिंग नियंत्रणों का हटाया जाना शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों की स्थापना, एग्जिम बैंक की स्थापना, औद्योगिक अन्तर्निविष्ट साधनों की अधिक सुलभ प्राप्ति, प्रौद्योगिकी का आयात और निर्यात पर कतिपय राजकोषीय रियायतों का दिया जाना ।

अनुसूचित कमर्शियल बैंकों की थोक व्यापार में बकाया धनराशि

4513. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री बिहार में कमर्शियल बैंक की शाखाओं द्वारा एककों को दिए गये ऋण के बारे में 25 फरवरी, 1983 के अतरांकित प्रश्न संख्या 936 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित कमर्शियल बैंक शाखओं द्वारा सितम्बर, 1981 की अपेक्षा सितम्बर,

1982 में खाद्यान्नों और चीनी के लिए थोक व्यापार में भारी धनराशि बकाया होने के क्या विशिष्ट कारण हैं और इनके प्रभाव क्या हैं; और

(ख) क्या खाद्यान्नों, चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुओं में थोक व्यापार को बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को पूरी तरह बन्द करने का विचार है ताकि व्यापार का यदि राष्ट्रीकरण संभव न हो तो उसे पूंजी निवेश के लिए खुला छोड़ दिया जाये और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सितम्बर 1981 तथा 1982 के अन्त की स्थिति के अनुसार मिलों/फैक्टरियों और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं एवं अन्यों के बीच खाद्यान्नों तथा चीनी (खण्डसारी सहित) के वास्ते बकाया अग्रिमों का संख्यात्मक विवरण नीचे लिखे अनुसार है :—

(करोड़ रुपये)

निम्नलिखित के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया राशि

मिलों/फैक्टरियों तथा औद्योगिक उपयोगकर्ता			अन्य		जोड़	
	सितम्बर 1981	सितम्बर 1982	सितम्बर 1981	सितम्बर 1982	सितम्बर 1981	सितम्बर 1982
1. खाद्यान्न	53.9	81.6	68.5	72.0	122.4	153.6
2. चीनी (खंडसारी सहित)	118.0	379.0	3.7	4.8	121.7	383.8

इस प्रकार, खाद्यान्नों तथा चीनी, दोनों के वास्ते अग्रिमों की अधिकांश बकाया राशि, मिलों/फैक्टरियों तथा औद्योगिक उपयोगकर्ताओं की ओर बकाया है। इसके अतिरिक्त, सितम्बर, 1981 की तुलना में सितम्बर, 1982 के अन्त की स्थिति के मुताबिक बकाया राशियों में वृद्धि मुख्य रूप से मिलों/फैक्टरियों तथा औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के अग्रिमों के सम्बन्ध में है और अन्य, अर्थात व्यापार के क्षेत्र में दिये गए अग्रिमों के सम्बन्ध में केवल मामूली वृद्धि हुई है। चीनी तथा खाद्यान्नों के सम्बन्ध में सितम्बर, 1981 तथा सितम्बर, 1982 के बीच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों में वृद्धि के कारण निम्नलिखित हैं :—

(I) चीनी के मामले में, यह वृद्धि 1981-82 में उत्पादन में भारी वृद्धि के कारण हुई है। लगभग समस्त वृद्धि मिलों/फैक्टरियों को ऋणों की वृद्धि की वजह से हुई है।

(II) खाद्यान्नों के मामले में, वृद्धि के लिए आंशिक रूप से उत्पादन में वृद्धि को और आंशिक रूप से मूल्यों में वृद्धि को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। मुख्य रूप से वृद्धि मिलों के लिए हुई।

(ख) जी, नहीं।

आयश्यक वस्तुओं के भण्डारों के लिए थोक व्यापार के वास्ते अग्रिमों पर रोक लगाना संभव नहीं होगा क्योंकि इस प्रकार के कदम से माल के विपणन में बाधा उपस्थिति हो जाएगी। अलबत्ता आवश्यक वस्तुओं के लिए ऋणों को, चयनात्मक (सिलेकटिव) ऋण नियंत्रण उपायों के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सट्टे के लिये ऐसी वस्तुओं की जमाखोरी के वास्ते बैंक ऋणों को उपयोग में न लाया जा सके।

वायुदूत सेवा चालू करने से लाभ/हानि

4514. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि वायुदूत सेवा आरम्भ होने से उसे चलाने के परिणामस्वरूप वर्ष-वार कितनी हानि हुई अथवा कितना लाभ कमाया गया और उसके क्या कारण हैं।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : वायुदूत ने 26 जनवरी, 1981 से अपने प्रचालन आरम्भ किए। उसके आरम्भ से 31 मार्च, 1982 तक तथा अप्रैल, 1982 से दिसम्बर, 1982 तक की अवधि में क्रमन: 66.6 लाख तथा 74.05 लाख रुपये का घाटा हुआ।

हानि के लिए मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं :—

(क) ईंधन की अधिक लागत;

(ख) अनेक मार्गों पर यातायात कम रहा है।

मारुति कारों पर उत्पादन शुल्क में छूट

4515. **श्री स्कारिया थोमस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मारुति उद्योग लि० द्वारा उत्पादित किए जाने वाले वाहनों पर उत्पादन शुल्क कम करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) सरकार ने ईंधन-मितव्ययी यात्री मोटरकारों पर, जिनकी इंजिन-क्षमता 1000 घन सेंटी मीटर से अधिक नहीं हो, उद्ग्रहणीय उत्पादन शुल्क को मूल्यानुसार 26.25 प्रतिशत से घटाकर मूल्यानुसार 15.75 प्रतिशत कर दिया है। वर्ष 1983 के बजट प्रस्तावों के अंग-रूप में उक्त किस्म की ईंधन-

मितव्ययी यात्री मोटरकारों पर, प्रति मोटरकार 5906.25 रु० के हिसाब से, उत्पादन शुल्क नियत किया गया है । उक्त यात्री मोटरकारें, जिनका निर्माण मैसर्स मारुति उद्योग लि० सहित किसी भी निर्माता द्वारा किया गया हो, इस रियायती उत्पादन शुल्क की दर की हकदार इस शर्त के अध्यधीन होगी कि वे सरकार द्वारा निर्धारित ईंधन-मितव्यता सम्बन्धी मानदण्ड के अनुसार हैं ।

अमेरिका और यूरोप से कम आकर्षक पर्यटन केन्द्रों में पर्यटन की सुविधाएं

4516. **श्री डूंगर सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में पर्यटन केन्द्रों में उपलब्ध पर्यटन सुविधाएं अमेरिका, यूरोप और सुदूर पूर्व के देशों में उपलब्ध तत्समान सुविधाओं की तुलना में कम आकर्षक समझी जाती है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) पर्यटन के प्रशासन पर किया गया अतिरिक्त खर्च, देश में विभिन्न पर्यटन केन्द्रों पर विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों के भ्रमण से हुई राजस्व की आमदनी की तुलना में कितने प्रतिशत है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्यटन से हुई आमदनी से पर्यटन व्यय को पूरा किया जा सके, उनके मंत्रालय द्वारा तैयार की गई योजना की रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) किसी देश में उपलब्ध सुख-सुविधाओं का स्तर कुल मिलाकर उसके सामान्य विकास से सम्बन्धित होता है जब कि यू० एस० ए०, यूरोप और सुदूर पूर्व के कुछ देशों के बारे में यह स्तर वाकई ऊंचा है । तथापि, भारत में बहुत सी पर्यटक सुविधाएं इन देशों में श्रेष्ठ स्तर की सुविधाओं के समतुल्य हैं । वर्तमान हालात में सुधार लाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं ।

(ख) और (ग) ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है । केन्द्रीय पर्यटन विभाग प्राथमिक रूप से पर्यटन के संवर्धन और विकास से सम्बन्धित है ।

एम० ई० एस० के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और भविष्य निधि का भुगतान

4517. **श्री अरविन्द नेताम** :

श्री आर० एन० राकेश : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एम० ई० एस० के प्रत्येक कार्यालय से गत दो वर्षों के दौरान कुल कितने कर्मचारी/अधिकारी सेवानिवृत्त हुए;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों/अधिकारियों को पेंशन भविष्य निधि ग्रेच्यूटी आदि दी जाने लगी है और कितने व्यक्तियों को अभी तक इनका भुगतान नहीं किया गया है;

(ग) उन्हें पेंशन, भविष्य निधि आदि का भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) कितने व्यक्तियों ने इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों तथा विभागों को अभ्यावेदन दिए हैं;

(ङ) प्रत्येक यूनिट से प्राप्त अभ्यावेदन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

आयात में वृद्धि

4518. श्री रशीद मसूद :
श्री बी० डी० सिंह :
श्री चित्त बसु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1982 के दौरान आयात प्रत्याशित लक्ष्य से अधिक हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रत्याशित लक्ष्य से अधिक आयात होने के क्या कारण हैं; और

(ग) अधिक आयात होने से व्यापार अन्तर में कहां तक बाधा पड़ी है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) वित्तीय वर्ष के आधार पर उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-दिसम्बर 1982 के दौरान भारत के समग्र निर्यात 10178.81 करोड़ रु० के हुए जब कि गत वर्ष की उसी अवधि के लिए अनन्तिम आंकड़े 9426.15 करोड़ रु० के थे । इस प्रकार लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

(ख) अप्रैल-दिसम्बर, 1982 के लिए आयातों का वस्तु-वार ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं नहीं है । तथापि, 1982-83 के पूर्वार्द्ध में उन मदों में, जिनकी गत वर्ष की उसी अवधि में वृद्धि हुई है, शामिल थी पी० ओ० एल० मशीनरी तथा परिवहन उपस्कर, मूल्यवान तथा अर्द्ध-मूल्यवान रत्न, लोहा तथा इस्पात अलौह धातुएं, रासायनिक पदार्थ, धातुओं की बनी वस्तुएं—वे उत्पाद जो आर्थिक विकास बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं । काफी मात्रा में गेहूं के आयात भी किए गए ताकि उसका स्टाक बनाया जा सके और कीमतों पर पड़ने वाले दबाव का सामना किया जा सके ।

(ग) अनन्तिम आधार पर अप्रैल-दिसम्बर, 1982 के दौरान भारत का विदेश व्यापार घाटा 4059.96 करोड़ रु० था जो गत वर्ष की उसी अवधि के 4109.11 करोड़ रु० के घाटे से कुछ कम था ।

कारीगनारू में एम० एम० टी० सी० द्वारा अधिष्ठापित लौह अयस्क क्रशिंग और स्क्रीनिंग संयंत्र

4519. **श्री राकेश कुमार सिंह :**

श्री छोटे सिंह यादव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेल्लारी-होस्पेट में कारीगनारू में एम० एम० टी० सी० द्वारा छः साल पहले अधिष्ठापित लौह अयस्क क्रशिंग एण्ड स्क्रीनिंग संयंत्र ने कभी भी वाणिज्यिक कार्य नहीं किए और अब इस संयंत्र को, जो कई लाख रुपये में खरीदा गया था, बन्द करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र के उपयोग में न आने के क्या कारण हैं;

(ग) इसको बन्द करने से कितनी हानि उठाने का अनुमान है; और

(घ) क्या सरकार ने इस संयंत्र को बन्द करने के बजाय उसका उपयोग करने की सम्भावना पर विचार किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) संयंत्र (जिसकी लागत, निर्माण कार्य सहित, लगभग 25.29 लाख रु० के करीब है) पश्चिम यूरोप को निर्यातों के लिए अंशशोधित अयस्क के उत्पादन के लिए लगाया गया था। वाणिज्यिक उत्पादन के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि :—

(1) इस्पात उद्योग में मंदी के कारण लौह अयस्क की मांग में गिरावट आई;

(2) अंशशोधित अयस्क की मांग के स्थान पर सिन्टर फीड की मांग हुई; और

(3) भाड़ा दरों में वृद्धि।

(घ) टेण्डर द्वारा संयंत्र को बेचने में असफल होने के कारण निगम ने अब इसे राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम को आफिर किया है क्योंकि इसका प्रयोग निर्माण कार्यों के लिए अपेक्षित पत्थरों/चट्टानों का चूरा करने के लिए किया जा सकता है।

बैंकों में धोखाधड़ी के मामले

4520. **श्री त्रिलोक चन्द :**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंक में 1981 में पता लगाए गए धोखाधड़ी के मामलों की तुलना में 1982 में ऐसे बैंकों में धोखाधड़ी के कितने मामलों का पता लगाया गया तथा प्रत्येक मामले में कितनी राशि की धोखाधड़ी की थी ; और

(ख) कितने मामलों में संबंधित बैंकों के कर्मचारी धोखाधड़ी में शामिल थे तथा उन कर्मचारियों के विरुद्ध तथा ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किस प्रकार की कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1981 और 1982 (30 सितम्बर, 1982 तक) के दौरान, सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों में हुई धोखाधड़ियों की संख्या और उनमें अन्तर्ग्रस्त राशियां नीचे दी गई हैं :—

(राशि करोड़ रुपए में)

1981		1982 (30-9-82)	
धोखाधड़ियों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि	धोखाधड़ियों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि
1891	20.34	1574	1594

प्रत्येक मामले में अलग-अलग अन्तर्ग्रस्त राशियों से संबंधित सूचना तत्काल सुलभ नहीं है ।

टिप्पणी : (I) *बैंक धोखाधड़ी" में सामान्यतः मिथ्या-निरूपण, विश्वास भंग, लेखा पुस्तकों में हेराफेरी, चैकों, ड्राफ्टों और विनिमय पत्रों जैसी लिखतों को धोखाधड़ी से भुनाना, बैंकों को भारित प्रतिभूतियों का अनधिकृत लेन-देन, उपकरण, गबन, चोरी राशियों का मिथ्या-निरूपण ,सम्पत्ति का परिवर्तन, ठगी, कमियां, अनियमितताएं शामिल हैं।*

(II) *बैंकों द्वारा सूचित की गई सभी धोखाधड़ियां विवरण में शामिल की गई हैं चाहे उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि कुछ भी हो। इन धोखाधड़ियों में अन्तर्ग्रस्त राशि अनिवार्यतः बैंकों को हुई हानि की राशि की द्योतक नहीं है ।*

(ख) 1981 और 1982 के दौरान बैंकों में हुई धोखाधड़ियों में अन्तर्ग्रस्त पाए गए बैंकों के अलग-अलग कर्मचारियों की संख्या और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई के स्वरूप से सम्बन्धित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । अलबत्ता, वर्ष 1978, 1979 और 1980 के दौरान सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों में हुई धोखाधड़ियों में अब तक जिन मामलों को अन्तिम रूप दे दिया गया है और जिनके सम्बन्ध में सूचना तैयार की गई है, कुल 315 कर्मचारी दोषी पाए गए । दिए गए दण्डों में चेतावनी देना/निंदा करना, वेतनवृद्धियों को रोकना, पद में कमी करना, प्रत्यावर्तन, सेवान्मुक्त करना, बर्खास्त करना, सिद्ध दोष ठहराना आदि शामिल हैं ।

धोखाधड़ियों के विरुद्ध सुरक्षणों को विहित करने वाली, सभी बैंकों की अपनी अनुदेश पुस्तिकाएं हैं । उनके अनुभवों के आधार पर समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है और उन्हें सुचारू बनाया जाता है । धोखाधड़ियों को रोकने और सुरक्षणों के विशिष्ट उपायों के सम्बन्ध में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी बैंकों को आवधिक अनुदेश जारी किए जाते हैं ।

25-2-83 को बुलाई गई सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों की बैठक में, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने, बैंकों में घोखाघड़ियों की घटनाओं पर, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यक्त की गई गम्भीर चिंता से, बैंकों को अवगत कराया। मुख्य कार्यपालकों को अपने यहां सतर्कता तंत्र को सुदृढ़ बनाने की हिदायतें दी गई हैं। उनसे यह भी कहा गया है कि वे दोषी कर्मचारियों को कठोर दण्ड दें और बैंकों में घोखाघड़ियों की घटनाओं से बचने के लिए सभी सम्भव निरोधक उपाय करें। बैंक शाखाओं के कार्यकलापों पर अधिक नियंत्रण रखने के उद्देश्य से, बैंकों को अन्त: शाखा खातों से शीघ्र समाशोधन, प्रभावी शाखा पर्यवेक्षण और नियमित निरीक्षणों की आवश्यकता के बारे में भी स्मरण कराया गया है।

जीवन बीमा निगम के पास लम्बित दावे

4521. **श्री दौलत राम सारण :**

श्री जापाल सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1982-83 के आरम्भ में कितनी राशि सहित जीवन बीमा निगम के पास लम्बित दावों की संख्या कितनी है ;

(ख) दो वर्ष से अधिक समय से लम्बित पड़े दावों की संख्या कितनी है और इन दावों को निपटाए न जाने के कारण क्या हैं ;

(ग) 1982-83 के दौरान (आज तक) जीवन बीमा निगम द्वारा कितने दावों का निपटान किया गया है और उनमें से कितने दावों का निपटान दो वर्ष से अधिक समय से लम्बित पड़ा था ; और

(घ) जीवन बीमा निगम के पास निपटान के लिए लम्बित दावों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जीवन बीमा निगम के पास वित्तीय वर्ष 1982-83 के शुरू में 63.10 करोड़ रुपए के 1,50,839 दावे विचाराधीन (लम्बित) थे।

(ख) उपर्युक्त दावों में से 12,947 दावे दो वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन थे। इन दावों के विचाराधीन पड़े रहने का मुख्य कारण पालिसी होल्डरों/दावेदारों द्वारा दावा फार्मों, पालिसी दस्तावेजों और डिसचर्ज वाउचरों जैसे मूल कागज-पत्रों का प्रस्तुत न किया जाना हैं। विचाराधीन पड़े रहने के अन्य कारणों में ये भी शामिल हैं :—

(1) हकदारी के कानूनी सबूत का न होना।

(2) पालिसी होल्डर का कहीं पता न चलना।

(3) मृत्यु जल्दी हो जाने के कारण दावों की छानबीन करना ; और

(4) विदेशी मुद्रा नियंत्रण की अनुमति की प्रतीक्षा करना। कुछ मामलों में देरी जीवन बीमा निगम के कार्यालयों में भी हो जाती है।

(ग) जीवन बीमा निगम ने चालू वित्तीय वर्ष के 31 दिसम्बर, 1982 को समाप्त पहले नौ महीनों के दौरान 6,44,675 दावों का निपटान किया। उस तारीख को ऐसे 9412 दावे भी थे जो दो वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन थे।

(घ) जीवन बीमा निगम ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि दावों का निपटान तेजी से किए जा सके निम्नलिखित मुख्य कदम उठाए हैं :—

(1) दावों के निपटान के लक्ष्य प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारित कर दिए जाते हैं। परिपक्वता दावों के मामले में डिस्चार्ज वाउचर परिपक्वता की तारीखों से दो महीने पहले भेजने के प्रयत्न किए जाते हैं ताकि दावों की अदायगी परिपक्वता तारीखों को या उनके तत्काल बाद की जा सके।

(2) दावों के निपटान से सम्बन्धित काम का विकेन्द्रीकरण करके शाखा कार्यालयों को सौंप दिया गया है।

(3) दावों के निपटान का कार्य करने वाले कार्यालयों के कार्यनिष्पादन की परिवीक्षा करने और समय-समय पर उनकी समीक्षा करने के लिए जीवन बीमा निगम के केन्द्रीय कार्यालय में एक कक्ष की स्थापना की गई है।

(4) दावेदारों से मिलने और उनके द्वारा आवश्यक कागज-पत्र पेश किए जाने के काम काम में उनकी सहायता करने के लिए क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा निजी तौर पर दौरे किए जाते हैं तथा विचाराधीन दावों के सम्बन्ध में नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

(5) प्रक्रियाएं सरल बना दी गई हैं। जिन दवों के बीमे की राशि 1,50,000 रुपए तक होती है, उनके मामले में हकदारी को कानूनी सबूत की शर्त समाप्त कर दी गई है। परिपक्वता दावों के मामले में 15,000 रु० तक की बीमाकृत राशि और मृत्यु दावों के मामले में 10,000 रु० तक की बीमाकृत राशि के लिए आयु के सबूत की शर्त समाप्त कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, 5,000 रु० तक की बीमाकृत राशि के जल्दी हुई मृत्यु के दावों की जांच-पड़ताल की शर्त भी हटा दी गई है। जब तक की इस बात के ठोस कारण न हो कि दावा बदनीयती से किया गया है।

बड़े औद्योगिक गृहों को जारी किए गए अनांकित (ब्लैंक) विदेशी मुद्रा परमिट

4522. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 (31-1-83) के दौरान प्रथम पांच बड़े औद्योगिक गृहों को जारी किए गए अनांकित (ब्लैंक) विदेशीय मुद्रा परमिटों की धनराशि कितनी है और विदेशी मुद्रा के समुचित प्रयोग के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या नियंत्रण रखा गया;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता और बम्बई शाखाओं द्वारा इन औद्योगिक गृहों को इनके अपने निदेशकों, कार्यकारी अधिकारियों और अन्य लोगों के प्रयोग के अतिरिक्त व्यापार संवर्धन के विदेश यात्रा हेतु कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई; और

(ग) इन औद्योगिक गृहों द्वारा विदेशी मुद्रा हर समय उपलब्ध होने के कारण किसी न किसी कारण से अपनी लगातार विदेशी यात्राओं के लिए विदेशी मुद्रा की इस तरह की भारी बर्बादी पर वित्त मंत्रालय द्वारा क्या नियंत्रण किया जा रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना भारतीय रिजर्व बैंक से सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) देश के विदेशी मुद्रा के संशाधनों को बचाने की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक को पहले ही बता दिया गया है कि विदेश यात्रा के सभी आवेदन-पत्रों की जांच अधिक कड़ाई के साथ की जाए ।

महालेखाकार, महाराष्ट्र के क्षेत्राधिकार में सेवा निवृत्त कर्मचारियों को ब्याज की अदायगी

4523. **श्री जगन्नाथ पटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महालेखाकार, महाराष्ट्र बम्बई के क्षेत्राधिकार में सेवा निवृत्त होने वाले या सेवा निवृत्त केन्द्रीय या राज्य सरकार के कर्मचारियों को अदायगी करते समय उनकी जमा धन-राशि का पूरा ब्याज नहीं दिया जाता यद्यपि अदायगी में विलम्ब महालेखाकार के कार्यालय द्वारा किया जाता है;

(ख) क्या ऐसे मामलों में सेवा निवृत्ति की तारीख से केवल छः महीने तक ब्याज की अदायगी की जाती है और उसके पश्चात् सेवा निवृत्ति लेने वाले या सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को आगे का ब्याज नहीं दिया जाता जबकि उनकी कोई गलती नहीं होती;

(ग) क्या सरकार को यह जानकरी है कि इस कार्य प्रणाली से सेवा निवृत्ति व्यक्तियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(घ) क्या महालेखाकार, महाराष्ट्र को इस सम्बन्ध में अभी हाल ही के महीने में कोई अवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार की भविष्य निधि नियमावली के अनुसार विलम्ब से की गई अदायगियों के सभी मामलों में छः महीने की अधिकतम अवधि तक ब्याज देना अनिवार्य है । उस अवधि के बाद एक वर्ष तक के

लिए ब्याज की अदायगी को उस स्थिति में प्राधिकृत किया जा सकता है यदि अदायगी में विलम्ब ऐसी परिस्थितियों के कारण हो जो अंशदाता के नियंत्रण से बाहर हों।

(घ) और (ङ) छः महीने की अवधि से आगे ब्याज न दिए जाने के विरोध में छः अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। यह देखने के लिए उनकी जांच की जा रही है कि क्या नियमों के अन्तर्गगत एक वर्ष की और अवधि के लिए ब्याज दिया जा सकता है।

टैक्स आफिसियल्स बीइंग क्वेश्चन्ड शीर्षक से समाचार

4524. **श्री रघु नन्दन लाल भाटिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक गैर सरकारी कम्पनी के एक सम्पर्क अधिकारी के घर से कर अपवंचन के सम्बन्ध में एक गोपनीय नोट बरामद होने के बारे में 1 मार्च 1983 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में टैक्स आफिसियल्स बीइंग क्वेश्चन्ड शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं और इसमें शामिल दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा औद्योगिक गृहों के संपर्क अधिकारियों को इस प्रकार के नोट दिये जाने को रोकने और इन बेईमान अधिकारियों के माध्यम से मंत्रालय के दस्तावेजों तक उनकी पहुँच रोकने के लिए सरकार के नवीनतम निदेशों के अनुसरण में उनके मंत्रालय द्वारा क्या ठोस उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सरकार ने 1 मार्च, 1983 के टाइम्स आफ इंडिया में टैक्स अफिशियल्स बीइंग क्वेश्चण्ड शीर्षक से प्रकाशित समाचार देखा है। दिसम्बर, 1981 में आयकर अधिकारियों द्वारा, हवाला रैकेट में कथित रूप से ग्रस्त बम्बई की कतिपय पार्टियों पर छापे मारे जाने के बाद इसके परिणामतः पता लगाये गये 40 करोड़ के 'हवाला रैकेट' पर एक टिप्पणी तथा इस रैकेट में शामिल 20 पार्टियों की एक सूची आयकर आयुक्त, बम्बई/उप निरीक्षण निदेशक (जांच), आयकर विभाग; बम्बई द्वारा तैयार की गई थी। इस टिप्पणी तीन प्रतियां, अध्यक्ष, केन्द्रीय कर बोर्ड नई दिल्ली और निरीक्षण निदेशक (जांच) आयकर विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय से गुम हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा 27 मई, 1982 को दिल्ली में एक औद्योगिक गृह के एक प्रतिनिधि के रिहायशी परिसरों की तलाशी लिए जाने के दौरान इस टिप्पणी की एक प्रति पाई गई थी। इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा और आगे जांच की जा रही है।

(ग) सुरक्षा के सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेश, विभाग के सभी अधिकारियों तथा राजस्व विभाग के सभी विभागाध्यक्षों की जानकारी में लाए जाते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए उनसे अनुरोध किया गया है कि वे उनका सख्ती से अनुपालन करें इन अनुदेशों में सूचना के प्रकट होने के विरूद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपायों की व्यवस्था है।

इलैक्ट्रोनिक्स यू० एस० ए०-83 प्रदर्शनी

4525. **श्री जगदीश टाइटलर :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि अमेरिका का वाणिज्य विभाग भारत में इलैक्ट्रोनिक्स यू० एस० ए०-83 नाम से एक उत्पाद प्रदर्शनी पहली बार आयोजित कर रहा है;

(ख) भारत और भारतीय उद्यमियों को इस उत्पाद प्रदर्शनी से कहां तक सहायता मिलेगी; और

(ग) भारत के इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग पर इस प्रदर्शनी का क्या प्रभाव पड़ने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) फरवरी, 1983 के दौरान नई दिल्ली तथा बंगलौर में उच्च प्रौद्योगिकी वाले उपकरण की प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरीका के वाणिज्य मंत्रालय को अनुमानित दी गई । प्रदर्शनी का उद्देश्य इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग में संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रौद्योगिकीय प्रगति दर्शाना था । इस स्तर पर भारतीय उद्योग सम्बन्धी इस प्रदर्शनी के प्रभाव का अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

विकास शील देशों द्वारा आयात के लिए बाजारों को उदार बनाना

4526. **श्री चित्त महाटा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विकासशील देशों ने आयात के लिए अपने बाजारों को उदार बना दिया है जबकि आयात के विरूद्ध उन्होंने अधिक-अधिक प्रतिबन्ध लगा रखे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) विभिन्न विकासशील देशों की आयात नितियां उनकी राष्ट्रीय नीतियों का अंग होती है, जो प्रत्येक देश की विकासपरक तथा अन्य प्राथमिकताओं के अनुसार निर्धारित की जाती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार में पर्यटन केन्द्रों का विकास

4527. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री सुभाष यादव : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार राज्य में विशेषकर इस्पात नगरों के आस-पास पर्यटन केन्द्रों को विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई निधि निर्धारित की गई है और उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग के पास बिहार में इस्पात नगरों के आस-पास पर्यटक केन्द्रों के विकास के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। पर्यटक केन्द्रों का विकास उनकी पर्यटकों को आकर्षित करने की संभाव्यता के आधार पर प्रारम्भ किया जाता है।

हरियाणा के भिवानी में हवाई अड्डे के निर्माण पर हुआ व्यय

4528. **श्री भीम सिंह :**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :

डा० ए० यू० आज़मी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग तीन वर्ष पूर्व भिवानी, हरियाणा में हवाई अड्डे का निर्माण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस हवाई अड्डे के निर्माण पर कुल कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) क्या गत कई वर्षों से इस हवाई अड्डे को उपयोग में नहीं लाया गया है; और यदि हां, तो कितने वर्षों से; और

(घ) इस हवाई अड्डे के निर्माण का क्या औचित्य था ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) भिवानी हवाई अड्डे पर एक धावन पथ का निर्माण हरियाणा सरकार द्वारा 1978 में पूरा किया गया था।

(ख) विमान क्षेत्र के निर्माण पर कुल 5रू,48,480 रुपए की राशि खर्च की गई।

(ग) जी, नहीं। इस विमान क्षेत्र का उपयोग मुख्यत: उत्तरी भारत में हिसार, करनाल तथा अन्य उड़ान-क्लबों के पुष्पक प्रशिक्षक विमानों द्वारा तथा हरियाणा राज्य सरकार और हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन से सम्बन्धित विमानों द्वारा किया जा रहा है। मार्च, 1978 से फरवरी, 1983 तक की अवधि में, इस विमान क्षेत्र से उड़ानों तथा अवतरणों की कुल संख्या 162 थी।

(घ) इस विमान क्षेत्र का निर्माण हरियाणा राज्य में विमानन के विकास के लिए किया गया है।

खाद्यान्न के लिए भारत-चीन सहयोग

4529. **श्री भीकू राम जैन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-चीन व्यापार तथा आर्थिक सहयोग संबंधी सेमीनार के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन हेतु चीन परिषद् के वाइस-प्रेसीडेंट ने खाद्यान गृह-निर्माण की हलकी सामग्री तथा अन्य देशों में सहयोग के लिए इच्छा व्यक्त की थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच सहयोग हेतु कोई करार किया गया था; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) भारत चीन वाणिज्य तथा उद्योग मंडल (आई० सी० सी० सी० आई०) और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन संबंधी चीन परिषद (सी० सी० पी० आई० टी०) द्वारा 19-20 फरवरी, 1983 को नई दिल्ली में आयोजित किए गए भारत-चीन व्यापार तथा आर्थिक सहयोग संबंधी सेमिनार में सी० सी० पी० आई० टी० के वाइस प्रेसीडेंड ने बताया कि चीन जनवादी गणराज्य हल्के उद्योग, वस्त्रों, खाद्यान्नों, भेषजीय पदार्थों, दूर संचारों, दैनिक प्रयोग के रसायनों, हल्के भार वाली इमारती सामग्री, अवस्थापना, मशीनरी के संघटकों तथा पुर्जों के क्षेत्रों में तकनीकी संपरिवर्तन और अद्यतन बनाने के उपकरणों के लिए सभी प्रकार के सहयोग की सराहना करता है। इनमें से किसी भी क्षेत्र में भारत और चीन के बीच सहयोग हेतु करार करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया गया और न ही किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए।

आदिवासी क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा सहायता

4530. **श्री जयनारायण रौत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन आदिवासी क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें पिछले पांच वर्षों के दौरान औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने सहायता दी है;

(ख) इन क्षेत्रों में नए उद्यमियों को सहायता देने के लिए क्या मानदण्ड रखा गया है;

(ग) यहां सहायता के लिए पहले किस प्रकार की परियोजनाओं को चुना गया है; और

(घ) आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की भूमिका, कार्य और महत्वता के उपयुक्त प्रचार के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है और युवा शिक्षितों और गम्भीर उद्यमियों को क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) यद्यपि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) अनुसूचित जातियों के उद्यमकर्ताओं के निमित्त बनी अपनी संवर्धन योजनाओं के अधीन कुछ रियायतें देता है, आई० एफ० सी० आई० की कोई

योजना ऐसी नहीं है जो केवल जनजातीय क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ही चलाई जाती हो। अत: आई० एफ० सी० आई० द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग से सूचना एकत्र नहीं की जा रही है। संभाव्यता अध्ययनों का व्यय उठाने में छोटे उद्यमकर्ताओं को राजसहायता देने की योजना के अधीन, 1-1-1982 से 15-3-1983 तक की अवधि के दौरान, अनुसूचित जातियों के 75 उद्यमकर्ताओं को 75,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई थी।

(ख) आई० एफ० सी० आई० वित्तीय, तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से किसी योजना की अर्थक्षमता और उसके प्रवर्तकों की क्षमता और योग्यता के विषय में अपना सन्तोष कर लेता है। आई० एफ० सी० आई० समुचित वित्त पोषण कार्यक्रमों पर जोर देता है जिनमें ऋण: ईक्विटी अनुपात उस उद्योग की प्रकृति के अनुरूप हो। वह अन्तर्ग्रस्त पूंजी निवेश, परियोजना का आकार उसकी आरम्भिक अवधि और सम्भावित लाभार्जकता पर भी ध्यान देता है। इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि परियोजना के वित्त पोषण के लिए प्रवर्तकों की ओर से भी युक्तिसंगत अंशदान किया जाए। यद्यपि ये कसौटियां सभी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता मंजूर करने में एक समान रूप से अपनाई जाती हैं। आई० एफ० सी० आई० नये उद्यमकर्ताओं/तकनीशियन उद्यमकर्ताओं द्वारा प्रवर्तित योजनाओं के बारे में प्रवर्तकों के अंशदान, ऋण:, इक्विटी अनुपात, सहायता की हामीदारी आदि के बारे में उदार दृष्टिकोण अपनाता है।

(ग) ये परियोजनाएं अनुसूचित जनजाति के उद्यमकर्ताओं द्वारा प्रवर्तित होती हैं और सिले-सिलाए वस्त्रों, साइकलों की मरम्मत, आटे की पिसाई, साबुन बनाने, फर्नीचर बनाने आदि के लिए अत्यन्त लघु (टाइनी) और लघु एककों की स्थापना के सम्बन्ध में आई० एफ० सी० आई० द्वारा सहायता दी जाती है।

(घ) सहायताप्राप्त प्रतिष्ठानों को अच्छी सेवा प्रदान कराने के लिए देश के विभिन्न राज्यों राज्यों में आई० एफ० सी० आई० ने 16 क्षेत्रीय/शाखा/अन्य कार्यालय स्थापित किये हैं। ये कार्यालय राज्य-स्तरीय प्रोत्साहन और विकासोन्मुख एजेंसियों के साथ निकट सम्पर्क रखते हैं तथा आई० एफ० सी० आई० से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमकर्ताओं को दिशा निर्देश देते हैं। आई० एफ सी० आई० ने 16 राज्य/अंचल/क्षेत्रीय परामर्शदात्री समितियां भी गठित की हैं जिसमें राज्य सरकारों और वित्तीय एवं विकासोन्मुख संस्थाओं, के अधिकारी तथा स्थानीय कारोबार एवं उद्योग संगठनों आदि के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इन समितियों की बैठक में आई० एफ० सी० आई० की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती हैं। आई० एफ० सी० आई० संभावित ग्राहकों के बीच तथा सार्वजनिक प्रयोग के वास्ते जागरूकता लाने के लिए अपनी संवर्द्धन योजनाओं पर अलग से पुस्तिकाएं (ब्रोशर्स) भी निकालता है। आई० एफ० सी० आई० की संवर्द्धन योजनाओं को देश में विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रकाशित किया जाता है।

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड द्वारा ग्रामीण विपणन सेवा केन्द्र खोलना

4531. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ने ग्रामीण विपणन सेवा केन्द्र खोलने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस विपणन सेवा केन्द्रों की मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां गत दो वर्षों के दौरान इस प्रकार के केन्द्र खोले गए हैं;

(घ) इस प्रकार के केन्द्रों से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए और उन्हें किस प्रकार के लाभ मिले तथा उनका ब्योरा क्या है ,

(ङ) गत दो वर्षों में से प्रत्येक के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित गई; और

(च) इसमें से वस्तुतः कितनी धनराशि का प्रयोग किया गया और सारी धनराशि का उपयोग न करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड द्वारा ग्रामीण विपणन तथा सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए एक योजना 1978 में शुरू की गई। योजना की मुख्य विशेषताएं विवरण में दी गई है।

(ग) 1981-82 — शून्य

1982-83 — एक :

(1) विशाखापतन में (आन्ध्र प्रदेश)

(घ) आन्ध्र प्रदेश में अक्तूबर, 1982 में स्थापित केन्द्र द्वारा लाभ मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या निष्पादन-सह-उपलब्धि रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद ही ज्ञात होगी जो जून, 1983 में प्राप्त होनी हैं।

(ङ) तथा (च)

क्र०सं०	वर्ष	आबंटित राशि	व्यय की गई राशि
(1)	1981-82	2.00 लाख रु०	1,64,401 रु०
(2)	1982-83	1.00 लाख रु०	81,000 रु०

विवरण

ग्रामीण विपणन तथा सेवा केन्द्रों की योजना की मुख्य विशेषताएं।

योजना दो चरणों अर्थात चरण 1– सर्वेक्षण तथा चरण 2– कार्यान्वयन में कार्यान्वित की जानी थी। चरण 1 में ग्रामीण शिल्पियों उद्योगों का सर्वेक्षण उनके सामने वाली प्रमुख समस्याओं के स्वरूप तथा दायरे का पता लगाने के लिए किया जाना था। सर्वेक्षण रिपोर्ट से एक आरएम सी के लिए जरूरत व क्षेत्र स्पष्ट तौर पर अभिज्ञात होने पर चरण 2 में, आर एम सी को स्थापित किया जाना था। आर एम सी का संचालन सहकारी समिति, पंचायत, पंजीकृत समिति अथवा

निगम जैसी चुनिन्दा अभिकरणों के माध्यम से किया जाना था और योजना में प्रति ब्लाक प्रदान की गई वित्तीय सहायता की पद्धति थी, सर्वेक्षण के लिए 5000 रु० 3 वर्षों के लिए किराए के लिए 6000 रु० प्रति वर्ष, नमूनों के लिए 5000 रु० फिक्सचर्स तथा फिटिंग्स के लिए 10,000 रु०, बीज पूंजी के लिए 50,000 रु० और 3 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत, 66 प्रतिशत तथा 33 प्रतिशत पर प्रबंधकीय उपदान ।

बम्बई में विदेशी मुद्रा के घोटाले का पता लगाना

4532. **श्री कुसुम कृष्णमूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में 29 नवम्बर, 1982 को विदेशी मुद्रा के एक बहुत बड़े घोटाले का पता लगा है जो कि एक करोड़ रुपये का मामला है;

(ख) यदि हां, तो क्या अपराधी पकड़े गए हैं और उन पर मुकदमा चलाया गया है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में विदेशी मुद्रा के पकड़े गए अन्य मामलों का ब्योरा क्या है ; और

(घ) तस्कर गिरोह की गतिविधियों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) प्रवर्त्तन निदेशालय (विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम) के अधिकारियों ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबंधों के कथित उल्लंघन के लिए 29 नवम्बर, 1982 को बम्बई में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया । इसके पूर्व दोनों व्यक्तियों के परिसरों की तलासियां 26 नवम्बर, 1982 तथा 27 नवम्बर, 1982 को ली गई थी, जिसके परिणामत उनमें से एक परिसर से लगभग 1.50 लाख रु० की भारतीय मुद्रा और कुछ दस्तावेज पकड़े गए थे । जांच-पड़ताल के पूरा हो जाने पर, अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी ।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के पहले 11 महीनों अर्थात 1 अप्रैल 1982 से 28 फरवरी 1983 तक के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबंधों के संदिग्ध उल्लंघन के 4320 मामले प्रवर्त्तन निदेशालय (विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम) द्वारा जांच पड़ताल के लिए दर्ज किए गए थे । मामले अधिक संख्या में होने के कारण उनके ब्योरे एकत्र करने तथा प्रस्तुत करने में ग्रस्त समय और श्रम अनुपातत: अधिक लगेगा यदि माननीय सदस्य ऐसे किसी विशेष मामले (मामलों) का उल्लेख करते हैं, जिनके संबंध में सूचना अपेक्षित है, तो उसे एकत्र करके प्रस्तुत कर दिया जाएगा ।

(घ) संबंधित आसूचना तथा जांच पड़ताल करने वाली एजेंसियां सतर्क रहती है और जब कभी भी उनकी जानकारी में कोई मामला आता है, उस पर उपयुक्त कार्यवाही करती हैं ।

अहमदाबाद में आयकर के छापे

4533. **श्री रामजी भाई मावणी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर अधिकारीयों ने 15 फरवरी, से 22 फरवरी, 1983 के बीच अहमदाबाद और गुजरात में कुछ अन्य स्थानों में कुछ निर्माण कार्य करने और दूसरे लोगों के यहां छापे मारे हैं और तलाशी ली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उंसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) किस किस्म की अवैध और बिना लेखे जोखे की सामग्री, वस्तुयें, नकदी पाई गई हैं और जब्त की गई हैं;

(घ) संबंधित व्यक्तियों का ब्योरा क्या है और उनके अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) इस प्रकार की अवैध गतिविधियों की रोकने हेतु क्या कड़ी कार्यवाही करने का विचार है; और

(च) 23 फरवरी 1983 के 'गुजरात समाचार' (अहमदाबाद का गुजरात दैनिक समाचार पत्र) में इस बारे में प्रकाशित खबरों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (च) सरकार को, (अहमदाबाद के गुजराती दैनिक) गुजरात समाचार में, एक भवन-निर्माण के मामले में मारे गए छापे के संबंध में प्रकाशित रिपोर्ट की जानकारी है। विक्रय कर विभाग से सूचना प्राप्त होने पर 15-2-1983 को पेसर्स प्रवीन कन्स्ट्रेक्शन कारपोरेशन, अहमदाबाद के भागीदार श्री नारायणभाई ईश्वर भाई पटेल के निवास की तलासी ली गई थी। तलासी रात देर तक जारी रही। अतः निवास स्थान पर पाये गए लगभग 5 लाख रुपये के बैंक नकदी प्रमाणपत्र, तथा जवाहिरात सील कर दिये गये। अगले दिन तलाशी पुनः शुरू नहीं की जा सकी क्योंकि उक्त पार्टी एक दुर्घटना का शिकार हो गई और उसे हस्पताल भर्ती करा दिया गया था। पार्टी के हाजिर हो सकने की स्थिति में आ जाने पर जांच-पड़ताल पुनः शुरू की जाएगी और आयकर अधिनियम तथा अन्य प्रत्यक्ष-कर अधिनियमों के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जाएगी।

एयर इन्डिया द्वारा एशियाड के लिए लाए गए विदेशी दर्शक

4534. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया ने गत वर्ष हुए एशियाई खेलों के सम्बन्ध में भारत आने वाले विदेशी दर्शकों के लिए प्रचार तथा सीटें बुक करने का पर्याप्त प्रबन्ध नहीं किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) एयर इण्डिया एशियाड के लिए विदेशों से कितने दर्शक लाया और अन्य विदेशी विमान सेवाएं कितने दर्शक लायीं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जी, नहीं। एयर इण्डिया द्वारा एशियाई खेलों के दर्शकों के लिए प्रचार तथा सीटें बुक करने के पर्याप्त प्रबन्ध किए गए थे। विशेष प्रोत्साहन दलों ने जिनमें एयर इण्डिया तथा एशियाई खेलों की विशेष योजना समिति के प्रतिनिधि सम्मिलित थे, विभिन्न देशों का दौरा किया तथा एशियाई खेलों का प्रचार करने वाले दृश्य श्रव्य साधनों को खेल निकायों तथा प्रमुख यात्रा अभिकर्ताओं के प्रतिनिधियों को दिखाया। इसके अतिरिक्त विदेशी समाचार पत्रों में अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में विज्ञापन किए गए।

(ग) विशिष्ट रूप से एशियाई खेलों के लिए लाए-लेजाए गए यात्रियों की संख्या का एयर इण्डिया द्वारा कोई अभिलेख नहीं रखा गया तथापि खेल संगठनों से तथा अन्य स्रोतों से जिनमें दौरे का विशिष्ट कारण बताया गया था, प्राप्त बुकिंग के आधार केवल एशियाई खेलों के लिए एयर इण्डिया द्वारा लाए-लेजाए गए दर्शकों की संख्या लगभग 2500 है। केवल एशियाई खेलों के लिए लाए गए यात्रियों/दर्शकों की संख्या का विदेशी एयरलाइनों द्वारा कोई अभिलेख नहीं रखा गया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों को लूटा जाना

4535. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि सारे देश में राष्ट्रीयकृत बैंक पर लगातार धावा बोल कर उन्हें लूटा जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि एक गिरोह ने गुजरात में बनासकांठा जिले में स्थित एक राष्ट्रीयकृत बैंक को दिन दिहाड़े लूटा और और लूट का माल लेकर चंपत हो गया ; और

(ग) इस घटना का ब्यौरा क्या है तथा 1982 के दौरान गुजरात में अन्य कितने बैंक लूटे गए तथा कितने धन की हानि हुई ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बैंकों में डकैती/लूटपाट की घटनाएं हुई हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने सूचना दी है कि 30 दिसम्बर, 1982 को अपराह्न 4.00 बजे गुजरात राज्य में उसकी इकबालगढ़ शाखा (बनासकांठा जिला) पर स्वचालित सेल्फलोडिंग राइफलों और लाठियों से लैस 7 डाकुओं ने हमला किया और वे 1.37 लाख रुपए की नकदी लूट कर ले गए। एक अन्य पुलिस कर्मी के साथ एक हैडकांस्टेबिल दौड़कर शाखा में आया और डाकुओं से टक्कर ली। हैडकांस्टेबिल की डाकुओं द्वारा गोली मार कर हत्या कर दी गई। इसके बाद डाकुओं ने लगातार कई राउंड फायर किए और शाखा प्रबन्धक और एक

कांस्टेबिल समेत 7 व्यक्तियों को घायल कर नकदी के साथ फरार हो गए। पुलिस इस घटना की जांच कर रही है।

गुजरात राज्य में, 1982 के दौरान, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा डकैती/लूटपाट के किसी और मामले की सूचना नहीं दी गई है।

मध्य प्रदेश के शहरों के लिए वायुदूत सेवा

4536. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में वायुदूत सेवाएं प्रारम्भ करने पर तत्परता से विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सेवाओं के कब तक प्रारम्भ होने की आशा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) उपयुक्त विमान उपलब्ध हो जाने पर तथा अन्य आधार संरचनात्मक सुविधाओं का विकास हो जाने पर, वायुदूत की मध्य प्रदेश में जगदलपुर, बिलासपुर तथा रायपुर को विमान सेवा से जोड़ने की योजनाएं हैं। इन स्टेशनों से विमान सेवा से जोड़ने के लिए इस समय कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती।

औद्योगिक विकास पर अमेरिकी वाणिज्य विभाग की रिपोर्ट के सम्बन्ध में समाचार

4537. **श्री नारायण चौबे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5-2-1983 के "बिजनैस स्टैंडर्ड" में प्रकाशित अमेरिकी वाणिज्य विभाग के निष्कर्षों की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सरकार इसको मानती है कि भारतीय निजी क्षेत्र तथा विदेशी फर्म भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या रिपोर्ट के ब्यौरे पर ध्यान दिया गया है और इस पर तथा कथित रिपोर्ट में की गई अन्य टिप्पणियां पर सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि पूरी रिपोर्ट अभी नहीं मिली है और उसका अध्ययन भी नहीं किया गया है, फिर भी यह व्यक्त है कि इस रिपोर्ट में सामान्य रूप से देश की औद्योगिक स्थिति की सराहना की गई है। सरकार इस दृष्टिकोण से सहमत है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों तथा

निर्यात प्रधार उद्यमों में भारत-अमरीकी सहयोग बढाने की अच्छी गुंजाइश है।

"आर्मी एडवेंचर फाउन्डेशन" द्वारा किए जाने वाले साहसपूर्ण क्रियाकलाप

4538. श्री सन्तोष मोहन देव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "आर्मी एडवेंचर फाउंडेशन" का गठन हाल ही में किया गया है; यदि हां, तो फाउंडेशन द्वारा किए जाने वाले साहसपूर्ण क्रियाकलाप क्या है;

(ख) साहसपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेने वालों को किस प्रकार की और किस सीमा तक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ; और

(ग) उनका ब्योरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) भारतीय सेना के कुछ कार्मिकों ने "आर्मी एडवेंचर फाउंडेशन" नामक एक सोसाइटी बनाई है जिसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम—1880 का (संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में लागू किया गया पंजाब संशोधन अधिनियम 1967) के अन्तर्गत दिल्ली में 5 जून, 1981 को पंजीकृत किया गया है।

फाउंडेशन का उद्देश्य आमतौर पर विभिन्न साहसिक कार्यकलापों और अभियानों को बढावा देना, प्रयोजित करना, सहायता देना; धन देना और संचालन करना और खासकर थलसेना में निम्नलिखित कार्यकलाप हैं :—

(I) पर्वतारोहण, चट्टानों पर चढ़ना, स्की करना, पैदल चलना और गवेषणा कार्य करना।

(II) नौ-चालान और नाविक कार्य जिसमें सी फारिंग, कैनोइंग, राफ्टिंग, सर्फिंग, स्किन एण्ड स्कूबा डाइविंग और इनसे सम्बन्धित बड़े अभियान सम्मिलित हैं।

(III) हैंग ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, बेलूनिंग और उड्डयन सम्बन्धी खेलकूद।

(IV) काफी दूरी तक साइकिल, मोटर साइकिल और कार चलाना और पहिएदार वाहनों का कारवां।

(V) रेगिस्तान और जंगलों का अभियान।

(VI) अन्य साहसिक कार्य या उनसे सम्बन्धित कार्यविधि/खेल जिनमें सहायता की आवश्यकता हो।

2. थलसेना कार्मिकों द्वारा किए जाने वाले और यूनिटों/फारमेशनों द्वारा प्रयोजित साहसिक कार्यों को अन्य खेलों की तरह सेना प्रशिक्षण के अंग के रूप में माना जाता है और इसके लिए उसी तरह का प्रशिक्षण और सुविधाएं दी जा रही हैं जो भारतीय सेना के मौजूदा नियमों के अन्तर्गत मिलती हैं। इन अभियानों और साहसिक कार्यों पर होने वाला खर्च उन्हें प्रायोजित

करने वाली यूनिटों/फारमेशनों द्वारा और थलसेनाध्यक्ष के "खेल-कूद तथा साहसिक कार्य निधि से किया जाता है।

निलम्बित कर्मचारियों को निर्वाह भत्ता दिया जाना

4539. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवाह भत्ते के दावे को वितरण अधिकारी से रक्षा लेखा नियंत्रण (मुख्यालय) तक पहुंचने और वहां से वापस आने में, जो कि केवल एक फलांग से कम दूरी पर ही स्थित है लगभग 6-7 दिन का समय लग जाता है जिसमें निलम्बिलत व्यक्तियों को निर्वाह भत्ते के भुगतान में विलम्ब होता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और कागजात के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में लगने वाले समय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या निलम्बित कर्मचारियों को निर्वाह भत्ते का नियमित रूप से भुगतान नहीं किया जाता है; और

(घ) क्या (एक) निलम्बित कर्मचारियों द्वारा मासिक प्रमाण-पत्र पेश करने की तारीख (दो) रक्षा लेखा नियंत्रण को दावा पेश करने की तारीख (तीन) रक्षा लेखा नियंत्रण द्वारा दावा स्वीकृत करने की तारीख (चार) निलम्बित कर्मचारियों को निर्वाह भत्ते के भुगतान की तारीख आदि दर्शाने वाला विवरण कर्मचारियों के निलम्बन की तारीख तथा वह तारीख जब से उनके निर्वाह भत्ते बढ़ाए गए अथवा काम किए गए, सहित सभा पटल पर रखा जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

सरकार द्वारा हाल ही में घोषित "पर्क" का निरीक्षण महानिदेशालय में स्थायी सेकेन्डिड सर्विस अधिकारियों पर लागू किया जाना

4540. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों के लिए अभी हाल ही में घोषित मुफ्त राशन, मुफ्त शिक्षा भत्ता, बढ़ा हुआ किट अनुरक्षण भत्ता तथा अन्य "पर्क" मंजूर करने से प्रति अधिकारी अपेक्षित खर्च कितना है;

(ख) क्या यह सच है कि ये 'पर्क" सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों की कठिनाइयों और जोखिम भरी सेवा शर्तों को ध्यान में रखकर मंजूर किए गए हैं;

(ग) क्या उक्त "पर्क" निरीक्षण महानिदेशालय संगठन में कार्यरत स्थायी सेकेन्डिड सर्विस अधिकारियों पर भी लागू होंगे;

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर सकारात्मक है तो निरीक्षण महानिदेशालय के स्थायी सेकेन्डिड सर्विस अधिकारियों को किन कठिनाइयों और जोखिमों का सामना करना पड़ता है; और

(ङ) निरीक्षण महानिदेशालय के स्थायी सेकेन्डिड अधिकारियों की सेवाएं निरीक्षण महानिदेशालय के सिविलियन अधिकारियों से किस प्रकार भिन्न हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) भत्तों आदि में की गई वृद्धि के बारे में सरकार द्वारा 29-1-1983 को की गई घोषणा के परिणामतः प्रति अफसर अनुमानित व्यय का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) सरकार द्वारा मंजूर की गई अतिरिक्त रियायतों का उद्देश्य सशस्त्र सेनाओं की गुणात्मकता और मनोबल बढ़ाना है और साथ ही सशस्त्र सेनाओं में सेवा को अधिक आकर्षक बनाना है । ये कठिनाइयां और खतरे सेवा की शर्तों के अंग होते हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) स्थायी रूप से उपनियुक्त सेना अफसर थलसेना अधिनियम 1950 से शासित होते हैं और उन्हें जरूरत पड़ने पर सक्रिय सेवा के लिए वापस बुलाया जा सकता है जबकि सिविलियन अफसर अपने-अपने सिविल सेवा नियमों से शासित होते हैं ।

विवरण

भत्तों और वेतनेत्तर लाभों में वृद्धि के परिणामतः प्रति अफसर अनुमानित खर्च

1.	मुफ्त राशन	राशन की दर और उसके मूल्य के बारे में विचार किया जा रहा है ।
2.	परिवार से अलग रहने का भत्ता (फील्ड क्षेत्र)	फील्ड क्षेत्र में प्रति विवाहित अफसर 70 रुपये प्रतिमाह
3.	परिवार से अलग रहने का भत्ता (शान्ति क्षेत्र)	परिवार आवास उपलब्ध न होने के कारण शान्ति क्षेत्र में मेसों में निवास करने के लिए बाध्य होने पर ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अफसरों के लिए 140 रुपये प्रतिमाह प्रति अफसर ।
4.	स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए परिवहन की व्यवस्था	इसका खर्च प्रति बच्चा 24 रुपये प्रतिमाह आंका गया ।
5.	आरम्भिक परिधान भत्ता	कमीशन मिलने के समय ही 700 रुपये (थलसेना और वायु सेना अफसर) और 800 रुपये (नौसेना अफसर) ।

6. नवीकरण परिधान भत्ता — सक्रिय सेवा के प्रत्येक 7 साल बाद 600 रुपये (थलसेना और वायु सेना) और 700 रुपये (नौसेना अफसर)

7. किट अनुरक्षण भत्ता — 25 रुपये प्रतिमाह प्रति अफसर।

8. मेस अनुरक्षण भत्ता — मेस की क्षमता के अनुसार अलग-अलग इसमें वृद्धि की दर निम्नलिखित है :—

	पुरानी दर	संशोधित दर
	रु० प्रतिमाह प्रति अफसर	रु० प्रतिमास प्रति अफसर
पहले 10 अफसरों के लिए	12/-	30/-
अगले 15 अफसरों के लिए	6/-	20/-
25 से अधिक अफसरों के लिए	4/-	10/-

9. मेस के लिए फर्नीचर अनुदान

मेस की क्षमता	फर्नीचर अनुदान
20 अफसर तक	25,000 रुपये
21 से 50 अफसर	45,000 रुपये
51 से 100 अफसर	80,000 रुपये

10. अंत्येष्टि भत्ता — जिस अफसर की शान्ति क्षेत्र में मृत्यु हो जाती है और जिसकी अंत्येष्टि उसके रिस्तेदार या मित्र करते हैं उनके मामले में यह वृद्धि 25 रु० प्रति अफसर।

11. पुनर्नियुक्त अफसरों का वेतन निर्धारण — जिस अफसर की 55 वर्ष से पूर्व सेवानिवृत्ति हो जाती है और जिसे सरकार द्वारा पुनर्नियुक्त किया जाता है उनके मामलों में यह वृद्धि 125 रु० प्रतिमाह प्रति अफसर।

12. असबाब लागत की प्रतिपूर्ति — अब सार्वजनिक टैरिफ दरों पर असबाब ले जाने की अनुमति।

13. फार्म "डी" का उपयोग — पहले आने और जाने दोनों तरफ के तीन के स्थान पर 6 एकल टिकट/अफसर को प्राधिकृत श्रेणी से एक श्रेणी नीचे यात्रा करने की अनुमति।

14.	छुट्टी के बदले नकद वेतन	मौजूदा रियायत में दो महीने और जोड़ दिए गए हैं।
15.	पैराशूट वेतन	75 रुपये प्रतिमाह अफसरों के लिए।
16.	गोताखोरी भत्ता (नौसेना)	50 रुपये प्रतिमाह अफसरों के लिए।

विदेशी प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान करना

4541. **श्री अमल दत्त :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में विदेशी प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान के कितने करारों को, सहयोग समझौतों के अन्तर्गत किए गए करारों को छोड़कर मंजूरी दी गई है;

(ख) इनमें से कितने समझौतों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है और इस प्रकार के आदान-प्रदान हेतु कितने धन का भुगतान किया गया है;

(ग) इस प्रकार की प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान को मंजूरी देने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए भारत में प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है, सरकार ने क्या सुरक्षात्मक कार्यवाही अपनाई है;

(घ) इस प्रकार की विदेशी प्रौद्योगिकी के प्रयोग से कि किस्म के सामान का उत्पादन किया जाएगा और उसका क्या उपयोग होगा; और

(ङ) प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान से कितना आयात बचाया गया है और निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मैसर्स एंग्लो-फ्रेंच टेक्सटाइल मिल्स, मद्रास

4542. **श्री निहाल सिंह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय रुई निगम को हुई लगभग एक करोड़ और 17 लाख रुपये की हानि के लिए मैसर्स एंग्लोफ्रेंच टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, मद्रास जिम्मेदार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : मैसर्स एंग्लोफ्रेंच टेक्सटाइल मिल्स लि०, मद्रास द्वारा रुई की गांठों को क्लियरेंस न देने की वजह से भारतीय रुई निगम को 1,16,88,475.22 रु० की हानि उठानी पड़ी। मामला न्यायाधीन है क्योंकि भारतीय रुई निगम ने अपने दावे के लिए मुकदमा दायर कर दिया है।

कालीकट हवाई अड्डे के निर्माण में प्रगति

4543. **श्री जेवियर अराकल :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के कालीकट हवाई अड्डे के निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ख) यह कब तक पूरा हो जाएगा और निर्माण की कुल लागत कितनी है; और

(ग) अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (ख) कालीकट में निर्माण-स्थल के विकास तथा उसे समतल करने के लिए निविदाएं प्राप्त हुई हैं तथा निर्माण और आवास मंत्रालय के निर्माण सलाहकार बोर्ड ने उन पर विचार किया है। इस कार्य का ठेका शीघ्र ही दे दिए जाने की सम्भावना है।

(ख) निर्माण कार्य के प्रारम्भ होने के 4 से 5 वर्ष में पूरा हो जाने की सम्भावना है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 14.66 करोड़ रुपये है।

(ग) अब तक 2·22 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।

जाली दस्तखतों से बैंकों से धनराशि निकालना

4544. **श्री जगपाल सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाताधारियों के जाली दस्तखत करके बैंक कर्मचारियों की सांठगांठ से बैंकों से लाखों रुपये निकाले जा रहे हैं; और

(ख) 1981-82 और 1982-83 के दौरान इस प्रकार के कितने मामलों का पता चला और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) यथाउपलब्ध सूचना एकत्र की जाएगी और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

रुई एकाधिकार क्रम योजना के लिए महाराष्ट्र विपणन संघ को ऋण

4545. **श्री उत्तम राव पाटिल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र विपणन संघ को रुई एकाधिकार क्रय योजना के लिए 1982-83 के मौसम के लिए कितना ऋण दिया गया है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि किसानों द्वारा रुई बेचने के पश्चात् उनको मूल्य की अदायगी दी या इससे अधिक महीनों तक नहीं की जाती; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार विपणन संघ को दिए जाने वाले ऋण की धनराशि में वृद्धि करेगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 1982-83 के कपास के मौसम के दौरान महाराष्ट्र स्टेट को-आपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन को महाराष्ट्र में कपास संभरण परिचालनों के वास्ते, नाबार्ड की पूर्व प्राधिकृत से क्रमशः 5 करोड़ रुपये और 195 करोड़ रुपये की दृष्टि बंधन नकदी ऋण सीमाएं महाराष्ट्र स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि० द्वारा स्वीकृत की गयी थीं।

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से प्राप्त सूचना के अनुसार इस मार्केटिंग फैडरेशन ने, 5 जनवरी, 1983 तक कपास के संभरण के वास्ते कपास निविदादाताओं को पूरी अदायगियां कर दी हैं। उसके बाद की अदायगियां, राज्य सरकार की अनुमति से, उन पर एक प्रतिशत ब्याज के साथ 2 से 3 महीने आगे की तारीखों वाले (पोस्टडेटेड) चैकों द्वारा की गई।

(ग) यह स्कीम महाराष्ट्र स्टेट को-आपरेटिव बैंक द्वारा वित्त पोषित है और राज्य सरकार, फैडरेशन को, मार्जिन मनी के वास्ते निधियों की व्यवस्था करती है। सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा चालू मुख्य मौसम में अपने कपास संभरण परिचालनों के वास्ते फैडरेशन को स्वीकृत ऋण सीमा में वृद्धि की जा रही है या नहीं।

विदेशों को निर्यात किए गए माल की भारतीय व्यापारियों को अदायगी न किया जाना

4546. **श्री शांतु भाई पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापारियों द्वारा निर्यात किए गए माल की कुछ देशों द्वारा अदायगी नहीं की जा रही है जिसके कारण भारत को विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक देश की और कितनी राशि देय है; और

(ग) क्या इसमें से काफी बड़ी धनराशि प्राप्त न होने की आशंका है और सरकार ने अदायगी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्ब और/या भुगतान शेष सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण, निम्नलिखित देशों से उनको किए गए निर्यात के सम्बन्ध में अदायगी प्राप्त करने में देरी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, निर्यातित वस्तुओं की भारत में प्रत्यावर्तित की जाने वाली अदायगियों का 30-6-1982 तक का

ब्यौरा इस प्रकार है :

	देश का नाम	बकाया रकम (लाख रुपये)
1.	घाना	57.37
2.	नाइजीरिय	1376.47
3.	सियेरालियोन	650.78
4.	सूडान	2104.42
5.	सीरिया	42.44
6.	तंजानिया	591.78
7.	युगांडा	35.23
8.	जायरे	2.41
9.	जाम्बिया	291.73
10.	तुर्की	574.74

किन्तु ये बकाया रकमें, इन देशों को भारत द्वारा किए गए कुल निर्यात के मूल्य के बहुत ही मामूली प्रतिशत भाग के बराबर बैठती है।

2. इन अदायगियों की प्राप्ति में केवल देरी ही हुई है और आशा है कि इनको उचित समय में, जब कि सम्बद्ध देशों द्वारा प्रक्रिया सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाएगा अथवा विदेशी मुद्रा की आवश्यक मात्रा उपलब्ध करा दी जाएगी, वसूल कर लिया जाएगा। भारत सरकार सम्बद्ध देशों के साथ इस मामले को बराबर उठाए हुए है कि वे शीघ्र अदायगियां करें। कुछ मामलों में, अवरुद्ध रकमों का प्रयोग भारतीय मिशनों के लिए सम्पत्ति की खरीद करने पर भी कर लिया गया है, जिनका मूल्य अन्यथा मुक्त विदेशी मुद्रा में चुकाना पड़ता।

आबू पहाड़ी में पर्यटकों के लिए "काटेज रूमों" का निर्माण

4547. **श्री विरधा राम फुलवारिया :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आबू यात्रा पर जाने वाले पर्यटकों के लिए पर्यटन विभाग 400 काटेज रूमों का निर्माण करेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्माण की लागत कितनी होगी और यह कब तक तैयार हो जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव पर्यटन विभाग के विचाराधीन नहीं है। तथापि, राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने माउंट आबू सहित राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर 21,20,000 रुपए की अनुमानित लागत पर 400 टैंटों के आवास की व्यवस्था हेतु पर्यटन विभाग से सहायता की मांग की है। इस मामले में धनराशियों की उपलब्धता और स्कीमों की परस्पर प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जायेगा।

राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट

4548. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने 1982-83 में बैंकों से ओवरड्राफ्ट लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के क्या नाम हैं;

(ग) इस प्रकार के ओवरड्राफ्ट बन्द करने के लिए सरकार द्वारा क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे गए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी : (क) और (ख) तमिलनाडु को छोड़कर अन्य सभी राज्य जिनका भारतीय रिजर्व बैंक के साथ लेन-देन है, 1982-83 के दौरान ओवरड्राफ्ट में आ गए थे।

(ग) और (घ) चालू ओवरड्राफ्ट विनियमन योजना निम्न प्रकार है :—

(I) यदि कोई राज्य सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से 45 दिन से अधिक कजदार रहती है, चाहे वह अर्थोपाय अग्रिम की सीमाओं के अन्तर्गत हो, तो असुन्तुलन को ठीक करने के लिए शुरू में राज्य सरकार के साथ सरकारी स्तर पर और यदि आवश्यक हो तो यथा आवश्वक सुधारात्मक उपायों को सुझाने के लिए मुख्य मंत्री स्तर पर विचार-विमर्श किया जायेगा।

(II) जैसे ही कोई राज्य सरकार प्राधिकृत अर्थोपाय सीमा के 75% भाग को प्राप्त कर लेती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक उस राज्य सरकार को सचेत कर देगा और यदि ऐसी चेतावनी के बावजूद राज्य सरकार के खाते से 7 कार्य दिवस से अधिक के लिए ओवरड्राफ्ट लिया जाता है तो रिजर्व बैंक राज्य सरकार की अदायगियों को रोक देगा जिन्हें तब तक शुरू नहीं किया जायेगा जब तक ओवरड्रफ्ट का निपटान न कर दिया जाए।

एशियाड-82 के दौरान यात्रियों को सुविधाएं

4549. श्रीमती किशोरी सिन्हा :

श्री फूलचन्द वर्मा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आयोजित किए गए एशियाड-82 के दौरान यहां आने वाले लोगों के लिए कुछ सुविधाओं की घोषणा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर अनुमानत: कितनी राशि खर्च हुई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एशियाड-82 के दौरान यात्रियों के लिए पेइंग गेस्ट आवास और स्कूल तथा कालेज के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में मुफ्त आवास जैसी सुविधाओं की घोषणा की गई थी। खेलों के लिए किए गए प्रबन्धों का एक बड़ा हिस्सा होटल आवास के निर्माण और अतिरिक्त परिवहन सुविधा की व्यवस्था से सम्बन्धित था। जिन अतिरिक्त कमरों का निर्माण किया गया था, वास्तव में उन्हें हमारी छठी योजना और सातवीं योजना अवधियों में यथा-परिकल्पित इस देश में आने वाले सामान्य पर्यटक यातायात के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित था। भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा परिवहन पर 2.60 रुपए खर्च किए गए जो बेकार और पुराने वाहनों को बदलने के लिए जरूरी था। वर्तमान फ्लीड को बदलने और उसमें वृद्धि करने के लिए उपर्युक्त व्यय करते समय अक्तूबर, 1983 में होने वाले राष्ट्रमंडल देशों के राज्याध्यक्षों के सम्मेलन की जरूरतों को भी ध्यान में रखा गया था। एशियाई खेल गांव के लिए 150 लाख रुपए के किचन-इक्विपमेंट का आयात किया गया था।

विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी

4550. श्री बालकृष्ण वासनिक : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आई है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान वर्षवार इनके क्या आंकड़े रहे हैं; और

(ग) विदेशी मुद्रा कमाने वाले इस उद्योग की रक्षा करने और इसमें सुधार करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान पर्यटक आगमनों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	पर्यटक आगमनों की संख्या
1978	747,995
1979	764,781
1980	800,150
1981	1279,210*
1982	1286,079*

*पाकिस्तान और बंगलादेश के राष्ट्रिक शामिल हैं ।

(ग) सरकार द्वारा जो कदम उठाए जाने की परिकल्पना है, वे ये है :—चार्टर ट्रैफिक का संवर्धन, अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेंस/कन्वेंशन निमन्त्रित करना, विदेशों में और अधिक मार्केटिंग और संवर्धन, विदेशों में श्रीलंका, कुआला लाम्पुर और खाड़ी के क्षेत्र में नए कार्यालय खोलना, निर्धारित यात्रा परिपथों पर पड़ने वाले पर्यटक केन्द्रों पर सुविधाओं का विकास, वर्तमान हवाई अड्डो का विस्तार और नए एयर टर्मिनलों का निर्माण, पश्चिम एशिया के देशों को शामिल करते हुए क्षेत्रीय पर्यटन का संवर्धन, थल परिवहन सुविधाओं की क्वालिटी और उपलब्धता में सुधार लाना ।

बिहार शरीफ, नालन्दा, पावापुरी, राजगीर में पर्यटक केन्द्रों का विकास

4551. **श्री विजय कुमार यादव : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के नालन्दा जिले में बिहार शरीफ नालन्दा तथा राजगीर में हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन तथा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए पर्यटक केन्द्र हैं; और

(ख) इन पर्यटक केन्द्रों के विकास के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां ।

(ख) राजगीर और नालन्दा को राज्य सरकार से परामर्श करके केन्द्र, राज्य और निजी क्षेत्रकों के मिश्रित संशाधनों के माध्यम से एकीकृत विकास के लिए निर्धारित किया गया है । इसके अतिरिक्त, राजगीर और नालन्दा सहित बिहार में "बौद्ध" महत्व के स्थानों की यात्रा करने वाले यात्रियों की सहूलियत के लिए "द ग्रेट इंडियन रोबर" नामक एक स्पेशल ट्रेन शीघ्र चलाई जा रही है ।

उड़ीसा के कालाहांडी जिले में जूनागढ़ ब्लाक में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

4552. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में कालाहांडी जिले के जूनागढ़ ब्लाक के "माहीचला" मोटोर, दसीगांव, हसनपुर स्थानों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोलने पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है, तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकों का शाखा विस्तार राज्य सरकार के विकासात्मक कार्यक्रमों का सहायक बने, भारतीय रिजर्व बैंक इस बात पर मुख्यतः राज्य सरकारों पर निर्भर रहता है कि वे बैंक शाखाएं खोलने के वास्ते जिला परामर्शदात्री समितियों में बैंकों और अन्य अभिकरणों के परामर्श से बैंक रहित ग्रामीण/अर्ध-शहरी स्थानों का विनिर्धारण करें और ऐसे विनिर्धारित स्थानों को उस क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न बैंकों को आवंटित करें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा व्याप्त अथवा प्रस्तावित रूप से व्याप्त होने वाले जिलों में, विनिर्धारित स्थान, प्राथमिक रूप से उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आवंटित किए जाते हैं।

उड़ीसा में कालाहांडी जिला, कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक के कमान क्षेत्र में आता है। यह ग्रामीण बैंक मोटोर में अपनी शाखा खोल चुका है और हबसपुर में शाखा खोलने के वास्ते इसे एक प्राधिकृति जारी की जा चुकी है। उड़ीसा की सरकार ने शाखा खोलने के वास्ते शेष स्थान विनिर्धारित नहीं किए हैं।

जिला मुख्यालयों के लिए विमान यात्रा सुविधा

4553. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला मुख्यालयों को विमान-यात्रा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब कार्यान्वित किया जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं है।

राज्य सरकारों को आसान ऋण

4554. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को न उनकी ओवरड्राफ्ट की समस्या से निपटने के लिए आसान ऋण देने पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ।

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने 18 राज्यों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ, 31 मार्च, 1982 की स्थिति के अनुसार, उनके घाटे को पूरा करने के लिए 1743.46 करोड़ रुपए की राशि के सावधिक ऋण दिए हैं। ये ऋण विशेष श्रेणी के राज्यों अर्थात् असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, तथा त्रिपुरा (जम्मू और कश्मीर तथा सिक्किम भारतीय रिजर्व बैंक के साथ लेन-देन नहीं करते) के लिए 10 वर्ष की अवधि तथा अन्य राज्यों के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए हैं जिसमें मूलधन तथा ब्याज की वापस अदायगी किए जाने के सम्बन्ध में 1 वर्ष का ऋण-स्थगन शामिल है। ब्याज सहित ये ऋण 1984-85 से वापस अदायगी योग्य हो जाएंगे । इन ऋणों पर ब्याज की दर 6½ प्रतिशत होगी जिसमें शीघ्र अदायगी के लिए 1/4 प्रतिशत की छूट होगी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

महंगाई भत्ता सूत्र में संशोधन

4555. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महंगाई भत्ता सूत्र का संशोधन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की वर्तमान योजना सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधन तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। विभिन्न वेतन सीमाओं वाले कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते की दरों में सरकार द्वारा पिछली बार 1979 में राष्ट्रीय परिषद् (संयुक्त परामर्श दाता तन्त्र) के कर्मचारी पक्ष के साथ परामर्श करके संशोधन किया गया था ।

नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन के "शो रूमों" का स्थानान्तरण

4556. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन के सभी "शो रूम" भारत में इसके सहायक कम्पनियों को स्थानान्तरित कर दी गई हैं;

(ख) एन० टी० सी० होल्डिंग कम्पनी के वितरण प्रभाग के मुख्य-मुख्य कार्य क्या हैं;

(ग) होल्डिंग कम्पनी के उसी विभाग में कितने उच्च पदाधिकारी हैं;

(घ) यदि उन अधिकारियों के पास कोई काम नहीं है तो क्या सरकार उन्हें वहां से हटाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां ।

(ख) मोटे तौर पर निर्यात बढ़ाने, सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि को बड़ी मात्रा में बिक्री, विपणन अनुसंधान और विश्लेषण, प्रचार, विभिन्न स्तरों पर बाजार कार्यों की समीक्षा तथा मानीटरिंग पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए नियन्त्रक कम्पनी के विपणन ढांचे को पुनर्गठित करने के लिए कार्यवाही आरम्भ की गई है ।

(ग) से (ङ) निदेशक के अलावा विपणन प्रभाग में 4 सलाहकार हैं, जिनके स्तर के बारे में निर्णय ढांचे का पुनर्गठन करते समय किया जायेगा ।

आयकर विभाग में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना

4557. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर विभाग के सभी कर्मचारियों के मामले में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो जनवरी 1973 से जिस तारीख को यह सिफारिशें लागू की गई थी, उस तारीख तक की बकाया धन राशि का भुगतान किस महीने और किस वर्ष में किया गया था;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ कर्मचारियों को अभी तक बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन्हें कब तक भुगतान हो जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हाँ ।

(ख) आयकर आयुक्त को, जो कि विभागाध्यक्ष हैं, कर्मचारियों से विकल्प मांगने और संशोधित वेतनमानों में उनके वेतनों के पुनः निर्धारण करने के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करने के लिए दिसम्बर, 1973 में निदेश दिया गया था ।

(ग) और (घ) इस विभाग को ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है जिसमें बकाया की अदायगी नहीं की गई हो । तथापि, यदि कुछ विशेष मामलों को विभाग की जानकारी में लाया जाता है तो उनकी जांच-पड़ताल की जाएगी ।

आयकर अधिकारी श्रेणी-दो के पदों को आयकर अधिकारी श्रेणी-एक में बदला जाना

4558. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर विभाग में श्रेणी तीन के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

करने वाली यूनियनों/एसोसिएशनों/फेडरेशनों ने आयकर अधिकारी श्रेणी-दो के 258 पदों को आयकर अधिकारी श्रेणी-एक में बदले जाने का विरोध किया है; यदि हां, तो इन यूनियनों/एसोसिएशनों/फेंडरेशनों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या श्रेणी-दो से श्रेणी-एक में पदों के प्रस्तावित दर्जा बढ़ाए जाने से ग्रुप-सी के कर्मचारियों के पदोन्नति अवसरों पर कई प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उनके अवसर कितने प्रतिशत तक प्रभावित होंगे;

(ग) ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है जिन्होंने आयकर अधिकारी ग्रुप 'बी' की विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हैं तथा आयकर अधिकारी-ग्रुप 'बी' के पदों पर पदोन्नत की प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(घ) क्या उपरोक्त बातों को दृष्टि में रखते हुए सरकार का श्रेणी-दो से श्रेणी-एक में पदों के प्रस्तावित दर्जा बढ़ाने के विचार को त्यागने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत-योरोप आर्थिक समुदाय उद्योगों की स्थापना का विचार

4559. **श्री बाबू राव परांजपे** : *क्या वाणिज्य मंत्री* यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 17 जनवरी, 1983 के *"इंडियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित* "प्ली टु सेट अप इण्डो ई ई सी वेचर्स " शीर्षक समाचार को देखा है;

(ख) यदि हां, तो स्थापित किए जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन देशों के नाम क्या हैं जहां से परियोजनाएं स्थापित की जायेंगी ?

(ग) भारत और योरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच पूंजी निवेश में क्या हिस्सेदारी किस प्रकार होगी और इसे किस प्रकार पूरा किया जायेगा; और

(घ) भारत को इससे कितना लाभ होने की संभावना हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां

(ख) से (घ) भारत द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ किए गए भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय वाणिज्यिक तथा आर्थिक सहयोग करार में भारत की राष्ट्रीय नीतियां तथा विनियमों के अनुसार भारत में पूंजी निवेश के बढ़ाने के लिए व्यवस्था है । इसके अनुसरण में यूरोपीय समुदाओं के आयोग ने नवम्बर, 1982 में पश्चिमी जर्मनी में डसलडोर्फ में, फ्रांस में पैरिस में तथा ब्रिटेन में स्ट्रैटफार्ड-आन-एवन में तीन सेमिनार आयोजित किए जिनका उद्देश्य विदेशी पूंजी निवेश आदि से सम्बन्धित भारत की क्षमता, सरकार की नीतियां तथा प्राथमिकताओं

भारतीय कानून के बारे में यूरोपीय व्यापारियों को परिचित करना था। अनुवर्ती कार्यवाही के लिए 16 से 18 जनवरी, 1983 तक नई दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ जिसे ऐसे सहयोग में रूची रखने खाले सक्षम यूरोपीय पूंजी लगाने वालों तथा उपयुक्त भारतीय फर्मों को एक साथ लाने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए भारतीय पूंजी निवेश केन्द्र के सहयोग से आयोजित किया गया था। नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में 100 यूरोपीय व्यापारी तथा लगभग 300 भारतीय उद्यमियों ने भाग लिया था। हालांकि आटोमैटिक उद्योग इलैक्ट्रीनीकी, संचार, औद्योगिक मशीनरी तथा बाईसिकिल तथा बाइसिकिल संघटनों के क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था परन्तु कुछ भाग लेने वाले विभिन्न अन्य क्षेत्रों में रुची रखते थे। सम्मेलन के परिणाम-स्वरूप अनेक मामलों में ससयोग के लिए अन्वेषणात्मक बातचीत आरम्भ की गई परन्तु इतनी जल्दी यह कहना सम्भव नहीं है कि हममें से सहयोग के कितने ठोस परिणाम निकलेंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की सहायता प्राप्त परियोजनायें

4560. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक की एक प्राइवेट ऋण संस्था अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने, जितने भारत में कार्यालय खोलने का निर्णय किया है एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा है कि लघु अथवा मध्यम परियोजनाओं के लिए धन देने में नहीं हिचकेगी बशर्ते कि वे वाणिज्यिक रूप से लाभप्रद हों;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के प्रतिनिधियों ने हाल ही में महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों का दौरा किया था;

(ग) यदि हां, तो किन परियोजनाओं को अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम सहायता देगा तथा इन परियोजनाओं को कब तक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी;

(घ) क्या भारत ने कोई प्रस्ताव अथवा योजनाएं भेजी हैं जिनके लिए सहायता मांगी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में क्या निर्णय किए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) तक: अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम वाशिंगटन जो विश्व बैंक से संबद्ध संस्था है, सरकारी गारंटी के बिना संयुक्त क्षेत्रागैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की इक्विटी। ऋण सहायता प्रदान करता है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम वाशिंगटन के एक मिशन ने नवम्बर 1982 में भारत की यात्रा की थी तथा संभावित उद्यमियों और सरकारी अधिकारियों के साथ हुई बातचीत के फलस्वरूप राजकोषीय वर्ष 1983 (1-7-82 से 30-6-1983 तक) के दौरान अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (वाशिंगटन) की संभावित सहायता के लिए प्रस्तुत की जाने वाली परियोजनाओं की सूची तैयार की गई थी।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (वाशिंगटन) यथासमय सहायता के लिए प्रस्तुत की जाने वाली परियोजनाओं का मूल्यांकन करेगा और आर्थिक सक्षमता तथा तकनीकी व्यवहार्यता जैसे कारणों

को ध्यान में रखते हुए अपनी सहायता के सम्बन्ध में निर्णय लेगा। राजकोषीय वर्ष 1983 के दौरान अब तक सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (वाशिंगटन) की इंडिया इक्विपमेंट लीसिंग लिमिटेड में ऋण के रूप में 50 लाख अमेरिकी डालर और इक्विटी के रूप में 45 लाख रुपए की राशि के निवेश की अनुमती दी गई है।

तकनीकी कारणों से भारतीय वायुसेना के डाकोटा तथा फेयरचाइल्ड परिवहन विमानों की उड़ाने बन्द करना

4561. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के लगभग 100 डाकोटा और फेयरचाइल्ड परिवहन विमानों की उड़ानें कुछ तकनीकी कारणों से बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इतने अधिक विमानों की उड़ाने एक साथ बन्द कर देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे विमानों में कुछ होने के कारण किया गया है अथवा विमानों का रख-रखाव उचित ढंग से नहीं किया जाता है; और

(घ) कठिन क्षेत्र और खराब मौसम में उनके कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (घ) भारतीय वायु सेना के परिवहन बेड़े के अँग डकोटा और फेयरचाइल्ड पैकेट विमान बहुत पुराने विमान हैं। ये विमान काफी पुराने और अप्रचलित होने के कारण समय-समय पर कुछ समस्याएं अवश्य पैदा हो जाती है जिससे विमानों को निरक्षण तथा कमियां दूर करने के लिए खड़ा कर दिया जाता हैं। इस समय हालांकि कुछ विमान निरक्षण के लिए खड़े किए हुए हैं परन्तु शेष विमान उड़ान कार्य पर हैं।

भारतीय वायु सेना की इस पुराने मझोल दर्जे के परिवहन विमान बेड़े के स्थान पर सोवियत संघ मूल के ए एन-32 विमान लाने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। ए एन-32 विमान लाने पर वायु सेना के डकोटा और पैकेट विमानों को धीरे-धीरे हटा दिया जाएगा।

तीसरे विश्व के बाजार को निर्यात

4562. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लम्बे समय से, निर्यात बढ़ाने के प्रयास पश्चिम के औद्योगिक देशों तक सीमित रखे गए हैं और तीसरे विश्व के बाजार की बढ़ती हुई क्षमताओं की उपेक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो तीसरे विश्व के बाजार को निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) तीसरे विश्व बाजार को हुए भारत के निर्यात में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है। तीसरे विश्व बाजार को होने वाले भारत के निर्यातों में वृद्धि करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) तीसरे विश्व बाजार को होने वाले भारत के निर्यातों को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं : (1) व्यापार करार करना (2) व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का आदान प्रदान (3) बाजार सर्वेक्षण, वाणिज्यिक प्रचार करना, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना आदि (4) विकास शील देशों में परामर्शी तथा प्रबन्ध संविदाएं सुनिश्चित करने के लिए भारतीय परामर्शी फर्मों को प्रोत्साहन देना (5) बाधाओं को दुर करने के लिए सरकारी स्तर पर बातचीत करना तथा निर्यातों की मदों का पता लगाना एवं उनका संवर्धन करने के लिए उपाय करना।

इंडियन एयरलाइन्स के अलाभकारी टर्बो-प्राप विमान को बदलना

4563. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स को अलाभकारी टर्बो-प्राप विमानों के संचालन पर प्रतिमास 1.10 करोड़ रुपए की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उनका संचालन जारी रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन विमानों को बदलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उन्हें कब तक बदला जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) कई विमानक्षेत्र, जहां इंडियन एयरलाइन्स अपनी सेवाएं प्रचलित कर रही है, इन्हें बोइंग विमान प्रचलनों के लिए उपयुक्त बनाने हेतु, इनका ऐसे स्तर तक विकास अभी किया जाना है। कई मार्गों पर बोइंग प्रचलनों को आर्थिक दृष्टि से विकासक्षम बनाने के लिए यातायात आवश्यक न्यूनतम भार गुणक के अनुरूप नहीं है। इसलिए फिलहाल टर्बो-प्राप विमानों से प्रचालन तब तक जारी रखने में ही लाभ है जब तक इन्हें प्रावस्थाबद्ध रूप में हटा नहीं दिया जाता और उनकी जगह अधिक उपयुक्त विमान प्रचलित नहीं किए जाते।

(ग) टर्बो-प्राप विमानों को प्रावस्थाबद्ध रूप में हटा लिए जाने के लिए सिद्धांत रूप से निर्णय किया जा चुका है। 1984-85 से 1989-90 तक की अवधि के लिए इंडियन

एयरलाइन्स की क्षमता की आवश्यकताओं के संबंध में कार्य पद्धतियों का अध्यन किया जा रहा है। मार्किट में उपलब्ध सभी उपयुक्त विमानों का एक तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन किया जाएगा तथा उस विमान को शामिल किए जाने का निर्णय किया जाएगा जो इंडियन एयरलाइन्स की आवश्यकताओं के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो।

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा ओ० जी० एल० के० अधीन अ-सरणीबद्ध मदों का निर्यात

4564. **श्री पियूष तिरकी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज और धातु व्यापार निगम खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) के अधीन अ-सरणीबद्ध मदों का निर्यात करने के प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उन असरणीबद्ध मदों के नाम क्या हैं जिन्हें खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन निर्यात किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) निर्यात संवर्धन और उत्पाद्र निविधीकरण के जरिए अपने व्यवसाय को बढ़ाने के उपाय के रूप में खनिज तथा धातु व्यापार निगम गैर-सरणीबद्ध खनिजों का निर्यात करने की सम्भाव्यता का पता लगा रहा है।

वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

4565. **श्री आनन्द पाठक** : क्या वाणिज्य मंत्री कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के बारे में दिनांक 30 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3368 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही की गई है जिनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने विभागीय कार्यवाही करने की सिफारिश की थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) ऐसा समझा जाता है कि इस मासले पर अपेरल निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा विचार किया जा रहा है।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा व्यापार मेलों का समन्वय

4566. **श्री आनन्द पाठक :** क्या वाणिज्य मंत्री नई दिल्ली में प्रतिस्पर्धी वस्त्र मेलों के बारे में दिनांक 15 अक्तूबर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2165 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का दिल्ली, बम्बई, मद्रास आदि में लगभग एक साथ आयोजित किए जाने वाले वस्त्र मेलों का समन्वय अथवा आयोजन भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण को सौंपने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : जी, नहीं।

रक्षा लेखा महानियंत्रक, नई दिल्ली के कार्यालय में स्थानान्तरण नीति

4567. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा लेखा महानियंत्रक ने रक्षा लेखा विभाग की दोनों मुख्यालय एसोसियशनों के परामर्श से 1976 में एक स्थानान्तरण नीति तैयार की थी ;

(ख) यदि हां, तो कमानों तथा अन्तर-कमानों के संबंध में अनुभाग अधिकारियों, लेखा परीक्षकों, अवर श्रेणी लिपिकों का वापस स्थानान्तरण किए जाने की अवधि कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि सिविल रक्षा लेखा, पटना कमान के अन्तर्गत कतिपय स्थानों को कठिन कार्यकाल स्थान के रूप में वर्गीकृत किया गया है ;

(घ) क्या यह सच कि धन की कमी के कारण पिछले तीन वर्षों से सुगम और कठिन कार्यकाल स्थानों से वापस स्थानान्तण तथा अन्तर-कमान स्थानान्तर समय पर कार्यान्वित नहीं किए जा रहे हैं ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि निश्चित स्थानान्तरण नीतियों को कार्यान्वित किए जाने हेतु निधियों सम्बन्धी सही आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए थे तथा कर्मचारियों को कष्ट भोगना पड़ता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी हां।

(ख) अन्तर-कमान स्थानान्तरण के लिए कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रशासनिक दृष्टि से व्यवहार्य सीमा तक स्थानान्तरण नीति को क्रियान्वित किया जाना है।

(ङ) जी नहीं।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सुविधाओं में वृद्धि

4568. श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय कितने अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं ;

(ख) वे कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या इन हवाई अड्डों पर विद्यमान सुविधाओं से सरकार संतुष्ट है; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रत्येक हवाई अड्डे का विकास करके वहां पर विद्यमान सुविधाओं को बढ़ाने हेतु सरकार का क्या विशिष्ट कार्यक्रम है ; और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) भारत में चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो बम्बई (सांताक्रुज हवाई अड्डा), कलकत्ता (दमदम हवाई अड्डा), दिल्ली (पालम हवाई अड्डा) तथा मद्रास (मीनांबक्कम हवाई अड्डा) में स्थित हैं।

(ग) और (घ) इन हवाई अड्डों पर उपलब्ध सुविधाएं सामान्यत: संतोषजनक हैं। तथापि अन्तर्देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही विमान यात्रियों के लिए अधिक अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था कराने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित मुख्य परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं :—

(क) 22.49 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बम्बई हवाई अड्डा (प्रावस्था-II) पर नया अन्तर्राष्ट्रीय यात्री टर्मिनल परिसर इस परियोजना को मार्च, 1985 तक पूरा किया जाना है।

(ख) 63.95 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दिल्ली हवाई अड्डा (प्रावस्था-I) पर नया अन्तर्राष्ट्रीय यात्री एवं कार्गो टर्मिनल परिसर इस परियोजना के वर्ष 1984-85 में पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) 10.04 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मद्रास हवाई अड्डे पर नया राष्ट्रीय टर्मिनल परिसर। इस परियोजना के वर्ष 1984-85 में पूरा हो जाने की संभावना है। ऊपर बताई गई मुख्य परियोजनाओं के अतिरिक्त, भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण छठी योजना की अवधि में माल सेवाओं में वृद्धि, माल गोदाम सुविधाओं का निर्माण तथा उपर्युक्त चारों अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर प्रचालनात्मक विश्वसनीयता में सुधार करने में सम्बन्धित कई अन्य योजनाएं आरम्भ कर रही है।

भुगतान संतुलन

4569. प्रो० मधु दण्डवते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी मात्रा में तथा महंगा आयात करने और आयात बाजार में मंदी का रुख होने के परिणामस्वरूप भुगतान-संतुलन सम्बन्धी स्थिति पर गम्भीर प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो भुगतान-संतुलन की मौजूदा स्थिति क्या है ; और

(ग) भुगतान-संतुलन की स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) भारत के विदेशी व्यापार और भुगतान की स्थिति पर गम्भीर प्रभाव पड़ा है क्योंकि अर्थव्यवस्था ने अनेक बाह्य स्रोतों से कई आघात अनुभव किए हैं। आवश्यक आयातों, विशेष कर पेट्रोलियम, आयल और लुब्रीकेंट की कीमतों में 1979 और 1980 में तेजी से वृद्धि हुई है, जबकि भारत के निर्यात के हित की कुछ बड़ी मदों की कीमतों में काफी कमी हुई है। लगातार जारी मंदी और विकसित देशों में संरक्षणात्मक उपायों में तीव्रता लाए जाने के कारण भी भारत निर्यात में बाधा आई है।

(ख) भुगतान संतुलन की स्थिति में 1982-83 में पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ सुधार हुआ है, किन्तु फिर भी विदेशी व्यापार के अत्यधिक घाटे और भुगतान-संतुलन के चालू खाते की स्थिति पर इससे पड़ने वाले प्रभाव की दृष्टिगत रखते हुए स्थिति चिन्ताजनक बनी हुई है।

(ग) सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जिनका उद्देश्य आयतों, खासतौर से थोक मदों के आयात मेंउनका देश में उत्पादन बढ़ाकर कमी करना है और 1982-83 में इनका प्रभाव पड़ा है। निर्यात कार्य में सुधार करने और विदेशों द्वारा प्रेषित की जाने वाली राशियों में वृद्धि करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। बहु-पक्षीय और वाणिज्यिक स्रोतों से, ऋण-शोधन के संबंध में विवेकपूर्ण सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुए अर्थव्यवस्था की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के द्वारा प्रारक्षित राशि में अनुचित कमी को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

बौद्ध-गया तीर्थ स्थान में आवास/भोजन की सुविधाएं

4570. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि बौद्ध-गया तीर्थ स्थान, समूचे दक्षिण पूर्व एशिया और विशेष कर जापान तथा थाइलैंड के बौद्ध-तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए एक मुख्य आकर्षण स्थल है लेकिन वहां आवास और भोजन की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जी, हां। विभाग ने राज्य सरकार की सलाह से बौद्ध-गया में विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था के लिए एक मास्टर प्लान तैयार की है। इसके अतिरिक्त बिहार में बौद्ध अभि-

रूचि के स्थानों की, जिसमें बौद्ध-गया शामिल है, यात्रा करने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए शीघ्र ही एक विशेष रेलगाड़ी चलाई जा रही है जिसका नाम "दि ग्रेट इंडियन रोवर" है। यह गाड़ी जिसमें 126 पर्यटकों के लिए आवास की व्यवस्था होगी, "होटल आन व्हील्स" जैसी होगी जो बौद्ध अभिरूचि के विभिन्न स्थानों की अपेक्षाओं को पूरा करेगी।

दिल्ली और बम्बई हवाई अड्डों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए प्रस्तावित कदम

4571. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हवाई अड्डों, विशेषकर दिल्ली और बम्बई हवाई अड्डों पर भीड़-भाड़ रहती है ; और

(ख) उसे कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां। यूरोप तथा सुदूर पूर्व में रात में विमानों के उतरने और उड़ान भरने पर एयरलाइनों पर लगी पाबन्दियों तथा भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों को मजबूरन बड़े सवेरे भारत से होकर जाना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली तथा बम्बई हवाई अड्डों पर भीड़-भाड़ हो जाती है।

(ख) बम्बई में 25 लाख यात्रियों की वार्षिक क्षमता रखने वाले टर्मिनल-II की प्रावस्था II का निर्माण किया जा रहा है तथा इसके 1985 तक पूरे हो जाने की आशा है। दिल्ली में प्रति वर्ष 35 लाख यात्रियों की क्षमता रखने वाले एक नए अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है तथा आशा है कि यह 1985 के अन्त तक उपयोग के लिए तैयार हो जाएगा।

फ्रांस द्वारा भारत से आयात के प्रतिबन्धों में ढील

4572. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस ने कतिपय भारतीय वस्तुओं के आयात पर लगाए गए प्रतिबन्धों में ढील देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने ऐसी वस्तुओं की सूची तैयार की है जिनका फ्रांस के बाजारों में कठिनाई से प्रवेश होता है;

(ग) क्या यह सूची फ्रांस के राष्ट्रपति के हाल ही के दौरे के बाद फ्रांस सरकार के कहने पर तैयार की गई है; और

(घ) भारत को फ्रांस से क्या सहायता मिलने की सम्भावना है और यह किस क्षेत्रों के लिए दी जाएगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) सरकार को फ्रांस द्वारा कतिपय मदों का भारत से आयात पर प्रतिबन्ध में शिथिलता देने के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। तथापि भारत के प्रतिकूल व्यापार शेष को आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग से संबंधित भारत-फ्रांस संयुक्त समिति की पिछली बैठक के समय फ्रांस के साथ उठाया गया था जिसका सत्र दिल्ली में अक्तूबर 1982 के दौरान हुआ था और पुन: नवम्बर 1983 में फ्रांस के राष्ट्रपति मितरैण्ड के नई दिल्ली के दौरे के समय उठाया गया था। फ्रांस के अधिकारियों से अनुरोध किया था कि वे एक क्रेता मिशन भेजें ताकि ऐसे विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाया जा सके जिसमें फ्रांस सप्लाई के स्रोत के रूप में भारत को देख सके। प्रमुख फ्रांसीसी कम्पनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के एक 12 सदस्यीय प्रतिनिधियंडल ने जनवरी, 1982 में नई दिल्ली तथा बम्बई का दौरा किया तथा भारतीय प्रतिपक्षों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने भारतीय इंजीनियरिंग व्यापार मेले को भी देखा। मिशन की रिपोर्ट प्रतीक्षित है। ऐसी आशा हैं कि इस दल के दौरे के परिणाम स्वरूप, फ्रांसीसी बाजार के लिए आवश्यक माल की सप्लाई के लिए भारत से पार्टनरों का पता लगाने के लिए फ्रांस से और क्षेत्रीय दौरे होंगे।

बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए बैंकों को निर्देश

4573. **श्री हरिहर सोरन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या योजनाएं लागू की गई हैं;

(ख) क्या छठी योजना में निर्धनता और बेरोजगारी की समस्याओं को दूर करने के सरकार के प्रयत्नों में सहायता करने हेतु बैंकों को विशेष निर्देश और मार्ग-निर्देश दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पिछले दो वर्षों में बैंकों द्वारा निभाई गई भूमिका का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) लोगों को लाभप्रद स्वनियोजन के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में उन्मुख सरकार के विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में, सहायता के वास्ते सरकारी क्षेत्र के बैंकों से मूलत: अनुपूरक भूमिका निभाने की आशा की जाती है।

"विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजन को बढ़ाने में बैंकों की भूमिका" का अध्ययन करने के लिए स्थापित कार्यकारी दल द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक ने नियोजन को बढ़ावा देने के वास्ते ऋण में वृद्धि के संबंध में वाणिज्यिक बैंकों को व्यापक अनुदेश जारी किए थे। इसके सुझावों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निम्नलिखित निर्देश दिए थे :—

(1) क्योंकि प्रखण्ड (ब्लाक) को नियोजन की आयोजना के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में एक इकाई माना गया है, बैंकों को उन प्रखण्डों में स्वनियोजन की योजनाएं

कार्यान्वित करने पर ध्यान देना चाहिए जिनके लिए विकास कार्यक्रम तैयार हो चुके हैं तथा साथ ही उन्हें अन्य प्रखण्डों में अपनी योजनाएं धीरे धीरे लागू करने का प्रयास करना चाहिए।

(2) लीड बैंक योजना के अधीन बनायी गयी जिला परामर्शदात्री समितियां बैंकों और विकास अभिकरणों के बीच समन्वय के वास्ते प्रमुख तन्त्र बनी रहनी चाहिएं।

(3) लीड बैंकों द्वारा बनायी गयी जिला ऋण योजनाओं को इस प्रकार व्यापक बनाया जाना चाहिए कि वे नियोजन और विकास योजनाओं के बीच सम्बन्ध को स्पष्टता निर्दिष्ट कर सकें।

(4) ब्लाक स्तर पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों को आयोजन प्रक्रिया में कुछ अधिभार दिया जा रहा है। इसके अनुरूप ऋण आयोजना में भी इन समुदायों के पक्ष में अधिभार रहना चाहिए और इन समुदायों के सदस्यों के वास्ते बैंक सहायता की योजनाएं तैयार की जानी चाहिएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और स्वनियोजन के वास्ते उन्हें अधिकाधिक मात्रा में ऋण प्राप्त हो सके।

(5) परिचालन विषयक बिकास अभिकरणों में बैंकों की भागीदारी को प्रभावी बनाने की दृष्टि से लीड बैंकों के प्रतिनिधियों को उक्त अभिकरणों की कार्यकारी समितियों का सदस्य बना दिया गया है। राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे ब्लाक/जिला स्तर के अन्य विकास अभिकरणों की कार्यकारी समितियों में लीड बैंकों के प्रतिनिधियों को शामिल करें।

(6) जन जाति क्षेत्रों में अपनी व्याप्ति बढ़ाने की दिशा में बैंकों को समर्थ बनाने के लिए राज्य सरकारों से यह कहा गया कि वे बड़े आकार की बहु प्रयोजनी समितियों (एल० ए० एम० पी० एस०) को बैंकों को सौंप दें।

(7) बैंकों को जिला उद्योग केन्द्रों से निकट का सम्पर्क स्थापित करना होगा जोकि विभिन्न जिलों में स्वनियोजन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए हैं।

(8) स्वनियोजन को बढ़ावा देने में, अपनी भूमिका पूरी करने के लिए प्रत्येक बैंक को विभिन्न स्तरों पर लीड बैंक योजना को कार्यान्वित करने के अपने संगठन को मजबूत बनाना चाहिए ताकि योजनाओं के निर्धारण, तैयारी, कार्यान्वयन और अनुवर्तन के संबंध में बैंकों की शाखाओं की तकनीकी क्षमता पर्याप्त रूप से स्थापित हो सके। अन्य बातों के साथ इसमें विशेषज्ञता प्राप्त शाखाओं के लिए नयी संगठन योजनाओं का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यक्ति शाखाओं का दर्जा बढ़ाना और अपर्याप्त स्टाफ वाली शाखाओं को मजबूत बनाना शामिल होगा।

इन अनुदेशों के आधार पर बैंकों ने लाभप्रद कामों में स्वयं लगने वाले व्यक्ति के वित्त पोषण के वास्ते योजनाएं तैयार की हैं।

इसके अतिरिक्त बैंक एकक एकीकृत ग्रामीण विकास योजना (आई० आर० डी० पी०) में भी भाग ले रहे हैं जिसके अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में पांच वर्ष की अवधि के भीतर 1.5 करोड़ परिवार लगभग 3 हजार करोड़ रुपये के ऋण बैंकों से प्राप्त करेंगे ताकि वे स्वनियोजन द्वारा अपनी जीवन दशा को सुधार सकें। बैंक "स्वनियोजन के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण" (टी० आर० वाई० एस० ई० एम०) विषयक योजना में भी भाग ले रहे हैं।

(ग) अलग से यह बताना सम्भव नहीं है कि लाभप्रद नियोजन शुरू करने के लिए कितने अनियोजित व्यक्तियों ने बैंकिंग व्यवस्था से ऋण का लाभ उठाया है। प्राथमिकता वाले क्षेत्र में; जिसका लक्ष्य बेरोजगार व्यक्तियों के लिए स्वनियोजन के अवसर पैदा करना है, ऋणकर्त्ता खातों की सं० दिसम्बर, 1979 के अन्त के 110 लाख से बढ़कर दिसम्बर, 1981 के अन्त में 153 लाख हो गयी। समनुरूप अवधि के दौरान बकाया राशि 59.86 करोड़ रुपये से बढ़कर 10,240 करोड़ रुपये हो गयी।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का कार्यान्वयन

4574. **श्री रामविलास पासवान** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पालन किया जा रहा है और यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान कितने सामान्य आदेश जारी किये गये और उनमें से कितने आदेश हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किये गये;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान कुल कितने पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए और उनमें से कितने पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया;

(ग) मंत्रालय द्वारा कितने प्रकाशन/पत्रिकाएं निकाली गई और उनमें से कितनी हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित की गई;

(घ) 1968 के बाद कितने कार्यालय/संगठन स्थापित किए गए और इनमें कितनों को शुरू से ही भारतीय नाम दिये गए थे;

(ङ) क्या सरकार के राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है; और यदि नहीं, तो क्यों ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां। 1982 के दौरान जारी किए गए सामान्य आदेशों का ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार है:—

जारी किए गए सामान्य आदेशों की संख्या	हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में जारी किए गए सामान्य अनुदेशों की संख्या
585	585

(ख) इस मंत्रालय में 1982 के दौरान 1153 पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए और उनमें से 436 पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गए । शेष पत्रों के कोई उत्तर की जरूरत नहीं थी ।

(ग) इस मंत्रालय द्वारा हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में छः प्रकाशन/पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है । ये प्रकाशन/पत्रिकाएं निम्नोक्त प्रकार है:—

1. वाणिज्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट
2. कार्य निष्पादन बजट (वाणिज्य विभाग)
3. कार्य निष्पान बजट (वस्त्र विभाग)
4. अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें
5. वाणिज्य भारती
6. उत्कृष्ट निर्यात निष्पादन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार

(घ) इस मंत्रालय के निर्माणाधीन 18 कार्यालय/संगठन 1968 के बाद स्थापित किए गए हैं । इन सभी कार्यालयों/संगठनों के नाम अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में लिखे जाते हैं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों का कोटा

4575. **श्री राम विलास पासवान : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के अधीन प्रत्येक उपक्रम में श्रेणीवार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से श्रेणीवार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या प्रत्येक उपक्रम को प्रारम्भिक नियुक्ति और पदोन्नति दोनों के लिए आरक्षण सम्बन्धी आदेश जारी कर दिए गए हैं; और

(घ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित कोटा पूरा कर दिया गया है यदि नहीं, तो कोटे को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है और कोटे के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षित कोटे को पूरा न करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

4576. **श्री राम विलास पासवान : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के विभिन्न विभागों में श्रेणीवार कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) उनमें से श्रेणीवार, कितने कर्मचारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं और प्रत्येक श्रेणी में उनका प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटा प्रत्येक श्रेणी में पूरा हो गया है;

(घ) यदि नहीं, तो शेष कोटे को पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(ङ) क्या सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करती है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के योग्य उम्मीदवार उपलब्ध होने पर भी जानबूझ कर उनकी नियुक्ति नहीं करते हैं और

(च) यदि हां, तो अभी तक कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है और कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (च) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण कोटे को पूरा न करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना

4577. **श्री राम विलास पासवान :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय के विभिन्नम विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की वर्गवार संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की वर्गवार संख्या कितनी है और प्रत्येक वर्ग में उनकी प्रतिशतता कितनी-कितनी है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण कोटा प्रत्येक वर्ग में पूरा कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो शेष कोटे को पूरा करने के लिए क्यो विशेष कदम उठाये जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करती है जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के उपलब्ध होते हुए भी उनकी जानबूझ कर नियुक्ति नहीं करते हैं; और

(च) यदि हां, तो कितने अधिकारियों के विरुद्ध अभी तक कार्रवाई की गई है और क्या कार्रवाई की गयी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (च) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (घ) कामकाज आबंटन नियम 1961 के अनुसार वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत दो विभाग हैं यथा वाणिज्य विभाग तथा वस्त्र विभाग। तथापि कार्मिक प्रबन्ध के उद्देश्य के लिए इन विभागों को एक ही एकक के रूप में माना जाता है और उनका प्रबन्ध उसी प्रशासन द्वारा किया जाता है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण के लिए रोस्टर आदि दोनों विभागों के लिए एक ही है। इसलिए अपेक्षित जानकारी, वाणिज्य मंत्रालय (खास) के सम्बन्ध में समग्र रूप में सारणी में दी गई है :—

पदों की श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	स्तम्भ 2 में दिए गए कर्मचारियों में अ० ज०/अ०ज०जा० के कर्मचारियों की संख्या		अ०जा०/अ०ज०जा० के कर्मचारियों की प्रतिशतता		क्या अ०जा० तथा अ० ज० जा० के लिए आरक्षण कोटा पूरा कर लिया गया है	अगर नहीं तो बाकी का कोटा पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है
		अ०जा०	अ०ज०जा०	अ०जा०	अ०ज०जा०		
1	2	3	4	5	6	7	8
वर्ग "क"							
(1) कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से भरी गई	72	8	2	11.11%	2.8%	रोस्टर कार्मिक तथा प्रशासनिक विभाग द्वारा रखा जाता है	—
(2) मंत्रालय द्वारा भरी गई	8	1	—	12.5%	—	जी नहीं	जैसे ही अ०जा० से संबंधित अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाएंगे बकाया पड़े पदों को भर लिया जाएगा

1	2	3	4	5	6	7	8
(3) प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे गए (आरक्षण आदेश लागू नहीं होते)	8	1	—	12.5%	—	प्रश्न नहीं उठता	—
(4) विवेकाधीन पद	3	—	—	—	—	आरक्षण आदेश लागू नहीं होते	—
वर्ग "ख"							
(1) कार्मिक तथा प्रशासनिक विभाग के माध्यम से भरे गए	206	19	1	9.22%	0.48%	**	
(2) मंत्रालय द्वारा भरे गए (संवर्ग से बाहर के)	34	2	—	5.88%	—	जी नहीं	जैसे ही अ०जा०/अ० ज०जा० से सम्बन्धित अभ्यार्थी उपलब्ध हो जाएंगे बकाया पड़े पदों को भर लिया जाएगा
(3) प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे गए	39	3	—	7.69%	—	आरक्षण नियम लागू नहीं होते	
(4) विवेकाधीन पद	8	—	—	—	—	आरक्षण नियम लागू नहीं होते	

1	2	3	4	5	6	7	8
वर्ग "ग"							
(1) विकेन्द्रीकृत विभाग के माध्यम से भरे गए	274	24	2	8.76%	0.73%	**	
(2) संवर्ग से बाहर	53	8	2	15.1%	3.77%	जी हां।	
(3) संवर्ग से बाहर (आरक्षण नियम लागू नहीं होता)	6	—	—	—	—	आरक्षण नियम लागू नहीं होते	
(4) विवेकाधीन पद	1	—	—	—	—	आरक्षण नियम लागू नहीं होते	

वर्ग "घ"

(ङ) ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

**पूरी तरह नहीं। इन पदों के आधार पर नियुक्ति कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा किए गए नामांकनों के आधार पर की जाती है। अ०जा०/अ०ज०जा० के व्यक्तियों को लेने की प्रतिशतता में कमी इस कारण आई कि इस मंत्रालय को सीधी भर्ती के लिए कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग से अ०जा०/अ०ज०जा० श्रेणियों से अपेक्षित संख्या में नामांकन नहीं मिलते रहे। और पदोन्नति के लिए श्रेणियों से सम्बन्धित व्यक्ति इस संवर्ग अथवा कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग में उपलब्ध नहीं है।

वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् के ज्ञापन और अन्तर्नियमों का संशोधन करना

4578. **श्री एम० राजशेखर मूर्ति** : क्या वाणिज्य मंत्री वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद को सरकार द्वारा निर्देशों के बारे में अतरांकित प्रश्न संख्या 3173 दिनांक 22 अक्तूबर 1982 के उत्तर में संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद को कहा गया है कि सरकार को कुछ शक्तियां देने के लिए वह अपने ज्ञापन तथा अन्तर्नियमों में संशोधन करें, जैसा कि परिपत्र सं०/1/एम० डी० ए० 182 दिनांक 4 जनवरी, 1982 में उल्लिखित किया गया है; और

(ख) उक्त परिषद द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाई की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल निर्यात, संवर्धन परिषद् ने 15-2-1982 को हुई अपनी बैठक में का० ज्ञा० सं० 6/1/एम० डी० ए०/82 दिनांक 4-1-1982 में निहित सरकार के निदेशों पर विचार किया। परिषद ने सूचित किया है कि उसकी वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन अन्त-में कुछ अन्य संशोधनों से सम्बन्धित मामले के सम्बन्ध में न्यायलय आदेश के अन्तर्गत स्थागित कर दिया गया है।

गुजरात में 1983-84 के दौरान वायुदूत की अधिक सेवाएं आरम्भ करना

4579, **श्री नवीन रवाणी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में चलाई जा रही वायुदूत सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गुजरात में 1983-84 के दौरान वायुदूत की और अधिक सेवाएं आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उनके अन्तर्गत कौन-कौन से स्थानों को लिया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) वायुदूत गुजरात राज्य में अभी तक किसी स्टेशन की सेवा प्रचलित नहीं कर रहा है। तथापि वायुदूत द्वारा कांडला को शीघ्र ही विमान सेवा से जोड़े जाने का प्लान है। उपयुक्त विमान उपलब्ध होने पर तथा अन्य संरचनात्मक सुविधाओं का विकास हो जाने पर, वायुदूत द्वारा गुजरात राज्य में सूरत, अमरेली, तथा द्वारिका की अपनी सेवाएं बढ़ाए जाने की योजनाएं हैं। इन स्टेशनों को कब तक विमान सेवा से जोड़ा जा सकेगा, इसके लिए इस समय कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती।

ठेकेदारों को ब्याज रहित अग्रिम दिया जाना

4580. श्री भीखाभाई : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठेका नियमों के अनुरूप हैं कि ठेकेदारों को सरकारी विभाग तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में अग्रिम राशि/ऋण तथा अग्रिम सहायता दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ठेकेदारों को ब्याज रहित अग्रिम राशि मंजूर करने के मामले में इस पद्धति का पालन भारत सरकार के सभी विभागों में किया जाता है ;

(ग) यह पद्धति सरकारी क्षेत्र से कितने उपक्रमों में प्रचलित है ;

(घ) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय तथा/अथवा आई० ए० ए० आई० प्राधिकारियों ने कलकत्ता तथा बम्बई में कुछ फर्मों को लाखों रुपये का ऋण दिया है जिन्होंने अभी तक कोई कार्य आरम्भ नहीं किया है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(च) क्या इनके मंत्रालय का विचार इस मामले में एक निष्पक्ष जांच निकाय द्वारा जांच कराने का है; और

(छ) उत्तरदायी अधिकारियों तथा फर्मों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 11 का उल्लंघन करते हुए नक्शों का आयात

4581. श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क अधिनियम (1961) की धारा 11 का उल्लंघन करते हुए उत्पादित नक्शों का भारत में आयात किया जा रहा है (देखें सूर्या पत्रिका, नई दिल्ली, जनवरी, 1983) ;

(ख) यदि हां, तो भारत में आज की तारीख में कितने नक्शे परिचालन में हैं;

(ग) इनके परिचलन को रोकने और देश में इनका वितरण करने वालों को दण्डित करने के लिए क्या कदम उठाए जा हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) सीमा शुल्क

अधिनियम, 1962 की धारा 11 के उपबन्धों का उल्लंघन करके मानचित्रों को आयात किए जाने के मामले यदा-कदा सीमा शुल्क अधिकारियों के ध्यान में आते रहे हैं। तो भी चूंकि सीमाशुल्क गृहों में व्यक्ति द्वारा किए गए आयातों का कोई भी रिकार्ड नहीं रखा जाता इसलिए यह पता पाना सम्भव नहीं है। कि ऐसे कितने मानचित्र परिचलन में हैं।

(ग) तथा (घ) सरकार ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11 के अधीन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारत की सीमाओं अथवा देश की भौगोलिक अखण्डता को विवादास्पद बनाने वाली पुस्तकों, पत्रिकाओं, मानचित्रों आदि को भारत में आयात किए जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। जब भी कभी सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 11 के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले ऐसे मानचित्रों का आयात किए जाने की जानकारी मिलती है, आवश्यक उपचारी कार्यवाही करने के उपरान्त ही उन्हें छोड़ा जाता है।

"भारत नेपाल सीमा पर कोयले की तस्करी" शीर्षक समाचार

4582. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटना से प्रकाशित होने वाले दिनांक 19 जनवरी के दैनिक "आज" में "भारत नेपाल सीमा पर कोयले की तस्करी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी तस्करी का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कोयले की तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत-नेपाल सीमा से नेपाल को कोयले की कुछ तस्करी हो रही है। परन्तु इन रिपोर्टों से इस प्रकार की तस्करी में सीमाशुल्क, पुलिस और नागरिक आपूर्ति विभागों के कर्मचारियों की सांठगांठ होने की पुष्टि नहीं होती।

इस विषय में, सम्बन्धित सीमा शुल्क कार्यालयों को सचेत कर दिया गया है और इस सम्बन्ध में उचित निवारक उपाय किए गए हैं।

रक्षित बिजली संयंत्रों वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

4583. **श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के क्या नाम हैं जहां 6 रक्षित बिजली संयंत्र स्थापित किए गए हैं और उनकी विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी है,

(ख) इस प्रकार के उपक्रमों के क्या नाम हैं जहां रक्षित बिजली संयंत्र स्थापित किए जाने हैं, उयकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी और कब तक इन्हें स्थापित किया जाएगा,

(ग) उपक्रमों की स्थापना के समय (रक्षित बिजली संयंत्र) स्थापित न करने के क्या कारण हैं,

(घ) उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जहां ऊर्जा की कमी के कारण (रक्षित बिजली संयंत्रों) की स्थापना आवश्यक हो गई है, और

(ङ) उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन्हें बिजली सप्लाई में कमी के कारण हानि हुई है और उन्हें किसी सीमा तक हानि हुई है ओर उन्हें किस सीमा तक हानि हुई है और कब से ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क), (ख) और (घ) स्थापित किए गए/किए जा रहे निजी उपयोगार्थ प्रमुख बिजली संयंत्रों का ब्यौरा (विवरण में) संलग्न हैं।

(ग) हालांकि नई परियोजनाओं की स्थापना करते समय सामान्यत: बिजली की सप्लाई में समय-समय पर होने वाली कमी को पुरा करने के लिए आपाती विद्युत उत्पादन की व्यवस्था की जाती है फिर भी निजी उपयोगार्थ बिजली संयंत्रों की व्यवस्था करने का प्रश्न केवल तब पैदा होगा यदि परियोजना की मांग पूरी करने के लिए बिजली की अनुमानित उपलब्धता अपर्याप्त होगी। किन्तु ऐसे मामलों में जहां बिजली की वास्तविक एवं संभावी उपलब्धता पूर्व अनुमानों से कम होती है तो ऐसे प्रत्येक मामले में तकनीकी-आर्थिक पहलुओं के आधार पर निजी उपयोगार्थ बिजली संयंत्रों की व्यवस्था के लिए कार्यबाही की जाती है।

(ङ) उत्पादन/उत्पादकता एवं लाभकारिता के बारे में विभिन्न बातें परस्पर एक दूसरे से पूर्णत: जुड़ी हुई है और इसीलिए यह नहीं बताया जा सकता कि प्रत्यक्षत: केवल बिजली की कमी के कारण कितनी हानि हुई है।

विवरण

सरकारी उधमों में स्थापित की गई/की जा रही निजी उपयोगार्थ प्रमुख विद्युत परियोजनाओं का विवरण

क्रमांक	सरकारी उपक्रम का नाम	परियोजना का नाम	क्षमता	स्वीकृति वर्ष
1	2	3	4	5
1.	राष्ट्रीय फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि०	ट्राम्बे एकक में निजी उपयोगार्थ बिजली संयंत्र	18 मेगावाट	1976
2.	फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इण्डिया	गोरखपुर में कारखाने के भीतर बिजली पैदा करना	25 मेगावाट	1977

1	2	3	4	5
3.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि०	दुर्गापुर एकक में विद्युत उत्पादन एवं वाष्प संवर्धन सुविधाएं	15 मेगावाट	1977
4.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड	दुर्गापुर में निजी उपयोगार्थ बिजली संयंत्र	120 मेगावाट	1978
5.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०	बोकारो में निजी उपयोगार्थ बिजली संयंत्र	189 मेगावाट	1978
6.	कोल इण्डिया लि०	खानों और कोयला धुलाई कारखानों के लिए निजी उपयोगार्थ बिजली पैदा करने के प्रयोजनार्थ गैस टर्बाइन संस्थापना और ताप बिजली सेटों का अधिग्रहण	50 मेगावाट	1980
7.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि०	हल्दिया उर्वरक परियोजना के लिस गैस टर्बाइन जेनरेटर सेट की स्थापना	20 मेगावाट	1980
8.	नेशनल एल्यूमिनियम कं०	उड़ीसा एल्यूमिनियम परियोजना के लिए निजी उपयोगार्थ ताप बिजली संयंत्र	400 मेगावाट	1980
9.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण	.राउरकेला इस्पात संयंत्र में निजी उपयोगार्थ बिजली उत्पादन में वृद्धि	120 मेगावाट	1981
10.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि०	बरौनी उर्वरक संयंत्र में निजी उपयोगार्थ बिजली संयंत्र	16 मेगावाट	1981
11.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स	हल्दिया उर्वरक संकुल में कोयले पर आधारित बिजली संयंत्र	30 मेगावाट	1981

1	2	3	4	5
12.	भारत एल्यूमिनियम कं०	कोरबा में निजी उपयोगार्थ बिजली संयंत्र	270 मेगावाट	1982
13.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड	भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए निजी उपयोगार्थ बिजली संयंत्र की संस्थापना	180 मेगावाट	1982

टिप्पणी : निजी उपयोगार्थ बिजली सुविधाओं की स्थापना का समय कारखानों के आकार एवं स्वरूप के अनुसार निश्चित किया जाता है ।

तीनों रक्षा सेनाओं के लिए संयुक्त अध्यक्ष

4584. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री आर० एन० राकेश :
प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भूतपूर्व सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल एस० मानकशा द्वारा तीनों रक्षा सेनाओं के लिए संयुक्त अध्यक्ष के समर्थन में दिए गए व्यक्तव्य की ओर ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) क्या शीघ्र निर्णय व्यय में बचत की दृष्टि से तथा समेकित रक्षा तंत्र की आधुनिक कल्पना के अनुरूप ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं । तीनों रक्षा सेवाओं के लिए ज्वांइट चीफ के प्रश्न पर सरकार ने पहले भी विचार किया था । परन्तु विचार करने के बाद यह निर्णय किया गया कि मौजूदा प्रणाली संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है और इसके बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

औषधियों पर बिक्री कर में छूट की मांग

4585. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया कैमिस्ट एंड ड्रगिस्ट आगेनाइजेशन जनवरी 1983 में त्रिवेन्द्रम में अपना दूसरा सम्मेलन आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सम्मेलन में मांग की गई थी कि औषधियों को बिक्री कर से छूट दी जाए;

(ग) क्या अन्य स्त्रोतों से भी इसी प्रकार की मांग प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां; तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) अखिल भारतीय केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट संगठन मद्रास ने दिनांक 3-2-83 के अपने अभ्यावेदन के साथ उनकी कार्यकारिणी समिति की 21-1-83 को त्रिवेन्द्रम में हुई बैठक में कथित रूप से पारित संकल्प के उदाहरण भेजे हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकार से बिक्री कर समाप्त करने का निवेदन किया गया है ताकि समस्त भारत में उपभोक्ताओं को औषधियां और दवाइयां एक समान मूल्य पर उपलब्ध कराई जा सकें।

(ग) कुछ अन्य संगठनों से भी औषधियों तथा दवाइयों पर से बिक्री कर समाप्त करने अथवा उसके स्थान पर उत्पादन शुल्क लगने के लिए दरख्वास्तें प्राप्त हुई हैं।

(घ) चूंकि संविधान के अन्तर्गत बिक्री कर राज्य कराधान का विषय है, इसलिए बिक्री कर की विद्यमान प्रणाली में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल राज्यों के साथ परामर्श से तथा उनके सहयोग से किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा सितम्बर, 1980 में और फिर फरवरी 1981 में मुख्य मंत्रीयों का सम्मेलन बुलाया गया था ताकि इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया जा सके। फरवरी 1981 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसरण में, सरकार द्वारा बनस्पति औषधं-द्रव्यों और दवाइयों; सीमेंट, कागज और गत्ता तथा पैट्रोलियम उत्पादों को घोषित माल की सूची में शामिल करने और उन पर लगने वाले बिक्रीकर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने संबंधी प्रस्तावों के वित्तीय प्रभाव का तथा इस बात का, कि राज्यों के वित्तीय हितों की रक्षा जिस प्रकार की जा सकती है, अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की गई थी। समिति ने 29 जनवरी, 1983 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और उसकी अिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

छोटा नागपुर तथा सन्थाल परगना के स्थानीय लोगों को सार्वजनिक उपक्रमों में नौकरी दिया जाना

4586. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में छोटा नागपुर तथा सन्थाल परगना के 75 प्रतिशत लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे रहने को बाध्य होना पड़ता है यद्यपि उनके क्षेत्र में खनिजों तथा उद्योगों की भरमार है;

(ख) यदि हां, तो स्थानिय लोगों के लिए आरक्षित 800 रुपये तक के वेतन वाले वर्गवार कितने पद क्षेत्र में स्थित इस्पात, कोयला, अभ्रक, बाक्साइट, यूरेनियम, सीमेण्ट विद्युत उत्पादन, आदि के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में वर्ष 1977 से आज तक रिक्त हुए हैं और उनमें से कितने पदों पर छोटा नागपुर के स्थानीय लोगों को नियुक्त किया गया; और

(ग) यदि नियुक्तियां केन्द्र सरकार के औद्योगिक विकास के परिपत्र में दिये गये आदेशों के अनुसार नहीं की गई है तो क्या सरकार का विचार दोषी अधिकारियों के स्थान पर प्रभावित क्षेत्रों के स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति करने तथा दोषियों को सजा देने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है तथा उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ख) और (ग) सरकार ने सरकारी उद्यमों को सलाह दी है कि वे जिन पदों के वेतनमान की अधिकतम राशि 800 रुपये से अधिक न हो उन पर भर्ती राष्ट्रीय रोजगार सेवा के माध्यम से करें तथा भर्ती के अन्य स्रोतों का उपयोग केवल इस स्थिति में ही किया जाए यदि रोजगार कार्यालय अनुपलब्धतता प्रमाण पत्र जारी कर दें । सरकारी उद्यमों को परियोजनाओं के लिए अधिग्रहीत क्षेत्र से विस्थापित (आदिवासियों सहित) व्यक्तियों को भी अधिमान्यता देनी चाहिए । किसी विशेष परियोजना की स्थापना के आसपास के क्षेत्र से आने वाले उम्मीदवारों को भी अधिमान्यता दी जाती है । ये अनुदेश इस्पात, कोयला, अभ्रक, बाक्साइट, यूरेनियम, सीमेंट का उत्पादन तथा बिजली पैदा करने वाले उद्यमों पर समान रूप से लागू हैं । सरकारी उद्यमों के प्रबन्धकों के लिए यह भी आवश्यक है कि वे कार्य की आवश्यकताओं के अनुरूप राष्ट्रीय रोजगार सेवा द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों की उपयुक्तता अथवा अन्यथा निर्धारण के लिए संवीक्षा/चयन समितियां गठित करें । यह देख-रेख करने के लिए कि उपयुक्त उम्मीदवारों के दावों की उपेक्षा न हो, सामान्यतः बाहरी विशेषज्ञ को भी शामिल किया जाता है । इस प्रक्रिया से छोटा नागपुर अथवा संथाल परगना से भी आने वाले व्यक्तियों का हित संरक्षण होना चाहिए ।

"फैरा" के दायरे में बहुराष्ट्रिक औषधि कम्पनियां

4587. **श्री रेणुपद दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "फैरा" के दायरे में कौन-कौन सी बहुराष्ट्रिक औषधि कम्पनियां आती हैं;

(ख) उनमें से कौन-कौन सी कम्पनियाँ विदेशी साम्यपूंजी को कम करने के संबंध में "फैरा" के उपबन्धों का पालन नहीं करती है; और

(ग) दोषी बहुराष्ट्रिक ओषधि कम्पनियों को नियमित करने के लिए क्या उपाय किए और इस सम्बन्ध में अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गए निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में आद्यतन स्थिति दर्शायी गई है । मैसर्स स्मिथ क्लिन एण्ड फ्रेंच ने अब तक रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये अन्तिम निर्देशों के अनुपालन के लिए कोई कदम नहीं उठाया है तथा यह विषय प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दिया गया है ।

विवरण

I. प्योर फारम्यूलेटर्ज :

1. एंग्ल फ्रेंच ड्रग कं० (ईस्टर्न) लि०, बम्बई
2. एबट लैबोरेटरीज (इण्डिया) प्रा० लि०, बम्बई
3. कार्टर वेलेस एण्ड कं० लि०, बम्बई
4. सी० ई० फुलफोर्ड (आई) प्रा० लि०, बम्बई
5. इण्डियन शेरिंग लि०, बम्बई
6. निकोलस आफ इण्डिया लि०, बम्बई
7. स्मिथ, क्लिन एण्ड फ्रेंच (आई) लि०,

उपर्युक्त समस्त कम्पनियों से अनुरोध किया गया था कि वे अनिवासी शेयरधारिता को कम करके 40 प्रतिशत तक ले आएं। मैसर्स स्मिथ क्लिन एण्ड फ्रेंच के अलावा जिसका मामला प्रवर्तन निदेशालय को जांच के लिए सौंप दिया गया है, सभी ने इस आदेश का पालन किया है।

II. अन्य

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	वर्तमान विदेशी सामान्य शेयरधारिता/विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के प्रवर्तन के समय विदेशी सामान्य शेयरधारिता	जिस स्तर तक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी सामान्य शेयरों में कमी की जानी है	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	बेयर इण्डिया लि०	51 प्रतिशत	कम्पनी विदेशी सामान्य शेयरधारिता की वर्तमान भागीदारिता के साथ कारबार जारी रख सकती है।	—

1	2	3	4	5
2.	बूट्स कम्पनी (इण्डिया) लि०	53 प्रतिशत	कम्पनी विदेशी सामान्य शेयरधारिता की वर्तमान भारीदारिता के साथ कारबार जारी रख सकती है।	—
3.	बरोस वेलकम एण्ड कं० (इण्डिया) प्रा० लि०	100 प्रतिशत	74 प्रतिशत	कमी की योजना प्रतीक्षित है।
4.	सीबा गीगी आफ इण्डिया लि०	65 प्रतिशत	51 प्रतिशत, 10 प्रतिशत निर्यात दायित्व के साथ	कम्पनी का विदेशी सामान्य शेयरों को कम करके 51 प्रतिशत करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
5.	सिनर्मिड इण्डिया प्रा० लि०	55 प्रतिशत	51 प्रतिशत, 10 प्रतिशत निर्यात दायित्व सहित।	विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के निर्देशों के खिलाफ अभिवेदन विचाराधीन है।
6.	ईमर्क (इण्डिया) प्रा० लि०	51 प्रतिशत	40 प्रतिशत	—तदेव—
7.	ज्योफरी मेनर्स एण्ड कं० लि०	45 प्रतिशत	40 प्रतिशत	कम्पनी ने निर्देशों के अनुसार काम किया है।
8.	ग्लेक्सो लेबोरेटरीज (इण्डिया) लि०	75.05 प्रतिशत	40 प्रतिशत	विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के निर्देशों का पालन किया गया।

1	2	3	4	5
9.	होचेस्ट फार्मास्यूटिकल्स लि०	50 प्रतिशत	कम्पनी विदेशी सामान्य शेयरधारिता की वर्तमान भागीदारिता के साथ कारबार जारी रख सकती है ।	—
10.	जोनसन एण्ड जोनसन लि०	75%	51%, 10% निर्यात दायित्व सहित	विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के निर्देशों के खिलाफ अभिवेदन विचाराधीन है ।
11.	मार्क शाप एण्ड धोमे (इण्डिया) लिमिटेड	60%	कम्पनी वर्तमान विदेशी शेयरधारिता की भागीदारी के वर्तमान स्तर पर कारबार जारी रख सकती है ।	—
12.	आरगेनन (इण्डिया) लिमिटेड	49%	कम्पनी वर्तमान विदेशी शेयरधारिता की हिस्सेदारी के वर्तमान स्तर पर कारबार जारी रख सकती है परन्तु 10% निर्यात दायित्व निभाना होगा ।	विदेशी शेयरधारिता को कम करके 40% तक ले आने की योजना स्वीकृत है ।
13.	पार्के डेविस (इण्डिया) लिमिटेड	83.33%	कम्पनी ने अपनी इच्छा से 40% तक का तनुकरण किया है ।	—

1	2	3	4	5
14.	पीजियर लिमिटेड	60%	51%, 10% निर्यात दायित्व सहित।	निर्देशों के खिलाफ अभिवेदन विचाराधीन है।
15.	रिचर्डसन हिन्दुस्तान लिमिटेड	55.07%	40%	अन्तिम निर्देश अभी जारी होने हैं।
16.	रोच प्रोडक्ट्स लिमिटेड	89%	74"	कमी प्रस्ताव प्रतीक्षित है।
17.	यूनी-सेम्कमो लिमिटेड	49%	40%	अन्तिम निर्देश अभी जारी जारी होने हैं।
18.	सेन्डोज इण्डिया लिमिटेड	60.14%	कम्पनी वर्तमान विदेशी शेयरधारिता की भागीदारी के स्तर पर कारबार जारी रख सकती है।	—
19.	सुरिच मेमो लिमिटेड	47.50%	कम्पनी ने अपनी इच्छा से विदेशी सामान्य शेयर-धारिता का पूर्ण विनिवेश कर दिया है।	—
20.	वारनर हिन्दुस्तान लिमिटेड	50.3%	कम्पनी ने अपनी इच्छा से 40% तक तनुकरण कर दिया है।	—

1	2	3	4	5
21.	मे एण्ड बेकर (इण्डिया) लिमिटेड	60%	कम्पनी ने अपनी इच्छा से 40% तक तनुकरण कर दिया है।	कमी की योजना स्वीकृत
22.	वेथ लैबोरेट्रीज लिमिटेड	74%	कम्पनी विदेशी शेयर-धारिता की वर्तमान भागी-दारिता पर कारबार जारी रख सकती है।	—
23.	जोन वेथ एण्ड ग्रवर्स लिमिटेड	शाखा	कारबार बन्द कर देने की अपेक्षा थी।	अभ्यावेदन प्राप्त होने पर कम्पनी को 40% विदेशी शेयरधारिता के साथ कार-बार जारी रखने की स्वीकृति दी गई। योजना प्रतीक्षित है।
24.	वेथ (इण्डिया) प्रा० लिमिटेड	100%	बन्द कर देने की आव-श्यकता थी।	कम्पनी समाप्त हो रही है और इसका कारबार वेइथ लैबोरेट्रीज के द्वारा सम्भाला जा रहा है।

सार्वजनिक उपक्रमों में पर्यवेक्षक कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता

4588. **श्री भीखाभाई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक उपक्रमों में पर्यवेक्षक कर्मचारी समयोपरि भत्ता पाने वालों के अन्तर्गत नहीं आते;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों द्वारा समयोपरि कार्य के समय पर्यवेक्षक कर्मचारियों की अनुपस्थिति में पर्यवेक्षण कार्य किस प्रकार तथा किस सीमा तक हो पाता है; और

(ग) पर्यवेक्षण कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों के बीच भेदभाव पूर्ण व्यवहार के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ग) सरकारी उद्यमों द्वारा उनके कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की अदायगी औद्योगिक कानून के अनुसार या उनकी निजी योजनाओं के अधीन की जाती है। सामान्यतः पर्यवेक्षी कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता नहीं दिया जाता है। किन्तु जब कभी अत्यावश्यक कार्य होने पर उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षी कर्मचारियों को कार्यालय समय के बाद रोकना पड़ता है तो उन्हें सामान्यतः प्रतिपूरक छुट्टी की सुविधा दी जाती है। इसमें कोई भेदभाव पूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता है, क्योंकि पर्यवेक्षी कर्मचारियों तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य का स्वरूप भिन्न-भिन्न है।

सरकारी उपक्रमों के निदेशक

4589. **श्री के० लक्कप्पा :**
श्री गुलशेर अहमद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनके वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति तीन वर्ष से कम अवधि के लिए की गई है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनके निदेशकों में से 50 प्रतिशत से अधिक केन्द्र सरकार के अधिकारी हैं;

(ग) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनके गैर-सरकारी निदेशकों से निजी क्षेत्र के सम्बद्ध हैं जिनका स्वयं का व्यापार/उद्योग/कार्य सरकारी क्षेत्र के उस उपक्रम के व्यापार/उद्योग के साथ सीधी प्रतियोगिता में है और यदि हां, तो इसका औचित्य क्या हैं; और

(घ) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जाने हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार केन्द्रीय सरकार के जिन उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों की नियुक्ति तीन वर्ष से कम अवधि के लिए की गई है, उनके नाम विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) सरकार की नीति सन्तुलित निदेशक मंडल रखने की है जिनमें लगभग एक तिहाई सदस्य गैर सरकारी निदेशक हों। ये गैर सरकारी निदेशक उद्योग, वाणिज्य, प्रशासन, मजदूर संघ, सार्वजनिक जीवन आदि के सिद्धहस्त व्यक्तियों में से लिए जाते हैं। निदेशक मण्डलों में 50 प्रतिशत से अधिक सरकारी सेवाओं से निदेशक रखना मौजूदा नीति के अनुरूप है। सामान्यतः वित्त मंत्रालय और संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों के अधिकारी निदेशक मण्डलों के सदस्य होते हैं। सरकारी सेवा अथवा अन्य उद्यमों से लिए जाने वाले अन्य अंशकालिक निदेशकों का चयन उन संगठनों जहां से वे आते हैं, तथा उद्यमों के बीच सहलग्नता के आधार पर किया जाता है। गैर सरकारी अंशकालिक निदेशकों के चयन के मामले में सरकार यह सुनिश्चित करती है कि उसमें कोई हित संघर्ष न हो।

विवरण

उन उपक्रमों की सूची जिनके मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति तीन वर्ष से कम अवधि के लिए की गई है।

1. एण्ड्रयू यूले एण्ड कम्पनी लि०
2. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह वन एवं बागान विकास निगम लि०
3. आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्यु० कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०
4. बामेर लारी एण्ड कं० लि०
5. बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०
6. भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि०
7. भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लि०
8. भारत लेदर कारपो० लि०
9. भारत प्रोसेस एण्ड मकेनिकल इन्जीनियर्स लि०
10. भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेशर्स लि०
11. भारत रिफ्रेक्ट्रीज लि०
12. बीको लारी एण्ड कम्पनी लि०
13. ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लि०
14. ब्रिज एण्ड रुफ कम्पनी (इ) लि०
15. बर्न स्टेण्डर्ड कम्पनी लि०
16. भारतीय सीमेण्ट निगम लि०
17. केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि०
18. केन्द्रीय भाण्डागार निगम

19. कोल इण्डिया लि०
20. कम्प्यूटर मेन्टीनैंस कारपो० लि०
21. साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०
22. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०
23. एजूकेशनल कन्सलटेंट्स इण्डिया लि०
24. इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टैक्नालाजी डेवलपमेंट कारपो० लि०
25. इन्जीनियर्स इण्डिया लि०
26. इन्जीनियर्स प्रोजेक्ट्स (इ) लि०
27. फेरो स्क्रेप निगम लि०
28. गोवा शिपयार्ड लि०
29. भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि०
30. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०
31. हिन्दुस्तान केबल्स लि०
32. हिन्दुस्तान कापर लि०
33. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपो० लि०
34. हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि०
35. हिन्दुस्तान पेपर कारपो० लि०
36. हिन्दुस्तान प्रीफैब लि०
37. हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०
38. हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन कारपो० लि०
39. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०
40. एच० एम० टी० लि०
41. भारत पर्यटन विकास लि०
42. इण्डियन एयरलाइन्स
43. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०
44. इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०
45. भारतीय तेल गिगम
46. इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपो० लि०
47. इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि०

48. इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लि०

49. भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण

50. जेसप एण्ड कम्पनी लि०

51. भारतीय पटसन निगम लि०

52. कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लि०

53. ल्यूब्रिजोल इण्डिया लि०

54. मद्रास रिफाइनरीज लि०

55. मण्ड्या नेशनल पेपर मिल्स लि०

56. मैंगनीज और (इण्डिया) लि०

57. मारुति उद्योग लि०

58. रद्दी धातु व्यापार निगम लि०

59. खनिज गवेषण निगम लि०

60. मिश्र धातु निगम लि०

61. माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इ) लि०

62. नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि०

63. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०

64. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०

65. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि०

66. नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपो० लि०

67. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि०

68. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि०

69. नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन

70, नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन (साउथ महाराष्ट्र) लि०

71. नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन (उत्तर प्रदेश) लि०

72. राष्ट्रीय ताप बिजली निगम लि०

73. नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि०

74. उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम

75. उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम

76. प्रोजेक्ट एण्ड डेवल्पमेन्ट इण्डिया लि०

77. भारतीय परियोजना एवं उपस्कर निगम लि०

78. रेल इण्डिया टेक्नीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसेज लि०

79. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि०

80. ग्राम विद्युतीकरण निगम लि०

81. सेमी कन्डक्टर कम्पलेक्स लि०

82. स्कूटर्स इण्डिया लि०

83. भारतीय नौवहन निगम लि०

84. स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मेस्यूटिकल्स लि०

85. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि०

86. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०

87. टेनरी एण्ड फुटवियर कारपो० आफ इण्डिया लि०

88. भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण

89. इण्डियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि०

बीमार एककों में अवरुद्ध धनराशियां

4590. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री पी० एम० सईद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमार एककों में अवरुद्ध हुई राशियों में पिछले वर्षों में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या न केवल और अधिक राशियां और अधिक एककों में अप्रयुक्त पड़ी हैं बल्कि एककों में लगाई गई पूंजी कुछ थोड़े से एककों में बढ़ रही है;

(ग) क्या एक करोड़ रुपये तथा उससे अधिक बैंक ऋण सुविधा वाले बड़े बीमा रकमों की संख्या 423 पहुंच गई है जिनमें जून, 1981 तक 1453 करोड़ रुपये लगाये गए थे;

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है;

(ङ) क्या न केवल बड़े एकक बल्कि छोटे एकक भी बीमार एककों की सूची में हैं जिनकी संख्या जून, 1981 में 22,360 थी तथा उनका कुल बैंक वित्त 322 करोड़ रुपये था;

(च) सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से बीमार एककों को किस हद तक सहायता मिली है; और

(छ) क्या रुकी पड़ी बड़ी राशि को देखते हुए सरकार ने इस स्थिति को गम्भीर रूप में लेने का निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिसम्बर, 1979, दिसम्बर, 1980 और दिसम्बर, 1981 (अनन्तिम) के अन्त की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बड़े, मझोले और लघु रुग्ण औद्योगिक एककों को दिए गए अग्रिमों की बकाया राशि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

	(करोड़ रुपये)
दिसम्बर, 1979	1622.55
दिसम्बर, 1980	1808.66
दिसम्बर, 1981 (अनन्तिम)	2025.54

(ख) रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या के साथ-साथ पिछले वर्षों की तुलना में इनको दिए गए बैंक ऋणों की बकाया राशियों में भी वृद्धि हुई है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) सरकार की नीति के अनुसार, बैंक औद्योगिक एककों में रुग्णता की पहचान उनकी प्रारम्भिक अवस्था में ही कर लेते हैं और इन एककों की संभाव्य अर्थक्षमता के संबंध में अलग-अलग मामले के आधार पर समुचित पुनर्वास कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं; जिससे कि इन एककों का पोषण करके इन्हें अर्थक्षम बनाया जा सके और इन्हें रकमों की वापस अदायगी करने में समर्थ बनाया जा सके । अक्षम एककों के मामले में बैंक उपलब्ध प्रतिभूतियों को प्रभावी बनाने; अग्रिमों की वापसी के कानूनी उपायों आदि जैसे उपायों का सहारा लेते हैं ।

(ङ) जी, हां ।

(च) और (छ) रुग्ण एककों के विरुद्ध बकाया राशियां अनिवार्यतः अशोध्य राशियां नहीं हैं । सच्चाई यह है कि बैंकों द्वारा अनेकों एककों का पोषण करके उन्हें अर्थक्षम बना दिया गया और उनकी रकमों की वापस अदायगी हो गई है । बड़े रुग्ण एककों (जिनमें प्रत्येक एकक एक करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक बैंक ऋण सीमाओं का उपभोग कर रहा था) की संख्या के संबंध में, जिन्हें कि इनके पुनरुज्जीवन के परिणाम स्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक की रुग्ण औद्योगिक

एककों की सूची से हटा दिया गया है, और उनमें अन्तर्ग्रस्त बैंक अग्रिमों की बकाया राशियों के संबंध में सूचना नीचे दी गई है :—

(करोड़ रुपये)

निम्नलिखित तिमाही की समाप्ति के दौरान	रुग्ण एककों की सूची से हटाए गए बड़े एककों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त बैंक अग्रिमों की बकाया राशि
मार्च, 1980	11	30.44
जून, 1980	5	6.24
सितम्बर, 1980	6	14.07
दिसम्बर, 1980	7	14.42
मार्च, 1981	5	15.02
जून, 1981	6	19.33
जून 1981 से दिसम्बर 1981 तक के दौरान	25	71.73

औद्योगिक रुग्णता की समस्या से निपटने के वास्ते, सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा विभिन्न संगठनात्मक प्रबन्ध किए गए हैं। इन प्रबन्धों की प्रभाविकमा की बराबर समीक्षा की जाती है जिसके आधार पर मौजूदा प्रबन्धों में अनिवार्य समझे जाने वाले संशोधन किए जाते हैं।

कृषि उत्पादों का निर्यात

4591. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने, कृषि उत्पादों को निर्यात के लिए अल्पावधि तथा दीर्घावधि की योजनाएं तैयार करने की दृष्टि से गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्र की निर्यात एजेंसियों तथा साथ ही वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है; और

(ख) यदि हां, तो बैठक कब बुलायी गई थी और उसमें किन-किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई और उसमें क्या निर्णय लिए गए ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) कृषि उत्पादों के निर्यातकों की समस्याओं का हल निकालने के लिए वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में 29 जनवरी, 1983 को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई ताकि वितीय वर्ष के शेष दो महीनों में

अधिकतम निर्यात किए जा सकें। कृषि सचिव और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शूल्क बोर्ड के अध्यक्ष भी उपस्थिति थे।

बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में निम्नलिखित की अनुमति देते हुए आदेश जारी किए गए :—

(1) 31-3-83 तक सामान्य मुद्रा क्षेत्रों को बिना किसी मात्रा सम्बन्धी पाबन्दी के अरण्डी के तेल के निर्यात के लिए निजी व्यापार।

(2) निजी पार्टियों को भी इस बात की अनुमति दी गई है कि वे मुक्त रूप से किसी भी गणतव्य स्थान को शत-प्रतिशत अविकल्पी साख पत्र पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नेफेड के पास उपलब्ध शेष अधिकतम सीमा के आधार पर नेफेड के सहयोगियों के रूप में एच० पी० एस० मूंगफली का निर्यात कर सकती है।

(3) निजी पार्टियों को अनुमति दी गई है कि वे 31-3-83 तक लदान किए जाने के लिए शत-प्रतिशत अविकल्पी साख पत्र पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इस प्रयोजन के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्दर नेफेड के सहयोगियों के रूप में तिल के के बीज का निर्यात कर सकती है।

(4) चालू लाइसेंसिंग वर्ष में निर्यात के लिए 15,000 मे० टन रामतिल के बीज की अतिरिक्त सीमा रिलीज की गई है जिसमें से शत-प्रतिशत अविकल्पी साख पत्र पर पहले आओं पहले पाओ के आधार पर नेफेड के सहयोगियों द्वारा निर्यात किए जाने के लिए 7,500 मे० टन की मात्रा सरणीबद्ध की गई है।

इलायची बोर्ड के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम

4592. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने भारत को अन्य इलायची उत्पादक देशों के साथ प्रतियोगिता करने के सक्षम बनाने हेतु उत्पादकता बढ़ाने के विचार से इलायची बोर्ड के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनका इलायची का उत्पादन भारत की तुलना में कम है; और

(ग) भारत को विश्व की मंडियों में स्थान दिलाने के लिए इस क्षेत्र में जहां तक इलायची के उत्पादन का सम्बन्ध है, सुधार लाने के लिए सरकार की योजना के ब्यौरे क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) योजना आयोग ने इलायची की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए "इलायची बागान विकास वित्त योजना" नामक इलायची बोर्ड की योजना को मंजूरी दे दी है।

(ख) ग्वाटेमाला, तंजानिया तथा श्रीलंका इलायची उत्पादनों में उसी क्रम में भारत के बाद की कोटि में रखे गए हैं।

(ग) इलायची बोर्ड ने इलायची की उत्पादकता को सुधारने के लिए एक योजना बनाई है।

तमिलनाडु मिनरल्स लिमिटेड द्वारा ग्रेनाइट पत्थरों का विदेशों को निर्यात

4593. **श्री एन० डेनिस :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु मिनरल्स लि० द्वारा विदेशों को ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1978-79, 1979 80, 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान उक्त निर्यातों के ब्यौरे क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) तमिलनाडु राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

टिन केन निर्माता उद्योग में संकट

4594. **श्री सुशील भट्टाचार्य :** *क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या तायवान से भारी मात्रा में टिन केन आने के कारण स्वदेशी केन निर्माता उद्योग संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तायवान के इस कार्य से स्वदेशी उद्योग को बचाने के लिए सरकार का कौन से उपाय करने का विचार है; और

(ग) हमारे अपने ही देश में भारतीय वस्तुओं को गैर प्रतियोगी बनाने में सरकार की नीतियां और करों की दरें कहां तक उत्तरदायी हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) तथा (ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने निर्यात उत्पादों को प्रतियोगी बनाने के उद्देश्य से आयात नीति के अन्तर्गत पंजीकृत निर्यातकों के लिए साधित खाद्यों और काजू गिरी के निर्यातों के आधार पर टिन के डिब्बों के आयात की अनुमति है। टिन के डिब्बों के स्वदेशी विनिर्माताओं की मदद करने के उद्देश्य से 1982-83 के दौरान, निर्यातकों को वाणिज्य मंत्रालय की दिनांक 25 जून, 1982 की सार्वजनिक सूचना सं० 32/आई०टी०सी० (पी०एन०)/82 में

दी गई कतिपय शर्तों के अनुसार, टिन के डिब्बे सप्लाई करने की एक नई योजना लागू की गई है। 1983-84 के लिए आयात नीति तैयार करने के सम्बन्ध में वर्तमान योजना में सुधार के लिए सुझावों पर भी विचार किया जा रहा है।

भारतीयों द्वारा विदेशों से धन भेजा जाना

4595. **श्री के० लकप्पा :**
श्री गुलशेर अहमद :
श्री तारिक अनवर :
श्री मोहन लाल पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की देशवार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे व्यक्तियों ने प्रति वर्ष, प्रत्येक देश से भारत को कुल कितनी धनराशि भेजी है;

(ग) क्या धनराशि भेजने में कमी आई है और यदि हाँ, तो उसके कारण क्या हैं;

(घ) ऐसे व्यक्तियों को उनके पास अतिरिक्त धनराशि की अधिकतम मात्रा को अपने देश भारत भेजने को राजी करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ङ) ऐसे व्यक्तियों को उनकी अतिरिक्त धनराशि को भारत में उद्योग/व्यापार/व्यवसाय में निवेश करने हेतु आकर्षित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(च) क्या ऐसी धनराशि भेजने पर निगरानी रखने और उसे बढ़ाने के तरीकों और माध्यमों का पता लगाने के लिए एक शीर्ष स्तर की समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(छ) इस सम्बन्ध में हमारे विदेशी मिशनों द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) चूंकि चालू नियमों के अन्तर्गत प्राधिकृत विक्रेताओं द्वारा 10,000 रुपये तथा उससे कम राशि की प्रेषणाओं के ब्यौरे भारतीय रिजर्व बैंक को भेजने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों से प्राप्त प्रेषणाओं के बारे में देशवार ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी गत तीन कैलेण्डर वर्षों के सम्बन्ध में संकल निर्यात भिन्न प्राप्तियों के तुरन्त और अनन्तिम अनुमानों के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

वर्ष	राशि करोड़ रुपये
1980	4467.28
1981	4621.76
1982	5013.00

उपर्युक्त आंकड़े 'प्रावक प्रेषणाओं' से सम्बद्ध प्राप्तियों के चार शीर्षों, अर्थात् (i) परिवार भरण-पोषण, (ii) अनिवासियों की बचतों, (iii) प्रवासी अन्तरण और (iv) मनीआर्डर प्राप्तियों के अलावा नौवहन, बीमा, लाभांश और पर्यटन प्राप्तियों जैसी सकल निर्यात भिन्न प्राप्तियों के द्योतक हैं।

उपर्युक्त तथ्यों से पता चलता है कि सकल प्राप्तियों में कमी होने का कोई प्रमाण नहीं है।

(घ) और (ङ) धनराशियां भेजने के लिए अनिवासी भारतीयों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में बहुत-सी योजनाएं तैयार की गई हैं। इन योजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) वे केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों (वाहक प्रतिभूतियों को छोड़कर), राष्ट्रीय आयोजना/बचत पत्रों और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों में निवेश कर सकते हैं। जब पूंजी निवेश विदेशी मुद्रा की प्रेषणाओं से किया जाए तो बिक्री से प्राप्त राशि प्रत्यावर्तित की जा सकती है। यदि 6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्रों में धनराशि विदेशी मुद्रा में लगाई जाए तो इन पर 1 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज दिया जाता है।

(2) वे शेयर बाजार में कोट किए जाने वाले शेयरों में कम्पनी की चुकता पूंजी के 1 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं। शेयरों की बिक्री की राशि देय करों की अदायगी करने पर प्रत्यावर्तित की जा सकती है।

(3) वे औद्योगिक क्रियाकलापों में लगी किसी नई/मौजूदा कम्पनी के नए निर्गमों में 40 प्रतिशत तक अभिदान कर सकते हैं। इस सुविधा के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन का अधिकार भी मिलता है।

(4) वे औद्योगिक नीति के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध तथा निर्यातोन्मुखी एककों की स्थापना करने के लिए पूरे प्रत्यावर्तन अधिकारों सहित इक्विटी पूंजी के 74 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं।

(5) वे वाणिज्यिक निर्माण तथा कृषि भूमि को छोड़कर किसी भी क्षेत्र की गतिविधि में प्रत्यावर्तन अधिकारों के बिना चाहे जितना पूंजी निवेश कर सकते हैं और इस तरह से किए गए पूंजी निवेश निवासी पूंजी निवेशों के समान होंगे।

(6) पूंजी निवेश तथा शेयरों की खरीद से सम्बन्धित प्रक्रियाओं को सुचारू तथा सरल बना दिया गया है।

(7) वर्ष 1983-84 के बजट में अनिवासियों की आय के सम्बन्ध में विशेष उपबन्धों का प्रस्ताव किया गया है। ये उपबन्ध 1983 के वित्त विधेयक के पैरा 36 पृष्ठ 25—27) में दिए गए हैं।

(8) अनिवासियों के (बाह्य) खातों में, एक वर्ष और उससे अधिक की परिपक्वता अवधि वाली नई जमा राशियों के ब्याज की दर, तुलनीय परिपक्वता की अवधि

वाली स्थानीय जमा राशियों पर दिए जाने वाले ब्याज की दर से 2 प्रतिशत अधिक होगी ।

(9) इन बाह्य खातों में जमा राशियों में से भारत में दिए जाने वाले उपहारों पर दान कर नहीं लगेगा ।

(10) कराधान सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए निर्धारित भारत में 'निवास' के मापदण्डों में संशोधन किया गया है ।

(च) अनिवासी भारतीयों को पूंजी निवेश करने तथा रकमें भेजने के मामले में प्रोत्साहन देने के विचार से सरकार ने वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में एक विशेष कक्ष की स्थापना करने का निश्चय किया है ।

(छ) विदेशों में स्थित भारतीय निवेश केन्द्र के कार्यालय तथा मिशन और राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं प्रचार कार्यों आदि की व्यवस्था करती हैं ताकि अनिवासी भारतीय आसानी से प्रेषणाएं भेज सकें ।

विवरण

विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीयों का ब्यौरा (15-7-80 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार)

क्रम सं०	देश का नाम	विदेशों में भारत मूल के व्यक्ति	विदेशी नागरिकता स्वीकार करने वाले व्यक्ति	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अफगानिस्तान	30,000	25,000	
2.	अल्जीरिया	1,500	40	
3.	एंटीगुआ	20*	—	*परिवार
4.	अर्जेन्टीना	89	10	
5.	आस्ट्रेलिया	18,599	15,985	
6.	आस्ट्रिया	80	23	
7.	बाहमास	100	—	
8.	ब्रहरीन	40,000	200	
9.	बंगलादेश	450	—	
10.	बाबाडोस	75*	—	*परिवार

(1) (2)	(3)	(4)	(5)
11. बैल्जियम	400	5	
12. बैनिन	250	—	
13. भूटान	40,000	20	
14. बोलीविया	4	—	
15. बोत्स्वाना	820	500	
16. ब्राजील	2,000	8	
17. बुल्गारिया	30	—	
18. बर्मा	3-4 लाख	7,200	
19. बुरूंडी	120	—	
20. केमरान	150	—	
21. कनाडा	1,75,000	95,000	
22 केप बोर्ड द्वीप समूह	—	—	
23. मध्य अफ्रीकी साम्राज्य	40	—	
24. चद	5	—	
25. चिल्ली	45	—	
26. चीन	8	—	
27. कोलम्बिया	25	1	
28. कोमोरोस	200	—	
29. कांगा	25	—	
30. कोस्टारिका	7	3	
31. क्यूबा	20	10	
32. साइप्रस	6	—	
33. चेकोस्लोवाकिया	11	11	
34. डेनमार्क	637	65	
35. डोमिनिका	*20	—	*परिवार
36. इक्वेडार	13	—	
37. मिस्र	600	1	
38. इक्वेटोरियल गिनी	10	—	

(1) (2)	(3)	(4)	(5)
39. इथ्योपिया	2,350	450	
40. फिजी	3,00,697	3,00,650	
41. फिनलैंड	100	200	
42. फ्रांस	500	6	
43. गैबन	20	15	
44. गाम्बिया	78	10	
45. ग्वाटेमाला	13	—	
46. पश्चिम जर्मनी	13,082	1,521	
47. पूर्वी जर्मनी	100	—	
48. घाना	1,250	44	
49. यूनान	300	—	
50. ग्रेनेडा	3,900	3,700	
51. गिनी	7	—	
52. गिनी बिसाऊ	—	—	
53. गुयाना	4,24,400	4,24,100	
54. हांगकांग	12,600	4,000	
55. हंगरी	2	—	
56. आइसलैंड	6	6	
57. इंडोनेशिया	20,000	5,000	
58. ईरान	20,000	920	
59. इराक	20,250	10,000	
60. आयरलैंड	6	6	
61. इटली	900	—	
62. आइवरी कोस्ट	15	—	
63. जमैका	50,318	50,000	
64. जापान	1,858	110	
65. जार्डन	3,515	—	
66. केन्या	79,000	72,500	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
67.	कोरिया (उत्तरी)	—	—	
68.	कोरिया (दक्षिण)	104	18	
69.	कुवैत	65,000	100	
70.	लाओस	60	—	
71.	लेबनान	600	7	
72.	लेसोथो	1,020	800	
73.	लाइबेरिया	1,000	—	
74.	लीबिया	10,000	—	
75.	लक्समबर्ग	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
76.	मेलगासे	20,000	15,500	
77.	मलावी	4,900	3,640	
78.	मलयेशिया	12,08,500	10,09,500	
79.	मालदीव	112	10	
80.	माल्टा	150	150	
81.	माली	10	—	
82.	मारीशस	6,23,500	6,12,527	
83.	मारीटानिया	—	—	
84.	मेक्सिको	92	26	
85.	मंगोलिया	—	—	
86.	मांट्सेरेट	15†	—	†परिवार
87.	मोरक्को	500	125	
88.	मोजाम्बीक	22,043	21,792	
89.	नेपाल	38,00,000	23,87,973	
90.	नीदरलैण्ड	1,01,500	1,00,000	
91.	न्यूजीलैण्ड	10,000	9,200	
92.	निकारागुआ	2	—	
93.	नाइजीरिया	15,000	3	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
94.	नाइजर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
95.	नार्वे	1,450	75	
96.	ओमान	60,000	5	
97.	पाकिस्तान	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
98.	पानामा	1,500	250	
99.	परागुए	7	—	
100.	पेरू	65	19	
101.	फिलिपाइन्स	3,000	500	
102.	पोलैण्ड	49	—	
103.	पुर्तगाल	6,000	5,939	
104.	कातार	30,000	125	
105.	रूमानिया	—	—	
106.	रवांडा	58	—	
107.	सऊदी अरब	1,20,000	2,000	
108.	सेनेगल	80	50	
109.	सैशेलेस	500	350	
110.	साइरा लिओन	612	12	
111.	सिंगापुर	1,59,500†	1,22,000	†भारत के आस-पास देशों के राष्ट्रकों सहित
112.	सोमालिया	1,072	172	
113.	स्पेन	4,000	37	
114.	श्री लंका	13,50,000	4,32,986	
115.	सेंट विन्सेंट	10†	—	†परिवार
116.	सेंट ल्यूशिया	15†	—	†परिवार
117.	सूडान	1,800	98	
118.	सुरीनाम	1,24,900	1,24,750	
119.	स्वाजीलैण्ड	41	12	

(1) (2)	(3)	(4)	(5)
120. स्वीडन	1,899	1,172	
121. स्विट्जरलैण्ड	2 434	449	
122. सीरिया अरब गणराज्य	286	—	
123. तन्जानिया	59,000	55,000	
124. थाइलैण्ड	20,000	10,000	
125. टोगो	75	—	
126. ट्रिनिडाड और टोबागो	4,21,000	4,20,000	
127. ट्यूनिसिया	25	—	
128. टर्की	10	—	
129. युगांडा	430	300	
130. संयुक्त अरब अमीरात	1,52,000	2,000	
131. ब्रिटेन	5,00,000	2,50,000	
132. संयुक्त राज्य अमेरिका	3,00,000	35,000	
133. सोवियत रूस	750	2	
134. अपर वोल्टा	15	—	
135. युरूगुए	2	—	
136. वेनेजुएला	231	16	
137. वियतनाम	200	उपलब्ध नहीं	
138. यमन अरब गणराज्य	3,500	300	
139. यमन (जनवादी गणराज्य)	1,00,000	99,500	
140. यूगोस्लाविया	50	—	
141. जाइरे	700	200	
142. जाम्बिया	22,600	9,000	

भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता से करेंसी नोटों का गायब होना

4596. **श्री मनोहर लाल सनी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता के खजाने से करेंसी नोटों के तीन बंडल गायब पाये गये जिनमें प्रत्येक बंडल में 10,000 रुपए थे;

(ख) यदि हां, तो पूर्ण तथ्य क्या है और इसका क्या कारण है तथा खोये हुए नोटों का पता लगाने के बारे में हुई प्रगति का ब्योरा क्या है;

(ग) रुपयों की यह चोरी किस प्रकार हुई जबकि वह पटल सार्वजनिक स्थान से अलग था और पूर्णतः सुरक्षित था तथा खजाने के प्रवेश द्वार के बाहर सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसकी चौकसी की जाती है; और

(घ) क्या कलकत्ता तथा भारतीय रिजर्व बैंक की अन्य शाखाओं में इस प्रकार की चोरियों की रोक-थाम के लिए सुरक्षा प्रबन्ध की पुनरीक्षा कर ली गई है और उसे सुदृढ़ कर दिया गया है तथा गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार की कितनी चोरियां हुई हैं और उनमें कितनी राशि चोरी की गई ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि रिजर्व बैंक, कलकत्ता की एक्सचेंज काउण्टर से 12 नवम्बर, 1982 को 30,000 रु० की एक चोरी हुई थी। बैंक ने यह भी बताया है कि उसके अनुसार, यह चोरी काउण्टर के स्टाफ द्वारा सुरक्षा के अहतियात न बरतने की वजह से हुई क्योंकि उन्होंने हिदायतों के मुताबिक क्यूबिकल को बन्द करके ताला लगा कर नहीं रखा था। बैंक ने पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी है और अभी पुलिस की तहकीकात पूरी नहीं हुई है। इस बीच, बैंक ने टेलर और दो सिक्का/नोट परीक्षकों के विरुद्ध अनेशासन की कार्रवाई शुरू कर दी है। उनसे यह भी कहा गया है कि वे इस हानि की पूर्ति करें।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सुरक्षा के बारे में अपने सभी कार्यालयों को व्यापक हिदायते जारी की हैं। उनसे यह भी कहा गया है कि इन हिदायतों का सख्ती से पालन करें। कार्यालयों के प्रति प्रभारी अधिकारियों से भी यह कहा गया है कि सुरक्षा विषेयक सावधानियों को सख्ती से लागू करने की दृष्टि से वे समय समय पर अचानक निरीक्षण भी करें। उनसे यह भी कहा गया है कि वे सावधिक रूप से सुरक्षा प्रबन्धकों के बारे में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। कलकत्ता कार्यालय ने सुरक्षा अदेशों के कड़ाई से पालन के लिए कदम उठाए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में पिलले तीन वर्षों के दौरान हुए चोरी/हानि के मामलों के ब्योरे विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक में हुए चोरी/हानि के मामलों के ब्योरे

क्रम सं०	कर्यालय का नाम	चोरी/हानि के मामलों के ब्योरे और घटना की तारीख
1.	कलकत्ता	25-1-80 को 10,000/- रुपये
2.	नई दिल्ली	9-5-80 को 10,000/- रुपये 3,000 रुपए
3.	बम्बई	(24-7-80, 3-9-80, 7-9-80 को तीन अवसरों पर 1000 रु० प्रत्येक)

क्रम सं०	कार्यालय का नाम	चोरी/हानि के मामलों के ब्यौरे और घटना की तारीख
4.	कलकत्ता	23-9-80 को छोटे सिक्कों के रूप में 41,500/-रुपये
5.	नई दिल्ली	16-9-81 को 25,000/- रुपये
6.	मद्रास	7-1-82 को 10,000/- रुपये
7.	नई दिल्ली	23-4-82 और 24-4-82 को 1,19,000/- रुपये
8.	नई दिल्ली	18-8-82 को 2,200/-रुपये

रक्षा लेखा में अनुभाग अधिकारियों के पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षण

4597. **श्री दया राम शाक्य :**

श्री जय पाल सिंह कश्यप : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा लेखा विभाग में अनुभाग अधिकारी (लेखा) के पद के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए 22½ प्रतिशत का आरक्षण आदेश लागू होता है;

(ख) क्या 31 जनवरी, 1982 को उपरोक्त कोटा पूरा हो गया था; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो, उक्त तारीख को सामान्य और आरक्षित जातियों के कितने अनुभाग अधिकारी थे;

(घ) क्या किसी भी वर्ष में 22½ प्रतिशत का कोटा पूरा हुआ है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं और कोटा पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए/किए जाने का विचार है;

(ङ) इस पद के लिए भर्ती नियमों का नाम (टाइटल) क्या है;

(च) उस पद के लिए भर्ती प्राधिकारी संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग है; और

(छ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार यह काम उपरोक्त एजेंसियों को सौंपने का है; यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी हां, यह भी उल्लेखनीय है कि अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति से पहले अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा पास करना जरूरी है ।

(ख) जी नहीं।

(ग) सामान्य वर्ग — 2802
आरक्षित वर्ग — 177

(घ) अनुभाग अधिकारी (लेखा) के ग्रेड में पदोन्नति अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा पास करने पर निर्भर करती है। आरक्षित वर्ग में से प्रयाप्त संख्या में अर्हक व्यक्तियों के न मिलने के कारण आरक्षित कोटे को पूरा करना संभव नहीं हो सका।

(ङ) रक्षा लेखा (वर्ग "ग" और "घ" पद) भर्ती नियम, 1970।

(च) और (छ) जी नहीं। भरती नियमों में 80% पद पदोन्नती और 20% पद सीधी भरती द्वारा भरे जाने की व्यवस्था है। किसी भी मामले में अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में पदोन्नति तभी होती है जब कोई व्यक्ति विभागीय रूप से आयोजित अधीनस्थ लेखा परीक्षा पास कर लेता है।

विदेशी पर्यटक

4598. **श्री गुलशेर अहमद :**

श्री के० लकप्पा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान (वर्षवार) कितने विदेशी पर्यटकों ने भारत की यात्रा की;

(ख) क्या सरकार देश के पर्यटन विकास में संतुष्ट है;

(ग) क्या सरकार को विदेश से आने वाले पर्यटकों को हवाई अड्डे पर उतरने पर सीमा शुल्क विभाग द्वारा निकासी में की जाने वाली देरी के कारण होने वाली परेशनाइयों आदि के बारे में पता है;

(घ) यदि हां, तो क्या उपचारी उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) अपने विदेशी दूतावासों द्वारा भारत में पर्यटकों के यातायात के विकास के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) गत तीन वर्षों में जिन विदेशी पर्यटकों ने भारत की यात्रा की उनकी संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	आने वाले पर्यटकों की संख्या
1980	800,150
1981	1270,210*
1982	1286,079*

* पाकिस्तान और बंगलादेश से आए राष्ट्रिक शामिल हैं।

(ख) पर्यटन का विकास एक सतत प्रक्रिया है। तथापि, हाल में देश की ओर पर्यटक आगमन की वृद्धि दर को पर्यटक भेजने वाली प्रमुख मार्केटों में विश्व व्यापी मन्दी और हमारे पड़ोसी देशों में गड़बड़ी के हालात ने भी प्रभावित किया।

(ग) और (घ) जी, हां। समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए तथा उपचारी उपाय करने के लिए समय-समय पर सम्बन्धित एजेंसीयों की बैठकें होती रहती हैं।

(ङ) विदेशों में हमारे मिशनों द्वारा जहां पर्यटक कार्यालय हैं वहां उनके सहयोग से या जहां ये कार्यालय नहीं हैं वहां अन्यथा रूप से या मिशन द्वारा स्वयं ही भारतीय पर्यटन की संभाव्यता प्रोजेक्ट करने तथा पर्यटक के रूप में भारत की यात्रा करने के इच्छुक व्यक्तियों की सहायता करने के लिए सतत प्रयास किए जाते हैं।

"पगड़ी रैकेट स्पैस्ड" शीर्षक समाचार

4599. श्री गुलशेर अहमद :

श्री के० लक्कप्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28-2-83 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पगड़ी रैकेट स्पैस्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार आयकर प्राधिकारियों द्वारा 'पगड़ी' प्रणाली के माध्यम से राजधानी में वाणिज्यिक परिसर किराये पर देकर लेखा बाह्य धन बनाने के घोटाले का भंडाफोड़ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस छापे से संबंधित व्यक्तियों और उनके पूर्वकृत संबंधी ब्यौरे क्या हैं; और छापे के दौरान कितने नकदी और जेवर आदि जब्त किये गये;

(ग) क्या इन पार्टियों के शेष लाकरों की भी तलासी ली गई है; और यदि हां, तो उनमें कौन सी वस्तुएं पकड़ी गई; और

(घ) कर और जुर्माने की वसूली तथा दोषी व्यक्तियों को दंड देने के लिए क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (घ) सरकार, सोमवार दिनांक 28-2-83 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में, 'पगड़ी रैकेट स्पैस्ड' शीर्षक से छपी रिपोर्ट से अवगत है। इस सूचना के प्राप्त होने पर कि सर्व/श्री जैनाथ, अमरनाथ और प्रेमनाथ अपने स्वामित्वाधीन दुकानों को अंतरिक करके 'पगड़ी' प्राप्त कर रहे हैं, 16-2-1983 को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के अंतर्गत, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बरेली में उनके रिहायशी तथा व्यापारिक परिसरों की तलाशियां ली गई थी। दिल्ली और बरेली में सील किये गये 23 लाकरों में से 17 लाकर खोले गये है। इन तलाशियों के परिणामत: नकदी तथा जवाहिरात के रूप में 24.77 लाख रुपये की प्रथम दृष्ट्या लेखा-बाह्य परिसंपत्तियां पकड़ी गई। आयकर अधिनियम की धारा 132 (3) के अन्तर्गत, लगभग 14.37 लाख रुपये के मूल्य के

जवाहिरात और 13 लाख रुपये का लेखा बाह्य स्टाक भी रोक लिया गया है। पकडे गये कागजातों की जांच-पड़ताल की जा रही है और आयकर तथा अन्य प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जाएगी।

दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के होटलों में निवेश

4600. **श्री रामप्रसाद अहिरवार :**

श्री सूरज भान :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवें एशियाड अवसर पर दिल्ली में निर्मित प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के होटल में कुल कितना धन लगाया गया और एशियाड के दौरान उन्हें कितना लाभ/हानि हुई तथा प्रत्येक में कितने कमरे किराये पर लगे;

(ख) दिल्ली में गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक होटल में नवें एशियाड के व्यक्तियों के लिये और इनके द्वारा कितने कमरों को किराये पर दिये जाने का आश्वासन दिया, कितने कमरों के लिये प्रस्ताव प्राप्त हुये और कितने कमरे वास्तव में किराये पर दिये गये;

(ग) यदि कम कमरे किराये पर लगे तो उनका क्या कारण है; और

(घ) नवें एशियाड के दौरान यात्रियों को भारत का दौरा करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये क्या कदम उठाये गये, प्रचार पर कितनी राशि व्यय की गई और उसके क्या परिणाम निकले ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) एशियाड के लिए दिल्ली में निर्मित सरकारी क्षेत्र के दो होटलों से सम्बन्धित सूचना नीचे दी गई है :—

	सम्राट होटल	होटल सेंटौर
	(लाख रू० में)	
(I) पूंजी-निवेश	1410.29 (30.11.82 तक)	2025.00
(II) लाभ और हानि	(+) 0.21 (परिचालन)	(+) 7.89 (परिचालन) (15.11.82 से 31.12.82 तक)
(III) अधिवास	58.9%	78%

(ख) और (ग) एशियाई खेलों की विशेष आयोजन समिति (एसओसी) के अनुसार, एसओसी द्वारा प्राइवेट होटलों में कुछ बुक किए गए कमरों की संख्या और किराए के लिए उपलब्ध कमरों पर आधारित प्राइवेट होटलों में अधिवास का स्तर निम्न प्रकार से है :—

होटल का नाम	एसओसी द्वारा बुक किए गए कमरे	अधिवास
1. एशियन होटल	150	60%
2. सिद्धार्थ कान्टीनेन्टल	45	38.33%
3. मौर्य शैराटन (विस्तार)	122	100%

(घ) एशियाड का संवर्धन भारत तथा विदेशों में स्थित सभी भारत सरकार पर्यटक कार्यालयों ने किया था। पर्यटन विभाग ने 1.56 लाख रुपये के खर्च पर नवम् एशियाड के लिए दिल्ली-दि एशियाड डिप्टी "एक्सकर्शन एण्ड ट्रअर्स" और "यात्री" विशेषांक शीर्षक से तीन प्रकाशन निकाले।

आई० टी० डी० सी० ने एशियाई खेल देखने के लिए बजट पर्यटकों को प्रोत्साहित करने हेतु "एशियाड आन ए बजट" शीर्षक से एक ब्रोशर निकाला। इस ब्रोशर पर कुल 17,721,96 रुपये खर्च हुए जिसे एयर इंडिया, दिल्ली पर्यटन विकास निगम और आई० टी० डी० सी० ने बराबर-बराबर वहन किया। एशियाड के दौरान, अशोक ट्रैवल्स एण्ड ट्रअर्स ने लगभग 9·72 लाख रुपये का राजस्व अर्जित करते हुए 114 यात्रियों को हैंडल किया।

"पवारलूम इन ल्यु आफ हैण्डलूम संगम वार्न्स एक्सपोर्टर्स" शीर्षक समाचार

4601. **श्री अशफाक हुसैन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 सितम्बर, 1982 के "इकानोमिक्स" "इकानोमिक्स टाइम्स" में "पावरलूम इन ल्यु आफ हैण्डलूम संगम वार्न्स एक्सपोर्टर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) सरकार ने हथकरघा से बने वस्त्रों के बदले में विद्युत करघे से बने वस्त्रों के निर्यात करने वाले निर्यातक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है;

(ग) क्या इस संबंध में आयातकर्ता देशों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(घ) भारतीय निर्यातकों का क्या नाम है और प्रत्येक निर्यातक के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (घ) सम्बन्धित निर्यातकों के विरुद्ध कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977, यथा संशोधित, के उपबन्धों के अन्तर्गत 16 निर्यातकों

को कारण दिखाओं नोटिस दे दिए गए हैं। शामिल पार्टियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) बेनेलक्स तथा ब्रिटेन से कुछ मामले, जिनमें गैर-हथकरघा उद्भव के माल के निर्यात के बारे में आरोप लगाया गया है, जांच के लिए सरकार को भेज दिए गए हैं। जांच करने पर यह पता चला कि 16 पार्टियां ऐसे मामलों में शामिल है जिनमें हथकरघा मदों के रूप में गैर-हथकरघा उत्पादों की निर्यात किया गया है।

विवरण

क्रमांक	पार्टी का नाम
1.	मै० सी० एण्ड ए० इन्टरनेशनल, नई दिल्ली
2.	मै० रिकर्ग एण्ड स्माइल (आई) प्रा० लि०, नई दिल्ली।
3.	मै० बनूना एक्सपोर्टस, नई दिल्ली।
4.	मै० इंडिया एक्सपोर्ट हाउस (प्रा०) लि०, नई दिल्ली।
5.	मै० कान्ता इन्टरनेशनल, नई दिल्ली।
6.	मै० नीता वीयर्स, नई दिल्ली।
7.	मै० स्माईलिंग राजेज, नई दिल्ली।
8.	मै० शिवानी एक्सपोर्ट इंक, नई दिल्ली।
9.	मै० न्टैक्स इण्डिया, नई दिल्ली।
10.	मै० चौधरी इन्टरनेशनल, बम्बई।
11.	मै० जयदी एक्सपोर्टस, नई दिल्ली।
12.	मै० गजीबो, नई दिल्ली।
13.	मै० मोहन इन्टरनेशनल, नई दिल्ली।
14.	मै० चन्द्रमणि, दिल्ली।
15.	मै० मोहन आवरसीज, नई दिल्ली।
16.	मै० वेस्टर्न इण्डिया गारमेंट्स (प्रा) लि०, बम्बई।

निर्यातकों को प्रोत्साहन

4602. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :

श्री रवीन्द्र वर्मा :

श्री भीम सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात संवर्धन के लिए अनेक कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष निर्यातकों को कौन-कौन सी सुविधाएं देने का विचार है;

(ग) क्या सरकार परम्परागत चर्मकारों को उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के निर्यात को प्राथमिकता देकर प्रोत्साहन देगी; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्धित योजना का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) भारत से निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नोक्त निर्यात सहायता योजनाएं प्रचलित हैं :—

(i) चुनिन्दा निर्यात उत्पादों पर नकद मुआवजा सहायता ;

(ii) आयात प्रतिपूर्ति; तथा

(iii) शुल्क वापसी ।

ऊपर दी गई योजनाओं के अतिरिक्त, सरकार ने, भारत से निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नोक्त प्रमुख उपाय किए हैं :—

1. "लाइसेंस शुदा क्षमता" तथा "प्राधान्य" के प्रयोजनार्थ निर्यात हेतु उत्पादन का अलग किया जाना;

2. वहां निर्यात हेतु नई वस्तुओं का उत्पादन करने की अनुमति जहां उस वस्तु में भिन्नता हो जिसके विनिर्माण के लिए औद्योगिक एकक लाइसेंस दिया गया हो ;

3. निर्यात उत्पादन के लिए प्रगतिशील तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी आयातों के लिए जिसमें रायल्टी की एकमुश्त अदायगी अन्तर्ग्रस्त हो, अनुकूल व्यवहार प्रदान करना;

4. सभी 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों को मुक्त व्यापार क्षत्र जैसा व्यवहार;

5. निर्यातों हेतु उत्पादन बढ़ाने के प्रयोजनार्थ उद्योगों की विस्तारित सूची में स्वत: विस्तार की अनुमति देना;

6. इंजीनियरी का कतिपय मदों तथा अन्य निर्यात अभिमुख उद्योगों के सम्बन्ध में रियायती ब्याज दर पर लदान-पूर्व ऋण की अवधि को 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किया जाना;

7. हाल ही में स्थापित एक्जिम बैंक से निर्यात वित्त का प्रावधान बढ़ाने की आशा है;

8. शुल्क वापसी के संवितरण में विलम्ब को कम करने के लिए नीतियों तथा प्रतिक्रियाओं को सरल तथा कारगर बनाया जाना;

उपर निर्दिष्ट निर्यात प्रोत्साहन तथा सुविधाएं चमड़े के माल के निर्यात के लिए भी लागू होती है । परम्परागत मोचियों के लिए कोई अलग योजना नहीं है ।

इण्डियन एयरलाइन्स की दिल्ली से हैदराबाद- बंगलौर के लिए विशेष उड़ान

4603. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री भीम सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स ने 9 दिसम्बर, 1982 को दिल्ली से हैदराबाद-बंगलौर को एक विशेष उड़ान चलाई थी;

(ख) यदि हां, तो इस उड़ान का निर्णय किस तारीख को किया गया था और यह निर्णय लेने के क्या कारण थे;

(ग) क्या ऐसी उड़ने पिछले वर्ष भी हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो ये उड़ाने किस तारीख को तथा कहां से कहां तक हुई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रतीक्षा सूची में रखे गए जिन यात्रियों को दिल्ली/हैदराबाद/बंगलौर अनुसूचित उड़ान पर स्थान नहीं दिया जा सका, इन्हें ले जाए जाने के लिए निर्णय 8 दिसम्बर, 1982 को किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बम्बई में एक पृथक टर्मिनल बनाने के लिए भारत के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की योजना

4604. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के हवाई अड्डा प्राधिकरण की बम्बई में एक पृथक टर्मिनल बनाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जी, हां। भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण बम्बई विमान क्षेत्र पर एक नए अन्तर्राष्ट्रीय यात्री तथा कार्गो टर्मिनल परिसर का विकास कर रहा है। इस परिसर का प्रथम

चरण 1980 में चालू कर दिया गया था तथा अन्तर्राष्ट्रीय यात्री टर्मिनल का दूसरा चरण 22.49 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अब कार्यान्वित किया जा रहा है तथा इसके 1984-85 तक पूरा हो जाने की संभावना है ।

मेरेडियन होटल, नई दिल्ली के लिए सीमेंट और इस्पात का आबंटन

4605. **डा० वसन्त कुमार पण्डित :**

श्री रत्न सिंह राजदा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि मेरेडियन होटल परियोजना के लिए कितने सीमेंट और इस्पात का अबंटन किया गया था ; और सुपुर्दगी कब और किस मूल्य पर की गई;

(ख) पूरी होटल परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी;

(ग) क्या मेरेडियन होटल के प्रवर्तकों ने सीमेंट और इस्तात का पूरा मूल्य चुकता कर दिया है यदि नहीं तो नई दिल्ली नगर पालिका अथवा किसी अन्य एजेंसी की ओर 28 फरवरी, 1983 को कितनी रकम बकाया थी; और

(घ) इसकी वसूली के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है और क्या वसूली न होने की स्थिति में कोई आर्थिक दण्ड, ब्याज लिया जाएगा अथवा कोई कानूनी कार्यवाही की जाएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जनवरी, 1982 तक आबंटित 9,000 टन सीमेंट के मुकाबले 2-4-82 तक केवल 2,336,60 मीटरी टन सीमेंट रिलीज की गई थी । सरकारी नीति में परिवर्तन के कारण इस तारीख के बाद होटल द्वारा ओपन मार्केट से नान-लेवी सीमेंट खरीदी गई थी । इसी प्रकार 3,700 मीटरी टन इस्पात की सिफारिश के मुकाबले केवल 494.72 मीटरी टन इस्पात होटल का प्राप्त हुआ था और शेष ओपन मर्केट से खरीदा गया था । अधिकतर लेवी सीमेंट 536.09रु० प्रति मीटरी टन और इस्पात 4295 रु० से 4405 रु० प्रति मीटरी टन की दर पर खरीदा गया था ।

(ख) लाइसेंस दस्तावेज के अनुसार होटल 31 दिसम्बर, 1984 तक पूरा हो जाएगा ।

(ग) होटल मेरेडियन ने सीमेंट और इस्पात का पूरा मूल्य चुकता कर दिया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रेट ब्रिटेन के साथ व्यापार घाटा

4606. **श्री पी० एम० सईद :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1983 के दौरान ब्रिटेन के व्यापार मंत्री ने भारत-ब्रिटेन व्यापार

घाटे के सम्बन्ध में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या 1977 तक व्यापारिक संतुलन भारत के पक्ष में रहा है और इसके बाद अत्याधिक रूप से ब्रिटेन के पक्ष में हो गया है;

(ग) क्या प्राक्कलन के अनुसार भारत को इस वर्ष के प्रथम नौ महीनों में लगभग 40 करोड़ पौण्ड का व्यापार घाटा हुआ है;

(घ) क्या व्यापार घाटा और अधिक बढ़ सकता है; और

(ङ) ग्रेट ब्रिटेन के साथ व्यापार घाटे को ठीक करने में ब्रिटेन के मंत्री की यात्रा से कहां तक मदद मिलेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) ब्रिटिश व्यापार मंत्री ने हमारे दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों की समीक्षा के लिए भारत की यात्रा की ।

(ख) भारत का व्यापार 1977 तक हमारे पक्ष में था, लेकिन उसके बाद प्रतिकूल हो गया ।

(ग) ब्रिटिश आंकड़ों के अनुसार 1982 के दौरान ब्रिटेन को किए गए हमारे निर्यातों का मूल्य 379.2 मिलियन पौंड था जबकि ब्रिटेन से दिए गए हमारे आयातों का मूल्य 805.3 मिलियन पौंड था ।

(घ) यदि हमारे निर्यात हमारे आयातों के बराबर नहीं होते तो यह घाटा बढ़ सकता है ।

(ङ) वर्ष 1982 के दौरान भारत का निर्यात निष्पादन पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रहा है । तथापि, प्रत्येक देश के साथ हमारे द्विपक्षीय व्यापार मे अंकगणितीय शेष को दिखाना हमारा उद्देश्य नहीं है । हमारी नीति है बढ़िया उपलब्ध बाजारों को अधिक निर्यात करके अपने विश्वव्यापी व्यापार घाटे को कम करने का प्रयास करना है । ब्रिटेन सरकार ने हमारे निर्यातों के विस्तार के लिए हमारे सुझावों पर अनुकूल प्रतिक्रिया दिखाई है और उन्होंने भारत को ब्रिटेन बाजार में उनके निर्यात संवर्धन प्रयासों में सहायता देने के लिए 250,000 पौंड की राशि निर्धारित की है ।

भारत को जापान की सहायता

4607 **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान द्वारा भारत को अनुदान और ऋण के रूप में विभिन्न परियोजनाओं के लिए दी गई कुल सहायता राशि का ब्योरा क्या है;

(ख) इस सहायता राशि को किन विशिष्ट परियोजनाओं और योजनाओं के उपयोग के लिए किया जायेगा; और

(ग) इस सहायता की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जापान सरकार ने 1958 से ऋणों और अनुदानों के रूप में कुल मिलाकर 596,30 अरब येन (2506 करोड़ रुपए के लगभग बराबर) की राशि की सहायता दी है। जापान से मिलने वाली ऋण सहायता लगभग 574.63 अरब येन (लगभग 2415 करोड़ रुपए) बैठती है। जिसमें से 217.26 अरब येन (लगभग 913 करोड़ रुपए के बराबर) की सहायता विनिदष्ट परियोनाओं और योजनाओं के लिए दी गई है। अनुदान सहायता जो 1978-79 से मिलनी शुरू हुई 21.67 अरब येन (लगभग 91 करोड़ रुपए के बराबर) बैठती है, जिसमें से 10.35 अरब येन (लगभग 43.5 करोड़ रुपए के बराबर) की राशि की सहायता विनिदष्ट परियोजनाओं और योजनाओं के लिए दी गई है। ऋण सहायता कतिपय चुने हुए क्षेत्रों जैसे कि विद्युत, उर्वरक, तेल की खोज, दूर संचार, तथा रेल परिवहन आदि क्षेत्रों की विनिदष्ट परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है जबकि अनुदान सहायता खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने, संस्कृति, स्वास्थ्य तथा सामाजिक पर्यावरण सुधारने के क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है। जापान सरकार जिन परियोजाओं तथा योजनाओं के लिए पिछले तीन वर्षों (1980-81 से 1982-83) में जो ऋण/अनुदान सहाता दी है उनकी सूची विवरण में संलग्न है।

(ग) जापान से मिले वर्तमान ऋणों को 10 वर्षों की रियायती अवधि सहित 30 वर्ष की अवधि में वापस अदा किया जाना है। इन ऋणों पर 2.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से ब्याज लगता है।

विवरण

उन परियोजनाओं/योजनाओं की सूची, जिनके लिए जापान सरकार ने पिछले तीन वर्षों (1980-81 से लेकर 1982-83 तक) के दौरान ऋण/अनुदान सहायता दी है।

(दस लाख येन)

क्रम संख्या	परियोजना/योजना का नाम	ऋण/अनुदान की राशि
(1)	(2)	(3)
	ऋण	
1.	दूर संचार परियोजनाएं (संख्या II, III, IV और V)	23,100
2.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की प्लेटफार्म्स परियोजना	8,600
3.	हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की पश्चिमी यमुना नहर पन बिजली परियोजना	4,000
4.	कृषक भारतीय सहकारी लिमिटेड की हजीरा उर्वरक परियोजना	20,000

(1)	(2)	(3)
5.	आसाम राज्य बिजली बोर्ड की चन्द्रपुर तापीय बिजली परियोजना	1,420
6.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड पटिलाइजर्स लिमिटेड की थल वैषट उर्वरक परियोजना	20,000
7.	आन्ध्र प्रदेश रज्य बिजली बोर्ड की नागार्जुन सागर पनबिजली घर विस्तार परियोजना (चरण-II)	7,000
8.	तमिलनाडु बिजली बोर्ड की लोअर मैसूर पनबिजली परियोजना	7,600
9.	आसाम राज्य बिजली बोर्ड की लोअर बोरपानी पनबिजली परियोजना	1,700
10.	उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड की हीराकुड पन बिजली परियोजना	1,500
11.	भारतीय रेलवे विकास परियोजना	2,680
12.	बम्बई उपनगरीय रेलवे आधुनिकीकरण परियोजना	1,800
13.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की अपतट पूर्ति जलयान परियोजना	2,100
14.	कलकत्ता पेट्रो रेलवे (चरण-II) परियोजना	4,800
15.	तमिलनाडु राज्य सूक्ष्म पन-बिजली घर निर्माण परियोजना	2,000
अनुदान		
16.	जापान से वैज्ञानिक प्रयोगशाला उपकरणों के आयात के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सांस्कृतिक अनुदान	50
17.	सामाजिक पर्यावरण सुधार परियोजना—नई दिल्ली और वाराणसी में अस्पतालों, नर्सों के हस्पतालों के निर्माण के लिए जापान से छोटे आकार की इस्पाती छड़ों का आयात—जोरदार कार्यक्रम के अन्तर्गत कम आय वर्ग के लिए आवास, स्कूल, कालेज, हस्पताल, अनाज के गोदाम आदि।	4,500

(1)	(2)	(3)
18.	दिल्ली विश्वविद्यालय तथा जवाहरलाल नेहरू विश्व-विद्यालय द्वारा जापान से भाषा प्रयोगशाला उपकरणों के आयात के लिए सांस्कृतिक अनुदान	29
19.	राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला द्वारा जापान से खेलों के उपकरणों के आयात के लिए सांस्कृतिक अनुदान	50
20.	जापान से उर्वरकों के आयात के लिए खाद्यान्न उत्पादन अनुदान	1,000
21.	केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान, कसौली में एंसीफिलीइटस वैक्सीन के उत्पादन के लिए मशीनरी और उपकरणों के आयात के लिए अनुदान सहायता	300
22.	सांस्कृतिक साधन तथा प्रशिक्षण केन्द्र नई दिल्ली द्वारा जापान से दृश्य श्रव्य तथा फोटोग्राफिक उपकरणों के आयात के लिए सांस्कृतिक अनुदान	46
	जोड़	114,275 (लगभग 480.34 करोड़ रुपए के बराबर)

भारत और चीन बीच सीधी विमान सेवा

4608. **श्रीमती माधुरी सिंह :**

श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में एयर इण्डिया की चीन के नागर विमानन प्रशासन के साथ दोनों देशों के बीच सीधी विमान सेवा आरम्भ करने के बारे में बात-चीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) दोनों पड़ोसी देशों के बीच विमान सेवा सुविधा प्रदान करने के लिए, यदि कोई समझौता किया जाएगा तो कब तक किया जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं। सीधी सेवाओं के प्रचालन के लिए हाल ही में एयर इण्डिया तथा चीन के नागर विमानन प्रशासन में कोई बातचीत नहीं हुई है। तथापि 1980 में एयर इण्डिया तथा चीन के

नागर विमानन प्रशासन के बीच इस बात पर सहमति हुई थी कि वे एक दूसरे के टिकटों तथा दस्तावेजों को स्वीकार करेंगे ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को धनराशि पर आयकर की कटौतियां

4609. **श्री अनादि चरण दास :**

श्री नारायण साहू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार काय-क्रम के अन्तर्गत आबंटित धन राशि पर आयकर की कटौती की जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात की जाँच की है कि कानून के अन्तर्गत आयकर की ऐसी कटौतियाँ की जा सकती हैं;

(ग) यदि वे नहीं की जा सकती तो ये कटौतियां करने के क्या कारण हैं; और

(घ) 1 मार्च, 1982 से 28 फरवरी, 1983 तक उड़ीसा राज्य के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से ब्लाकवार आयकर के रूप में कितनी धनराशि की कटौती की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है जिसे उपलब्ध होते ही सदन-पटल पर रख दिया जाएगा ।

आदिवासी उपयोजना और विशेष घटक (कम्पोनेट प्लान) योजना के लिए धनराशि

4610. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सभी केन्द्रीय मंत्रालय विमागों को छठी पंवर्षीय योजना की वार्षिक योजनाओं के दौरान, आदिवासी उपयोजनक और विशेष घटक (कम्पोनेट प्लान) योजना के लिए अलग-अलग बजट शीर्षों के अधीन धनराशि का निश्चय करने तथा उसे अंकित करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो उन मंत्रालयों/विभागों के नाम क्या है जिन्होंने उस प्रक्रिया को पहले ही कर दिया है और मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अपना लिया है;

(ग) क्या राज्यों और केन्द्रीय शासित प्रदेशों को भी वैसी ही प्रक्रिया अपनाने के लिए कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों में पृथक बजट शीर्ष खोलना जरूरी होता है। वर्ष 1983-84 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें अलग-अलग मंत्रालयों/विभागों द्वारा जल्दी ही लोक-सभा पटल पर रख दी जाएगी। इनसे पता चलेगा कि सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों द्वारा किस सीमा तक और किन क्षेत्रों में ऐसा पृथककरण कर दिया गया है।

(ग) गृह मंत्रालय द्वारा ऐसी सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षत्रों को, जिनकी जन-जातीय उप-आयोजनाएं हैं और जहां अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या काफी है, ऐसी ही प्रक्रिया अपनाने के लिए कहा गया है।

(घ) ये राज्य और संघ राज्य क्षेत्र इस प्रकार है:—

राज्य	संघ राज्य क्षेत्र
(i) जनजातीय उप-आयोजना :	
1. आन्ध्र प्रदेश	1. गोवा, दमन और द्वीप
2. आसाम	2. अण्डमार और निकोबार द्वीपसमूह
3. बिहार	
4. गुजरात	
5. हिमाचल प्रदेश	
6. कर्नाटक	
7. केरल	
8. मध्य प्रदेश	
9. महाराष्ट्र	
10. मणिपुर	
11. राजस्थान	
12. उड़ीसा	
13. सिक्किम	
14. तमिलनाडु	
15. त्रिपुरा	
16. उत्तर प्रदेश	
17. पश्चिम बंगाल	
(ii) विशेष घटक आयोजना	संघ राज्य क्षेत्र
1. आन्ध्र प्रदेश	1. गोवा, दमन और द्वीप
2. आसाम	2. पांडीचेरी
3. बिहार	3. दिल्ली
4. गुजरात	4. चण्डीगढ़

5. हरियाणा
6. हिमाचल प्रदेश
7. जम्मू और कश्मीर
8. कर्नाटक
9. केरल
10. मध्य प्रदेश
11. महाराष्ट्र
12. मणिपुर
13. उड़ीसा
14. पंजाब
15. राजस्थान
16. सिक्किम
17. तमिलनाडु
18. त्रिपुरा
19. उत्तर प्रदेश
20. पश्चिम बंगाल

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों को बैंकों से ऋण

4611. **श्री गिरवर गोमांगो :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन-जाति और कमजोर वर्गों के लिए बनाये गए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के फायदा उठाने वालों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए जारी किए गए अनुदेश क्या हैं ;

(ख) क्या बैंकों के मुख्य कार्यालयों ने अपने क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों को उन अनुदेशों के बारे में समय पर नहीं बताया था जिससे ऋण के भुगतान में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है तथा लघु ऋण के लिए जमानत पर जोर दिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक से अनुदेशों के बारे में अपने क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को नहीं सूचित किया था ;

(घ) उनके मंत्रालय द्वारा संदेश अनावश्यक विलम्ब दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ङ) क्या बैंकों के सभी मुख्यालयों क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखा कार्यालयों ने तदनुसार कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) क्या विषयक अनुदेशों की एक सूची विवरण में है ।

(ख) इस प्रकार के कोई उदाहरण सरकार के ध्यान में नहीं लाये गये हैं ।

(ग), (घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के वास्ते उपलब्ध विशेष योजनाएं और उदार शर्तें

बैंकों को अनुदेश

1. सन् 1969 में 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को ऋण की मात्रा बढ़ाने की दृष्टि से बैंकों को अनेक अनुदेश जारी किए गए हैं ।
2. बैंकों को कहा गया है कि वे इन समुदायों से व्यक्तियों की अपेक्षाओं के लिए विशेष रूप से तैयार की गई योजनाए बनाएं, इस प्रकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार करें, इन योजनाओं में इन समुदायों की भागीदारी को सुनिश्चित करें तथा स्व-नियोजन के लिए इन समुदायों को अधिकाधिक मात्रा में ऋण प्रदान करें । सामान्य रूप से बैंकों से कहा गया है कि वे अ०जा०/अ०ज०जा० के सदस्यों के ऋण प्रस्तावों पर अत्यधिक सहानुभूति के साथ विचार करें ।
3. प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिए जाने वाले सभी ऋणों में अ०जा०/अ०ज०जा के सदस्यों को तरजीह दी जानी हैं । जैसाकि कहा जा चुका है इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष बैंक सहायता योग्य योजनाएं भी तैयार की जाती हैं ।
4. बैंक स्टाफ को चाहिए कि वे गरीब ऋणकर्ताओं को फार्म भरने तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में मदद करें ताकि ये लोग एक सुनिश्चित अवधि के भीतर ही ऋण सुविधा प्रदान करने में समर्थ हो जाएं ।
5. उपलब्ध ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने में अ०जा०/अ०ज०जा० के ऋणकर्ताओं को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि बैंकों द्वारा तैयार की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में, उनमें अधिकाधिक जागरूकता पैदा की जाए । अधिक अच्छा यह होगा कि बैंकों का फील्ड स्टाफ इस प्रकार के ऋणकर्ताओं से समपर्क करें और उनके सम्मुख योजनाओं की प्रमुख बाले स्पष्ट करें तथा वे लाभ भी बतताएं जो उन्हें प्राप्त होंगे ।

ऋण योजनाओं में अ०जा०/अ०ज०जा० को वरीयता

6. जिला/ब्लाक ऋण योजनाएं विशेष रूप से अ०जा०/अ०ज०जा० के पक्ष में जोर देते हुए बनायी गयी है । इनमें इन समुदायों सदस्य के लिए उपयुक्त, विशेष बैंक सहायता योग्य योजना शामिल हैं । बैंकों से कहा गया है कि वे इस प्रकार की योजनाओं में इन ममुदायों की भागीदारी स्व-नियोजन के लिए उन्हें अधिकाधिक ऋण की मात्रा मिले इस बात को सुनिश्चित करें ।

संपादक प्रयोजनों के लिए ऋण-डी०आर०आई० योजना

7. विभेदी ब्याज दर (डी०आर०आई०) योजना जोकि समाज के कमजोर से कमजोर वर्गों की सहायता के लिए तैयार की गई हैं, उत्पादक प्रयोजनों के लिए 4% की नाममात्र की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती है। अलबत्ता, इस योजना के अधीन ऋण की अधिकतम राशि 6500 रुपये तक सीमित है। बैंकों से यह कहा गया है कि वे इस योजना के अधीन अपने ऋणों को बढ़ाकर पिछले वर्ष के अपने कुल ऋणों के 1 प्रतिशत तक पहुंचा दें। इस योजना के अधीन दिए जाने वाले ऋणों का 40 प्रतिशत भाग अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए सुरक्षित है। इस योजना के अधीन केवल ऐसे व्यक्ति ऋण लेने के पात्र हैं जिनकी सब स्रोतों से पारिवारिक आय शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में 3000 रुपये प्रति वर्ष और ग्रामीण इलाकों में 2000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है और जिनके पास या तो जमीन है ही नहीं अथवा जिनकी जोत का आकार सिंचित भूमि के मामले में एक एकड़ से और असिंचित भूमि के मामले में 2.5 एकड़ से अधिक नहीं है। अ०जा०/अ०ज०जा० के ऋणकर्ताओं के मामले में भूमि भी जोत की शर्त बिल्कुल हटा दी गई है बशर्ते कि वे अन्यथा इस योजना के अधीन पात्र हों।

आवास के लिए ऋण

8. बैंको को यह अनुमति दे दी गयी है कि वे अ०जा०/अ०अ०जा० के व्यक्तियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लाभ के लिए प्रत्यक्ष आवास ऋण दे सकते हैं। जबकि ऐसे ऋणों पर ब्याज की सामान्य दर 12.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के बीच होती है। अ०जा०/अ०ज०जा० को दिए जाने वाले प्रत्यक्ष ऋणों पर ब्याज की दर केवल 4 प्रतिशत है बशर्ते कि एक व्यक्ति को दिया गया आवास ऋण 5000 रुपये से अधिक न हो।

ग्राम अंगीकरण योजना

9. गहन ऋण प्रदान के लिए गांवों को "अंगीकार" करते समय ऐसे गांव विशेष रूप से चुने जाते हैं जहां इन समुदायों की जनसंख्या काफी अधिक हो। इस विकल्प पर भी विचार किया जाता है कि सम्बद्ध गांव की किसी बस्ती में यदि इन समुदायों के लोग अधिक संख्या में रहते हों तो उन बस्तियों को अंगीकार किया जाए।

एल०ए०एम०पी०एस० के माध्यम से ऋण सुविधाएं

10. एल०ए०एम०पी०एस० मुख्यतः दो काम करती है अर्थात् ऋण और विपणन का। जहां तक ऋण पक्ष का सवाल है एल०ए०एम०पी०एस० सामान्यतः जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंकों और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंकों से सम्बद्ध होती हैं। अलबत्ता, इनमें से कुछ वाणिज्यिक बैंकों से भी अपना धन प्राप्त करती हैं।

एकीकृत ग्रामीण विकास योजना (आई०आर०डी०पी०) के अधीन व्याप्ति

11. आई०आर०डी०पी० के अधीन सहायता के लिए चुने गए परिवारों में से कम से

कम 30 प्रतिशत अ०जा०/अ०ज०जा० के होने चाहिएं । यह तो न्यूनतम है जिसे पूरा किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए और जहां तक संभव हो अ०ज०/अ०ज०जा० के वर्गों से अधिक परिवार चुनकर उन्हें इस कार्यक्रम के अधीन सहायता दी जानी चाहिए । कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि सहायता पाने वाले ज०/अ०ज०जा० परिवारों की संख्या और उन्हें राज सहायता और ऋण के रूप में मिलने वाली सहायता की मात्रा समुचित रूप से उपयुक्त मानदण्डों के अनुरूप हो । आइ०आर०डी०पी० के अधीन दी जाने वाली राज सहायता की मात्रा अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों के लिए योजना का 50 प्रतिशत है जबकि अनुसूचित जातियों समेत सभी अन्य ऋणकर्ताओं को मिलने वाली राज सहायता ऋणकर्ता की हैसियत के अनुसार 25 से 33⅓ प्रतिशत के बीच में होती है ।

वन्य-जीवों सम्बन्धी पर्यटन के लिए आवंटन

4612. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वन्य जीवों सम्बन्धी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए राज्यवार कितनी धनराशि का नियतन किया गया है और पिछले दो वर्षों के दौरान इस दिशा में क्या प्रयास किये गये हैं; और

(ग) वन्य जीवों सम्बन्धी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1983-84 के लिए राज्य-वार क्या कदम उठाने का विचार है और उस अवधि के लिए कितनी धनराशि का नियतन करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) जी, हां । विभाग बजट या स्कीमों के रूप में राज्य-वार धनराशि का आवंटन नहीं करता है । विभाग द्वारा वन्य जीव पर्यटन के विकास हेतु जो नीति अपनायी गई है वह कुछ चुने हुए वन्य-जीव विहार स्थलों/राष्ट्रीय पार्कों पर उनकी सुगमता और वन्य जीव सम्बन्धी सम्पन्नता पर निर्भर करते हुए प्रयासों कों केन्द्रित करना है । छठी पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के दौरान विभाग द्वारा इन विहार-स्थलों पर परिवहन सुविधाएं जुटाने के साथ-साथ बेतला [बिहार] (चालू), मानस [आसाम], सिमलीपाल [उड़ीसा], कंचनजंघा [सिक्किम], बान्दीपुर [कर्नाटक], रण-कच्छ [गुजरात] और दुधवा [उत्तर प्रदेश] में वन-ग्रहों के निर्माण के प्रस्ताव हैं । 1983-84 में 55·00 लाख रुपए की राशि का प्रस्ताव है ।

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा विभिन्न खनिज जोनों से लौह अयस्क की खरीद

4613. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन खनिज जोनों/क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनसे खनिज और धातु व्यापार निगम लौह अयस्क खरीदता है;

(ख) विभिन्न क्षेत्रों से खरीदे गये लौह अयस्क का प्रति टन मूल्य क्या है;

(ग) क्या इस्टर्न जोन माइनिंग एसोसिएशन ने खनिज और धातु व्यापार निगम से बारजम्दा क्षेत्र से खरीदे गये निर्यात किस्म के लौह अयस्क की कीमत बढ़ाने का अनुरोध किया था; और

(घ) यदि हां, तो खनिज और धातु व्यापार निगम ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम निम्नलिखित जोन/क्षेत्रों से लौह अयस्क खरीदता है :—

1. वेलेडिला में नेशनल मिनरल डेवेलमेंट कार्पोरेशन की खानें ।
2. दक्षिण क्षेत्र (बरेली हास्पेट क्षेत्र) ।
3. एन० एम० डी० सी० खानें दोनीमलई ।
4. पूर्वी क्षेत्र (बरजमदा क्षेत्र) ।
5. दयत्री/ गंधामर्दन में उड़ीसा माइनिंग कार्पोरेशन की खानें ।
6. गोआ क्षेत्र ।
7. रेडी क्षेत्र ।

(ख) विभिन्न क्षेत्रों की खरीद कीमतें आपस में तुलनात्मक नहीं हैं क्योंकि अयस्क के ग्रेडों, खरीदारी की पद्धति एवं आधार, खान से सुपुर्दगी स्थल और पत्तन के बीच की दूरी में भिन्नता है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इस्टर्न जोन माइनिंग एसोसिएशन के साथ विचार-विमर्श करने के बाद दोनों पक्ष 31-3-1982 को विद्यमान कीमतों की तुलना में 1 अप्रैल, 1982 से 6.15रु० प्रति डी० एम० टी० की वृद्धि करने को सहमत हो गये हैं । इसके अलावा 5रु० प्रति डी० एम० टी० की तदर्थ वृद्धि भी दी गई है ।

प्रत्येक पर्यटन कार्यालय को वित्तीय आबंटन

4614. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में पर्यटक केन्द्र खोल रखे हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में केन्द्र द्वारा कितने पर्यटक कार्यालयों का प्रबन्ध किया जाता है; और

(ग) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक पर्यटक कार्यालय को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) कोई पर्यटक केन्द्र स्थापित नहीं किए जाते, हालांकि पर्यटक आकर्षण के स्थान सभी राज्यों में स्थित हैं ।

(ख) विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में भारत सरकार के 22 पर्यटक कार्यालय परिचालन-रत हैं ।

(ग) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक पर्यटक कार्यालय को दिए गए वित्तीय आबंटनों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है ।

विवरण

1980-81 और 1981-82 के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में उन पर्यटक कार्यालयों में प्रत्येक को जिनको केन्द्र द्वारा प्रबन्धक संचालन किया जाता है, लिए गए वित्तीय आबंटन को दर्शाने वाला विवरण

योजनेत्तर

क्रम सं०	कार्यालय का नाम	वित्तीय आबंटन	
		1980-81 रु०	1981-82 रु०
1.	दिल्ली	7,07,300	7,55,000
2.	आगरा	1,25,100	1,33,000
3.	कलकत्ता	6,19,200	6,18,700
4.	जयपुर	1,00,200	1,09,000
5.	खजुराहो	63,900	70,000
6.	वाराणसी	1,01,600	1,08,000
7.	बम्बई	8,16,100	9,08,000
8.	औरंगाबाद	1,05,300	1,16,500
9.	कोचीन	82,900	90,600
10.	मद्रास	4,35,400	4,93,000
योजनागत			
11.	शिलांग*	—	1,90,000*
12.	गोहाटी*	—	1,69,000*
13.	ईटानगर*		

*इन कार्यालयों ने जनवरी 1982 में कार्य करना शुरू किया। शेष 9 कार्यालयों ने जो पटना, इम्फाल, बंगलौर, हैदराबाद, लखनऊ, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, पोर्टब्लेयर और गोआ में हैं, 1982-83 के चालू वर्ष में कार्य करना प्रारम्भ किया है और/अथवा वे स्थापित किए जा रहे हैं।

हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड, फैक्ट्री बैरकपुर में अपर्याप्त वर्क आर्डर

4615. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैरकपुर की हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड फैक्ट्री वर्क आर्डरों की कमी के कारण रुग्ण हो रही है;

(ख) क्या सरकार ने पर्याप्त वर्क आर्डर देकर यूनिटों को बचाने के बारे में सोचा है; और

(ग) क्या सरकार यूनिटों की और अधिक विस्तार करने के प्रस्ताओं पर विचार करेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) भारयीय वायु सेना से डकोटा विमान धीरे-धीरे हटाए जाने के कारण हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की बैरकपुर यूनिट का कार्यभार कम हो गया है ।

(ख) इस यूनिट के लिए पर्याप्त कार्यभार की व्यवस्था करने की जरूरत से सरकार अवगत है और इस दिशा में उसने पहले ही कुछ उपाय कर लिए हैं और दूसरे विमान और हेलिकाप्टरों से संबंधित अतिरिक्त काम इस यूनिट को दे दिया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

कलकत्ता हवाई अड्डे के विकास के लिए अभ्यावेदन :

4616. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता हवाई अड्डे के विकास के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उन प्रस्ताओं पर विचार किया है; और

(ग) सरकार क्या दीर्घकालिन व तात्कालिक कदम उठाने जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां, । इस बारे में हाल ही में कुछ संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था । इस ज्ञापन में दिए गए मुख्य सुझाव ये हैं :—

कलकत्ता हवाई अड्डे के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में वृद्धि की जानी चाहिए; कलकत्ता का एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास तथा संवर्धन; कलकत्ता में विमानों के ओवरहाल/मरम्मत की सुविधाओं का विकास; तथा वायुदूत के मुख्यालय को कलकत्ता स्थानांतरित करना, आदि ।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार इस मामले पर विचार कर रही है तथा इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। वायुदूत का क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ता में खोला जा रहा है, जो पश्चिम बंगाल की व्यवस्था करने के अलावा अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों की भी व्यवस्था करेगा। वायुदूत कलकत्ता से होकर प्रचालन करने वाले विमानों के लिए लाइन पर मरम्मत तथा अनुरक्षण सुविधाओं का विकास करेगा। नागर विमानन विभाग कलकत्ता को अन्तर्राष्ट्रीय वाहकों के लिए एक विकल्प के रूप में पेश करता है।

विदेशी सहायता

4617 **श्री मोहमद असरार अहमद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वित्त वर्ष के दौरान कितने मूल्य की विदेशी सहायता मिली और चालू वर्ष के दौरान कितनी सहायता मिलने की संभावना है;

(ख) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों के दौरान विदेशी सहायता का उपयोग करने में शिथिलता आयी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या पिछले वित्त वर्ष के दौरान विदेशी सहायता की कोई धनराशि अप्रयुक्त रही है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1981-82 के दौरान सरकारी खाते में प्राप्त विदेशी सहायता की कुछ राशि 1774.56 करोड़ रुपए की थी और वर्ष 1982-83 के दौरान अनुमानतः 2266.26 करोड़ रुपए की राशि का इस्तेमाल किए जाने की आशा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

भारत में कार्यरत विदेशी बैंक

4618. **श्री मोहमद असरार अहमद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से विदेशी बैंक भारत में कार्यरत हैं और प्रत्येक की कितनी शाखाएं हैं;

(ख) इन बैंकों में भारतीयों द्वारा कुल कितनी पूंजी का निवेश किया गया है;

(ग) विदेशी में कितने भारतीय बैंक कार्यरत हैं और वहां उनकी कितनी शाखाएं हैं; और

(घ) उन बैंकों द्वारा भारतीयों द्वारा कुल कितनी पूंजी का निवेश किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अपेक्षित सूचना अनुबन्ध में दी गई है।

(ख) आंकडा एकत्र करने की वर्तमान प्रणाली में भारत में परिचालन करने वाले विदेशी बैंकों में भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा किए गए निवेशों की मात्रा के बारे में अलग से सूचना प्राप्त नहीं होती। 31-12-82 की स्थिति के मुताबिक इन बैंकों की कुल जमा राशियां 1505.26 करोड़ रुपए के लगभग (अत: बैंक जमाओं के अलावा) और इनके द्वारा दिए गए कुल अग्रिम 1176.73 करोड़ रुपए के लगभग थे।

(ग) इस समय विदेशों में 12 भारतीय बैंक अपनी कुल 136 शाखाओं के माध्यम से कारोबार कर रहे हैं।

(घ) विदेशों में भारतीय बैंकों की शाखाओं में भारतीय राष्ट्रिकों के पूंजी निवेश के सम्बन्ध में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अलबत्ता, जून, 1982 (सबसे ताजा उपलब्ध) की स्थिति के मुताबिक (अत: बैंक जमाओं सहित) इन बैंकों के पास कुल जमा राशियां 4336.97 करोड़ रुपए के लगभग थी और इनके द्वारा दिए गए कुल अग्रिम 3414.12 करोड़ रुपए के लगभग थे।

विवरण

भारत में कार्यरत विदेशी बैंक और प्रत्येक की शाखाओं की संख्या

क्रम सं०	विदेशी बैंक का नाम	भारत में शाखाओं की कुल सं०
1.	अल्जमीन बैंक नीदरलैंड एन० वी०	3
2.	अमरीकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कारपोरेशन	3
3.	बैंक आफ अमरीका नेशनल ट्रस्ट एण्ड सेविंग्स एसोसिएशन	4
4.	बैंक आफ टोक्यो लि०	3
5.	बैंक नेशनेल डि पेरिस	5
6.	ब्रिटिश बैंक आफ दि मिडिल ईस्ट	1
7.	चार्टर्ड बैंक	24
8.	सिटी बैंक एन० ए०	6
9.	ग्रिंडलेज बैंक पी० आई० सी०	56
10.	हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन	20
11.	मितुशी बैंक लि०	1
12.	सोनाली बैंक	1
13.	यूरोपियन एशियन बैंक	1
14.	एमिरेट्स कमर्शियल बैंक	1
15.	बैंक आफ ओमान लि०	1
16.	बैंक डि एल "इंडोचाइन एट डि सुएज (इंडोसुएज) फ्रांस	1
	जोड़	131

इसके अतिरिक्त भारती रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित विदेशी बैंकों में से प्रत्येक को बम्बई एक शाखा खोलने के वास्ते आबंटन जारी किए गए हैं

1. बैंक आफ नोवा स्कोटिया
2. बी० सी० सी० आई० (ओवरसीज) लि०,

प्राकृतिक रबड़ और उसकी मांग

4619. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 के दौरान रबड़ का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इस अवधि के दौरान प्राकृतिक रबड़ की मांग क्या थी;

(ग) क्या आयातित रबड़ खुले बाजार में जारी कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो देश में प्राकृतिक रबड़ के मूल्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) 1982-83 के दौरान प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन तथा खपत के अद्यतन अनुमान लगभग क्रमशः 1,67,000 मे० टन और 1,95,000 मे० टन लगाया गया है ।

(ग) तथा (घ) सरकार से प्राधिकार के आधार पर राज्य व्यापार निगम ने 1982-83 के दौरान 30,050 मे० टन रबड़ का आयात किया था । प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में हुई कमी को देखते हुए सरकार ने राज्य व्यापार निगम के अक्तूबर, 1982 के मध्य में यह निदेश दिया था कि वे आगामी आदेश होने तक लगभग 4116 मे० टन आयातित प्राकृतिक लाट रबड़ के स्टाक रोकेरखे । रबड़ की स्वदेशी कीमत में, जो कम होकर 11 अक्तूबर, 1982 को 1,090 रु० प्रति क्विंटल हो गई थी, वृद्धि हुई है और 19 मार्च, 1983 की स्थिति के अनुसार इस समय लगभग 1,410 रु० प्रति क्विंटल चल रही है । आन्तरिक बाजार में तेजी से बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए सरकार ने फरवरी, 1983 के अन्त में राज्य व्यापार निगम को अनुदेश दिया है कि वह अपने पास पड़े 25,000 मे० टन के प्राकृतिक रबड़ का स्टाक उद्योग को रिलीज करें ।

केरल में एझिमाला में नौसेना अकादमी की स्थापना

4620. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में एझिमाला में नौसेना अकादमी की स्थापना का कार्य किस चरण में है;

(ख) उस परियोजना में कुल परिव्यय कितना होगा; और

(ग) अभी तक उस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और कितने समय के अन्दर इसके पूरा होने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) केरल सरकार नौसेना अकादमी के लिए

आवश्यक भूमि प्राप्त करने की कारवाई कर रही है। नौसेना मुख्यालय ने एक कोरिटंग कम सिटिंग बोर्ड नियुक्त किया है जो इसके ब्यौरे तैयार करेगा और ब्लू प्रिंट को अन्तिम रूप देगा।

(ख) परियोजना की कुल लागत की गणना करना अभी बाकी है।

(ग) अब तक कोई धन खर्च नहीं किया गया है। इस समय इस परियोजना के पूरे होने की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती है।

सोवियत संघ को केबलों का निर्यात

4621. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने भारत से हाई-टेन्शन केबलों के आयात के लिए करार किया है।

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं जिनके साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) उस करार के अधीन कुल कितने मूल्य के केबलों का निर्यात किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद से प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार सोवियत संघ ने भारत से हाई-टेन्शन केबलों के आयात के लिए निम्नलिखित भारतीय फर्मों को आर्डर दिये हैं :—

(1) मैसर्स आरियन्टल पावर केबल्स लि०, बम्बई।

(2) मैसर्स दि इंडियन केबल्स कं लि०, कलकत्ता।

(3) मैसर्स इंडस्ट्रियल केबल्स (आई) लि०, राजपुरा (पंजाब)।

(4) मैसर्स एशियन केबल्स कार्पोरेशन लि०, बम्बई।

(5) मैसर्स फोर्ट ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज लि०, कलकत्ता।

(6) मैसर्स यूनिवर्सल केबल्स लि०, सतना (मध्य प्रदेश)।

(7) मैसर्स साइमन्स इंडिया लि०, बम्बई।

(ग) निर्यात किए जाने वाले केबल का कुल मूल्य 20.51 करोड़ रु० है।

पारादीप बन्दरगाह के माध्यम से लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि

4622. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक कार्यक्रम के अन्तर्गत पारादीप बन्दरगाह के माध्यम से लौह-अयस्क के निर्यात में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार में भी इस सम्बन्ध में वर्ष 1983-84 के लिए कुछ उपायों के सुझाव दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) पारादीप पत्तन पर लौह-अयस्क हैंडलिंग सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं :—

(i) वार्षिक ढुलाई बढ़ाकर 4 मिलियन मे० टन करने के लिए पारादीप पत्तन पर लौह-अयस्क हैंडलिंग, संयंत्र के विस्तार तथा परिवर्तन के मई, 1983 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

(ii) रात्रि समय के दौरान पोतों को हैंडल करने के लिए नाइट नेवोगेशन शुरू किया गया है।

(ख) तथा (ग) उड़ीसा सरकार ने उल्लेख किया है कि उड़ीसा खनन निगम 1984 से आगे दैतारी खानों से लगभग 1 मिलियन मे० टन लौह-अयस्क फाइन्स उत्पादित कर सकेगा और अनुरोध किया है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम को पारादीप पत्तन के माध्यम से इस अयस्क का निर्यात करने का प्रबन्ध करने चाहिए। सरकार ने खनिज तथा धातु व्यापार निगम से इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कहा है।

काले धन का पता लगाना

4623. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा काले धन का पता लगाने के लिए अप्रैल से दिसम्बर, 1982 के दौरान क्या कदम उठाये गए हैं;

(ख) उस अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने छापे मारे गए; और

(ग) उस अवधि के दौरान पता लगाये गए काले धन की राशि कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) आयकर विभाग ने काले धन का पता लगाने के लिए, अप्रैल से दिसम्बर 1982 के दौरान, सर्वेक्षण तथा तलाशी और अधिग्रहण की कार्यवाहियों की दिशा में अपने प्रत्येक प्रयास तेज कर दिए थे।

(ख) तथा (ग) छापों के सम्बन्ध में आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते हैं। तथापि, इस अवधि में देशभर में 3093 छापे मारे गए थे और उनमें 21 करोड़ रुपए से अधिक की प्रथम-दृष्टया लेखाबाह्य परिसंपत्तियां पकड़ी गई थीं।

टीन के कनस्तर/धातु कंटेनरों का आयात

4624. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताइवान और दक्षिण कोरिया से प्रोसेस्ड खाद्य निर्यातकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले टीन के कनस्तर/धातु कंटेनरों को बड़ी संख्या में आयात करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं जिससे उन्हीं मदों का निर्माण करने वाले भारतीय उद्योग को हानि होती है;

(ख) क्या उन्हें पता है कि गाजियाबाद में मै० पोश्य इंडस्ट्रियल कं० द्वारा एवं ऐसा ही संयंत्र 13 फरवरी, 1982 से बन्द किया गया है; और

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सुझाई गई आयात की उदार नीतियों के अन्तर्गत भारत में गैर आवश्यक माल का ढेर लगाने का यह एक उदाहरण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय निर्यात उत्पादों को प्रतियोगी बनाने के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति में टिन कंटेनरों का आयात करने की अनुमति दी जाती है ।

(ख) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है कि यह एक क टिन कंटेनरों के आयातों के कारण बन्द हो गया है ।

(ग) निर्यात संवर्धन के हित में जनवरी, 1979 से पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत टिन कंटेनरों के आयातों की विशेष रूप से अनुमति दी गई है । 1982-83 की अवधि में टिन कंटेनरों के स्वदेशी विनिर्माताओं की सहायता करने के उद्देश्य से एक नई योजना शुरू की गई है ताकि वे वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 32-आई० टी० सी० (पी० एन०)/82 दिनांक 25-6-82 में निर्धारित कतिपय शर्तों के अध्यधीन निर्यातकों को टिन कंटेनरों की सप्लाई कर सकें । 1983-84 के लिए आयात नीति तैयार करने के संबंध में विद्यमान योजना में सुधार करने के लिए सुझाव विचाराधीन है ।

इच्छापुर स्थित बन्दूक कारखाना और धातु एवं इस्पात फाउण्ड्री में प्रशिक्षित शिक्षुओं को खपाना

4625. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या इच्छापुर स्थित बन्दूक कारखाने और धातु एवं इस्पात फाउण्ड्री में दिया जा रहा ट्रेड अप्रेंटिस प्रशिक्षण सभी आयुध कारखानों में बहुत प्रशंसित हो रहा है;

(ख) क्या बड़ी संख्या में रिक्त स्थान होते हुए भी जिन शिक्षुओं ने पिछले दो वर्षों में अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया था उनकी नियमित रूप से नियुक्ति नहीं की जा रही है;

(ग) क्या उनमें से 260 प्रशिक्षित शिक्षु खपाये नहीं गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें नियुक्ति न मिलने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) इस मत के समर्थन में ऐसा कोई तुलनात्मक रिकार्ड नहीं है कि सभी आर्डनेंस फैक्टरियों में से ईच्छापुर राइफल फैक्टरी और मेटल 'एण्ड' स्टील फैक्टरी के ट्रेड प्रशिक्षु प्रशिक्षण की बहुत सराहना की गई है ।

(ख) से (घ) यद्यपि प्रशिक्षण प्राप्त सभी ट्रेड प्रशिक्षुओं को रोजगार देना सरकार के लिए कानूनी दायित्व नहीं है फिर भी रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर इन प्रशिक्षुओं को उचित प्राथमिकता के आधार पर नियमित रूप से नियुक्त किया जा रहा है। पिछले 6 वर्षों में ईच्छापुर मेटल एण्ड स्टील फैक्टरी और राइफल फैक्टरी में प्रशिक्षित 656 प्रशिक्षुओं में से विभिन्न आर्डनेंस फैक्टरियों में 268 को खपा लिया गया है और 38 लोगों ने दूसरे संगठनों में रोजगार पा लिया है।

जूनियर मैनेजमेंट काडर में रिक्त स्थान

4626. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80, 1981-82 और 1982-83 के दौरान जूनियर मैनेजमेंट काडर में कुल कितने रिक्त स्थान थे और वर्ष 1982 में जूनियर मैनेजमेंट काडर में पदोन्नति हेतु परीक्षा न लिये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

वायुयान सेवा के लिए निर्मित की गई हवाई पट्टियों का उपयोग

4627. **श्री तारिक अनवर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वायुयान सेवाओं के लिए कितने राज्यों में नई हवाई पट्टियां बनाई गई हैं;

(ख) उनमें से कितनी हवाई-पट्टियों का उपयोग किया जा रहा है;

(ग) उन हवाई पट्टियों पर कितना पूंजी निवेश हुआ है;

(घ) हवाई पट्टियों के समुचित प्रयोग न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त हवाई पट्टियों के समुचित उपयोग करने के लिए कोई कारगर कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) तीसरे स्तर की विमान सेवा के लिए अभी तक किसी नई विमान पट्टी का निर्माण नहीं किया गया है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं हैं।

रुपये में व्यापार करने वाले देशों को अभ्रक और उसक उप-उत्पादकों का निर्यात

4628. **श्री तारिक अनवर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में, रुपये में व्यापार करने वाले देशों को कितने मूल्य का अभ्रक और उसके उप-उत्पादों का यदि कोई निर्यात किया गया है तो उसका वर्ष-वार और देश-वार ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(मूल्य लाख रु० में)

देश	मद	वर्ष		
		1979-80	1980-81	1981-82
1. सोवियत संघ	साबित अभ्रक	1145	957	1745
	गढ़ा हुआ अभ्रक	190	221	उपलब्ध नहीं
2. चैकोस्लोवाकिया	साबित अभ्रक	142	118	192
	गढ़ा हुआ अभ्रक	27	33	उपलब्ध नहीं
3. पोलैंड	साबित अभ्रक	113	170	64
	गढ़ा हुआ अभ्रक	18	23	उपलब्ध नहीं
4. जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य	साबित अभ्रक	77	98	141
	गढ़ा हुआ अभ्रक	5	34	उपलब्ध नहीं
5. रूमानिया	साबित अभ्रक	74	5	48
	गढ़ा हुआ अभ्रक	18	35	उपलब्ध नहीं

मूल्यों में वृद्धि

4629. **श्री नवीन रावणी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होने के बारे में पता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मूल्यों को स्थिर रखने के लिए इस मामले में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) थोक मूल्य सूचकांक (1970-71=100) में 21-8-82 और 29-1-83 के बीच में 2.1 प्रतिशत की कमी हुई। उसके बाद सूचक अंक में कुछ वृद्धि हुई है। 5 मार्च, 1983 को समाप्त हुए सप्ताह का सूचक अंक (जो अध्ययन उपलब्ध है) 293.7 पर है जो अभी तक 21.8.82 को समाप्त हुए सप्ताह के 295.1 के स्तर से कम है अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता सूचक अंक जिसमें अप्रैल 1982 से वृद्धि की प्रवृत्ति रही वह दिसम्बर, 1982 के 497 से कम होकर जनवरी, 1983 में 495 पर आ गया (यह अध्यतन उपलब्ध है)।

संसद में प्रस्तुत की गई 1982-83 की आर्थिक समीक्षा और बजट भाषण में मूल्यों को उचित नियंत्रण में रखने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा दिया गया है। तथापि सरकार संतुस्ट होकर नहीं बैठी है और मूल्य-स्थिति पर लगातार नजर रखी जाती है जिससे कि उभरने वाली स्थिति के संदर्भ में आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा माल जब्त किया जाना

4630. **श्री अजय विश्वास** : *क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) वर्ष 1980, 1981 और 1982 के दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों ने कुल कितने मूल्य का तस्करी का माल जब्त किया और उक्त अवधि के दौरान नीलामी से कितनी राशि वसूल की गई; और

(ख) ब्याज के रूप में और माल की टूट-फूट के कारण सरकार को कुल कितना घटा घाटा हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) गत तीन वर्षों में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गए तस्करी के माल का कुल मूल्य तथा निपपटाए गए (नीलामी तथा अन्य प्रकार से) माल का मूल्य निम्नानुसार है :—

वर्ष	पकड़े गये माल का मूल्य
1980	52.85 करोड़ रुपये
1981	39.72 करोड़ रुपये
1982*	65.89 करोड़ रुपये

(आंकड़े अनंतिम हैं)

वर्ष	निपटाए गए माल का मुल्य
1980	17.76 करोड़ रुपये
1981	20.50 करोड़ रुपये
1982*	24.90 करोड़ रुपये

(*आंकड़े अनन्तिम हैं)

(ख) सरकार द्वारा अर्जित राजस्व पर कोई ब्याज नहीं मिलता। इस प्रकार; अनधिके पकड़े गए/जब्तशुदा माल पर संभावित ब्याज के रूप में, सरकार को होने वाली हानि का प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार, पकड़े गये/जब्त किए गए भंडारगत माल की क्षति बिगाड़ के कारण वर्ष 1980 में हुई हानि लगभग 5·67 लाख रुपये थी। वर्ष 1981 तथा 1982 से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है जिसे सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

सरकारी/सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के विदेशी दौरों की लागत

4631. श्री अजय विश्वास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-83 के दौरान केन्द्रीय सरकार और सरकरी उपक्रमों के कितने अधिकारी विभिन्न देशों में दौरे पर गये; और

(ख) इस पर कितनी लागत आई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

त्रिपुरा में सिक्कों की कमी

4632. श्री अजय विश्वास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में सिक्कों की नितांत कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं;

(ग) त्रिपुरा में प्रति वर्ष छोटे सिक्कों की कितनी मांग है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने सिक्कों की सप्लाई की गई; और

(ङ) त्रिपुरा में सिक्कों की कमी के भारी संकट को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) त्रिपुरा राज्य सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सिक्कों की व्यापक रूप से कमी है ।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि छोटे सिक्कों की कुल मांग प्रतिवर्ष 13.00 लाख रुपए की है और पिछले तीन वर्षों में कुल मिलाकर 7.09 लाख रुपए के सिक्कों की सप्लाई की गई है ।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक, गोहाटी के पास उपलब्ध स्टाक के अनुसार शीघ्र ही अगरतला धर्म नगर और उदयपुर में भारतीय स्टेट बैंक को छोटे सिक्के भेजने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

जीवन बीमा निगम का लाभ

4633. **श्री अजय विश्वास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के लिए जमा पूंजियों पर ब्याज, लाभांशों, कम्पनियों को ऋण, पालिसी ऋण पर ब्याज, प्रीमियम आदि के माध्यम से जीवन बीमा निगम का लाभ कितना था; और

(ख) इस अवधि के दौरान संस्थापना कर्मचारी और अन्य शीर्षों पर कुल कितना व्यय हुआ ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जीवन बीमा पालिसियां दीर्घावधिक संविदाएं होती हैं और उनके अन्तर्गत देनदारियां धीरे-धीरे बढ़ती जाती हैं । जीवन बीमा की जिम्मेदारी के खर्च की राशि (जिसमें दावे का और प्रबन्ध का खर्च शामिल है) से इस जिम्मेदारी के अन्तर्गत प्राप्तियों (जिसमें प्रीमियम आय तथा निवेश आय शामिल हैं) के आधिक्य से जीवन निधि का निर्माण होता है जिससे पालिसी सम्बन्धी देनदारियां पूरी की जाती हैं । अतः वाणिज्यिक दृष्टि से जिस राशि को लाभ कहते हैं, वह मान्य धारणा जीवन बीमा निगम पर लागू नहीं होती । दूसरी ओर जीवन बीमा निगम की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन समय-समय पर किए जाने वाले बीमांकिक मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है । कानून में यह व्यवस्था की गई है कि मूल्यांकन के परिणामस्वरूप अधिशेष की 95 प्रतिशत राशि लाभ सहित पालिसियों के धारकों को बोनस के रूप में आबंटित कर दी जानी चाहिए ।

एक विवरण संलग्न है जिसमें निवेश और प्रीमियम आय तथा प्रबन्ध व्यय दिखाया गया है ।

विवरण

भारतीय जीवन बीमा निगम

(करोड़ रुपये)

	1979-80	1980-81	1981-82
क. निवेश से आय			
(1) प्रतिभूतियों, ऋण-पत्रों, कम्पनियों को दिए गए ऋणों पर ब्याज, शेयरों पर लाभांश आदि	360.03	435.73	515.87
(2) बंधक ऋणों पर ब्याज	6.93	7.40	8.19
(3) पालिसी ऋणों पर ब्याज	29.76	34.16	38.14
(4) अन्य ब्याज	18.36	15.52	20.82
जोड़ :	415.08	492.81	583.02
ख. प्रीमियम आय	875.37	904.88	1092.90
ग. प्रबन्ध व्यय			
कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभ	119.42	130.78	139.95
एजेंटों का कमीशन	71.92	77.24	85.37
अन्य व्यय	23.33	25.86	30.12
जोड़ :	214.67	233.88	255.44

विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के पकड़े गए मामले

4634. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के कितने मामले पकड़े गए;

(ख) उनमें दोषी पाई गई पार्टियों के नाम क्या हैं; और

(ग) उनके विरुद्ध लम्बित मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है और इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार ने क्या प्रयत्न किए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1-1-80 से 31-12-82 के दौरान, कारण बताओ नोटिस जारी कर विदेशी मुद्रा अधिनियम

के उपबन्धों का प्रथमदृष्टया उल्लंघन करने के लिए 7848 मामले दर्ज किए। 1 जनवरी, 1983 की स्थिति के अनुसार इन मामलों में से 5223 मामलों में न्यायनिर्णय की कार्यवाही पहले से ही की जा चुकी थी। यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि विचाराधीन मामले यथासम्भव शीघ्र निपटाए जाते हैं, उपयुक्त स्तरों पर सूक्ष्म निगरानी रखी जाती है।

मामलों की संख्या अधिक होने के कारण उनका मामलेवार ब्यौरा एकत्र करने और प्रस्तुत करने में ग्रस्त समय और श्रम अनुपाततः अधिक लगेगा। यदि माननीय सदस्य, ऐसे विशेष मामले का उल्लेख करते हैं, जिसके सम्बन्ध में सूचना अपेक्षित है, उसे एकत्र करके प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए पदोन्नति परीक्षा

4635. **श्री बनवारी लाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को क्लर्की से जे० एम० (1) अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति करने हेतु आयोजित की गई पदोन्नति परीक्षा, 1982 में पिछले वर्षों की बकाया आरक्षित सीटों के आधार पर नहीं बुलाया गया और क्या विभागीय पदोन्नति परीक्षा 1979-80 में उस श्रेणी के एक भी उम्मीदवार को नहीं बुलाया गया जबकि अर्हता प्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध थे और यदि हां, तो ऐसे कितने उम्मीदवार थे जिन्होंने उक्त परीक्षाओं में शामिल होने की इच्छा प्रकट की थी; और

(ख) क्या बैंक के प्रबन्धकों ने विभागीय पदोन्नति परीक्षा, 1983 में शामिल होने हेतु उपरोक्त श्रेणी के कर्मचारियों से उनकी राय ले ली गई थी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी : (क) बैंक ने सूचना दी है कि 1982 में, कर्मचारी यूनियन के साथ हुए एक करार के अनुसरण में, चालू वर्ष के आरक्षणों के लिए, लिपिकों की कनिष्ठ प्रबन्ध ग्रेड स्केल-1 अधिकारियों के रूप में पदोन्नतियों के वास्ते एक लिखित परीक्षा के वास्ते अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 70 उम्मीदवारों को बुलाया गया था। 1979 और 1980 में, कुल 3 पात्र अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति उम्मीदवारों को परीक्षा के वास्ते बुलाया गया। बैंक ने यह सूचना भी दी है कि अनु० जाति/अनु० जनजाति कर्मचारी संघ ने इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के सम्मुख एक समादेश याचिका दायर की है जो अभी लम्बित और यह मामला न्यायाधीन है।

(ख) बैंक ने सूचना दी है कि वर्ष 1983 के वास्ते, लिपिकों से अधिकारी स्तर की पदोन्नति के वास्ते सभी पात्र जाति/अनु० जनजाति उम्मीदवारों की सहमति मांगी गई है।

पर्यटन गांवों का चुनाव और विकास

4636. **श्री एन० ई० होरो :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अधिक से अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अपनी पर्यटन नीति में पुनर्विचार किया है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य-वार गांवों का विकास करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में पर्यटन गांवों का चुनाव करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां। पर्यटन नीति सम्बन्धी वक्तव्य 3 नवम्बर, 1982 को सदन के पटल पर प्रस्तुत किया गया था। देश की ओर विदेशियों की बढ़ती हुई संख्या को आकर्षित करने की दृष्टि से नीतियां तैयार करना एक अनवरत प्रक्रिया है।

(ख), (ग) और (घ) 1980 में यह निर्णय किया गया था कि एक प्रयोग के रूप में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे चुने हुए स्थानों पर ऐसे पर्यटक गांवों की स्थापना की जाए जो उचित दामों पर विभिन्न वर्गों के ऐसे रिहायशी आवास उपलब्ध कराएं जो गांव की जिन्दगी का अहसास और लुत्फ दे सकें। इस निर्णय के सन्दर्भ में, अब यह निर्णय लिया गया है कि अन्य स्थानों पर ऐसी ही परियोजनाएं शुरू करने से पंच तजुर्बे के तौर पर सर्वप्रथम शिवपुरी (मध्य प्रदेश) में एक पर्यटक गांव का निर्माण किया जाए।

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गए सोने का मूल्य

4637. **श्री एन० ई० होरो** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार सीमा शुल्क अधिकारियों ने कुल कितने मूल्य का सोना पकड़ा;

(ख) पकड़े गए सोने और अन्य सामान का निपटान किस तरह किया जाता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे सामान की विशेष रूप से जब्त की गई सामग्री की बिक्री सुपर बाजार से करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा 1980 से 1982 तक की अवधि के दौरान देश में पकड़े गए सोने की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है :—

वर्ष	लगभग मात्रा कि०ग्रा०	लगभग मूल्य लाख रुपये
1980	95	130
1981	152	254
1982*	819	1288

*(आंकड़े अनन्तिम हैं)।

(ख) और (ग) जब्तशुदा सोना भारत सरकार की टकसालों में जमा कर दिया जाता है। अभिगृहीत/जब्तशुदा उपभोक्ता माल के निपटान का एक तरीका ऐसे माल की बिक्री, उसे सहकारी समितियो, सुपर बाजारों, सहकारी भण्डारों आदि के जरिए वास्तविक उपभोक्ताओं को बेचे जाने हेतु भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड को करना है। विभिन्न वर्गों के माल के निपटान के तरीकों का उल्लेख संलग्न विवरण-पत्र में किया गया है।

विवरण

विभिन्न वर्गों के माल के निपटान का तरीका

	विवरण	निपटान का तरीका
1.	व्यापारिक माल	रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक कच्चा माल, मशीनों के पुर्जे, मोटर गाड़ियों के पुर्जे आदि जैसे व्यापारिक माल का निपटान सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जाता है।
2.	यान	जलयान और वाहन जैसे यान सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचे जाते हैं। सरकारी विभागों के लिए उपयुक्त जलयानों और भारतीय गाड़ियों को विभागीय इस्तेमाल के लिए रख लिया जाता है।
3.	सोना और चांदी	सोना और चांदी सरकारी टकसालों में जमा कर दिए जाते हैं।
4.	भारतीय और विदेशी मुद्रा	भारतीय और विदेशी मुद्रा रिजर्व बैंक में सरकार के खाते में जमा कर दी जाती है।
5.	हथियार और गोला बारुद	.38 और .32 बोर के रिवालवरों/पिस्तौलों और उनके गोला बारुद से भिन्न हथियारों और उनके गोला बारुद का निपटान नीचे दिये गये तरीके अनुसार किया जाता है :—
		(क) स्टेनगनें गृह मंत्रालय को लेने के लिए कहा जाता है और जिनकी उसे जरूरत नहीं होती, वे रक्षा मंत्रालय को बेची जाती हैं।
		(ख) निषिद्ध बोर के सभी हथियारों और उनके गोला बारुद का निपटान आयुद्ध निर्माण कारखानों (रक्षा मंत्रालय) को किया जाता है।
		(ग) देशी मेक के क्रूड हथियार केन्द्रीय जांच ब्यूरो को, उसके संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए, किए जाते हैं।
		(घ) अन्य सभी हथियारों का निपटान, जिनके लाइसेंस जनता को जारी किए जाते हैं, सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जाता है।

(ङ) 12 बोर के हथियार और उनसे गोला बारुद की बिक्री राज्य वन सचिवों/मुख्य वन संरक्षकों/ मुख्य वन्य जीव वाईनो को सरकारी इस्तेमाल के लिए की जाती है।

.38 और .32 बोर के रिवल्वर/पिस्तौलें और उनके गोला बारुद्ध विभागीय उपयोग के लिए रख लिए जाते हैं।

6.	प्राचीन वस्तुएं	प्राचीन वस्तुएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को मुफ्त दे दी जाती हैं, जिससे वह उनको विभिन्न संग्रहालयों अथवा संस्थाओं को उपहार के रूप में दे दे अथवा यदि आवश्यक समझे तो उनका अन्य तरीके से निपटान कर दे।
7.	वन्य जीव उत्पाद	ये शैक्षिक और अनुसन्धान संस्थाओं, संग्रहालयों आदि को नाममात्र मूल्य पर बेचे जाते हैं अथवा वन्य जीव प्राधिकरणों को उन अन्य देशों के साथ विनिमय के प्रयोजवार्थ मुफ्त दे दिये जाते हैं, जिन देशों में सी०आई०टी०ई०एस० पर हस्ताक्षर किए हैं। सर्प चर्म निर्यात हेतु उत्पादों के निर्माण के लिए भारत चमड़ा निगम को बेच दिए जाते हैं।
8.	संश्लिष्ट और धातु धागा	संश्लिष्ट और धातु धागा बुनकर सहकारी समितियों, संघों को और वास्तविक प्रयोक्ताओं को बेचे जाते हैं।
9.	शराब	शराब भारत पर्यटन विकास निगम को, उसके आयात कोटे के प्रति अथवा उसके अन्य हकदार होटलों के कोटे के प्रति, सामान्य शर्तों पर बेची जाती हैं और कैंटीन स्टोर विभाग (भारत) को राज्य व्यापार निगम के जरिए बेची जाती हैं।
10.	हीरे	बिना पालिश किए और बिना तराशे हीरे आयात लाइसेंस धारियों को नीलामी अथवा निविदा द्वारा बेचे जाते हैं और उनके लाइसेंसों में गुजरे किए जाते हैं। तराशे हुए और पालिस किए हीरे केवल निर्यात के लिए बेचे जाते हैं।
11.	हीरों से भिन्न रत्न और उपरत्न	बिना पालिश किए और बिना तराशे रत्नों और उपरत्नों की बिक्री देशी बाजार में आयात लाइसेंस धारियों को नीलामी अथवा निविदा द्वारा उनके लाइसेंसों में गुजरे करके की जाती है। हीरों से भिन्न तराशे और पालिश किए रत्न और उपरत्न नीलामी अथवा निविदा द्वारा देश में ही बेचे जाते हैं।
12.	घड़ियां	घड़ियां एच०एम०टी० को सौंपी जाती हैं। यदि एच०एम०टी० उन्हें उठाने में अपनी अनिच्छा प्रकट करे अथवा उसे

तीन माह की अवधि में नहीं उठा सके तो उनकी बिक्री की पेशकश निम्नलिखित को जाती है :—

(क) सैनिक और अर्ध-सैनिक संगठनों को उनके कर्मचारियों के इस्तेमाल के लिए; और

(ख) उपभोक्ता सहकारी समितियों, सुपरबाजारों, सहकारी भण्डारों आदि के जरिए वास्तविक उपभोक्ताओं को बेचने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ को।

(ग) इलैक्ट्रानिक घड़ियों को पेशकश राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ, सैनिक और अर्ध-सैनिक संगठनों तथा पुलिस कैंटीनों को जानी होती है।

13. बिजली का सामान जिसमें विडयों केसेट रिकार्डर भी शामिल हैं।

गणित्रों और टेपरिकार्डरों आदि जैसी बिजली की वस्तुएं और टाइपराटर तथा फोटोग्राफी का सामान सरकारी विभागों को सरकारी प्रयोग के लिए बेचा जाता है और साथ ही शैक्षिक तथा अनुसंधान संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को, एवं अन्य शैक्षिक संस्थानों जिसमें सांस्कृतिक संगठन, सरकारी विभाग और सार्वजनिक उपक्रम भी शामिल हैं, तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ को बेचा जाता है।

14. फीचर फिल्में

फीचर फिल्में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को बेची जानी होती हैं।

15. लौंग और अन्य मसाले

पहले इनकी पेशकश राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ को करनी होती हैं। यदि उक्त महासंघ उन्हें नहीं उठा पाता तो उनकी बिक्री सार्वजनिक नीलामी द्वारा की जाती है।

16. औषध द्रव्य और

सरणीबद्ध औषध द्रव्यों की बिक्री की पेशकश माध्यम एजेंसियों को ऐसे मूल्य पर, जो लागत बीमा भाड़ा सहित मूल्य तथा सीमाशुल्क शामिल करके और उस पर 15 प्रतिशत का बट्टा दे कर निकलता है; की जानी होती है। परन्तु यदि माध्यम एजेंसियां माल नहीं उठाती तो उसका निपटान नीलामी द्वारा वास्तविक उपभोक्ताओं को किया जा सकता है। औषध निर्मितियों का निपटान/मोचन, मानव-स्तर की पाई जाने पर केवल अस्पतालों के उपभोग के लिए किया जाता है। जिन अन्य श्रेणियों की औषध निर्मितियों पर औषध द्रव्य और औषधि अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार लेबल नहीं लगा होता उनकी और उनके बनाए गए माल को नष्ट किया जाना होता है।

17. घड़ियों को छोड़कर संश्लिष्ट टैक्सटाइल और अन्य उपभोक्ता माल

संश्लिष्ट टैक्सटाइलों का निर्यात किया जाना होता है।

अतिरिक्त उपाय :

संश्लिष्ट टैक्सटाइल और इलेक्ट्रानीय का सामान जैसी अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का निपटान, जिनमें अन्य फुटकर चीजें भी शामिल हैं, निम्नानुसार किया जाता है :—

(i) छोटी-छोटी मात्रा में पकड़ी जाने वाली विविध वस्तुओं (घड़ियों को छोड़कर) का निपटान सीमा शुल्क गृहों द्वारा खुदरा बिक्री के जरिए किया जाता है।

(ii) सैनिक और अर्ध-सैनिक संगठनों, तथा पुलिस कैंटीनों को उनके कार्मिकों के प्रयोग के लिए बेचा जाता है।

(iii) उपभोक्ता सहकारी समितियों, सुपर-बाजारों, सहकारी भण्डारों आदि के माध्यम से वास्तविक उपभोक्ताओं को बेचने के लिए भारत का राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लि० को बेची जाती है।

समुद्रतट रक्षा की प्रमुख उपलब्धियां

4638. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्र में तस्करी के कार्यों को रोकने/नियंत्रित करने, समुद्र में खोज और बचाव तथा समुद्रतट दूरी की सुरक्षा और सावधानियों के क्षेत्र में गत तीन वर्षों के दौरान समुद्रतट रक्षा की प्रमुख उपलब्धियों का क्या ब्यौरा है; और

(ख) इस सेवा को सुसंगठित आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) तटरक्षक संगठन ने 1980 से अब तक तस्करी करने वाले 24 पोतों को पकड़ा है जिनमें लगभग 2 करोड़ रुपए मूल्य का अवैध सामान था। 1981-82 के दौरान इस संगठन ने विदेशी पोतों सहित सात पोतों को आपात स्थिति के समय सहायता प्रदान की और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को अगस्त, 1982 में "सागर विकास" में हाल में लगी आग के दौरान भी सहायता प्रदान की। जुलाई, 1982 में इस संगठन ने तमिलनाडु के 14 मछुआरों को भी बचाया।

(ख) सरकार ने तट रक्षक संगठन के लिए एक पंचवर्षीय विकास योजना स्वीकृत कर दी है और संगठन को मजबूत बनाने के लिए उसे क्रमिक रूप से जहाजों और विमानों से सज्जित करने का कार्यक्रम भी लागू किया जा रहा है

राज्य परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया गया अनुरोध

4639. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य परियोजनाओं के लिए उदार आर्थिक सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो किस योजना के लिए सहायता मांगी है, उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणवमुखर्जी) : (क) राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया था ताकि राज्य 1983-84 के दौरान 158 करोड़ रुपये के योजनागत परिव्यय को कार्यान्वित कर सके । इसके अतिरिक्त उन्होंने सेबों को पेक करने के लिए नालीदार डिब्बों के निर्माण के लिए 44 करोड़ रुपये की लागत की एक परियोजना के सम्बन्ध में अनुरोध किया था ।

(ख) और (ग) विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत राज्य सरकार के प्रस्तावों को, जिनके लिए सहायता मांगी गयी, तथा अन्तिम रूप से सहमति प्राप्त क्षेत्रीय परिव्ययों के ब्योरों को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है । नालीदार डिब्बों के निर्माण के लिए किए गए अनुरोध के सम्बन्ध में यह संकेत दिया गया है कि पूर्ण विवरण प्राप्त होने के पश्चात इसकी जांच की जाएगी ।

विवरण

(लाख रुपये)

	विकास-शीर्ष	राज्य द्वारा प्रस्तावित	अन्तिम रूप से दी गई सहमति
1.	कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएं	3909	3674
2.	सहकारिता	144	140
3.	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण योजनाए	312	230
4.	विद्युत	4000	3720
5.	उद्योग तथा खनीज	516	473
6.	परिवहन तथा संचार	2925	2305
7.	सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं	3674	3169
8.	आर्थिक सेवाएं	18	18
9.	सामान्य सेवाएं	302	271

ऋण सुविधाओं के एक अंग के रूप में उगाण्डा को ऊनी कम्बलों का निर्यात

4640. **श्री के० ए० राजन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि पान अमेरीकन वायु सेवा से एंटेम्बो उगाण्डा के लिए भेजी गयी 60,000 भारत में बने ऊनी कम्बलों की प्रेषिती ब्रसेल्स में उतारी गयी है;

(ख) क्या भारत सरकार द्वारा उगाण्डा को दी गई 25 करोड़ रुपयों की ऋण सुविधा के एक अंग के रुप में उपरोक्त प्रेषिती निर्यात आदेश के अनुकूल थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद से उपलब्ध जानकारी के अनुसार 60,000 कम्बलों की की एक खेप, जो उगांड़ा को निर्यात किये जाने के लिये थी, ब्रसेल्स में उतारी गई। उक्त परिषद से यह भी पता चला है कि यह खेप उगांड़ा को उपलब्ध 365 दिवसीय ऋण सुविधा का भाग थी।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस मामले को भारतीय पार्टी द्वारा संबंधित एयरलाइन्स के साथ उठाया जा रहा है।

सैनिक अस्पतालों में जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स के कार्मिकों को चिकित्सा सुविधाएं

4641. **श्री मनोहर लाल सैनी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान अब तक दुर्घटनाओं में तथा चिकित्सा सुविधा के अभाव के कारण जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स के कितने कार्मिक मौत का शिकार हो चुके हैं तथा उनका पूर्ण ब्यौरा क्या है और शोकग्रस्त परिवारों को मुआवजे की कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेडीमेट वस्त्रों के निर्यात में गिरावट

4642. **श्री भाखाभाई :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों के साथ रेडिमेट वस्त्रों के व्यापार में गत वर्ष के दौरान भारी गिरावट आई है; और

(ख) क्या यह सच है कि नकद सहायता बन्द किये जाने के कारण जटिल स्थिति उत्पन्न हो गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) अप्रैल-दिसम्बर, 1982 की अवधि के दौरान भारत से सिले सिलाये परिधानों के निर्यात में 1981 की उस अवधि में इन मदों के निर्यात की तुलना में कुछ गिरावट आई है। अप्रैल-दिसम्बर, 1982 की अवधि के दौरान परिधानों की निर्यात 428.39 करोड़ रुपये (अनन्तिम) के हुए, अप्रैल-दिसम्बर, 1981 की अवधि के लिए तत्सम्बन्धी आंकड़े 463.75 करोड़ रु० थे।

(ख) जी नहीं, सिले सिलाये परिधानों को अनेक किस्मों पर नकद मुआवजा सहायता का उपलब्ध होना जरूरी है। प्रमुख आयातक देशों की अर्थ-व्यवस्थाओं में मन्दी की प्रवृति और मांग पद्धति में परिवर्तन फिलहाल भी गिरावट के लिए मुख्यत: उत्तरदायी बताये जाते हैं।

भारतीय स्टेट बैंक की दिल्ली/नई दिल्ली शाखाओं में जे० एम० जी० वेतनमान-1 अधिकारी

4643. **श्री भीखाभाई** : क्या वित्त मंत्री भारतीय स्टेट बैंक, बम्बई के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा चिफ जनरल मैनेजरों को जारी किये गये अनुदेशों के बारे में अतरांकित प्रश्न संख्या 3383 दिनांक 30 जुलाई, 1982 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टेट बैंक की दिल्ली/नई दिल्ली शाखाओं में तथा बैंक के दिल्ली/नई दिल्ली स्थित अन्य कार्यालयों में कुल कितने जे० एम० सी० वेतनमान-1 अधिकारी है;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या भारतीय स्टेट बैंक के दिल्ली/नई दिल्ली कार्यालयों के लिए जे० एम० जी० वेतनमान-1 का आरक्षण कोटा भर लिया है और पूरा है;

(घ) यदि नहीं, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के नये पदोन्नत किये गये सभी जे० एम० जी० वेतनमान-1 अधिकारियों को दिल्ली/नई दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित करने के क्या कारण है; और

(ङ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के सभी जे० एम० जी० वेतनमान-1 अधिकारियों को वापस दिल्ली बुलाने के लिए क्या विशेष कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक की दिल्ली/नई दिल्ली स्थित शाखाओं और अन्य कार्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों समेत कनिष्ठ प्रबंध ग्रेड स्केल। अधिकारियों की कुल संख्या से सम्बन्धित सूचना नीचे

लिखे अनुसार है :—

	सामान्य	अनु०जा०/ अनु० जनजाति	जोड़
1. दिल्ली/नई दिल्ली स्थित शाखाओं में कार्यरत अधिकारियों की संख्या	1402	48	1450
2. अन्य स्थानों पर कार्यरत अधिकारियों की संख्या	2414	73	2487
जोड़	3816	121	3937

(ग) से (ङ) तक बैंक ने सूचना दी है कि पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जनजाति के वास्ते आरक्षण की उसकी स्कीम के अनुसरण में, पूरे सर्किल के वास्ते आरक्षण का हिसाब लगाया जाता है और इसीलिए दिल्ली/नई दिल्ली शाखाओं के इन कर्मचारियों के वास्ते अलग आरक्षण कोटा रखने का कोई प्रश्न नहीं उठता। भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समेत सभी पदोन्नत व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के दिल्ली से बाहर भेजा गया। बैंक की स्थानांतरण नीति के अनुसरण में, पदोन्नति पर दिल्ली से बाहर स्थानांतरित व्यक्ति को निर्धारित अवधि के पूरा होने और रिक्त की उपलब्धता को देखते हुए वापस दिल्ली लाया जा सकता है।

पदोन्नति के बाद कर्मचारियों की तैनाती बैंक की स्थानांतरण नीति के अनुसरण में की जाती है जो अनु० जा०/अनु० जनजाति समुदायों से सम्बन्धित कर्मचारियों समेत सभी पर एक समान रूप से लागू होती है।

भारत में तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोगों को सुविधाएं

4644. श्री के० प्रधानी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटन मन्त्रालय ने पूरे वर्ष भारत में तीर्थ यात्रा पर अथवा मेलों में जाने वाले भारत के अनेक लोगों को किराया छूट आवास और परिवहन जैसी रेलगाड़ी सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान नहीं की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भारत में तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोगों को पर्यटकों के रूप में स्वीकार करेगी तथा उन्हें रेलवे द्वारा दी जाने वाली कैसी ही छूट देकर कुछ सुविधाएं प्रदान करेगी, जो रेलवे द्वारा अन्य यात्रीयों को दी जाती है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) रेलगाड़ी की सुविधाएं मौजूद हैं और ये रेल मन्त्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं

नीति के तौर पर धार्मिक और संप्रदाय सम्बन्धी उद्देश्यों के लिए रेलवे द्वारा कोई रियायत नहीं दी जाती है। तथापि, रेलवे मौजूद ट्रेन सेवाओं में वृद्धि करके, "मेला" स्पेशल ट्रेन चलाकर और मेलों व फेयर्स के दौरान एक्स्ट्रा बुकिंग सुविधाएं जुटाकर अतिरिक्त सहूलियत मुहैया कराती है। राज्य सरकारों द्वारा तीर्थ यात्राओं के फायदे के लिए अतिरिक्त सड़क परिवहन भी उपलब्ध कराया जाता है। देश के विभिन्न भागों में धर्मशालाओं/मुसाफिर खानों/ सरायों का निर्माण, नवीकरण और प्रबन्ध करने के लिए पर्यटन मन्त्रालय ने भारतीय यात्री आवास विकास समिति को पंजीकृत किया है। समिति अपना कार्य पहले ही प्रारम्भ कर चुकी हैं।

तीर्थ यात्री स्वदेश पर्यटन का ही एक हिस्सा है और रेलवे इन्हें अन्य सभी स्वदेशी पर्यटकों की तरह ही समझती है। उनके द्वारा संप्रदाय सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए कोई रियायत नहीं दी जाती। वित्तीय प्रतिबन्धों के कारण रेलवे मन्त्रालय द्वारा रियायत के क्षेत्र को बढ़ाया नहीं जा रहा है।

भारत से काजू की खरीद के बारे में सोवियत रूस की नीति में परिवर्तन

4645. **श्री छोटे सिंह यादव :**
श्री रशीद मसूद : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ समय से सोवियत रूस की खरीद नीति में परिवर्तन हुआ है और भारतीय काजू के उस देश को निर्यात पर इतना कुप्रभाव पड़ा है कि भारत को अपने व्यापार हितों के विपरीत काजू की कीमत कम करनी पड़ी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरे क्या है; और

(ग) व्यापार के अन्तर को पूरा करने के लिए काजू के नये आयातकों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) सोवियत संघ अभी तक, 1983 में कोई काजू गिरी खरीदने के लिए सहमत नहीं हुआ हैं। काजू गिरियों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आई है जिससे भारत में काजू गिरी की किमत पर प्रभाव पड़ा है। अन्य बाजारों को काजू गिरी निर्यात करने के लिए प्रयोग किये जा रहे हैं।

पाकिस्तान द्वारा आयुध कोटि के प्लूटोनियम का उत्पादन

4646. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कनूप न्यूक्लियर रिएक्टर में बीस कि० ग्रा० तक आयुध कोटि के प्लूटोनियम का उत्पादन कर लिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस रिएक्टर को आयुध प्लूटोनियम का उत्पादन करने के लिए "रिडयूस्ट्रपावर आइडियल" पर भी चलाया जा रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अमेरिका द्वारा तारापुर को ईंधन सप्लाई करने के सम्बन्ध में लन्दन से प्रभावित होने वाली "न्यू साइंटिस्ट" ने यह कहा है कि 3 वर्ष पहले अमेरिका ने भारत को तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए सम्बन्धित यूरेनियम की बिक्री करने की व्यवस्था को इसलिए त्याग दिया था कि अधिकारियों को डर था कि भारत रिएक्टर का प्रयोग आयुध कोटि के प्लूटोनियम का उत्पादन करने में कर सकता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या हमारी सरकार ने इस सम्बन्ध में चिन्ता प्रकट की है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) सरकार ने प्रेस रिपोर्टें देखी हैं जिनमें इस बात का उल्लेख है कि संभवत: पाकिस्तान ने चोरी-छिपे शस्त्र श्रेणी को कुछ प्लूटोनियम का उत्पादन किया है और करांची परमाणु ऊर्जा संयंत्र घटी शक्ति स्तर पर चल रहा है। इस बारे में कोई पक्की सूचना नहीं है।

(ग) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं।

(घ) परमाणु ऊर्जा विभाग ने परिष्कृत यूरेनियम की सप्लाई के लिए अमेरिकी प्रशासन की सहमति से फ्रांस के साथ व्यवस्था की है जो 1983 के इस विषय से संबंधित भारत-अमेरिकी करार की रूपरेखा के अन्तर्गत है।

सिले सिलाये वस्त्रों के निर्यातकर्ता

4647. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या वाणिज्य मंत्री पिछले तीन वित्तीय अथवा पंचाग वर्ष के दौरान सिले सिलाए वस्त्रों का निर्यात करने वाले 50 शीर्ष निर्यातकर्ताओं के निर्यात आंकड़ों सहित उनकी एक सूची सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : परिधानों के निर्यातों के आंकड़े पार्टीवार इकट्ठे नहीं किए जाते हैं और इसलिए उपलब्ध नहीं हैं।

सैनिक अस्पतालों में जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं

4648. **श्री के० ए० राजन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 24 जनवरी, 1970 के डी० बी० ई० आर०/115151/ई० आई० मे० में सैनिक अस्पतालों में जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सैनिक अस्पतालों में अब तक जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स के कितने कर्मचारियों का इलाज किया जा चुका है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स के कार्मिक सैनिक अस्पतालों में आउट-डोर और इन-डोर दोनों तरह की चिकित्सा सुविधाओं के लिए उसी प्रकार हकदार है जिस प्रकार समकक्ष श्रेणी के अन्य सेना कार्मिक।

(ग) 1977 से 1981 के दौरान जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स के लगभग 3,58,00 कार्मिकों की अस्पताल में भर्ती करके चिकित्सा की गई। लेकिन आउट पेशेंट के रूप में चिकित्सा कराने वाले कार्मिकों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

शुल्क छूट योजना के अन्तर्गत रेशमी वस्तुओं के निर्यात हेतु अनुदेश

4649. श्री आनन्द पाठक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1982 में सीमा शुल्क अधिकारियों को यह अनुदेश जारी किए गए थे कि अग्रिम रूप में जारी लाइसेंसों पर शुल्क छूट योजना के अन्तर्गत रेशमी वस्तुओं के निर्यात में फिलेचर रॉ सिल्क के अन्तर्गत डुवियन यार्न/स्पन यार्न/मटका यार्न/नोयल यार्न शामिल नहीं हैं और यदि हां, तो उनकी तारीख क्या है ?

(ख) क्या इस बीच ये अनुदेश वापस ले लिए गए हैं और यदि हां, तो किस तारीख से; और

(ग) क्या यह सच है कि कुछ सीमा शुल्क गृहों पर, विशेष रूप से मद्रास में इन अनुदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है और वे आयात नीति की अनुक्रमणि 19 के अन्तर्गत जारी किए गए डी० ई० ई० सी० का उल्लेख कर रहे हैं, जिस में फिलेचर रॉ सिल्क के निर्यात को मंजूरी दी गई है और इस प्रकार उपरोक्त भारी ताने के निर्यात द्वारा निर्यात कर रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) अग्रिम लाइसेंस धारकों को, विनिर्दिष्ट मात्रा तथा मूल्य के रेशमी वस्त्र निर्यात करने की निर्यात शर्त के साथ, सभी किस्म के शहतूती रॉ सिल्क के शुल्क-मुक्त आयात की इजाजत है। सभी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क समाहर्ताओं को 27 फरवरी, 1983 को अनुदेश जारी किए गए थे कि चूंकि सभी किस्म के रॉ सिल्क एकक सूत्रण धागे होते हैं, लिहाजा निर्यात उत्पाद भी एकल सूत्रण धागों/रीलड धागों का ही होना चाहिए उदाहरणार्थ, वस्त्र, "मेड-अप्स" तथा पोशाकें। अतः, स्पन सिल्क यार्न/नॉयल सिल्क यार्न/ड्यूपियन सिल्क यार्न/मटका यार्न आदि अंतर्वस्तु वाले निर्यात उत्पाद, अग्रिम लाइसेंस में निर्धारित निर्यात शर्त को पूरा करने के पात्र नहीं हैं।

(ख) जी, नहीं। अनुदेश वापिस नहीं लिए गए हैं।

(ग) सीमा शुल्क समाहर्ता, मद्रास, निर्यात-शर्त पूरी करने के सम्बन्ध में शुल्क-छूट-पात्रता—प्रमाण-पत्र की पुष्टि केवल तभी करता है, जब केन्द्रीय रेशम बोर्ड यह प्रमाणित कर देता है कि बीजक में समाविष्ट रेशमी वस्त्र, ताने तथा बाने में, ड्यूपियन यार्न से भिन्न, 100% सूत्रण धागों/रीलड धागों से बने हुए हैं।

भारत में भारत-अमरीकी संयुक्त उद्यम

4650. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमेरीकी व्यापारियों में यह धारणा है कि इस देश में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए भारत की ओर से सरकारात्मक सिगनल आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी दल ने भारत का दौरा किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में लिए गए निर्णय और करार का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकार ने बहुत सी अमरीकी कम्पनियों के द्वारा भारत से पूंजी लगाने और भारतीय कम्पनियों के साथ प्रौद्योगिकी विषयक करार करने की बढ़ती हुई इच्छा पर ध्यान दिया है। उच्च प्रौद्योगिकी तथा निर्यात प्रधान उपक्रमों में इस तरह के पूंजी-निवेश तथा सहयोग का स्वागत है। जहां तक ओवरसीज प्राइवेट इनवेस्टमेंट कारपोरेशन के उस दल का सम्बन्ध है जिसने भारत की यात्रा की थी, माननीन सदस्य का ध्यान दिनांक 18-3-1983 के अतरांकित प्रश्न संख्या 3305 के उत्तर की ओर आकृष्ट किया जाता है।

तर्कों अथवा निर्णय के अन्तिम चरणों में पहुंची हुई रिट याचिकायें

4651. **श्री एम० राजशेखर मूर्ति :** क्या वाणिज्य मंत्री सरकार के विरुद्ध निर्यातकों द्वारा दायर किये गये दावे तथा दीवानी रिट याचिकाओं के बारे में 13 अगस्त, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5253 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उन रिट याचिकाओं अथवा मुकद्दमों के बारे में जानकारी सभा पटल पर रखेगी जिनके लिए सरकार ने उत्तर अथवा शपथ पत्र दाखिल करा दिये हैं और ऐसे कितने मामलों में रिट याचिकायें तर्कों अथवा निर्णयों के अन्तिम चरणों में पहुंच चुकी हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : जनवरी-मार्च, 1979 की अवधि के लिए नकद मुआवजा सहायता के वापस लिए जाने के सम्बन्ध में दायर किये गये धन सम्बन्धी मुकदमों तथा दीवानी याचिकाओं की संख्या में इस बिच वृद्धि हो गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसे मामलों की संख्या अब 96 है। 40 मामलों में लिखित विवरण जवाबी शपथ-पत्र दायर किये गये हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अब तक कोई भी मामला तर्कों अथवा निपटाने के अन्तिम चरण में नहीं पहुँचा है।

स्वदेशी पोलीटेक्स से देय आय कर

4652. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे :**

श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्वदेशी पोलीटेक्स लिमिटेड अपना देय आय कर नियमित रूप से नहीं देते हैं और करोड़ों रुपये की धनराशि उनके विरुद्ध अभी भी बकाया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है; और

(ग) ऐसे अनियमित भुगतान और उनके विरुद्ध बकाया धनराशि के लिए कंपनी के प्रबन्धकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ग) आयकर अधिनियम, 1961 एक स्वतः पूर्ण संहिता है जो इसके अन्तर्गत जारी की गई विभिन्न भागों की अदायगी के लिए समय-सीमा निर्धारित करती है। इसमें, ऐसे व्यक्तियों को निपटाने के लिए भी जो मांग अदा नहीं करते आवश्यक सांविधिक उपबन्ध शामिल किये गये हैं। इस अधिनियम में, उस समय-सीमा को, जिसके पूर्व मांगी गई किसी रकम विशेष की अदायगी की जानी हो, बढ़ाने अथवा समिति करने की व्यवस्था भी है। 13-12-1982 की स्थिति के अनुसार इस कम्पनी के विरुद्ध बकाया आयकर की मांग का ब्योरा निम्नानुसार है;

कर-निर्धारण वर्ष	वित्तीय वर्ष जिसमें आय कर की मांगे जारी की गई	रकम (लाख रुपयों में)
1974-75	1976-77	0.92
1977-78	1979-80	423.75
1979-80	1982-83	100.17
	कुल	524.84 रुपये

इस प्रकार यद्यपि यह सच है कि 31.12.1982 की स्थिति के अनुसार कुल 5.25 करोड़ रुपये की मांगे बकाया पड़ी थी, उच्चतम न्यायालय/विभागीय प्राधिकारियों ने इन मांगों के सम्बन्ध में वसूली कार्यवाहियों पर स्थगन आदेश जारी कर रखे थे। उच्चतम न्यायालय ने 16-11-1982 को इस सारे मामले पर विचार करना था लेकिन ऐसा लगता है कि उस तारीक को सुनवाई नहीं हुई और वह मामला अभी भी उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि स्वदेशी पोलीटेक्स लि० आयकर की बकाया अदा करने के मामले में नियमित नहीं रहा है। अतः इस अवस्था में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय नीतियों पर विश्व-बैंक का प्रभाव

4653. **श्री ईरा अनवारासु :**

श्री अशफाक हुसैन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेश विकास परिषद की उस रिपोर्ट का अध्ययन किया है जिसमें भारतीय नीतियों पर विश्व बैंक के प्रभाव का उल्लेख है;

(ख) क्या विदेश विकास परिषद को सही तथ्यों की जानकारी देने के लिए कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि विश्व बैंक भारत पर उद्योग तथा विदेश-व्यापार सम्बन्धी नियंत्रण को सरल बनाने तथा और अधिक प्रभावी निर्यात संवर्धन के लिए लगातार दबाव डाल रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार को वाशिंगटन, संयुक्त राज्य-अमेरिका स्थित लिखित एक गैर-सरकारी संगठन, ओवरसीज डवलपमेंट कौंसिल, के लिए रावर्ट एल० आइरेस द्वारा बैंकिंग आन द पूअर शीर्षक अध्ययन में भारत पर विश्व बैंक के प्रभाव के सम्बन्ध में की गई कतिपय टिप्पणियों की जानकारी है। इस पुस्तक के लेखक द्वारा व्यक्त किए गये विचार निश्चय ही बैंक के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में उनके अपने विचार है। किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन को विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है जिनमें भारत से सम्बन्धित मामले भी शामिल हैं और सरकार के लिए ऐसे विचारों का उत्तर देना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

(ग) विश्व बैंक की सहायता विशिष्ट परियोजनाओं के लिए होती है और नीति के व्यापक ढांचे पर आमतौर से किसी से सलाह मशविरा नहीं किया जाता। उद्योग और व्यापार के सम्बन्ध में सरकारी नीतियां आयोजना में निर्धारित विकास सम्बन्धी बुनियादी नीति के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आती है और संसद के अनुमोदन से तैयार की जाती है।

मैसर्स प्योर ड्रिंक्स एंड मैसर्स दिल्ली आटोमोबाइल्स द्वारा एशियाड के लिए होटल के कमरे पूरे न करना

4654. श्री सूरज भान :

श्री रामप्रसाद अहिरवार :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स प्योर ड्रिंक्स लिमिटेड (नई दिल्ली) और मैसर्स दिल्ली आटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड (नई दिल्ली) को एशियाड 82 के आरम्भ से पूर्व कम से कम सौ से डेढ़ सौ कमरों का निर्माण पूरा करना था और उन्हें हर प्रकार से तैयार करना था;

(ख) दो में से प्रत्येक होटल के कितने कमरों में एशियाई खिलाड़ी अथवा सम्बन्धित व्यक्ति वास्तव में ठहरे थे और कितने दिन तक ठहरे थे;

(ग) किसी होटल को 5-तारा होटल नाम देने से पूर्व कौनसी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है; और

(घ) नवम् एशियाड से पूर्व उक्त होटल कथित शर्तों में से कौनसी शर्तें पूरी नहीं कर सके थे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) मेरेडियन होटल और भारत होटल से, प्रत्येक द्वारा एशियाड के लिए, न्यूनतम सुविधाओं वाले

100 कमरे उपलब्ध किए जाने की आशा थी।

(ख) एशियाड की विशेष संयोजन समिति ने खिलाड़ियों अथवा सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए इन कमरों का इस्तेमाल नहीं किया।

(ग) सूचना विवरण में दी गई है।

(घ) सामान्यतः पूर्णतया क्रियाशील हो जाने के बाद ही होटल वर्गीकरण के लिए आवेदन करते हैं। मेरेडियन और भारत होटलों ने, चूंकि वे पूर्णतया क्रियाशील नहीं हैं। अभी तक वर्गीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है। उक्त दोनों होटल कौन सी शर्तें पूरी नहीं करते हैं, यह केवल तभी पता चलेगा जब वर्गीकरण समिति होटल का दौरा करेगी।

विवरण

सेवाएं/सुविधाए जिनकी एक पांच स्टार होटल से आशा की जाती है

सामान्य सुविधाएं : भवन का अग्रभाग, वास्तुशिल्पीय निशिष्टताएं और सामान्य बनावट इस श्रेणी के लग्जरी होटल की विशिष्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। परन्तु पहुंच और परिप्रदेश वाली लोकलिटी इस श्रेणी के एक लग्जरी होटल के उपयुक्त होनी चाहिए, और कारों के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थान भी उपलब्ध होना चाहिए। होटल में कम से कम किराये पर देने योग्य 25 शयन कक्ष होने चाहिए और ये सभी लोग बाथ्स अथवा आधुनिकतम चैम्बरों वाले सुसज्जित, अटेच्ड बाथरूम होने चाहिए जिनमें 24 घंटे गर्म और ठण्डा पानी आता रहना चाहिए। सभी सार्वजनिक कमरे और निजी कमरे पूर्णतः वातानुकूलित होने चाहिएं (पहाड़ी स्टेशनों के सिवाए जहां कमरे गर्म करने के प्रबन्ध होने चाहिए) और अच्छे लगने वाले बढ़िया क्वालिटी के गलीचों, पर्दों, फर्नीचर, फिटिंग्स, आदि से सुसज्जित होने चाहिएं। यह उचित होगा यदि इसके प्रयोजनार्थ प्रतिष्ठित व्यावसायिक और अनुभवी आंतरिक डिजाइनरों की सेवाओं को नियोजित किया जाए। भूतल सहित 2 या इससे अधिक मंजिलों वाले भवनों में 24 घंटे सेवा नाली पर्याप्त संख्या में कार्यक्षम लिफटें होनी चाहिए। एक बढ़िया डिजाइन वाला और उपयुक्त ढंग से सुसज्जित तरण ताल होना चाहिए (पहाड़ी स्टेशनों के अलावा) उच्चतम स्तर के फिटिंग और फर्नीचर से सुसज्जित एक लाबी और महिलाओं पुरुषों के क्लाक रूम होने चाहिएं।

सुविधाएं : एक स्वागत, कैश और सूचना काउंटर होना चाहिए जहां उच्च शिक्षा प्राप्त, प्रशिक्षित और अनुभवी कार्मिक उपस्थित होने चाहिएं, और कान्फ्रेंस कक्षों/बैंक्विट कक्षों और निजी भोजन कक्षों प्रत्येक के लिए एक या अधिक के रूप में कान्फ्रेंस सुविधाएं होनी चाहिएं। परिसर में एक पुस्तक स्टाल, ब्यूटी पारलर, बारबर शाप, मान्यता प्राप्त यात्रा अभिकरण, मुद्रा परिवर्तन और सेफ डिपाजिट सुविधाएं, लैफ्ट लैगेज रूम, पुष्पविक्रेता और डायलेट संबंधी वस्तुओं और औषधियों की एक दुकान होनी चाहिए। प्रत्येक कमरे में अतिथियों और यात्रियों के इस्तेमाल के लिए एक टेलीफोन होना चाहिए और प्रत्येक कमरे में एक रेडियो या रिलेड संगीत की व्यवस्था होनी चाहिए। परिसर में बढ़िया ढंग से सुसज्जित और अनुरक्षित

भोजन कक्ष/रेस्तरां होना चाहिए और जहां कानून द्वारा अनुज्ञेय हो, वहां एक भव्य, सुसज्जित बार/परमिट रूम होना चाहिए। पेन्ट्री और कोल्ड स्टोरेज को व्यावसायिक रूप से डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि परिचालन की कार्यकुशलता को सुनिश्चित किया जा सके और ये सुसज्जित होने चाहिएं।

सेवाएं : होटल द्वारा उच्चतम स्तर के अन्तर्राष्ट्रीय और भारतीय दोनों प्रकार के भोजन और खाद्य एवं पेय सेवा पेश की जानी चाहिए। चुस्त और यूनिफार्म में व्यावसायिक रूप से शिक्षित, उच्च प्रशिक्षित अनुभवी, कार्यकुशल, शिष्ट स्टाफ होना चाहिए और जो स्टाफ अतिथियों के सम्पर्क में आता है उसे अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। पर्यवेक्षकीय और वरिष्ठ स्टाफ को अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। कुछ स्टाफ के लिए विदेशी भाषाओं का ज्ञान वांछनीय होगा और जिस स्टाफ को कम से कम एक महाद्वीपीय भाषा का ज्ञान हो ऐसे स्टाफ को क्रम से हर समय ड्यूटी पर मौजूद होना चाहिए। स्वागत, सूचना और टेलिफोनों के लिए 24 घंटे की सेवा होनी चाहिए। विश्वसनीय लांड्री और ड्राइक्लीनिंग सेवाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। होटल में हाउस कीपिंग उच्चतम संभव स्तर का होना चाहिए और सभी लिनन, कम्बल, तौलिये आदि की पर्याप्त मात्रा सप्लाई उपलब्ध होनी चाहिए जो उच्चतम क्वालिटी के हों। जहां पीने का भीतरी तौर पर शिति और शोधित पानी उपलब्ध कराया जाता हो उन्हें छोड़कर, प्रत्येक शयन कक्ष में उबले हुए बर्फ के ठंडे पानी का एक वैक्यूम/थर्मस फ्लास्क उपलब्ध कराया जाना चाहिए। एक स्पेशल रेस्तरां/भोजन कस होना चाहिए जहां डांसिंग और आर्केस्ट्रा की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिएं।

रियायती ब्याज दर योजना से लाभान्वित परिवारों की संख्या

4655. **श्री गदाधर साहा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार रियायती ब्याजदर योजना से कुल कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : उपलब्ध आंकड़े विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया ऋणकर्त्ता खातों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

निम्नलिखित के अन्त की स्थिति के अनुसार

राज्य	दिसम्बर 1979	दिसम्बर 1980	दिसम्बर 1981*
हरियाणा	49891	63153	77554
हिमाचल प्रदेश	36616	42941	54911

राज्य	दिसम्बर 1979	दिसम्बर 1980	दिसम्बर 1981*
जम्मू तथा काश्मीर	27330	31585	26935
पंजाब	70384	100148	34393
राजस्थान	56914	64680	71889
चण्डीगढ़	4141	6203	6380
दिल्ली	5779	7112	10944
असम	28096	30919	34178
मणिपुर	1597	2116	1940
मेघालय	3144	4028	3893
नागालैंड	855	1119	1072
सिक्किम	71	89	109
त्रिपुरा	6328	6648	6829
आंध्र प्रदेश	223	426	530
मिजोरम	486	572	515
बिहार	199500	241133	269991
उड़ीसा	80169	118968	139838
प० बंगाल	108242	124490	176476
अंडमान तथा निकोबार	381	461	514
मध्य प्रदेश	129500	153345	177478
उत्तर प्रदेश	249610	290719	305902
आंध्र प्रदेश	166371	193467	240178
कर्नाटक	184887	206806	233593
केरल	142473	185397	202492
तमिलनाडु	190854	202827	229096
लक्षद्वीप	136	170	204
पांडीचेरी	6232	9507	7665
गुजरात	162552	205756	261656
महाराष्ट्र	158101	200464	231731
दादरा तथा नागर हवेली	261	252	330
गोवा दमन और दीव	14283	24750	16062
समस्त भारत	20,85,407	25,10,271	29,25,278

*संशोधित

राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट

4656. श्रीमती जयन्ती पटनायक क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में ओवरड्राफ्ट के संबंध में स्थिति क्या है;

(ख) उन राज्यों के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं जिन्होंने वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित सीमा को पार कर लिया है; और

(ग) क्या उनका उन राज्यों को कतिपय प्रोत्साहन उपलब्ध कराने का विचार है जिन्होंने इस मामले में वित्तीय अनुशासन को बनाए रखा है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) राज्य सरकारों के मुद्रा-संबंधी लेनदेन विभिन्न खजाना/उप-खजाना कार्यालयों और बैंकों में साथ-साथ ही होता है। ओवरड्राफ्ट तब उत्पन्न होते हैं जबकि राज्य सरकार के खातों में वितरण उनकी प्राप्तियों और प्राधिकृत अर्थोपाय सीमाओं से अधिक हो जाता हे। नकद प्रवाह में असंतुलन दूर होने पर ओवरड्राफ्ट समाप्त हो जाते हैं।

(ख) जो राज्य ओवरड्राफ्ट में थे उनको ओवरड्राफ्टों का निपटान करने की सलाह दे दी गई है।

(ग) ऐसे राज्यों के संबंध में, जिनमें चालू वर्ष में घाटा होने की संभावना है; घाटे को अगले वर्ष के आयोजनागत संसाधनों में समायोजित कर दिया गया है और योजना के आकार को उसके अनुरूप घटा दिया गया है। ऐसे राज्यों के सम्बन्ध में जिन्हें चालू वर्ष के अन्त में घाटा होने की संभावना नहीं है, परन्तु जिन्हें वास्तव में ऐसा घाटा हो सकता है, अगले वर्ष के संसाधनों में इसी प्रकार का समायोजन किया जाएगा। जो राज्ज इस वर्ष अपने बजटों को संतुलित कर लेंगे, वे अब यथा-अनुमोदित 1983-84 के पूर्ण आयोजनागत परिव्यय के साथ कार्य करने की स्थिति में होंगे।

विभिन्न देशों से ऋण

4657. **श्री ए० के० राय :**

श्री सुभाष यादव :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री जयपाल सिंह कश्यप : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1983 तक विभिन्न देशों और एजेंसियों से प्राप्त ऋण का ब्यौरा क्या है, उस ऋण का स्थिर मूल्य (1960 को आधार रूप में मानते हुए) और चालू मूल्य (रुपये के मूल्य में) के विस्तृत तथ्य क्या हैं ?

(ख) कितना ऋण वापिस कर दिया गया है और कितनी राशि शेष है;

(ग) गत दो वर्षों में 1 जनवरी, 1983 तक ब्याज और अन्य प्रभारों के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(घ) एजेंसियों तथा देशों से मिले प्रत्येक ऋण की ब्याज दर क्या है;

(ङ) क्या प्राप्त किए गए कुल ऋण में "आसान शर्तों पर मिलने वाले ऋण" का प्रतिशत गत तीन वर्षों से धीरे-धीरे कम हो रहा है; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण एक, दो और तीन में दी गई है।

(ग) सरकार द्वारा सरकारी खाते के ऋणों पर 1961-62 से 3 दिसम्बर, 1982 तक अदा की गई ब्याज की कुल राशि 3611.96 करोड़ रुपए बैठती है। वर्ष 1961-62 से पहले अलग से सरकारी खाते से ब्याज की आदयगी के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है फिर भी, 1951-52 से 1960-61 तक कुल 77.5 करोड़ रुपए की ब्याज की अदायगियां की गई थीं। पिछले दो वर्षों में अदा की गई ब्याज की राशि इस प्रकार थी :—

1980-81	252.24 करोड़ रुपए
1981-82	276.14 करोड़ रुपए

ब्याज के आंकड़ों का हिसाब उस तारीख को प्रचलित विनियम की दर के आधार पर लगाया जाता है जिस दिन अदायगी वास्तव में की जाती है।

(घ) सूचना संलग्न विवरण चार में दी गई है।

(ङ) जी, हां।

(च) सरकार द्वारा विभिन्न दाता देशों और एजेंसियों से यथासंभव ब्याज की कम से कम दर पर और वापसी अदायगी की लम्बी से लम्बी अवधि के लिए ऋण प्राप्त करने की बराबर कोशिश की जाती है।

विवरण-एक

सरकारी खाते के विभिन्न देशों और संस्थाओं से 31 दिसम्बर, 1982 तक प्राप्त ऋणों की राशि का विवरण

क्रम संख्या	देश/संस्था का नाम	प्राप्त ऋण	
		स्थिर कीमत पर	चालू कीमत पर
1	2	3	4
		(करोड़ रुपये)	
1.	आस्ट्रिया	21.58	69.67
2.	आबू धाबी निधि	12.91	18.70

1	2	3	4
3.	बैल्जियम	32.76	72.26
4.	कनाडा	325.20	586.93
5.	चेकोस्लोवाकिया	67.10	105.67
6.	डेनमार्क	22.24	37.76
7.	फ्रांस	319.39	486.83
8.	जर्मन संघीय गणराज्य	841.86	2920.78
9.	हंगरी	7.79	12.26
10.	इराक	88.55	177.77
11.	ईरान	25.20	23.33
12.	जापान	548.43	1731.87
13.	कुवैत निधि	59.43	95.97
14.	नीदरलैंड	224.40	636.28
15.	ओपेक फण्ड	39.47	80.98
16.	पोलैंड	23.25	36.63
17.	सऊदी निधि	51.85	88.48
18.	स्विटजरलैंड	20.87	93.77
19.	यूनाइटेड किंगडम	985.04	1166.54
20.	संयुक्त राज्य अमेरिका	1951.82	4004.57
21.	सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ	580.30	1099.01
22.	संयुक्त अरब अमीरात	33 34	68.39
23.	यूगोस्लाविया	16.95	26.70
24.	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	698.35	1432.82
25.	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	3043.28	6244.38
26.	यूरोपीय आर्थिक समुदाय (विशेष कार्रवाई ऋण)	25 07	51.43
27.	अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	16.18	33.20
28.	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यास निधि	330.96	571.86
29.	ईरान	487.86	1000.94
	जोड़ :	10901.43	22975.78

विवरण-दो

सरकारी खाते के 31 दिसम्बर, 1982 तक वापस अदा किए गए ऋणों की राशि का विवरण

क्रम संख्या	देश का नाम	वापस अदा किए गए ऋण	
		स्थिर कीमत पर	चालू कीमत पर
1	2	3	4
1.	आस्ट्रिया	12.07	38.96
2.	आबू धाबी निधि	1.29	1.87
3.	बैल्जियम	2.58	5.69
4.	कनाडा	65.81	118.78
5.	चेकोस्लोवाकिया	55.51	87.58
6.	डेनमार्क	5.39	9.15
7.	फ्रांस	103.39	157.60
8.	जर्मन संघीय गणराज्य	426.43	1479.47
9.	हंगरी	3.24	5.10
10.	इराक	60.06	123.22
11.	ईरान	13.30	12.31
12.	जापान	209.52	661.63
13.	कुवैत निधि	2.36	3.81
14.	नीदरलैंड	17.16	48.64
15.	ओपेक निधि	0.94	1.92
16.	पोलैंड	21.38	33.68
17.	सऊदी अरब	1.97	3.36
18.	स्विटजरलैंड	16.67	74.88
19.	यूनाइटेड किंगडम	448.46	531.09
20.	संयुक्त राज्य अमेरिका	488.69	1002.65
21.	सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ	465.74	882.05
22.	संयुक्त अरब अमीरात	4.13	8.47

1	2	3	4
23.	यूगोस्लाविया	16.95	26.70
24.	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	263.16	539.92
25.	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	52.64	107.99
26.	यूरोपीय आर्थिक समुदाय (विशेष कार्रवाई ऋण)	—	—
27.	अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	—	—
28.	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यास निधि	—	—
29.	ईरान	147.94	303.52
	जोड़ :	2906.88	6270.04

विवरण-तीन

31 दिसम्बर, 1982 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के बकाया ऋणों का देशवार विवरण

(करोड़ रुपये)

क्रम सं०	देश/संस्था का नाम	स्थिर कीमत (आधार 1960)	31 दिसम्बर, 1982 की रुपयों में बकाया राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आस्ट्रिया	9.51	30.71
2.	बैल्जियम	30.18	66.57
3.	कनाडा	259.39	468.15
4.	डेनमार्क	16.85	28.61
5.	जर्मन संघीय गणराज्य	415.43	1,441.31
6.	फ्रांस	216.00	329.23
7.	इटली	11.90	11.02
8.	जापान	338.91	1,070.24
9.	नीदरलैण्ड	207.24	587.64

1	2	3	4
10.	स्विट्जरलैण्ड	4.20	10.89
11.	यूनाइटेड किंगडम	536.58	635.45
12.	संयुक्त राज्य अमेरिका	1463.13	3,001.92
13.	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	435.19	892.90
14.	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	2990.64	6.136.39
15.	यूरोपीय आर्थिक समुदाय विशेष कार्रवाई ऋण	25.07	51.43
16.	अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	16.18	33.20
17.	न्यास निधि	330.96	571.86
18.	इराक	28.49	54.55
19.	ईरान	339.92	697.42
20.	संयुक्त अरब अमीरात	29.21	59.92
21.	आबूधाबी निधि	11.62	16.83
22.	कुवैत निधि	57.07	92.16
23.	सऊदी निधि	49.88	85.12
24.	ओपेक	38.53	79.06
25.	चेकोस्लोवाकिया	11.49	18.09
26.	हंगरी	4.55	7.16
27.	पोलैण्ड	1.87	2.95
28.	सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ	114.56	216.96
29.	यूगोस्लाविया	—	—
	जोड़ :	7994.55	16,705.74

टिप्पणी : 31 दिसम्बर, 1982 को विदेशी मुद्रा में बकाया ऋण की राशि 31 दिसम्बर, 1982 को प्रचलित विभिन्न करेंसियों के बीच विनिमय दर के अनुसार परिवर्तित की गई है ।

विवरण-चार

विभिन्न देशों/संस्थाओं द्वारा भारत सरकार को दिए गए विदेशी ऋणों के ब्याज की दरों का ब्यौरा

क्रम सं०	देश/संस्था का नाम	ब्याज की दर (प्रतिशत)
1	2	3
1.	आस्ट्रिया	2 से 5.5
2	बेल्जियम	शून्य से 3
3.	कनाडा	शून्य से 6
4.	डेनमार्क	4 से 5 (इस समय ब्याज मुक्त)।
5.	फ्रांस	राजकोष भाग 3 से 3.5 बैंक भाग : 6.85 से 10.65
6.	जर्मन संघीय गणराज्य	0.75 से 6.75
7	इटली	2.5 से 5.00
8.	जापान	2.5 से 6.25
9.	नीदरलैण्ड	0.75 से 5.5
10.	यूनाइटेड किंगडम	1965 से ब्याज मुक्त
11.	संयुक्त राज्य अमेरिका	0.75 से 8
12.	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	4.875 से 11.6
13.	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	0.75 (सेवा प्रभार)
14.	स्विट्जरलैण्ड	1 से 3
15.	चेकोस्लोवाकिया	2.5
16.	पोलैण्ड	2.5
17.	सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ	2.5
18.	हंगरी	2.5 से 4.5
19.	यूगोस्लाविया	3
20.	इराक	2.5 (ब्याज मुक्त चालू ऋण के लिए 0.5 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार)
21.	ईरान	2.5 से 5

1	2	3
22.	संयुक्त अरब अमीरात	2.5
23.	कुवैत	4.
24.	आबूधाबी निधि	4.
25.	ओपेक निधि	0.5 से 0.75 (सेवा प्रभार)
26.	सऊदी निधि	4.
27.	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यास निधि	0.5.
28.	यूरोपीय आर्थिक समुदाय (विशेष कार्रवाई ऋण)	0.75 (सेवा प्रभार)
29.	अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	1.00 (सेवा प्रभार)

टिप्पणी : प्रत्येक ऋण की ब्याज दर बताना सम्भव नहीं है क्योंकि ऋणों की संख्या बहुत बड़ी है । लेकिन ब्याज की देशवार न्यूनतम और अधिकतम दरें दी गई हैं ।

संयुक्त स्थायी समिति गठित करने का प्रस्ताव

4658. **श्री भीकूराम जैन :**

श्री दीनबन्धु वर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'फिक्की' के एक शिष्टमंडल की हाल की पाकिस्तान यात्रा के दौरान पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने आर्थिक संबंध बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की थी;

(ख) क्या दोनों देशों के बीच व्यापार सम्बन्धों को नियमित करने और उनका संवर्द्धन करने हेतु एक संयुक्त स्थायी समति गठित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) पाकिस्तान की यात्रा पर गए फिक्की के प्रतिनिधिमंडल की अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है । तथापि, यह पता चला है कि प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के दौरान उनके पाकिस्तानी प्रतिपक्षों ने न केवल विनिर्माण मदों के सम्बन्ध में तकनीकी जानकारी देने और तीसरे देशों विशेष रूप से मध्य-पूर्व देशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने में रुचि दिखाई है बल्कि इंजीनियरिंग तथा निर्माण में भी रुचि दिखाई है ।

(ख) तथा (ग) मालुम हुआ है कि फिक्की और पाकिस्तान वाणिज्य एवं उद्योग मंडल ने दोनों परिसंघों के बीच एक संयुक्त स्थायी समिति गठित करने में रुचि दिखाई है । तथापि, फिक्की ने बताया है कि इस प्रस्ताव पर हाल में स्थापित भारत-पाकिस्तान संयुक्त आयोग की बैठक के बाद ही विचार किया जा सकता है ।

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा गैर-बासमती चावल का निर्यात

4659. **श्री अमरराय प्रधान** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1982 में गैर-बासमती चावल का निर्यात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कितने चावल का निर्यात किया गया;

(ग) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने गैर-बासमती चावल की अनुमती दी थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) जी हां भारतीय खाद्य निगम द्वारा लगभग 43122 मे० टन का निर्यात किया गया था ।

(ग) तथा (घ) 1981-82 के दौरान राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी परिसंघ (एन० सी० सी० एफ०) को 33,000 मे० टन गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी गई थी । उपरोक्त आबंटन के आधार पर एन० सी० सी० एफ० ने 34,772 मे० टन गैर बासमती चावल का निर्यात किया है ।

हाप का आयात

4660. **श्री टी० एम० नेगी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बीयर उद्योग द्वारा हाप का गुपचुप आयात करने के कारण काश्मीर के हाप उत्पादकों को हो रही भारी कठिनाई की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को देखते हुए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/करने का विचार है कि आयातित हाप के मुकाबले की हाप विकसित कर ली गई है तथा देश में उपलब्ध है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) देश में ब्रूअरि हापूस के उत्पादन को देखते हुए इस मद को आयात नीति के परिशिष्ट 3 में शामिल किया गया है जिसके आयात विशेषकर पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अधीन केवल सीमित आधार पर करने की अनुमति दी जाती है । कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिनमें यह उल्लेख किया गया है कि आयात सम्बन्धी सीमित प्रावधान भी देश में हापूस उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है । वर्ष 1983-84 के लिए आयात नीति तैयार करने के सम्बन्ध में मामला विचाराधीन है ।

निर्यात संवर्द्धन योजना के अधीन अखबारी कागज प्राप्त करने वाले समाचार पत्र

4661. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन समाचार पत्रों को निर्यात संवर्धन योजना के अधीन अखबारी कागज मिल रहा है; और

(ख) उक्त योजना का लाभ उठाने सम्बन्धी क्या शर्तें हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) अखबारी कागज के आयात की अनुमति पंजीकृत निर्यातकों को मिल आयात नीति के अन्तर्गत समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं, सावधि पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के निर्यात के आधार पर दी जाती हैं। आयात लाइसेंसों के विवरण आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी किए जाने वाले वीकली बुलेटिन आफ इम्पोर्ट लाइसेंसिज, एक्सपोर्ट लाइसेंसिज तथा इन्डस्ट्रियल लाइसेंसिज में प्रकाशित किये जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को सप्लाई की जाती हैं।

इस प्रावधान के अन्तर्गत अखबारी कागज के लिए आर० ई० पी० लाइसेंस प्राप्त करने वाले पंजीकृत निर्यातक लाइसेंस का या तो स्वयं प्रयोग कर सकते हैं या उसका अन्तरण कर सकते हैं। लाइसेंस का अन्तरण अखबारी कागज नियंत्रण आदेश के सम्बन्धों द्वारा शासित होता है।

सरकारी कर्मचारियों में गत्यावरोध

4462. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसी सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने से कोई कदम उठाए हैं जो अपने वेतनमान में अधिकतम मान पर रुके हुए हैं; और

(ख) क्या उन्हें अवधि वेतनमान देने या उन्हें उच्चतर वेतनमान में पदोन्नत करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) वेतनमान के अधिकतम पर रुकी हुई वेतन वृद्धि मंजूर करने के लिए केन्द्रीय कर्मचारियों की मांग विचाराधीन रही है।

(ख) जी, नहीं। तथापि चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की घोषणा 28-2-1983 को वित्त मंत्री के बजट भाषण में पहले ही कर दी गई है। आयोग के विचारार्थ विषयों की घोषणा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करने के बाद यथाशीघ्र कर दी जाएगी।

रोड ट्रांसपोर्ट व्यापार पर लेवी में छूट

4663. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन रोड एण्ड ट्रांसपोर्ट डेवेलपमेंट एसोसिएशन, बम्बई ने रोड ट्रांसपोर्ट व्यापार में लेवी के सम्बन्ध में रियायत मांगते हुए सरकार को एक ज्ञापन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा की गई मुख्य मांगें क्या थीं; और

(ग) उन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० बी० पी० पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को इण्डियन रोड एण्ड ट्रांसपोर्ट डेवेलपमेंट एसोसिएशन बम्बई से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इस ज्ञापन की मुख्य-मुख्य मांगें इस प्रकार हैं :—

(i) व्यावसायिक वाहनों पर संचयी शुल्क को कम करके 50 प्रतिशत किया जाए;

(ii) आटो पुर्जों को, मूल उपकरण पुर्जों के रूप में प्रयुक्त किए जाने की दशा में शुल्क से पूर्ण छूट दी जाए;

(iii) स्थानापन्न पुर्जों के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त आटो मोबाइल पुर्जों पर उत्पादन शुल्क की 5 प्रतिशत की एक समान दर लागू की जाए;

(iv) टायरों पर उत्पादन शुल्क की दर को कम करके मूल्यानुसार 22 प्रतिशत किया जाए और आटोमोबाइल ईंधन पर लागू उत्पादन शुल्क को कम करके वर्तमान शुल्क स्तर का एक-तिहाई किया जाए;

(v) दो पहियों वाली अथवा तीन पहियों वाली मोटर गाड़ियों के मामले में उत्पादन शुल्क की दर को कम करके मूल्यानुसार 10.5 प्रतिशत किया जाए और 100 घन सेंटी मीटर तक की क्षमता वाले इंजिन के दो पहियों वाले अपेक्षाकृत छोटे वाहनों के मामले में इसे कम करके मूल्यानुसार 5 प्रतिशत किया जाए।

(ग) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ मद 34क और 68 के अधीन आने वाली मोटर गाड़ियों के पुर्जों को पहले से ही उस स्थिति में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से पूरी छूट प्राप्त है, यदि उनका इस्तेमाल मोटर गाड़ियों, ट्रेक्टरों और ट्रेलरों के निर्माण में मूल उपकरण पुर्जों के रूप में किया जाता है, व्यावसायिक वाहनों पर उद्ग्रहणीय उत्पादन शुल्क की मौजूदा दर मूल्यानुसार 15.75 प्रतिशत है। परन्तु तीन एक्सल वाली गाड़ियों के मामले में शुल्क दर को कम करके मूल्यानुसार 10.5 प्रतिशत कर दिया गया है। ऊपर भाग (ख) में उल्लिखित अन्य मांगें सरकार को मान्य नहीं हैं।

ग्वायूल कल्टीवेशन इन इंडिया शीर्षक से समाचार

4664. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मासिक पत्रिका 'साइंस रिपोर्टर' के जनवरी, 1983 के अंक में 'ग्वायूल कल्टीवेशन इन इंडिया' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश को 1985 तक 65,000 टन प्राकृतिक रबर की कमी का सामना करना होगा और 1990 तक यह कमी 1,76,000 टन तक पहुंच जाएगी; और

(ग) क्या सरकार ने इस समस्या पर गम्भीर रूप से विचार किया है और देश में 'ग्वायूल' की तेजी से खेती करने हेतु कोई नीति विषयक निर्णय लिया है ताकि पूर्वानुमानित संकट को टाला जा सके ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) छठी योजना अवधि के अन्त तक योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन और खपत के बीच अन्तराल लगभग 37,000 मे० टन होगा। यद्यपि मांग और पूर्ति के बीच अन्तराल कुछ और वर्षों के लिए जारी रहने की संभावना है फिर भी यह 1990 तक 1,76,000 मे० टन नहीं होगा।

(ग) सरकार को घाटे की स्थिति मालूम है और वह प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए हर अम्भव उपाय कर रही है ताकि आयातों पर देश की निर्भरता कम की जा सके। भारत में ग्वायूल की वाणिज्यिक खेती के लिए तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता प्रमाणित नहीं हुई है। देश में ग्वायूल रबड़ की तेजी से खेती करने के लिए वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा अब तक कोई नीति सम्बन्धी निर्णय नहीं लिया गया है।

गैर-हथकरघा वस्त्रों को हथकरघा वस्त्र के रूप में निर्यात के मामलों में ग्रन्तग्रस्त पार्टियों का पंजीकरण हटाना

4665. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या वाणिज्य मंत्री गैर-हथकरघा वस्त्रों को हथकरघा वस्त्र घोषित करने वाली फर्म के बारे में 16 जुलाई 1982 के अतरांकित प्रश्न संख्या 1445 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेनेलुक्स और अंगलैण्ड को गैर-हथकरघा वस्त्रों को हथकरघा वस्त्रों को वस्त्र के रूप में निर्यात करने वाली 16 पार्टियों का पंजीकरण रद्द किया गया है; और

(ख) उनके विरुद्ध और क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं

(ख) निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 तथा संशोधित, के उपबन्ध के अन्तर्गत 16 निर्यातकों को कारण बताओ नोटिस दिये गये हैं।

चावल के निर्यात में धोखाधड़ी

4666. **श्री निहाल सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बासमती चावल के नाम पर मोटा चावल निर्यात करने की धोखाधड़ी की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोषी पाये गये व्यक्तियों तथा फर्मों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

———

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : हमने केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उड़ीसा में गम्भीर खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : आपको मेरा उत्तर भी अवश्य मिल गया होगा। आपको भी महसूस करना चाहिए कि आखिरकार नियम क्या है ।

श्री समर मुखर्जी : हम नियमों को जानते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा में चर्चा चल रही है । नियमों का पालन कराने में आप कृपया मेरी सहायता कीजिए ।

श्री समर मुखर्जी : आप हमें अपने विचार प्रकट करने की अनुमति दें ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (नई दिल्ली) : भूख का नियमों से क्या वास्ता

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, आप मुझे यह बतलाइये, जब हाउस में उस बात पर बहस हो रही है तो और क्या कर सकता हूं ।

***(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मि लित नहीं हो रहा है ।

***(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं कभी-कभी यह अनुभव करता हूं कि यह अशिष्टता और धृष्टता है ।

***(व्यवधान)**

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं। मुझे कुछ कहना है। मुझे यह नोट करते हुए खेद है, दुःख है कि सभा की कार्यवाही नहीं चलने दी जा रही है। यह प्रजातन्त्र की जड़ें काटना ही है। मुझे बहुत दुःख है। (व्यवधान) कृपया मुझे सुनिये। चिल्लाओ मत। यदि आप में सुनने की शक्ति है, तो मेरी बात सुनिये। यदि आप बोल सकते हैं, तो सुनो भी सही। मुझे आप लोगों द्वारा बनाए गए न कि मेरे द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना है। स्थगन प्रस्ताव का कोई प्रश्न नहीं है। मैं सरकार के कानों को नहीं खोल सकता। मैं केवल नियमों के अनुसार चल सकता हूं। लोकतन्त्र खतरे में है मैं यही सोच रहा हूं क्योंकि आप मुझे विवश कर रहे हैं।

(व्यवधान)

ठीक है आप जो जी चाहता है, करो। मैं अनुमति नहीं दूंगा। कोई प्रश्न नहीं। मुझे दुःख है। मैं इसे महसूस कर रहा हूं। कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री समर मुखर्जी, मुझे इसका दुःख है। आप नियम जानते हैं। आप मुझे विवश कर रहे हैं। मुझे बहुत दुःख है, मुझे कष्ट होता है, विशेष रूप से जब तक मैं नियमों पर चल रहा हूं और सभा की इच्छानुसार चल रहा हूं। आप इस बात के बावजूद यह कर रहे हैं। मैं सभा की कार्यवाही में बाधा नहीं डालने दूंगा। नहीं, अनुमति नहीं दी जाती है। मैं ऐसा नहीं करने दूंगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं, "सामान्यतः या असामान्यतः"। इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं एक इंच भी नहीं हिलने वाला हूं। मैं आप लोगों द्वारा बनाए गए नियमों पर चल रहा हूं। अनुमति नहीं दी जाती है। कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : किसी स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आप लोगों द्वारा बनाए गए नियमों पर अडिग हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी .....

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता हूँ कि व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठता है। स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : आपने सभा की भावनाओं को देखा है.....

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मुझे आपसे एक अनुरोध करना है। मैं इस बात से सहमत हूं कि सभा में कोई बाधा नहीं डाल सकता। हम पूर्णतया: सहमत हैं। हम सब की यही भावनाएं हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में आपके अन्य साथी ऐसा नहीं सोचते।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे आपसे एक अनुरोध करना है। केरल में चावल के लिए बहुत बड़ा आन्दोलन चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : वादविवाद जारी है।

प्रो० मधु दण्डवते : मंत्री महोदय को आश्वासन देने दीजिए .....

अध्यक्ष महोदय : वादविवाद चल रहा है। मैं अनुमति नहीं दूंगा। मुझे भी आपकी भांति चिन्ता है। मेरा भी उतना ही माननीय हृदय है जितना कि आपका। परन्तु मैं नियमों में काट छांट नहीं करूंगा। मैं उसमें कभी शामिल नहीं हूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दी जाती है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह एक विशेष चर्चा है।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है···मुझे यह मिला है। परन्तु मैंने अनुमति नहीं दी है। स्थगन प्रस्ताव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसे रद्द किया जाता है। मुझे दु:ख है। मैं सदस्यों के दृष्टिकोण से और जिस ढंग से वे जिद्द कर रहे हैं, उससे मैं बहुत दु:खी हूं। यह नितान्त अलोकतान्त्रिक है। यह पूर्णतया तानाशाही है। यह निरकुशता है। मैं निरकुशलता में आपका साथ नहीं दे सकता। मैं आप लोगों द्वारा परेशान नहीं होने वाला हूं। आप से भयभीत नहीं होने वाला हूं। मुझे सभा की मर्यादा बनाए रखनी है। मैं इन दबावों में नहीं आने वाला हूं। मैं नियमों के अनुसार जो उचित समझता हूं वही करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं। मैंने किसी बात की अनुमति नहीं दी है।

श्री सत्यासाधन चक्रवर्ती : अध्यक्ष को इसके लिए अनुमति न देने का कारण बताना चाहिए। मैं नियम 60(1) के परन्तुक को उदधृत कर रहा हूं·····

अध्यक्ष महोदय : मैं सदैव इस नियम को उद्धृत करता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, यदि आपमें से कोई आ सकता है तो यहां आकर बैठें और इससे अलग निर्णय ले लें । मैं छोड़ने को तैयार हूं.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए । मुझे पूरा विश्वास है । मुझे अब भी पूरा विश्वास है कि लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों की रक्षा की जानी चाहिए । परन्तु यह सब देखने के बाद मुझे दुःख है कि इस सम्मानित सभा में एक ग्रुप के नेता श्री मुखर्जी भी खड़े हैं । वह नियम जानते हैं । वह अपने सदस्यों से यह भी नहीं कह सकते हैं कि मुझे विवश किया जा रहा है । मैं आप लोगों में प्रत्येक को, प्रत्येक सदस्य को यहां आकर निर्णय देने की अनुमति देता हूं ।

(व्यवधान)

चिल्लाइये मत । मेरी बात सुनिए । कृपया बैठ जाइए । भगवान के वास्ते कृपया बैठ जाइए । यदि किसी नियम का पालन नहीं करना है अन्यत्र भी और लोग बैठे हैं । मैं अपने चैम्बर (कक्ष) में एक बैठक बुला सकता हूं और यदि कोई यह कहता है कि मैं गलत हूं तो मैं इस सभा से क्षमा याचना करूंगा और अध्यक्ष पीठ से हट जाऊंगा । इससे तो प्रजातन्त्र की जड़ पर ही कुठाराघात होगा । यह व्यवहार नियमानुकूल नहीं हैं और इस सभा के लिए अशोभनीय है यह इस सभा के लिए अपमानजनक है और मैं इससे बहुत घृणा करता हूं ।

(व्यवधान)

लोग ही इस बात का निर्णय करेंगे । मैं आपके और उनके भी हितों की रक्षा करने को तैयार हूं, परन्तु मैं जो कुछ आप कर रहे हैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा । मैं इसे अन्यथा भी नहीं कर सकता हूं । संख्या चाहे कुछ भी क्यों न हो और यदि सारी सभा भी उठ खड़ी होती है और नियम प्रक्रिया को तोड़ती है तो मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)

मैं आपके साथ सहानुभूति दिखा सकता हूं, आपके साथ रो सकता हूं और आपके साथ चल सकता हूं । परन्तु मैं इसकी स्वतन्त्रता को कम नहीं होने दूंगा ।

श्री समर मुखर्जी : हमें अपना विचार व्यक्त करने की अनुमति दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री समर मुखर्जी : यह हमारे और पीठ के बीच संघर्ष नहीं है । यह सरकार और विपक्ष के बीच संघर्ष है । हमारा आपसे निवेदन है कि आप अपने आपको इसमें अन्तग्रस्त न कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं उलझ रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं उलझ रहा हूं । मैं तो केवल इस सभा के हितों की रक्षा कर रहा हूँ ।

श्री समर मुखर्जी : हम इस पीठ और सभा का पूर्ण सम्मान करते हैं। हम इस सभा की प्रतिष्ठा बनाये हुए हैं। प्रजातन्त्र में हमारा पूर्ण विश्वास है और यदि यह धारणा बना ली जाती है, कि प्रजातन्त्र खतरे में है तो यह बिल्कुल गलत धारणा है।

अध्यक्ष महोदय : गलत नहीं है। कम से कम आज मुझे मालूम हुआ है कि यह गलत नहीं है।

श्री समर मुखर्जी : हमें केरल, तमिलनाडु और इन सभी राज्यों को खाद्यान्नों की सप्लाई के लिए स्पष्ट रूप से आश्वासन चाहिए। जब तक यह स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया जाता है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब श्री बूटा सिंह।

कार्य मंत्रणा समिति

44वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य, खेल और निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 24 मार्च, 1983 को सभा में प्रस्तुत किये गए कार्यमन्त्रणा समिति के 44वें प्रतिवेदन से सहमत है"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 24 मार्च, 1983 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्यमन्त्रणा समिति के 44वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

निधन सम्बन्धी उल्लेख

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपको और आपके माध्यम से इस सम्मानित सभा को यह सूचित करते हुए अतयन्त दुःख है कि हमारे एक सहकर्मी श्री केदार पाण्डेय का आज राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण श्री केदार पाण्डेय वर्तमान सभा के सदस्य थे और बिहार के बेतिया चुनाव-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। उससे पहले वह 1952-62 और 1967-80 में बिहार राज्य विधान सभा के सदस्य रहे थे।

श्री पाण्डेय एक पुराने स्वतन्त्रता सेनानी थे और उन्होंने 1942 के स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया था और जेल गए थे।

वह एक सामाजिक कार्यकर्ता और श्रमिक नेता थे और उन्होंने बिहार में 'इन्टक' के उप-सभापति के रूप में कार्य किया।

1972-73 में बिहार के मुख्य मंत्री रहे। वह पहले भी बिहार में कई पदों पर पहुंच चुके थे। जैसे उपमंत्री और मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्री रह चुके थे।

1980 में लोक सभा का सदस्य चुने जाने के बाद केन्द्र में मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्री के रूप में उन्होंने कई पदों पर कार्य किया।

एक सक्रिय संसदविज्ञ होने के नाते वह सदन की कार्यवाही में काफी रुचि लेते थे।

केन्द्रीय सरकार में मंत्री नियुक्ति किए जाने से पूर्व वह कार्य मन्त्रणा समिति के सदस्य थे।

श्री पाण्डेय का निधन थोड़ी सी बीमारी के बाद, 62 वर्ष की उम्र में आज नई दिल्ली में हुआ।

हम इनके निधन पर गहरा दुःख प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक सन्तप्त परिवार को शोक सम्वेदना प्रेषित करने में सभा मेरे साथ है।

सदस्य अब कुछ देर के लिए मौन खड़े होंगे।

(तत्पश्चात सदस्यगण कुछ देर के लिए मौन खड़े हुए)।

अध्यक्ष महोदय : सभा बुधवार, 30 मार्च 1983 को 11 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

12.23 म०प० तत्पश्चात लोक सभा बुधवार 30, मार्च 1983/9 चैत्र, 1905 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

खोसला प्रिंटर्स, नांगलोई, (दिल्ली-41)